सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–02

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–02

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
भाग–1		
अध्याय 1– परिचय		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
विभागों के व्यय की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय	1.3	4
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	4
नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	6
आभार	1.7	9
अध्याय 2– सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन	2.1	13
समाज कल्याण विभाग		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन	2.2	24
लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग		
कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती	2.3	39
जल संसाधन विभाग		
मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन	2.4	48

भाग –2

अध्याय 3– सामान्य		
प्रस्तावना	3.1	65
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	65
लेखापरीक्षा प्राधिकार	3.3	72
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	3.4	72
बकाया राजस्व का विश्लेषण	3.5	74
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	3.6	75
लेखापरीक्षा परिणाम	3.7	76
अध्याय 4– राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्यिक कर– जीएसटी विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1	78
वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.2	90
वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा	4.3	112

भाग –3

अध्याय 5– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा		
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड		
ब्याज से आय की हानि	5.1	121
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
देयकों को पारित करने में समुचित सावधानी का अभाव	5.2	122

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विषय	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्रमांक
	(भाग–1)		
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)	1.6.1	125
1.2	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू)	1.6.1	126
2.1.1	चयनित जिलों की सूची	2.1.9	127
2.2.1	विभिन्न जिलों में डीबीटी भुगतान में देरी की सीमा	2.2.7.2	128
2.3.1	ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची	2.3.6.2	134
2.3.2	ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची	2.3.6.2	144
2.3.3	बाजार दर विलंब से जारी करने के कारण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण	2.3.6.3(i)	146
2.3.4	जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद बाजार मूल्यों की वसूली न होने का विवरण (लोक निर्माण विभाग)	2.3.6.3(ii)	150
2.3.5	जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण (जल संसाधन विभाग)	2.3.6.3(ii)	156
2.3.6	रॉयल्टी राशि को खनिज विभाग के खाते मे प्रेषित नही करते हुए जमा शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने का विवरण	2.3.6.4	158
2.4.1	निम्न ग्रेड कंक्रीट के साथ कार्य के पीसीसी और आरसीसी आइटम के निष्पादन का विवरण	2.4.8.2(i)	165
2.4.2	आईएस 456:2000 में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में क्यूब परीक्षण किए जाने का विवरण	2.4.8.2(ii)	167

2.4.3	कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का गैर–अनुपालन दर्शाने वाला विवरण	2.4.8.2(iii)	170
2.4.4	डिजाइन मिक्स के स्थान पर नॉमिनल मिक्स से आरसीसी एवं पीसीसी कार्य के निष्पादन के कारण निम्न विशिष्टियों वाले कार्य की स्वीकृति दर्शाने वाला विवरण	2.4.8.2(iv)	172
2.4.5	क्षतिग्रस्त कंक्रीट संरचनाओं का विवरण	2.4.8.2(v)	173
	(भाग–2)		
4.1.1	ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया या ट्रान–1 दाखिल करने के बाद विवरणी जमा किया लेकिन एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनित किया	4.1.9.2(i)	175
4.1.2	ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने आईटीआर से अधिक एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया, जैसा कि वैट विवरणी में अग्रेनित किया गया, को दर्शाने वाला पत्रक	4.1.9.2(ii)	179
4.1.3	लंबित फॉर्म–सी पर अंतर कर के भुगतान किये बिना ट्रान–1 की तालिका 5(ग) के तहत दावा किए गए अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को दर्शाने वाला विवरण	4.1.9.2(iii)	185
4.1.4	ऐसे व्यवसायियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने समर्थित बीजक के बिना ट्रान–1 की तालिका 7(ग) के तहत इनपुट स्टॉक पर अयोग्य संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया	4.1.9.2(iv)	187
4.1.5	संक्रमणकालीन क्रेडिट की अधिक दावा की वापसी पर ब्याज का भुगतान न किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक	4.1.9.2(v)	188
4.1.6	स्टॉक के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति दर्शाने वाला पत्रक	4.1.9.2(vi)	188
4.1.7	तालिका 6(ख), 7(ख), 7(ग), 10(क) और 11 के तहत दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट से संबंधित अप्रस्तुत अभिलेखों को दर्शाने वाला पत्रक	4.1.9.2(vii)	189
4.2.1ए	आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब–प्री–ऑटोमेशन	4.2.9.1(i)	191

4.2.1बी	आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब–पोस्ट–ऑटोमेशन	4.2.9.1(i)	194
4.2.2ए	प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब–प्री–ऑटोमेशन	4.2.9.1(ii)	195
4.2.2बी	प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब–पोस्ट–ऑटोमेशन	4.2.9.1(ii)	197
4.2.3	प्रतिपक्षी कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में असामान्य विलंब–प्री–ऑटोमेशन	4.2.9.1(iii)	198
4.2.4	कॉमन पोर्टल के माध्यम से पावती/कमी की प्राप्ति नहीं किया जाना–प्री–ऑटोमोशन	4.2.9.7	199
4.2.5	अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना–प्री–ऑटोमेशन	4.2.9.10	200
4.2.6	प्रतिदाय के प्रकरण जिनमें प्रतिदाय के आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये	4.2.9.10	201
4.3.1	मूल्य संवर्धित कर के निम्न दर का आरोपण	4.3.7.1	204
4.3.2	प्रवेश कर के गलत दर का आरोपण	4.3.7.2	207
4.3.3	घोषणा फॉर्म 'सी' प्रस्तुत किये बिना ही कर की रियायती दर	4.3.7.3	212
4.3.4	वैधानिक फॉर्म 'ई–1/सी' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट	4.3.7.4	214
4.3.5	वैधानिक फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट	4.3.7.5	215
	(भाग–3)		
5.1	एक्सिस बैंक के चालू खाते में रखे न्यूनतम शेष एवं उस पर ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	217
5.2	मेसर्स एफईईएल के संबंध में 04.07.2017 से 13.08.2019 तक के देयकों का जीएसटी सहित विवरण	5.2	221

प्राक्कथन

राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं:

भाग–एक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग–दो में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग–तीन छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2019–21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2019–21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं जिनमें छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विभागों से संबंधित सात अनुपालन लेखापरीक्षाओं के परिणाम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि और परिमाण सापेक्ष संभाव्यता बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर लिये गये हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षाओं में किया गया है। शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएं की गयी हैं।

अध्याय 1

यह अध्याय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ विभागों के व्यय पर संक्षिप्त विवेचना तथा लेखापरीक्षा की योजना और सीमा प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2

यह अध्याय (i) महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन; (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन; (iii) कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती; एवं (iv) मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन पर चार अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

2.1 महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन

भारत सरकार ने कोविड–19 के प्रसार और लॉकडाउन लगाने के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) शुरू की। महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण प्रबंधन का अनुपालन लेखापरीक्षा इन योजनाओं के तहत लक्षित हितग्राहियों को खाद्यान्न के वितरण का आकलन करने के लिए किया गया।

राज्य सरकार पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ किए जाने के पूर्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीजीएफएसए) के हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल प्रदान कर रही थी। तदनुसार, एनएफएसए–प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) केवल एक व्यक्ति वाले राशन कार्ड धारक को 10 कि.ग्रा., दो व्यक्ति वाले को 20 कि.ग्रा., तीन से पाँच व्यक्ति वाले को 35 कि.ग्रा. तथा पाँच से अधिक व्यक्ति वाले को सात कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल प्रदान किया जा रहा था। यद्यपि, पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ किए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों को मिलने वाले निःशुल्क चावल की अधिकतम मात्रा की पात्रता को संशोधित किया गया, जिसके

कारण एक से तीन सदस्यों वाले एनएफएसए–पीएचएच राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त चावल का लाभ नहीं मिला तथा तीन से अधिक सदस्यों वाले कार्ड धारकों को पीएमजीकेएवाई के तहत परिकल्पित पाँच कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति के स्थान पर तीन कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त चावल प्राप्त हुआ। इस प्रकार, राज्य में कुल 31.05 लाख एनएफएसए–पीएचएच (एक से तीन सदस्यो वाले राशनकार्ड धारक) हितग्राहियों को उतनी ही मात्रा में चावल प्रदान किया गया, जितना कि उन्हें पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन से पहले प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार, 136.27 लाख हितग्राहियों (तीन से अधिक सदस्यों वाले राशन कार्ड धारक) को प्रति माह तीन कि.ग्रा. चावल की अतिरिक्त मात्रा प्रदान की गई। इस प्रकार, राज्य योजना में संशोधन के कारण राज्य में 167.32 लाख एनएफएसए–पीएचएच हितग्राही पीएमजीकेएवाई के तहत अपेक्षित अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित नहीं हुए थे।

आगे, लेखापरीक्षित अवधि के दौरान 2.54 लाख परिवारों/हितग्राहियों को 17,803 क्विंटल चना का वितरण नहीं किया गया था। राज्य सरकार एएनबीएस के तहत पंजीकृत 30,218 प्रवासी/फंसे हुए व्यक्तियों को निःशुल्क चावल और एएनबीएस योजना के तहत चिन्हित 20,395 प्रवासी परिवारों को चना वितरित नहीं कर सकी। विभाग के द्वारा 80 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) में मासिक निरीक्षण नहीं किया गया था तथा निरीक्षण पंजी का संधारण भी नहीं किया गया था। अट्ठानवे प्रतिशत एफपीएस में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1)

2.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या मध्यवर्ती स्तर एवं इच्छित हितग्राहियों को भुगतान में विलंब को कम करने और हितग्राहियों के दोहराव को रोकने के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन का मूल उद्देश्य प्राप्त किया गया था और डीबीटी का प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में डीबीटी के कार्यान्वयन के बाद 95 प्रतिशत पेंशन भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। तिरानवे प्रतिशत प्रकरणों में हितग्राहियों की आधार संख्या प्राप्त कर ली गयी थी, जबकि चार प्रतिशत प्रकरणों में आधार सत्यापन लंबित था। कुल 5,335 (2.13 प्रतिशत) हितग्राहियों के संबंध में डीबीटी अंतरण के लिए आवश्यक डेटा का डिजिटलीकरण पूरा नहीं किया गया था। अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,006 हितग्राही ऐसे थे जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिल रही थी। आगे, लेखापरीक्षा में हितग्राही की मृत्यु के बाद पेंशन को बंद करने में विलंब, हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति और संवितरण में विलंब और डुप्लिकेट हितग्राहियों के प्रकरण पाये गये। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली (एनएसएपी–पीपीएस) में आवेदन पत्र उनकी प्राप्ति के तुरंत बाद दर्ज नहीं किए जा रहे थे, बल्कि केवल पात्र आवेदकों के विवरण सहायक दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि को अपलोड किए बिना दर्ज किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रक्रिया की निगरानी नहीं की जा रही थी।

(कंडिका 2.2)

2.3 कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग का अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी की कटौती अधिनियम, नियमों और राज्य शासन के निर्देशों/आदेश के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों विभागों ने संशोधित नियमों और शासकीय आदेशों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए निष्पादित अनुबंधों में मौजूदा रॉयल्टी अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया था। दोनों विभागों में ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र (आरसीसी) प्राप्त किए बिना अंतिम भुगतान किया गया था और 203 अनुबंधों के अंतर्गत कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिजों के बाजार मूल्य ₹ 307.09 करोड़ की भी ठेकेदारों के देयकों से कटौती नहीं की गई थी। बीस संभागों में 66 अनुबंधों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा बाजार दर जारी करने में विलम्ब के कारण गौण खनिजों का बाजार मूल्य वसूल नहीं किया गया जबकि 47 संभागों में 137 अनुबंधों के अंतर्गत कलेक्टरों द्वारा बाजार मूल्य जारी किये जाने के बावजूद भी बाजार मूल्य की वसूली नहीं की गयी थी।

लोक निर्माण विभाग के 44 संभागों में, 142 अनुबंधों के अंतर्गत ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी प्रभारों की वसूल की गई ₹ 65.39 करोड़ की राशि निर्माण विभाग के जमा शीर्ष (8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) में रखी गई थी और अंतिम देयकों के भुगतान के एक महीने की अवधि में खनिज साधन विभाग के अंतिम लेखा शीर्ष (0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग–102–खनिज रियायत शुल्क, किराया और रॉयल्टी) में जमा नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.3)

2.4 मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा यह जाँच करने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या सीमेंट कंक्रीट कार्य (प्लेन सीमेंट कंक्रीटः पीसीसी और रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटः आरसीसी) भारतीय मानक (आईएस) कोड 456:2000 के निर्धारित मानदंडों के अनुसार निष्पादित किए गए थे और क्या सीमेंट कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षण हेतु विभाग के पास पर्याप्त जनशक्ति और उपकरण/मशीनरी उपलब्ध थी।

जल संसाधन विभाग ने सीमेंट कंक्रीट कार्य के निष्पादन में आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस 456:2000 का अनुपालन नहीं किया। विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में जनशक्ति तथा मशीनों की कमी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमेंट कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित संख्या में क्यूब परीक्षण नहीं किए जा रहे थे और प्रत्येक नमूने के परीक्षण के लिए तीन प्रतिरूपों का औसत नहीं लिया गया था। नमूना जाँच किये गये कार्यों में विभाग द्वारा जाँचे गये 7,401 नमूनों में से 6,852 (93 प्रतिशत) नमूने स्वीकृति मानदंडों को पूरा करने में असफल रहे, जो यह दर्शाता है कि निष्पादित कार्यों की लक्षित शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। विभाग ने पीसीसी कार्य (एम–15 से कम) और आरसीसी कार्य (एम–25 से कम) निम्न विशिष्टि के साथ प्रावधान कर निष्पादित किए जो आईएस कोड के अनुरूप नहीं हैं। पाँच नमूना जाँच किए गए अनुबंधों में कंक्रीट के उच्च ग्रेड (एम–25 और अधिक) के लिए डिजाइन मिक्स को नहीं अपनाया गया था। इस प्रकार, आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा निष्पादित सीमेंट कंक्रीट कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयां विफल रहीं।

(कंडिका 2.4)

अध्याय 3

यह अध्याय राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण और राजस्व क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के अलावा कर राजस्व के बकाया का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय 4

इस अध्याय में (i) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संक्रमणकालीन क्रेडिट; (ii) वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय; एवं (iii) वाणिज्यिक कर विभाग पर अनुपालन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित हैं।

4.1 वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर अनुपालन लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, संक्रमणकालीन क्रेडिट के दावों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने एवं करदाता द्वारा जीएसटी प्रणाली में ले जाये गये संक्रमणकालीन क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता की जाँच करने के लिए की गयी।

लेखापरीक्षा ने कई कमियां पायी जैसे वैट विवरणी दाखिल किए बिना संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे की अनियमित प्राप्ति; वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक अग्रेनयन; अंतर कर का भुगतान किए बिना संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक दावा; स्टॉक में रखे इनपुट पर संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति; अधिक दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट की वापसी पर ब्याज का भुगतान न करना और बिना बीजक के स्टॉक पर ट्रॉन–2 दाखिल कर संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों का वैट विवरण के साथ प्रति सत्यापन नहीं किया था, जबकि यह अनियमितताओं को सुधारने के लिए एकबारगी महत्वपूर्ण प्रयास था। आगे, यद्यपि विभाग ने सत्यापन के लिए संक्रमणकालीन प्रकरणों की पहचान की थी तथापि जहां अनियमितताएं पाई गई वहां राजस्व की वसूली के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।

(कंडिका 4.1)

4.2 वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय पर अनुपालन लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय प्रकरणों का विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता, कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की प्रभावकारिता और प्रतिदाय के आवेदनों के निराकरण में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अस्तित्व का आकलन करना था।

प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में 651 दिनों तक का विलंब हुआ था। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में इनपुट सेवाओं पर आईटीसी को शामिल करने के कारण विभाग ने ₹ 0.82 करोड़ का अधिक प्रतिदाय प्रदान किया। विभाग द्वारा ₹ 0.26 करोड़ राशि का अनंतिम प्रतिदाय वस्तुओं और सेवाओं की शून्य रेटेड आपूर्ति से भिन्न अन्य मामलों में प्रदान किया गया। प्रतिदाय के लिए निर्धारित शर्त को पूरा किये बिना क्षतिपूर्ति उपकर की राशि ₹ 1.25 करोड़ का अनियमित प्रतिदाय प्रदान किया गया था। आगे, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में विभाग ने ₹ 1.21 करोड़ की आईटीसी का अतिरिक्त प्रतिदाय, इस उद्देश्य के लिये निर्धारित सूत्र का पालन नहीं करने के कारण प्रदान किया।

(कंडिका 4.2)

4.3 वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर के अंतर्गत करों का आकलन निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया था, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई कर छूट/रियायत की लागू दरें वैध घोषणा फॉर्म से समर्थित थे और दाखिल की गई कर विवरणियों के प्रारंभिक जाँच में कर निर्धारण प्राधिकारी ने यथोचित प्रयास किया था।

लेखापरीक्षा ने वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर के गलत दर के अनुप्रयोग के प्रकरण पाये जिसके फलस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ मूल्य के संवर्धित कर तथा ₹ 2.65 करोड़ मूल्य के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने करदाता के द्वारा वैधानिक फॉर्म प्रस्तुत किए बिना अन्तर्राज्यीय विक्रय, शाखा विक्रय एवं पारगमन विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर के अंतर्गत कर की रियायती दर/कर से छूट की अनुमति दी जिसके फलस्वरूप ₹ 5.22 करोड़ कर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.3)

अध्याय 5

इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित है।

5.1 ब्याज से आय की हानि

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कंपनी) विभिन्न बैंकों में अलग–अलग बैंक खाते संचालित करती है एवं ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाती है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित थ्रेसहोल्ड सीमा से अधिक धनराशि स्वतः ही सावधि जमा (एफडी) में परिवर्तित हो जाती है। कंपनी के एक्सिस बैंक के पाँच खातों में ऑटो स्वीप सुविधा के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 15.00 करोड़ थी जबकि अन्य बैंक खातों में थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख के मध्य थी। इसके परिणामस्वरुप ऑटो स्वीप सुविधा के लिए उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा रखने के कारण बैंक निक्षेपों पर ब्याज से होने वाली आय अर्जित न होने से सरकारी खजाने को ₹ 3.82 करोड़ की हानि हुई एवं इसके परिणामस्वरूप बैंक को अनुचित लाभ भी पहुँचा।

(कंडिका 5.1)

5.2 देयकों को पारित करने में समुचित सावधानी का अभाव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति और लाइनों एवं सबस्टेशनों के निर्माण के लिए ठेकेदार को ₹ 202.97 करोड़ का कार्यादेश जारी किया (दिसंबर 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटी विभाग द्वारा ठेकेदार के जीएसटी पंजीकरण को रद्द कर दिया गया था (जुलाई 2017) एवं बाद में उसे नया पंजीकरण नंबर दिया गया था (अक्टूबर 2020) जिसकी देयता तिथि अगस्त 2019 से प्रभावशील थी। यद्यपि, ठेकेदार ने इन दो वर्षों की अवधि के दौरान पुराने जीएसटी नंबर के साथ देयक प्रस्तुत करना जारी रखा एवं कंपनी ने ठेकेदार द्वारा करों के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के बाद भी ठेकेदार को उसके देयकों पर ₹ 10.36 करोड़ के जीएसटी का भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरुप सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपंजीकृत ठेकेदार को ₹ 10.36 करोड़ का अनुचित भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.2)

भाग 1– सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए मामले शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी एक गई विषयवस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर–वित्तीय लेनदेन, एक ईकाई या ईकाइयों के एक समूह के संबंध में जानकारी) सभी रूप में, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि तथा ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि वह कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियां बनाने के साथ–साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाए जिससे कि संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर प्रशासन में योगदान होगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और क्षेत्र, विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निकाले गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया की व्याख्या की गई है।

1.2 विभागों के व्यय की रूपरेखा

छत्तीसगढ़ शासन के विभागों द्वारा 2018–19 से 2020–21 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान, बजट अनुमान के विरूद्ध किये गये व्यय का सारांश **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 : राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	2018–19		2019–20		2020–21	
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सामान्य प्रशासन विभाग	414.73	333.14	459.48	299.78	394.52	248.64
2	गृह विभाग	4377.31	3755.16	4582.22	4400.24	5225.80	4230.72
3	जेल विभाग	219.32	144.65	203.63	170.57	226.06	148.87
4	वित्त विभाग	11525.85	10651.47	16237.25	23268.15	17189.46	20961.62
5	वाणिज्यिक कर विभाग	320.89	166.58	350.87	351.70	369.82	250.74
6	राजस्व विभाग	2084.24	1247.34	1702.42	1413.16	1942.86	1953.85
7	परिवहन विभाग	112.05	41.91	76.17	51.83	103.18	50.70
8	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	139.69	74.52	110.71	32.67	203.10	25.91
9	वन विभाग	1563.93	1050.86	1530.98	1701.32	2241.10	1757.11
10	वाणिज्य और उद्योग विभाग	391.08	236.71	378.86	241.37	418.04	227.00
11	खनिज संसाधन विभाग	908.34	277.79	963.11	212.41	795.61	305.08

12	ऊर्जा विभाग	4704.21	3136.78	4352.08	5705.40	5596.53	5454.12
13	कृषि विभाग	4452.63	9115.79	7604.10	2632.32	8003.27	7784.96
14	सहकारिता विभाग	334.18	3276.18	1816.40	2436.02	436.89	226.32
15	श्रम विभाग	174.59	117.27	204.73	140.83	215.85	150.95
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	3470.33	2930.16	3385.77	3512.34	4023.43	4464.16
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	3357.68	2424.03	2929.80	2859.26	3582.94	3393.72
18	लोक निर्माण विभाग	7187.10	4654.02	6218.16	4146.55	6410.03	3887.08
19	स्कूल शिक्षा विभाग	12472.66	11502.95	13502.60	14494.23	15599.20	12769.23
20	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	641.15	545.82	911.13	614.92	838.86	437.85
21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	9222.75	7098.90	8996.66	7596.10	9000.13	6012.25
22	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	131.67	119.56	228.33	211.38	238.12	210.20
23	जनसंपर्क विभाग	260.48	259.11	191.83	238.40	238.01	179.88
24	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	130.00	986.37	2273.91	1075.71	2373.62	1440.93
25	समाज कल्याण विभाग	0.00	840.93	969.36	974.51	1004.83	1066.39
26	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	4752.39	4113.03	5353.45	5749.47	5072.87	4316.76
27	संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	107.43	61.87	107.12	75.77	156.70	64.29
28	जल संसाधन विभाग	3393.29	2148.11	2994.70	1797.53	3080.59	1667.54
29	आवास एवं पर्यावरण विभाग	851.48	260.45	565.95	332.71	614.91	230.82
30	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1030.03	613.27	1002.22	629.80	1021.40	1068.82
31	पशुपालन विभाग	517.62	399.66	613.04	472.94	636.28	458.37
32	मत्स्य विभाग	115.18	75.71	120.19	110.51	142.95	119.10
33	उच्च शिक्षा विभाग	953.99	696.71	1010.70	931.92	1072.55	724.97
34	महिला एवं बाल विकास विभाग	1929.42	1105.18	2062.84	1696.37	2342.29	1452.43
35	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	708.24	402.28	691.39	414.01	716.01	376.26
36	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	678.66	258.15	129.00	321.39	240.86	105.76
37	विमानन विभाग	59.11	30.79	67.95	41.86	130.01	53.57
38	राज्य विधानमंडल	62.42	39.34	69.24	45.65	62.79	41.54
39	ग्रामोद्योग विभाग	155.96	112.24	167.19	126.88	148.71	119.46
40	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1326.02	781.21	1470.41	1096.62	1604.66	1159.65
योग		**85238.10**	**76086.00**	**96605.95**	**92624.60**	**103714.84**	**89597.62**

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2018–19 से 2020–21 तक, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में व्यय 17.75 प्रतिशत से बढ़ा है। हालांकि, उसी अवधि में बजट उपयोग 89 प्रतिशत से घटकर 86 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.2 तीन वर्ष की अवधि 2018–21 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियों और वृद्धि की जानकारी प्रदान करती है।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	65,094.93	63,868.70	63,176.18
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.13	(–) 1.88	(–) 1.08
स्वयं के कर राजस्व का बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	26,030.00	22,930.00	26,155.00
वास्तविक स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	21,427.26	22,117.85	22,889.20
संघीय करों और शुल्कों/केन्द्रीय कर स्थानांतरण में राज्य के अंश का बजट अनुमान	22,954.97	27,917.00	26,803.30
संघीय करों और शुल्कों/केन्द्रीय कर स्थानांतरण में राज्य का अंश	23,458.69	20,205.84	20,337.54
कर राजस्व (स्वयं के कर और केन्द्रीय कर स्थानांतरण)	**44885.95**	**42,323.69**	**43,226.74**
कर राजस्व की वृद्धि की दर	**10.42**	(–) **5.71**	**2.13**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,27,693	3,44,571	3,52,161
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	16.09	5.15	2.20
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.46	18.52	18.04
उत्प्लावकता अनुपात			
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर)	0.57	(–) 0.37	(–) 0.49
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कर राजस्व उत्प्लावकता (कर राजस्व की वृद्धि की दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर)	0.65	(–) 1.10	0.97

(स्त्रोत : 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तालिका 2.3)

कर राजस्व 2018–19 से 2020–21 के दौरान (–) 5.71 प्रतिशत से 10.42 प्रतिशत तक की वृद्धि दर के साथ उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कर राजस्व अनुपात 2019–20 में नकारात्मक था जो इंगित करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के समान गति से नहीं बढ़ी। वर्ष 2020–21 में कर राजस्व उत्प्लावकता सकारात्मक हुई लेकिन यह एक से कम रही।

उत्पलावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा परिमाण को दर्शाता है। उदाहरणार्थ– सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में 0.97 राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कर राजस्व प्राप्तियों में 0.97 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ का कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में 42 विभागों[1] एवं उनके अधीन स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करता है। इनमें से 35 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट) से लिया गया है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक डीपीसी एक्ट के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार शासन के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आने वाले विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 13 के अधीन की जाती है:
- प्राप्तियों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 16 के अधीन की जाती है:
- स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 19(2)[2], 19(3)[3] एवं 20(1)[4] के अधीन की जाती है:
- स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 20(1) के अधीन की जाती है:
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक अन्य स्वायत्त निकायों, जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा भी डीपीसी एक्ट की धारा 14[5] के अधीन करता है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम के साथ–साथ नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी किये गये अन्य दिशा–निर्देशों, नियमावली और निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.5 नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन

लेखापरीक्षा के नियोजन, संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को नीचे दिये गये प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है।

---

1 राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागों सहित।

2 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हो) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

3 राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हो) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

4 राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक और सरकार के मध्य तय हुआ हो।

5 (i) राज्य की संचित निधि से अनुदान अथवा ऋण द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय और (ii) जहाँ किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य के संचित निधि से किसी वित्तीय वर्ष में दिया गया अनुदान अथवा ऋण ₹ एक करोड़ से कम न हो, ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

चार्ट 1.1: नियोजन, लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करना

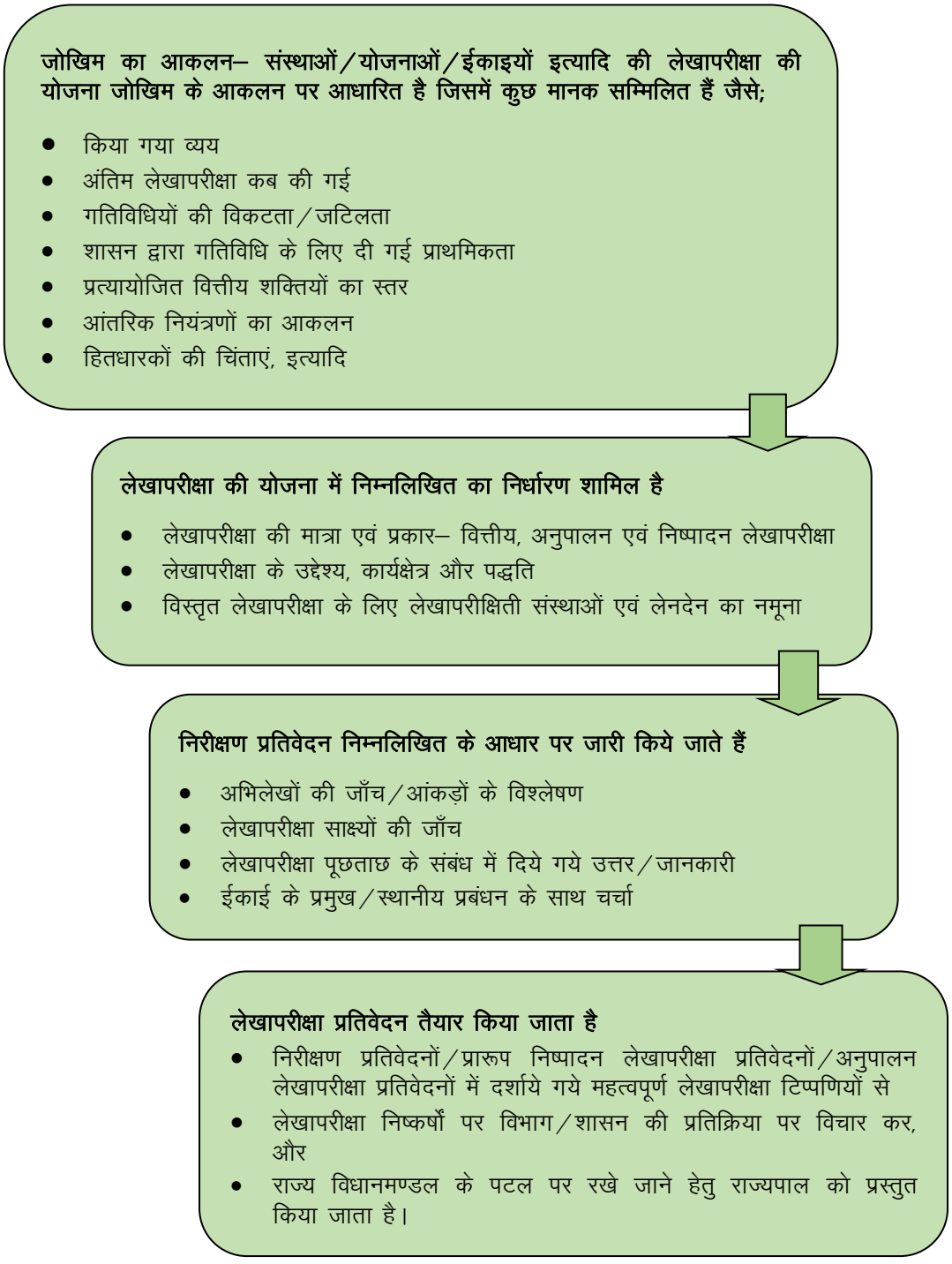

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद एक निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष होते हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ उस ईकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों जिन्हें शासन में उच्चतम स्तर के ध्यान में लाना अपेक्षित हो, को शासन की प्रतिक्रिया पर यथोचित विचार के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रसंगों अथवा विषयों पर अनुपालन लेखापरीक्षाओं को भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछली निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित टिप्पणियों का उत्तर देने एवं उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में बताये गये लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला/राज्य स्तर की बैठकों में भी नियत अंतराल पर की जाती है। 30 सितम्बर 2021 तक, पिछले वर्षों के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 5,172 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 28,870 कंडिकाएं शामिल है, निराकरण हेतु लंबित थे, जैसा नीचे विवरण दिया गया है। इनमें से 1,748 निरीक्षण प्रतिवेदनों (12,331 कंडिकाओं) के संबंध में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं। विभाग–वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.3 : लंबित कंडिकाओं की स्थिति (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

वर्ष	निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या (30 सितम्बर 2021 तक)		प्रथम उत्तर ही प्राप्त नहीं होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं (30 सितम्बर 2021 तक)	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
2016–17 तक	3667	17512	642	3722
2017–18	440	3424	280	2316
2018–19	291	2149	196	1542
2019–20	478	3547	384	2907
2020–21	296	2238	246	1844
योग	**5172**	**28870**	**1748**	**12331**

इसके अलावा, 30 सितम्बर 2021 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पिछले वर्षों के 254 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 1,185 कंडिकाएं शामिल थी, निराकरण हेतु लंबित थे, जैसा नीचे विवरण दिया गया है। विभाग–वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.4 : लंबित कंडिकाओं की स्थिति (पीएसयू)

वर्ष	निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या (30 सितम्बर 2021 तक)		प्रथम उत्तर ही प्राप्त नहीं होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं (30 सितम्बर 2021 तक)	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
2016–17 तक	165	506	–	–
2017–18	30	156	–	–
2018–19	16	134	–	–
2019–20	43	389	–	–
2020–21	–	–	–	–
योग	**254**	**1185**	–	–

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को चिरस्थायी करने के जोखिम से भरी है। इसका परिणाम शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिन्हित चिंताओं की समीक्षा एवं उन्हें दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया, उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजना आवश्यक है। वर्ष 2021–22 के दौरान, सात प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं और 12[6] प्रारूप कंडिकाएं संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ भेजे गये थे। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि इन प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा, में शामिल किये जाने की संभावना है तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल करना वांछनीय होगा। इसके बावजूद, तीन[7] विभागों ने तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं और तीन[8] विभागों ने तीन प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख तक नहीं दिये थे। शासन की प्रतिक्रियाएं जहाँ भी प्राप्त हुई हैं, उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल की जा चुकी हैं।

1.6.3 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के बाद उनमें शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर प्रशासनिक विभागों को व्याख्यात्मक टीप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को विधिवत दर्शाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए विभागों को लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से किसी नोटिस अथवा मांग की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2019 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये 16 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में 10 विभागों से व्याख्यात्मक टीप (30 सितम्बर 2021 तक) प्राप्त होने बाकी थे, जैसा कि **तालिका 1.5, तालिका 1.6** एवं **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

---

6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित।

7 लोक निर्माण विभाग, जल संशाधन विभाग और वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग

8 वाणिज्यिक कर–जीएसटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग

तालिका 1.5: 30 सितम्बर 2021 तक प्राप्त किये जाने वाले व्याख्यात्मक टीप (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

विभाग	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 तक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017–19
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	0	0	0	1
लोक निर्माण विभाग	0	0	0	1
महिला एवं बाल विकास विभाग	0	0	0	1
जल संसाधन विभाग	0	0	0	2
योग	**0**	**0**	**0**	**5**

तालिका 1.6: 30 सितम्बर 2021 तक प्राप्त किये जाने वाले व्याख्यात्मक टीप (राजस्व क्षेत्र)

विभाग	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17 तक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017–18	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19
वाणिज्यिक कर–जीएटी विभाग	0	0	2
परिवहन विभाग	0	0	1
ऊर्जा विभाग	0	0	1
वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	0	0	2
मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	0	0	1
योग	**0**	**0**	**7**

तालिका 1.7: 30 सितम्बर 2021 तक प्राप्त किये जाने वाले व्याख्यात्मक टीप (पीएसयू)

विभाग	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 तक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2017–18	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19
वाणिज्य और उद्योग विभाग	2	0	0	0	2
योग	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

1.6.4 लोक लेखा समिति/ सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से छः महीने के भीतर सिफारिशों पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 30 सितम्बर 2021 तक, 25 विभागों से संबंधित 56 एटीएन प्राप्त होने बाकी थे।

1.6.5 लेखापरीक्षा को जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये दस्तावेज

विभिन्न कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है और लेखापरीक्षा जाँच के लिए संबंधित रिकॉर्ड तैयार रखने के लिए विभागों को सूचनाएँ जारी की जाती हैं

वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित 14[9] मूल्यांकन नस्तीयाँ, विवरण, रिफंड, दस्तावेज, पंजियाँ और अन्य दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस मुद्दे को निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित किया गया था और संबंधित विभागों के सचिवों/विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना खतरे का संकेत है क्योंकि लेखापरीक्षा इन लेन–देनों की सत्यता की पुष्टि करने में असमर्थ है और धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1.7 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य सरकार तथा विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्रदान की गयी सहायता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

[9] वन विभाग–07 मामलों, खनन विभाग–01 मामला, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग–03 मामलों, सामान्य प्रशासन–01 मामला, सहकारिता विभाग–01 एवं जल संसाधन विभाग–01 मामला

अध्याय 2

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय–2

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय का सारांशः

इस अध्याय में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत विभागों अर्थात् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं।

महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण प्रबंधन का अनुपालन लेखापरीक्षा कोविड–19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) के तहत लक्षित हितग्राहियों को खाद्यान्न के वितरण का आकलन करने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा में महामारी के दौरान लक्षित हितग्राहियों को अतिरिक्त चावल और चना के वितरण में कमियां देखी गई। राज्य सरकार एएनबीएस के तहत 30,218 प्रवासी व्यक्तियों और 20,395 परिवार, जो योजना के तहत पंजीकृत थे लेकिन उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंचे, उनको क्रमशः चावल और चना वितरित करने में विफल रही। एएनबीएस के तहत एक ही हितग्राही की अनेक आईडी उत्पन्न होने के कारण 2,644 व्यक्तियों और 1,641 परिवारों को एक से अधिक बार सूचीबद्ध किया गया और चावल (283.01 क्विंटल) और चना (35.98 क्विंटल) की अधिक मात्रा वितरित की गई। नमूना जाँच किए गए उचित मूल्य दुकानों में 88 प्रतिशत पीएमजीकेएवाई और 85 प्रतिशत एएनबीएस के लिए अलग–अलग भंडार और वितरण पंजी नहीं बनाए गए थे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन का अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि क्या डीबीटी के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में दक्षता आई है और हितग्राहियों को पेंशन के अंतरण की प्रक्रिया में मध्यवर्ती स्तर और विलंब को कम किया गया है। लेखापरीक्षा ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत डीबीटी के कार्यान्वयन में कमियां देखी जैसे पेंशन की मंजूरी और संवितरण में विलंब; हितग्राहियों का दोहराव; 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिलना; पेंशनर की मृत्यु के बाद पेंशन बंद करने में विलंब; अपात्र हितग्राहियों (60 वर्ष से कम आयु वाले) को पेंशन स्वीकृत करने के साथ–साथ पेंशनभोगियों के डेटा के सत्यापन एवं डिजिटलीकरण में कमियां।

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती का अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या विभाग ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी प्रभारों की कटौती छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों एवं खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों विभागों ने संशोधित नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए निष्पादित अनुबंधों में मौजूदा रॉयल्टी क्लॉज को पुनरीक्षित नहीं किया। ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र (आरसीसी) प्राप्त किए बिना उन्हें अंतिम भुगतान किया गया। शासकीय कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों का बाजार मूल्य ठेकेदारों के देयकों से नहीं काटा गया। बाजार दर जारी करने में जिला कलेक्टरों के द्वारा विलंब किया गया। ठेकेदारों के देयकों से काटे गए रॉयल्टी प्रभारों को खनिज साधन विभाग के खाते में निश्चित समयावधि के भीतर जमा नहीं किया गया।

''मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन'' के अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य, सीमेंट कंक्रीट कार्यों (प्लेन सीमेंट कंक्रीटः पीसीसी और रीईनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटः आरसीसी) का आईएस कोड 456:2000 के निर्धारित मानदंड के अनुसार निष्पादन और सीमेंट कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षण हेतु विभाग के पास पर्याप्त श्रमशक्ति और उपकरण/मशीनरी की उपलब्धता की समीक्षा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग की पाँच गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में से चार में 80 प्रतिशत तक श्रमशक्ति की कमी थी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में आवश्यक संख्या में मशीनरी/उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। श्रमशक्ति और मशीनरी की कमी के कारण कंक्रीट क्यूब्स के परीक्षण की आवृत्ति आईएस कोड में परिकल्पित मानदंडों से कम थी और प्रत्येक नमूने के लिए आवश्यक औसत प्रतिरूप नहीं लिए गए थे। आगे, कंक्रीट क्यूब्स के परीक्षण के परिणामों से यह इंगित हुआ कि 93 प्रतिशत नमूने कंक्रीट की वांछित शक्ति हेतु स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में विफल रहे। विभाग ने आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं किया और कंक्रीट के निम्न श्रेणी अर्थात पीसीसी कार्यों के लिए एम–7.5 और एम–10 और आरसीसी कार्यों के लिए एम–15 और एम–20 के साथ कार्य निष्पादित किया। पाँच अनुबंधों में ₹ 9.70 करोड़ मूल्य के 6,252 घन मीटर कार्य को डिजाइन मिक्स तैयार किए बिना ही अनियमित रूप से नॉमिनल मिक्स से निष्पादित किया गया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.1 महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन

2.1.1 परिचय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) किफायती मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है तथा इसे केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीजीएफएसए), 2012 तथा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के परिपत्रों/जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित है। एनएफएसए के अंतर्गत दो श्रेणियों यथा अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) शामिल है। राज्य में एनएफएसए तथा सीजीएफएसए के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणियों में 217.12 लाख हितग्राही थे, जैसा कि **तालिका 2.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.1: हितग्राहियों की संख्या (लाख में)

श्रेणी	अंत्योदय अन्न योजना		प्राथमिकता परिवार		योग	
	कार्ड	सदस्य	कार्ड	सदस्य	कार्ड	सदस्य
एनएफएसए	7.25	19.65	40.33	167.31	47.58	186.96
सीजीएफएसए	2.93	8.51	2.35	7.73	5.28	16.24
सीजीएफएसए–एनएफएसए–पीएचएच	3.82	13.92	0	0	3.82	13.92
योग	**14.00**	**42.08**	**42.68**	**175.04**	**56.68**	**217.12**

(स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

देश में कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक चार चरणों[1] में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने सभी एनएफएसए हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा सभी प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों और ऐसे सभी लोग जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं किये गये थे, के लिए आत्म निर्भर भारत योजना (एएनबीएस) की घोषणा की। ''अनलॉक'' की श्रृंखला में प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से जून में हटाना शुरू किया गया जो कि नवंबर 2020 तक चला।

भारत सरकार एवं छत्तीसगढ शासन के उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, गरीब लोगों को नियमित एनएफएसए/सीजीएफएसए पात्रता के अलावा अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया गया जिससे उन्हें महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

[1] चरण I: 25 मार्च–14 अप्रैल (21 दिन), चरण II: 15 अप्रैल–3 मई (19 दिन), चरण III: 4 मई–17 मई (14 दिन), चरण IV: 18 मई–31 मई (14 दिन)

2.1.2 कोविड–19 अवधि के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीडीएस के अंतर्गत शुरू योजनाएं

कोविड–19 अवधि के दौरान भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शुरू योजनाओं का विवरण **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.2: महामारी की अवधि के दौरान शुरू योजनाओं का विवरण

योजना	योजना का लाभ	योजना की अवधि	पात्रता
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई– केन्द्रीय योजना)	पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	अप्रैल–नवंबर 2020 तथा मई 2021–मार्च 2022	अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार अंतर्गत आने वाले सभी एनएफएसए हितग्राही
आत्म निर्भर भारत योजना (एएनबीएस – केन्द्रीय योजना)	पाँच कि.ग्रा. चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	मई जून–2020	फंसे हुए प्रवासियों जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाई – राज्य योजना)	पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त चावल प्रति व्यक्ति एवं एक कि.ग्रा. चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क	अप्रैल–नवंबर 2020 और मई 2021–मार्च 2022	सीजीएफएसए के अंतर्गत कवर सभी राशन कार्ड धारक

2.1.3 छत्तीसगढ़ में पीडीएस का तंत्र

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्य कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय और एनएफएसए, 2013 और सीजीएफएसए, 2012 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पीडीएस के अंतर्गत लक्षित हितग्राहियों को वितरण के लिए संचालनालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीजीएससीएससीएल) के माध्यम से खाद्यान्न के क्रय, उठाव और उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन किया जाता है। जिले में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करते हैं। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण द्वारा हितग्राहियों को राज्य में 13,284 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। छत्तीसगढ शासन ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पीडीएस में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को निलंबित (मार्च 2020) किया था और हितग्राही की फोटोग्राफ या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अपलोड कर खाद्यान्न वितरण हेतु निर्देशित किया था।

2.1.4 चावल का आवंटन, उठाव और वितरण

वर्ष 2019–20 और 2020–21 की अवधि के दौरान एनएफएसए और सीजीएफएसए के तहत पीडीएस के माध्यम से नियमित और अतिरिक्त चावल के आवंटन, उठाव और वितरण की कुल मात्रा का विवरण **तालिका 2.1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3: चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

2019–20	एनएफएसए (नियमित एवं अतिरिक्त	सीजीएफएसए (नियमित एवं अतिरिक्त)	कुल मात्रा
आवंटन	13988539	8266284	22254823
उठाव	13847531	8085609	21933140
वितरण	13846516	8127101	21973617
2020–21			
आवंटन	19923658	7729477	27653135
उठाव	19818942	7721795	27540737
वितरण	18581415	8819868	27401283
2021–22 (जून 2021 तक)			
आवंटन	4447693	2547417	6995110
उठाव	4451773	2537694	6989467
वितरण	4410620	2528679	6939299

(स्त्रोतः आंकड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/ से संकलित किए गए हैं)

2.1.5 संगठनात्मक संरचना

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा राज्य में एनएफएसए और सीजीएफएसए के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चत करके पीडीएस को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं अपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ को राज्य में पीडीएस के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान की गई है जिन्हें 28 जिलों में 28 खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में खाद्य निरीक्षक हैं। सीजीएससीएससीएल, विभाग के अधीन एक कंपनी है जो वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित खाद्यान्नों का क्रय, उठाव और परिवहन करती है।

2.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कोविड–19 महामारी के दौरान, पीडीएस के तहत प्रदाय किए गए अतिरिक्त खाद्यान्न पर केन्द्रित करते हुए अनुपालन लेखापरीक्षा योजनाओं के अनुरूप अतिरिक्त खाद्यान्न के वितरण का आकलन करने के लिए किया गया।

2.1.7 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किए गए थेः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा उसके तहत जारी पीडीएस (नियंत्रण) आदेश।
- कोविड–19 अवधि के लिए पीडीएस के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार और छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश और आदेश/परिपत्र/अधिसूचनाएं।

2.1.8 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा में शीर्ष स्तर की ईकाइयों जैसे संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं नोडल एजेंसी सीजीएससीएससीएल तथा 20 चयनित जिलों के खाद्य नियंत्रकों/खाद्य अधिकारियों और जिला प्रबंधक, सीजीएससीएससीएल को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में छः उचित मूल्य की दुकानों (तीन शहरी और तीन ग्रामीण) तथा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों के अंतर्गत 10 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया था, इस प्रकार 120 एफपीएस और 1,177 हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया। लेखापरीक्षा की अवधि अप्रैल 2020 से जून 2021 तक थी।

लेखा परीक्षा पद्धति में अभिलेखों और दस्तावेजों की नमूना जाँच, प्रारूपों में सूचना और आंकड़ों का संग्रह, प्रबंधन के साथ चर्चा और लेखापरीक्षा प्रश्नों/टिप्पणियों को जारी करना शामिल था। लेखापरीक्षा में 120 चयनित उचित मूल्य दुकानों का विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया।

2.1.9 लेखापरीक्षा नमूना चयन

राज्य के 28 जिलों मे से 14 जिलों का चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त छः जिलों का भी चयन किया गया। तदनुसार, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी की कुल 20 ईकाइयों को अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.1** में वर्णित है।

प्रत्येक चयनित जिले में, छः उचित मूल्य की दुकानों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया।

प्रत्येक चयनित उचित मूल्य की दुकानों के अधीन 10 हितग्राहियों का सर्वे उचित मूल्य की दुकानों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों की उपलब्धता के आधार पर किया गया।

2.1.10 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.10.1 महामारी के दौरान चावल का आबंटन, उठाव और वितरण

भारत सरकार और छत्तीसगढ शासन ने उचित मूल्य दुकान के माध्यम से हितग्राहियों को वितरण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग को अतिरिक्त चावल आवंटित किया था। महामारी के दौरान अप्रैल से नवंबर 2020 और मई से जून 2021 की दस महीनों की अवधि के लिए एनएफएसए और सीजीएफएसए के अंतर्गत पीडीएस के माध्यम से नियमित और अतिरिक्त चावल के तिमाही आवंटन, उठाव और वितरण का विवरण **तालिका 2.1.4** में दर्शित है।

तालिका 2.1.4: चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

योजना		2020–21			2021–22	कुल
		अप्रैल–जून 2020	जुलाई–सितंबर 2020	अक्टूबर–नवंबर 2020	मई–जून 2021	
आवंटन	एनएफएसए नियमित	4998335	3488604	2314465	2306823	13108227
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2506404	2003530	987464	5497398
	सीजीएफएसए नियमित	2413465	1251300	493109	1624040	5781914
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	215070	175028	117876	507974
	कुल	**7411800**	**7461378**	**4986132**	**5036203**	**24895513**
उठाव	एनएफएसए नियमित	4999250	3426109	2300130	2316370	13041859
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2506078	1992223	987455	5485756
	सीजीएफएसए नियमित	2480305	1226944	483638	1624501	5815388
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	214992	172632	117934	505558
	कुल	**7479555**	**7374123**	**4948623**	**5046260**	**24848561**
वितरण	एनएफएसए नियमित	3791235	3456104	2296790	2297052	11841181
	एनएफएसए अतिरिक्त	0	2471113	1987859	969363	5428335
	सीजीएफएसए नियमित	3566747	1232719	487778	1614399	6901643
	सीजीएफएसए अतिरिक्त	0	206547	172486	114261	493294
	कुल	**7357982**	**7366483**	**4944913**	**4995075**	**24664453**

(स्त्रोतः आंकड़े खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ की शासकीय वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/ से संकलित किया गया)

तालिका से देखा जा सकता है कि प्रथम तिमाही अर्थात अप्रैल–जून 2020 में अतिरिक्त चावल का आवंटन, उठाव एवं वितरण शून्य दर्शाया गया क्योंकि विभाग द्वारा इस अवधि में अतिरिक्त चावल का लेखा अलग से संधारित नहीं किया गया और योजना के नियमित घटक में शामिल किया गया था।

2.1.10.2 कोविड–19 महामारी के दौरान लाभार्थियों को अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलना

भारत सरकार ने कोविड–19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आर्थिक उपायों के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया (मार्च 2020)। योजना के अंतर्गत एनएफएसए के तहत शामिल सभी हितग्राहियों को वितरण के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल प्रदान किया जाना था। एनएफएसए के तहत दो श्रेणियां सम्मिलित हैं– अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच)। अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल एनएफएसए के तहत नियमित स्वीकार्यता से बढ़कर था। योजना को प्रारंभ में अप्रैल से नवंबर 2020 तक आठ महीने की अवधि के लिए लागू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना को मई–नवंबर 2021 की अवधि के लिए पुनः लागू किया (अप्रैल 2021) जिसे आगे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

राज्य सरकार, पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ करने के पूर्व (जुलाई 2019 से) प्रत्येक राशन कार्ड में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इन प्राथमिकता परिवारों को रियायती मूल्य

पर हर माह चावल की अतिरिक्त मात्रा प्रदान कर रही थी। तदनुसार, केवल एक व्यक्ति वाले पीएचएच कार्ड धारक को कुल 10 कि.ग्रा., दो व्यक्ति वाले को 20 कि.ग्रा., तीन से पाँच व्यक्ति वाले को 35 कि.ग्रा. तथा पाँच से अधिक व्यक्ति वाले को सात कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा था। इन मात्राओं में एनएफएसए के तहत भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रदाय प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. चावल शामिल है।

पीएमजीकेएवाई के प्रारंभ के बाद, राज्य सरकार ने राज्य के पीएचएच लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले चावल की कुल मात्रा को संशोधित करते हुए अतिरिक्त निःशुल्क चावल की मात्रा के संदर्भ में आदेश जारी (अप्रैल 2020) किया, जैसा कि **तालिका 2.1.5** में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लाभार्थियों को प्रदान किए गए चावल की अतिरिक्त मात्रा वापस लेने के कारण एनएफएसए और सीजीएफएसए लाभार्थी मौजूदा पात्रता के अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से चावल की अतिरिक्त मात्रा से लाभान्वित नहीं हुए, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में बताया गया है:

- **एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के तहत अतिरिक्त निःशुल्क चावल का वितरण**

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2021) कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त आदेश जारी करने के बाद एनएफएसए–पीएचएच लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन से पहले उपलब्ध नियमित चावल की मात्रा की तुलना में कोई अतिरिक्त चावल उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसा कि **तालिका 2.1.5** में दर्शित है:

तालिका 2.1.5: चावल की नियमित और अतिरिक्त पात्रता का प्रावधान

(मात्रा कि.ग्रा. में)

प्रत्येक राशन कार्ड में व्यक्तियों की संख्या (पीएचएच)	पीएमजीकेएवाई से पहले नियमित पात्रता (राज्य सरकार– राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12/जुलाई/2019 द्वारा)	भारत सरकार के आदेश दिनांक (मार्च 2020) के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अनुसार अतिरिक्त मात्रा	पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन के बाद कुल मात्रा	राज्य सरकार के आदेशानुसार कुल पात्रता (अप्रैल 2020)	लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ (कॉलम 2 के संबंध में)
1	*2*	*3*	*4 (कॉलम 2+ कॉलम 3)*	*5*	*6 (कॉलम 5– कॉलम 2)*
01	10	5	15	10	निरंक
02	20	10	30	20	निरंक
03	35	15	50	35	निरंक
04	35	20	55	40	5
05	35	25	60	50	15
06	42	30	72	60	18
07	49	35	84	70	21

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एनएफएसए–पीएचएच राशन कार्ड धारकों के एक से तीन सदस्यों को अतिरिक्त चावल का लाभ नहीं मिला और तीन से अधिक सदस्यों वाले पीएचएच कार्ड धारकों को पीएमजीकेएवाई के तहत प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. के बजाय प्रति व्यक्ति तीन कि.ग्रा. की दर से चावल की अतिरिक्त मात्रा का लाभ मिला। राज्य में कुल 31.05 लाख एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों (एक से तीन सदस्य) को उतनी ही मात्रा में चावल प्रदान किया गया था जितना कि उन्हें पीएमजीकेएवाई के क्रियान्वयन से पहले प्राप्त हो रहा था। इसी तरह, 136.27 लाख हितग्राहियों (तीन से अधिक सदस्यों वाले पीएचएच कार्ड) को तीन कि.ग्रा. प्रति माह

अतिरिक्त मात्रा प्रदान की गई। इस प्रकार, राज्य में 167.32 लाख एनएफएसए–पीएचएच लाभार्थी योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित नहीं हुए।

इस प्रकार, अतिरिक्त निःशुल्क चावल की सहायता प्रदान करके कोविड–19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022) छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने बताया (मई 2022) कि एनएफएसए, 2013 की धारा 3(1) के अनुसार पीएचएच कार्ड धारकों की मासिक पात्रता प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. खाद्यान्न है। भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत मासिक पात्रता के साथ पीएमजीकेएवाई के तहत पीएचएच कार्ड धारकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया। उस आधार पर सदस्यों की संख्या के आधार पर पीएचएच राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई और उन्हें नियमित और अतिरिक्त चावल की पात्र मात्रा के संयुक्त मासिक योग के बराबर या अधिक चावल वितरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य के एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों को महामारी अवधि के दौरान महामारी के पहले जुलाई 2019 की अवधि से प्रदायित एवं वितरित चावल के अनुरूप समान मात्रा की चावल (नियमित के साथ अतिरिक्त) दिया गया एवं महामारी के दौरान उन्हें अतिरिक्त चावल का प्रभावी रूप से लाभ नहीं हुआ।

➢ *पीएमजीकेएवाई के तहत चना का वितरण*

भारत सरकार ने अप्रैल–नवंबर 2020[2] की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत एनएफएसए परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह एक कि.ग्रा. चना उपलब्ध किया (अप्रैल 2020)। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजीएफएसए[3] परिवारों को एक कि.ग्रा. चना उपलब्ध कराने के आदेश जारी (अप्रैल 2020) किए थे और संशोधित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माडा[4]) क्षेत्र और अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्र में प्रति परिवार प्रति माह अधिकतम दो कि.ग्रा. चना वितरण का भी आदेश दिया था जो कि भारत सरकार की योजना के अनुसार एक कि.ग्रा. निःशुल्क एवं एक कि.ग्रा. ₹ पाँच प्रति कि.ग्रा. की दर के शर्त के अधीन वितरण करना था। जबकि इन क्षेत्रों के अंत्योदय अन्न योजना एवं पीएचएच कार्ड धारकों को राज्य चना वितरण योजना के तहत ₹ पाँच प्रति कि.ग्रा. की दर से दो कि.ग्रा. चना प्रतिमाह पहले ही मिल रहा था। इन क्षेत्रों में 25.34 लाख परिवारों को महामारी के दौरान उतनी ही मात्रा में चना वितरित किया गया जितना कि उन्हें महामारी से पहले के समय में मिल रहा था।

राज्य में औसतन 51.45 लाख एनएफएसए परिवार थे जो अप्रैल–नवंबर 2020 की अवधि के लिए एक कि.ग्रा. चना प्राप्त करने के हकदार थे। सात माह की अवधि में एनएफएसए के अंतर्गत कार्डों/परिवारों की संख्या, चना की आवंटन, उठाव एवं वितरण का माहवार विवरण **तालिका 2.1.6** में दर्शित है।

---

[2] जून के महीने को छोड़कर जहां अरहर की दाल उपलब्ध कराई गई थी।

[3] गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी को छोड़कर।

[4] माडा क्षेत्र, 10,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले सटे हुए क्षेत्रों में पहचान किये गये पॉकेट (एक या एक से अधिक राजस्व गांवों से मिलकर बने) है।

तालिका 2.1.6: 51.45 लाख एनएफएसए परिवारों/कार्ड धारकों को चने का वितरण नहीं किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

माह का नाम	चना–भारत सरकार				वितरित नहीं किए गए (क्विंटल में)
	एनएफएसए परिवार/कार्ड	आवंटन	उठाव	वितरण	
अप्रैल 2020	5150023	51500.36	51647.87	50930.97	569.39
मई 2020	5150023	51500.22	51339.48	50589.57	910.65
जुलाई 2020	5149500	51495.24	51259.16	45231.48	6263.76
अगस्त 2020	5149254	51493.26	51481.27	45722.45	5770.81
सितम्बर 2020	5148321	51483.98	51395.96	48957.63	2526.35
अक्टूबर 2020	5147587	51475.89	50714.07	50497.67	978.22
नवंबर 2020	5120520	51205.60	50878.07	50421.65	783.95
कुल		**360154.55**	**358715.88**	**342351.42**	**17803.13**

विभाग द्वारा 3.60 लाख क्विंटल चना आवंटित किया गया, जिसके विरुद्ध 3.59 लाख क्विंटल चना का उठाव किया गया और केवल 3.42 लाख क्विंटल ही हितग्राहियों को वितरित किया गया। परिणामस्वरूप 2.54 लाख परिवारों को 17,803.13 क्विंटल चना का वितरण नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2022) राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.10.3 आत्मनिर्भर भारत योजना का क्रियान्वयन

कोविड–19 के दौरान कठिनाइयों को कम करने और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल और प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों के प्रत्येक परिवार जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस राशन कार्ड के तहत शामिल नहीं थे, को प्रति माह एक कि.ग्रा. निःशुल्क चना प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) प्रारंभ किया (मई 2020)। योजना के तहत भारत सरकार ने इन लक्षित हितग्राहियों को वितरण के लिए राज्य को दो महीने अर्थात् मई 2020 और जून 2020 के लिए चावल और चना आवंटित किया था। राज्य सरकार हितग्राहियों की पहचान करने और ऐसे हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए जिम्मेदार थी। भारत सरकार ने भविष्य में और विस्तार पर विराम लगाते हुए उठाए नहीं गए चावल के उठाव की वैधता अवधि (15 जून 2020 तक) को 25 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दी थी। भारत सरकार ने पूर्व में उठाए गए खाद्यान्न (25 जून 2020 तक) के वितरण के समय (30 जून 2020) को भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया। योजना के तहत चावल और चना का आवंटन, उठान और वितरण **तालिका 2.1.7** में दर्शित है :

तालिका 2.1.7: एएनबीएस के तहत चावल और चना का आवंटन, उठाव और वितरण

(मात्रा मीट्रिक टन में)

सामग्री	भारत सरकार द्वारा आवंटन	उठाव	वितरण	चिन्हित हितग्राही	लाभान्वित
चावल	20076	2108	1964.41	222605 व्यक्ति	196441 व्यक्ति
चना	1056	1056	173.29	109179 परिवार	86645 परिवार

(स्त्रोतः भारत सरकार का आदेश दिनांक 15 मई 2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन का पत्र दिनांक 11 सितंबर 2020)

लेखापरीक्षा ने योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और कमियों का अवलोकन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

i. एकाधिक आईडी के सृजन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का अधिक वितरणः राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत (सितंबर 2020) एएनबीएस के तहत खाद्यान्न वितरण की जानकारी के अनुसार, राज्य में 2,22,605 सदस्यों वाले 1,09,179 प्रवासी परिवारों को एएनबीएस योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। योजनान्तर्गत दो माह के लिए 1,96,441 सदस्यों को कुल 1,964.41 मीट्रिक टन चावल एवं 86,645 परिवारों को 173.29 मीट्रिक टन चना वितरित किया गया।

लेखापरीक्षा ने वितरण सूची से देखा कि 1,92,387 व्यक्तियों को चावल तथा 88,784 परिवारों को चना वितरित किया गया था। संचालनालय द्वारा प्रदान की गई सूची की जाँच से ज्ञात हुआ कि सूची में दर्शाए गए विभिन्न व्यक्तियों के विवरण जैसे आधार संख्या, लिंग और आयु समान थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण से आगे प्रकट हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के लिए एकाधिक आईडी के सृजन के कारण 2,644 व्यक्तियों को कई बार सूचीबद्ध किया गया और 283.01 क्विंटल[5] चावल के अधिक वितरण से लाभान्वित किया गया। इसी तरह एक ही परिवार के कई आईडी बनने के कारण 1,641 परिवारों को एक से अधिक बार सूचीबद्ध कर निर्धारित मात्रा के विरुद्ध 35.98 क्विंटल[6] अधिक मात्रा में चने का वितरण किया गया। हालांकि, कई बार सूचीबद्ध किये लाभार्थियों को पात्र मात्रा से अधिक वितरीत के रूप में दिखाए गए खाद्यान्न के व्यपवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किये जाने (जनवरी 2022) पर राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ii. हितग्राहियों को वितरण न करना : राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एएनबीएस के तहत लाभान्वित किए जाने वाले प्रवासियों के 1,09,179 परिवारों के 2,22,605 सदस्यों की पहचान की थी। जिनमें से क्रमशः 1,92,387 व्यक्तियों एवं 88,784 परिवारों को चावल एवं चना का वितरण किया गया तथा 30,218 व्यक्तियों (14 प्रतिशत) एवं 20,395 परिवारों (19 प्रतिशत) को लाभान्वित नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि ये व्यक्ति/परिवार उचित मूल्य दुकान में चावल और चना प्राप्त करने नहीं आए।

---

5 अतिरिक्त चावल (283.01 क्विंटल) = वास्तविक वितरित (547.41 क्विंटल) – स्वीकार्य मात्रा (264.40 क्विंटल)

6 अतिरिक्त चना (35.98 क्विंटल) = वास्तविक वितरित (68.80 क्विंटल) – स्वीकार्य मात्रा (32.82 क्विंटल)

iii. पृथक भंडार पंजियां संधारण नहीं किया जाना : उपरोक्त मुद्दों के अलावा, 19 जिलों के 86 उचित मूल्य दुकानों में से 73 उचित मूल्य दुकानों ने योजना के लिए अलग से वितरण पंजी संधारित नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने आपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.10.4 उचित मूल्य दुकानों के संयुक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं

लेखापरीक्षा दलों ने विभागीय अमले के साथ 120 उचित मूल्य दुकानों का संयुक्त निरीक्षण किया और 1,177 बीपीएल हितग्राहियों के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता और महामारी अवधि के दौरान शुरू की गई और लागू की गई योजनाओं के बारे में बातचीत की। संयुक्त निरीक्षण में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

i. नमूना जाँच में 1,177 राशन कार्डों में 4,665 सदस्यों को 5,302 क्विंटल चावल और 129 क्विंटल चना के आवंटित मात्रा के विरुद्ध 5,127 क्विंटल चावल और 105 क्विंटल चना वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 175 क्विंटल चावल और 24 क्विंटल चना का वितरण नहीं हुआ।

ii. 106 (88 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों में पीएमजीकेएवाई में निर्धारित अलग भंडार पंजी और वितरण पंजी संधारित नहीं था। उचित मूल्य दुकानों ने खराब इंटरनेट कवरेज के कारण राशन का वितरण ऑफलाइन/मैनुअल तरीके से किया और बाद में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया।

iii. 96 (80 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों का विभाग के द्वारा मासिक निरीक्षण नहीं किया गया था और अप्रैल 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए निरीक्षण पंजी संधारित नहीं किए गए थे।

इंगित किये जाने पर (मई 2022) राज्य सरकार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

iv. सीजीएफएसए की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकान के कामकाज पर समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण करेगा। लेखापरीक्षा ने 120 चयनित उचित मूल्य दुकानों के संयुक्त निरीक्षण में पाया कि अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 117 (98 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2022) राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि वर्ष 2019–20 और 2020–21 में उचित मूल्य दुकान का कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

2.1.11 निष्कर्ष

कोविड–19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार ने एनएफएसए (अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता परिवारों) को हितग्राहियों को नियमित मात्रा के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति पाँच कि.ग्रा. निःशुल्क चावल के वितरण का प्रावधान किया था। राज्य सरकार पीएमजीकेएवाई के आने से पहले छत्तीसगढ़ में एनएफएसए/सीजीएफएसए हितग्राहियों को अतिरिक्त पाँच कि.ग्रा. चावल प्रदान कर रही थी। हालांकि, पीएमजीकेएवाई के आने के बाद, हितग्राहियों को स्वीकार्य निःशुल्क चावल की अधिकतम मात्रा भारत सरकार की योजना के अनुसार सीमित थी, जिसके कारण राज्य में एनएफएसए–पीएचएच हितग्राहियों को

वास्तव में महामारी की अवधि के दौरान पूर्व में प्राप्त होती रही नियमित मात्रा से अधिक चावल की अतिरिक्त मात्रा, जैसा कि योजना में लक्षित था, का लाभ नहीं हुआ।

एक ही हितग्राही के लिए एकाधिक आईडी के सृजन के परिणामस्वरूप 318.99 क्विंटल खाद्यान्न (283.01 क्विंटल चावल और 35.98 क्विंटल चना) प्रवासी हितग्राहियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्धारित मात्रा से अधिक वितरित किया गया। राज्य सरकार एएनबीएस के तहत पंजीकृत 30,218 सदस्यों और 20,395 परिवारों जो योजना के तहत पंजीकृत थे लेकिन उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंचे, उनको चावल और चना वितरित करने में विफल रही।

नमूना जाँच की गई उचित मूल्य दुकानों में 88 प्रतिशत और 85 प्रतिशत में पीएमजीकेएवाई एवं एएनबीएस के लिए अलग–अलग भंडार और वितरण पंजी संधारित नहीं किए गए थे। विभाग द्वारा 80 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में मासिक निरीक्षण नहीं किया गया एवं निरीक्षण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। 98 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था।

2.1.12 अनुशंसाएं

1. *महामारी/आपदा के मद्देनजर विशेष रूप से शुरू की गई किसी भी योजना के तहत प्रदान किया गया कोई भी अतिरिक्त खाद्यान्न लक्षित हितग्राहियों को नियमित मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रदान किया जाना चाहिए।*
2. *उचित मूल्य दुकानों का सामयिक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए और अनियमितताओं को रोकने और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा यथानिर्धारित निरीक्षण अभिलेख संधारित किए जाने चाहिए।*

समाज कल्याण विभाग

2.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन

2.2.1 परिचय

भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, गरीबों और निराश्रितों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए राज्य को अपने सामर्थ्य के भीतर कल्याणकारी उपाय करने हेतु निदेशित करते हैं। साथ ही, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपने नागरिकों को वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी और अक्षमता के मामले में जन सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सातवीं अनुसूची के मद 23 के रूप में सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन शामिल हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक था। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) कर दिया गया और औपचारिक रूप से 19 नवंबर, 2007 को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप योजना के रूप में इं.गां.रा.वृ.पें.यो. को समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय निकायों की मदद से क्रियान्वित किया जाता है। योजना के अनुसार, पात्रता मानदंडों[7] को पूरा करने वाले 60 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राही को प्रति माह ₹ 350 (केंद्र सरकार द्वारा ₹ 200 और राज्य शासन द्वारा ₹ 150) की पेंशन राशि मिलती है और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹ 650 (केंद्र सरकार द्वारा ₹ 500 और राज्य शासन द्वारा ₹ 150) प्रति माह कर दिया जाता है।

प्रत्येक हितग्राही को देय पेंशन की राशि सीधे उसके खाते में जमा करने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम– पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनएसएपी–पीपीएस) बनाया गया था। यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर है जो चिन्हांकन से लेकर पेंशन के अंत तक सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का संचालन करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए योजना के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी करना सुगम करता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य में नए हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से की जा रही है। अस्वीकृति/चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केवल पात्र हितग्राहियों का विवरण एनएसएपी–पीपीएस में दर्ज किया जा रहा है।

[7] इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए पात्रता मानदंडः
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का वृद्ध व्यक्ति
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की सूची से संबंधित है (बीपीएल मानदंड को तय करने के लिए बीपीएल सूची 2002 उपयोग किया जाता है)।

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने एवं हितग्राहियों को पेंशन का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली[8] (पीएफएमएस) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एनएसएपी–पीपीएस के माध्यम से 2013 में पेंशन भुगतान हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का प्रयोग शुरू किया गया।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य सटीकतापूर्वक लक्षित हितग्राहियों के विशेषतः आधार से संबद्ध बैंक/डाक खातों में लाभ का अंतरण किया जाना है। डीबीटी के मूल उद्देश्य लाभ के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को सुनिश्चित करना, लाभ प्रवाह में शामिल मध्यवर्ती स्तर को कम करना, भुगतान में विलंब को कम करना, हितग्राही का सटीक लक्ष्यीकरण और चोरी और दोहराव को रोकना था। राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में एनएसएपी–पीपीएस का उपयोग करते हुए पीएफएमएस के माध्यम से इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए डीबीटी का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

केंद्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। राज्य में इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है जो कि नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों को सौंपा गया है। विकास खंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति/अस्वीकृति का उत्तरदायित्व जनपद पंचायतों (मध्यवर्ती पंचायत) पर है। ग्राम पंचायतों को हितग्राहियों के चयन, पर्यवेक्षण और निगरानी में भूमिकाएँ दी गई हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक की अवधि को शामिल करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि:

- क्या मध्यवर्ती स्तरों को कम करने और लक्षित हितग्राहियों को भुगतान में देरी और हितग्राहियों के दोहराव को रोकने के लिए डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनर्रचना की गई थी
- क्या इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत डीबीटी की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का परीक्षण निम्नांकित मानदंडों के आधार पर किया गया:

- पेंशन योजना के दिशानिर्देश और परिपत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश,
- प्रबंधन सूचना सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल मैनुअल, डीबीटी मैनुअल, मानक संचालन प्रक्रियाएं और डीबीटी पर हैंडबुक, और
- हितग्राहियों और भुगतानों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर योजना के दिशानिर्देश।

[8] सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित एक वेब–आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्रियान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए एक केन्द्रीय पोर्टल के रूप मे कार्य करता है जो कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे उसके बैंक खाते में धन/राशि के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में सुविधा प्रदान करता है।

2.2.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा द्वारा संचालनालय, समाज कल्याण एवं नौ जिलों[9] के संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों की वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी। प्रत्येक जिले में दो विकासखण्ड (कुल 18 विकासखण्ड[10]) चुने गए थे। विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के कार्यालय और प्रत्येक ब्लॉक में दो ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ईकाइयों का नमूना चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता बिना प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके किया गया था। इन कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच के अलावा एनएसएपी–पीपीएस के आंकड़ों की भी जाँच की गई।

2.2.6 सम्मिलित हितग्राही एवं वित्तीय परिव्यय

वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या और इन तीन वर्षों के दौरान इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.1: वित्तीय परिव्यय और हितग्राही

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (केंद्रीय अंश)	कुल व्यय (केंद्र और राज्य)
2018–19	661623	169.26	288.35
2019–20	666576	184.55	303.99
2020–21	662415	248.05	367.27
2021–22 (नवंबर 2021 तक)	652376	126.01	204.29

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार एवं राज्य व्यय ₹ 150 प्रति हितग्राही की दर पर संगणित)

2.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.7.1 डीबीटी के अंतर्गत सम्मिलित हितग्राही एवं निधि अंतरण में विद्यमान मध्यवर्ती स्तर

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन के मुख्य उद्देश्यों में से एक निधि अंतरण में शामिल मध्यवर्ती स्तरों को कम करना था। छत्तीसगढ़ में अगस्त 2018 से इं.गां.रा.वृ.पें.यो. हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाया गया है। डीबीटी भुगतान करने के लिए संचालनालय कार्यालय में एक राज्य स्तरीय नोडल खाता (एसएनए) संधारित किया गया था, जिसके माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 95 प्रतिशत पेंशन भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इन मामलों में, लाभ के अंतरण में तीन मध्यवर्ती स्तरों (जिला कार्यालयों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों) को समाप्त करते हुए पेंशन राशि को राज्य नोडल खाते से सीधे हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। डीबीटी के तहत सम्मिलित हितग्राहियों का जिलेवार विवरण **तालिका 2.2.2** में दर्शाया गया है:

---

9 जशपुर, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, बलौदा बाजार, कोरबा, धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर

10 जशपुर (पत्थलगांव, जशपुर), कोरिया (बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़), रायगढ़ (सारंगढ़, बरमकेला), बिलासपुर (बिल्हा, मस्तूरी), बलौदा बाजार (बिलाईगढ़, सिमगा), कोरबा (पोड़ी उपरोडा, कटघोरा), धमतरी (नगरी, मगरलोड), कोंडागांव (कोंडागांव, बड़ेराजपुर), नारायणपुर (नारायणपुर, ओरछा (अबूझमाड़))

तालिका 2.2.2 : डीबीटी और गैर–डीबीटी भुगतान का जिलेवार विवरण

जिला	कुल भुगतान	कुल डीबीटी भुगतान (कुल भुगतान का प्रतिशत)	गैर–डीबीटी भुगतान (कुल भुगतान का प्रतिशत)
बलौदाबाजार	31601	31174 (99)	427 (1)
बिलासपुर	41976	40419 (96)	1557 (4)
धमतरी	13007	12144 (93)	863 (7)
जशपुर	23534	21197 (90)	2337 (10)
कोंडागांव	14078	13589 (97)	489 (3)
कोरबा	26169	25318 (97)	851 (3)
कोरिया	13236	12868 (97)	368 (3)
नारायणपुर	5171	2342 (45)	2829 (55)
रायगढ़	59871	58355 (97)	1516 (3)
कुल	**228643**	**217406 (95)**	**11237 (5)**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी माह नवंबर 2021 के डीबीटी और गैर–डीबीटी भुगतान विवरण की जानकारी से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किए गए नौ जिलों में से छः जिलों में डीबीटी भुगतान 95 प्रतिशत या उससे अधिक था, दो जिलों में यह 90 से 95 प्रतिशत के बीच था जबकि एक जिले (नारायणपुर) में यह केवल 45 प्रतिशत था। विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले में डीबीटी भुगतान के न्यून रहने का कारण पहुँच योग्य दूरी पर बैंकों की अनुपलब्धता थी। गैर–डीबीटी प्रकरणों में, हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया, जो कि राज्य स्तर से प्रारम्भ हुए और जिलों, विकासखण्डों और ग्राम पंचायतों के रास्ते अंतरित किए गए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पेंशन राशि को प्रारंभ में विभाग द्वारा जिला प्राधिकारियों को आवंटित किया गया था। जिला कार्यालयों ने हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कोषालय से अपने बैंक खातों में धनराशि आहरित करते हुए डीबीटी भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि को संचालनालय कार्यालय के राज्य नोडल खाते में और गैर डीबीटी भुगतानों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया। सभी जिला कार्यालयों से धनराशि प्राप्त होने के बाद संचालनालय कार्यालय ने हितग्राहियों के खाते में धनराशियों का डीबीटी के माध्यम से अंतरण स्वीकृत किया। यहाँ, चूंकि संचालनालय स्तर पर एक नोडल खाते से अंतिम भुगतान किया जा रहा है, अतः जिलों के खातों में धन का आहरण और फिर इसे वापस नोडल खाते में स्थानांतरित करने से बचा जा सकता था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि जिलों को धनराशि आवंटित करने और उसके बाद नोडल खाते में जमा करने की प्रक्रिया का पालन, जिला स्तर पर आंकड़ों के रियल टाइम पर अद्यतनीकरण, पेंशन की नयी स्वीकृतियाँ, मृत्यु अथवा अन्य कारण से विलोपन, गैर–डीबीटी आंकड़ों का पृथक्करण जैसे कारणों की वजह से किया जा रहा है। पुनः सीधे आवंटन के लिए संचालनालय कार्यालय को कोषालय से निधियों का आहरण करना पड़ेगा जिससे निगरानी कार्य में बाधा आएगी और जिला कार्यालय अपनी जिम्मेदारियों को राज्य स्तर पर स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे।

तथापि, जिला प्राधिकारियों द्वारा जिला स्तर के बैंक खातों में अंतरण से बचते हुए सीधे राज्य नोडल खाते में धनराशि जमा करने हेतु कोषालयों से निधियों का आहरण किया जा सकता है।

2.2.7.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में विलंब

राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान शासकीय सेवकों की तरह नियमित रूप से किया जाना चाहिये। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रत्येक माह की सात तारीख तक अविलम्ब भुगतान करने का निर्देश दिया है। डीबीटी प्रारम्भ किए जाने का मूल उद्देश्य विलंब को कम किया जाना भी था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पेंशन भुगतान करने के लिए प्रारंभ में धनराशि संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों को आवंटित की गई थी। जिला कार्यालयों ने एनएसएपी–पीपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक माह इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के हितग्राहियों के लिए पेंशन राशि की गणना की। पेंशन की यह गणना एनएसएपी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित ढंग से की गई। पेंशन गणना के बाद संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा पेंशन गणना की फाइल संचालनालय कार्यालय को भुगतान हेतु पुश की गयी। इसके साथ ही, जिला कार्यालयों ने कोषालय से आवंटित धनराशियों का आहरण किया और डीबीटी भुगतानों हेतु आवश्यक राशि को संचालनालय कार्यालय द्वारा संधारित राज्य नोडल खाते में वापस स्थानांतरित कर दिया। विभिन्न जिलों से प्राप्त पेंशन गणना फाइलों को संचालनालय कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया और पीएफएमएस के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खातों में डीबीटी भुगतान किए गए।

लेखापरीक्षा के द्वारा जनवरी 2020 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान किए गए मासिक भुगतानों की जाँच की गयी जिससे ज्ञात हुआ कि डीबीटी लागू होने के बाद भी अगले माह की सात तारीख तक पेंशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। मासिक भुगतानों के 204 प्रकरणों में से 194 प्रकरणों में भुगतान में विलंब पाया गया। 161 प्रकरणों में एक दिन से एक माह तक का विलम्ब, 28 प्रकरणों में एक से दो माह के बीच का विलंब जबकि पाँच प्रकरणों में दो से तीन माह के बीच का विलंब पाया गया। विवरण, **परिशिष्ट 2.2.1** में प्रदर्शित है। इन अंतरणों में विलंब मुख्यतः जिलों के द्वारा राज्य नोडल खाते में निधियों का अंतरण विलंब से करने के कारण हुआ। उपरोक्त विलंबित प्रकरणों में से 97 प्रकरणों में जिलों ने देय तिथि (अगले माह की 7 तारीख) की समाप्ति के बाद राशियाँ हस्तांतरित की। 91 प्रकरणों में एक दिन से एक महीने के बीच, पाँच प्रकरणों में एक से दो महीने के बीच और एक मामले में दो से तीन महीने के बीच के विलंब से धनराशियाँ हस्तांतरित की गयी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नवंबर 2021 के दौरान नौ जिलों में 2,17,406 डीबीटी भुगतानों में से कुल 3,325 (1.5 प्रतिशत) भुगतान विफल रहे। इससे ज्ञात होता है कि इन हितग्राहियों से संबंधित डाटा अद्यतन नहीं थे। डीबीटी के कार्यान्वित होने के तीन साल बाद भी डीबीटी भुगतान में निरंतर विलंब, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के डीबीटी के उद्देश्य को विफल करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि प्रत्येक माह की सात तारीख को पेंशन का वितरण करने का हमेशा प्रयास किया जाता है तथा अधिकांश महीनों में देय तिथि तक भुगतान कर दिया गया। कुछ माहों में, अत्यधिक लेन–देनों के कारण फाइलों के अवरुद्ध रहने जैसे तकनीकी कारणों एवं जिला कार्यालयों द्वारा एनएसएपी–पीपीएस में भुगतान फाइलों को देरी से आगे पुश किए जाने के कारण विलंब हुआ।

उत्तर अपने आप में पुष्टि करता है कि जिलों से भुगतान फाइलों को देरी से आगे पुश किए जाने के कारण विलंब हुआ। विलंब को नियंत्रित रखने के लिए जिलों के खातों में निधियों के अंतरण और इसे राज्य नोडल खाते में वापस किए जाने के चरण का परिहार किया जा सकता है।

2.2.7.3 डीबीटी के कार्यान्वयन के पश्चात् भी डुप्लीकेट हितग्राहियों का अस्तित्व में होना

राज्य शासन द्वारा जारी (अप्रैल 2014) पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशों के पैरा 12.1 के अनुसार एक व्यक्ति, एक समय में राज्य में संचालित एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकता है चाहे वह केन्द्र या राज्य शासन की योजना हो। इसके अलावा, दिशा–निर्देशों के बिंदु क्रमांक 7 में कहा गया है कि संबंधित आवेदक को पेंशन स्वीकृत होने के तुरंत बाद अपना स्वयं का बचत खाता या डाकघर खाता खोलना होगा जिसमें पेंशन का भुगतान किया जाएगा। डीबीटी का मूल उद्देश्य चोरी एवं दोहराव पर अंकुश लगाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन पाने वाला हितग्राही राज्य की अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी लाभान्वित हो रहा था। जिलों में नमूना जाँच के दौरान 848 प्रकरण पाए गए जिनमें एक आधार संख्या के विरुद्ध दो पेंशन स्वीकृत की गयी थी। आगे, समीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि 848 में से 54 प्रकरणों में बैंक खाता क्रमांक भी समान थे। यह देखा गया कि एक ही योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) अथवा दो अलग–अलग योजनाओं (एक योजना इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) के तहत एक ही लाभार्थी को आवेदक के नाम और पति/पिता के नाम और पते आदि जैसे व्यक्तिगत विवरणों में मामूली संशोधन के साथ दो आवेदन संख्या के आधार पर दो पेंशन स्वीकृत किया गया था। हितग्राहियों का जिलेवार विवरण और एक माह में एक ही आधार संख्या के विरुद्ध कई भुगतान **तालिका 2.2.3** में दर्शाये गए हैं:

तालिका 2.2.3: समान आधार संख्या वाले हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	कुल डीबीटी इं.गां.रा.वृ.पें.यो. हितग्राही	एक ही आधार संख्या पर दो पेंशन लाभ पाने वाले हितग्राहियों की संख्या	कुल संख्या के प्रति डुप्लीकेट का प्रतिशत	परिहार्य पेंशन भुगतान (₹ लाख में)
1	बलौदा बाजार	34581	18	0.05	0.56
2	बिलासपुर	46597	0	0.00	0.00
3	धमतरी	18245	52	0.29	1.68
4	जशपुर	24443	226	0.92	4.74
5	कोंडागांव	14454	4	0.03	0.09
6	कोरबा	28089	174	0.62	6.15
7	कोरिया	13217	60	0.45	2.59
8	नारायणपुर	4087	16	0.39	0.66
9	रायगढ़	61574	298	0.48	9.60
कुल		**245287**	**848**	**0.35**	**26.07**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (एनएसएपी–पीपीएस–जुलाई 2021) और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जिलों में आधार दोहराव के मामलों का प्रतिशत शून्य और 0.92 प्रतिशत के बीच रहा। यह इन जिलों में कुल हितग्राहियों (2,45,287) का 0.35 प्रतिशत था। साथ ही यह एनएसएपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव को भी दर्शाता है क्योंकि प्रणाली दोहरावों को रोकने में विफल रही। इसके अलावा, यह दोहराव एनएसएपी–पीपीएस द्वारा एमआईएस

रिपोर्ट के रूप में भी परिलक्षित हुये परंतु विभाग इन दोहरावों को दूर करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.07 लाख की राशि का परिहार्य पेंशन भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर शासन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मई 2022) कि डेटाबेस को उन्नत कर दिया गया है और अब आंकड़ों की प्रविष्टि के समय एनएसएपी डेटाबेस समान आधार या खाता संख्या को स्वीकार नहीं करता है। डुप्लीकेट आधार को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका था और वर्तमान में केवल 194 डुप्लीकेट मामले लंबित थे।

2.2.7.4 सभी हितग्राहियों के डेटा के डिजिटलीकरण का अभाव

अप्रैल 2014 में सचिव, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उपरोक्त निर्देश के पैराग्राफ 3.4 के अनुसार, ''आवेदन निर्धारित प्रारूप में कंप्यूटर/ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन एंट्री आवश्यक होगी''। इस संबंध में, पत्र दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के डिजिटलीकरण को दिसंबर 2016 तक पूरा करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, डीबीटी को सक्षम किए जाने हेतु सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आंकड़ों का डिजिटलीकरण था।

संचालक, समाज कल्याण विभाग, रायपुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत सभी हितग्राहियों की एनएसएपी–पीपीएस में ऑनलाइन डाटा एंट्री लेखापरीक्षा की तिथि (अक्टूबर 2021) तक पूरी नहीं की गई थी। योजनान्तर्गत हितग्राहियों के डाटा के डिजिटलीकरण की स्थिति **तालिका 2.2.4** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.2.4: जुलाई 2021 की स्थिति में हितग्राहियों के डिजिटलीकरण का जिलेवार विवरण

स. क्र.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या	उन हितग्राहियों की संख्या जिनका विवरण एनएसएपी में दर्ज है	उन हितग्राहियों की संख्या जिनका डेटा एनएसएपी में उपलब्ध नहीं है	प्रतिशत (आंकड़े जिनका डिजिटलीकरण नहीं)
1	बलौदा बाजार	34947	34581	366	1.05
2	बिलासपुर	46918	46597	321	0.68
3	धमतरी	18390	18245	145	0.79
4	जशपुर	24772	24443	329	1.33
5	कोंडागांव	14506	14454	52	0.36
6	कोरबा	30936	28089	2847	9.2
7	कोरिया	13240	13217	23	0.17
8	नारायणपुर	4092	4087	5	0.12
9	रायगढ़	62821	61574	1247	1.99
	कुल	**250622**	**245287**	**5335**	**2.13**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा जारी निर्देशानुसार)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जुलाई 2021 तक कुल 5,335 (2.13 प्रतिशत) हितग्राहियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज नहीं किया गया। विभिन्न जिलों में गैर–डिजिटलीकरण का प्रतिशत 0.12 और 9.2 प्रतिशत के बीच था। चूंकि इन हितग्राहियों का विवरण डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए इन हितग्राहियों को डीबीटी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यह डीबीटी कार्यान्वयन के लिए

समयबद्ध तरीके से डेटा के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए निगरानी तंत्र की विफलता को इंगित करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पेंशन स्वीकृत करना एक सतत प्रक्रिया है और सभी जिलों में पूरे माह चलती रहती है। सभी जिलों में डिजिटलीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सभी हितग्राहियों का डिजिटलीकरण पूरा करने के निर्देश जिला कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। शीघ्रातिशीघ्र शत प्रतिशत डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2.7.5 आधार उपलब्धता की स्थिति, सत्यापन और बैंक खातों के साथ संबद्धता

राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2014 के दिशा–निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार जहां तक संभव हो पेंशन का भुगतान हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेंशन की मंजूरी, भुगतान और वितरण प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने के लिए पेंशन के वितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (एनएसएपी–पीपीएस) भी विकसित किया गया है। डीबीटी को लागू करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हितग्राहियों के डेटा का डिजिटलीकरण, आधार नामांकन और बैंक खाते खोलना इत्यादि थीं। हितग्राहियों के दोहरावों से बचने और डीबीटी के रियल टाइम कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बैंक खातों की आधार संख्या से संबद्धता भी वांछनीय थी। डीबीटी निर्देशों के अनुसार आधार नंबर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ाया जाना था। अपवाद के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10 किमी की दूरी के भीतर कोई बैंक/डाकघर नहीं है वहां ग्राम पंचायत की बैठक में नगद पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया (फरवरी 2017) कि एनएसएपी योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति को आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक था।

जिलों में उपलब्ध आधार संख्या, सत्यापित आधार और बैंक खातों के साथ सीडिंग की स्थिति **तालिका 2.2.5** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.2.5: आधार संख्या की उपलब्धता, सत्यापन एवं सीडिंग का जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत कुल हितग्राही	उपलब्ध आधार	आधार उपलब्धता का प्रतिशत	सत्यापित आधार	सत्यापित आधार प्रतिशत	बैंक खाते से संबद्ध आधार	बैंक खाते से संबद्ध आधार का प्रतिशत
1	बलौदाबाजार	34581	33810	98	32868	97	11529	34
2	बिलासपुर	46597	39319	84	38437	98	27911	71
3	धमतरी	18245	16367	90	15624	95	7866	48
4	जशपुर	24443	23626	97	20374	86	7680	33
5	कोंडागांव	14454	13800	95	13251	96	9519	69
6	कोरबा	28089	27014	96	24976	92	16584	61
7	कोरिया	13217	12025	91	11871	99	7548	63
8	नारायणपुर	4087	2704	66	2483	92	1635	60
9	रायगढ़	61574	60476	98	59475	98	48220	80
	कुल	**245287**	**229141**	**93**	**219359**	**96**	**138492**	**60**

(स्त्रोतः विभाग के पत्र दिनांक 12.08.2021 के अनुसार जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न जिलों में आधार की उपलब्धता का प्रतिशत 66 से 98 प्रतिशत के बीच था। नारायणपुर (66 प्रतिशत) और बिलासपुर (84 प्रतिशत) में आधार की उपलब्धता 90 प्रतिशत से कम थी जबकि अन्य जिलों में यह 90 प्रतिशत से अधिक थी। उपलब्ध आधार का सत्यापन 92 से 99 प्रतिशत के मध्य था। यह भी देखा जा सकता है कि बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग का प्रतिशत 34 से 80 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, सभी हितग्राहियों के आधार प्राप्त करने की आवश्यकता और इसकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पूरा किया जाना शेष था।

आधार का उपयोग व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया को सरल करता है और सरकार को अपनी योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। आधार की उपलब्धता, प्रमाणीकरण एवं बैंक खाते से संबद्धता का अभाव डुप्लिकेट एवं नकली हितग्राहियों के अस्तित्व में रहने के जोखिम एवं उस सीमा तक योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को न्यून करता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पोर्टल में आधार का संग्रहण अनिवार्य है परन्तु आधार को बैंक से जोड़ना बैंक एवं खाताधारकों पर निर्भर करता है। उपलब्ध आधार की अधिकतम संख्या सत्यापित की गई है। हितग्राहियों को आधार से बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आधार से जुड़े बैंक खातों की उपलब्धता हितग्राहियों के सटीक लक्ष्यीकरण के द्वारा वांछनीय आधार आधारित डीबीटी भुगतान को सक्षम करेगा और हितग्राहियों के दोहरावों को हटाने में एक प्रमुख उपकरण हो सकता है। विभाग ने 89 प्रतिशत मामलों में आधार का सत्यापन किया लेकिन आधार सीडिंग केवल 60 प्रतिशत मामलों में की गई। लंबित आधार संख्या प्राप्त कर सत्यापन पूरा किया जा सकता है।

2.2.7.6 हितग्राहियों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिल पाना

राज्य शासन द्वारा जारी इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के कार्यान्वयन के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार अन्य योजनाओं (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन) के तहत 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इं.गां.रा.वृ.पें.यो.) के तहत लाया जाना था। इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हितग्राही ₹ 650 प्रति माह की बढ़ी हुई दर पर पेंशन के हकदार हैं।

इसके अलावा, राज्य दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 और 11.3 में यह भी निर्धारित था कि राज्य की दो योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के हितग्राही, जो आयु में छूट और अन्य शर्तों के साथ एनएसएपी की उप योजनाओं के समान बीपीएल मानदंड रखते थे, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित किये जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं किया गया था, इसलिए वे बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं करने के कारण बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही थी, जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। विभिन्न योजनाओं के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों का विवरण **तालिका 2.2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.6: 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों का जिलेवार विवरण

स. क्र.	जिला	इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राही (बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त)	80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी (पेंशन नहीं बढ़ाई गई)				
		इं.गां.रा.वृ.पें.यो.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	योग
1	बलौदाबाजार	4586	3	187	1020	191	1401
2	बिलासपुर	4422	2	1	219	15	237
3	कोरबा	5656	13	84	1132	102	1331
4	धमतरी	1467	7	39	589	55	690
5	जशपुर	1701	1	58	584	22	665
6	कोंडागांव	1599	2	0	94	12	108
7	कोरिया	1948	2	29	358	19	408
8	नारायणपुर	408	0	0	0	0	0
9	रायगढ़	6715	8	88	990	80	1166
	कुल	**28502**	**38**	**486**	**4986**	**496**	**6006**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (एनएसएपी–पीपीएस –जुलाई 2021) अनुसार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नौ जिलों में राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इं.गाँ.रा.नि.पें.यो. के तहत 524 लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के 5482 लाभार्थी थे जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे लेकिन इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित नहीं हुए थे। इस प्रकार, इन नौ जिलों में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6006 हितग्राहियों (कुल 34508 का 17.4 प्रतिशत) को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ से वंचित रखा गया था। ये लाभार्थी सामान्य दर पर पेंशन ले रहे थे जो 80 वर्ष और उससे अधिक की दर से कम थी।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इं.गाँ.रा.नि.पें.यो. के हितग्राहियों को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य की योजनाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना में निराश्रित श्रेणी के लाभार्थी हैं जो इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सुखद सहारा योजना के अन्य लाभार्थी जो इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के लिए पात्र हैं, उन्हें बढ़े हुए लाभों पर पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इं.गां.रा.वृ.पें.यो. में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.2.7.7 हितग्राहियों की मृत्यु के उपरांत भी पेंशन का निरंतर वितरण

समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2014 के दिशा–निर्देशों के पैरा 4.5 के अनुसार पेंशनर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर पेंशन राशि का भुगतान तत्काल रोका जाना था। दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच को जनपद पंचायत को शीघ्र सूचित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हितग्राही की मृत्यु के बाद तुरंत पेंशन नहीं रोकी गयी। लेखापरीक्षा के दौरान, पेंशन रोकने में विलंब के मूल्यांकन के लिए 109 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई। यह पाया गया कि आठ प्रकरणों में पेंशन समय से रोकी गई, 39 प्रकरणों में छः महीने तक के विलंब, 16 प्रकरणों में छः महीने से एक साल तक के

विलंब, 13 प्रकरणों में एक साल से दो साल तक के विलंब से पेंशन रोकी गई। आठ प्रकरणों में यह दो वर्ष से तीन वर्ष तक विलंबित था जबकि चार प्रकरणों में यह चार वर्ष तक विलंबित था। पाँच हितग्राहियों के प्रकरण में उनकी मृत्यु के सात से 51 महीने बीत जाने के बाद भी पेंशन बंद नहीं की गई थी। सोलह हितग्राहियों के मामले में मृत्यु की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था इसलिए पेंशन की समाप्ति में देरी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह किसी लाभार्थी की मृत्यु के तुरंत बाद पेंशन को बंद करने में विभाग के द्वारा प्रभावी निगरानी की विफलता को दर्शाता है जिसकी परिणति ₹ 3.65 लाख के अधिक भुगतान के रूप में हुई। पेंशन रोके जाने में विलंब का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों से देरी से सूचना प्राप्त होना था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पेंशन रोकने में विलंब का मुख्य कारण ग्राम पंचायत से सूचना देर से प्राप्त होना तथा बैंक/डाकघर से, जहाँ तीन माह से पेंशन आहरित नहीं की गयी थी, सूचना का अभाव था।

2.2.7.8 स्वीकृति के पूर्व एनएसएपी–पीपीएस में नए आवेदनों के विवरण दर्ज नहीं करने के परिणामस्वरूप अप्रभावी निगरानी

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एनएसएपी दिशानिर्देशों, राज्य के दिशानिर्देशों एवं विद्यमान क्रियाविधि के अनुसार, नए लाभार्थी के नामांकन के लिए आवेदन आवश्यक हैं। इस संबंध में, हितग्राहियों को स्थानीय भाषा में नमूना आवेदन पत्र व्यापक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना था। आगे इस बात पर बल दिया गया कि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड हेतु उपलब्ध कराया जाना था। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों को एक रजिस्टर में आवेदनों की प्राप्ति का विवरण दर्ज करना और साथ ही ऑनलाइन निगरानी सॉफ्टवेयर में दर्ज करना आवश्यक था। यह ऑनलाइन प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर की जानी थी। आवेदनों की प्राप्ति के बाद, निराकरण अवधि (प्राप्ति के समय से स्वीकृति या अस्वीकृति तक) साठ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए थी एवं पेंशन के लिए पात्र होने की स्थिति में, पेंशन राशि आवेदन पत्र पंजीकरण के माह से स्वीकृत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने हितग्राहियों को, जिला समाज कल्याण कार्यालयों, जनपद पंचायतों एवं साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में भौतिक रूप से निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराये थे। परंतु, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए कोई टैब नहीं था। आगे, हितग्राहियों को भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने के स्थान पर विभाग के पोर्टल अथवा वेबसाइट के माध्यम से सीधे पेंशन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि हितग्राही से आवेदन प्राप्त होने के बाद, ग्राम पंचायतों ने उन आवेदनों को जनपद पंचायतों को अग्रेषित किया। आवेदनों के सत्यापन एवं स्वीकृति/अस्वीकृति की प्रक्रिया जनपद पंचायत स्तर पर पूर्ण की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद पंचायत स्तर पर आवेदन की प्राप्ति के विवरण को दर्ज करने के लिए रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था और आवेदन पत्र प्राप्ति के तुरंत बाद एनएसएपी–पीपीएस में प्रविष्ट नहीं किए गए थे। आवेदन की प्राप्ति से लेकर स्वीकृति या अस्वीकृति तक की प्रक्रिया को मैनुअल ढंग से पूरा किया जा रहा था और केवल स्वीकृत आवेदनों का विवरण ही एनएसएपी–पीपीएस में दर्ज किया जा रहा था। तथापि, आवेदक की पात्रता स्थापित करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे कि फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि भी एनएसएपी–पीपीएस पर अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, आवेदन की प्राप्ति, आवेदनों के निराकरण एवं स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण, पेंशन प्रारंभ इत्यादि के

आनलाइन ट्रेल के अभाव में, पेंशन की स्वीकृति में समयसीमा पालन एवं प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने 62 भौतिक आवेदनों की नमूना जाँच की और पेंशन की स्वीकृति में दो महीने की निर्धारित अवधि के बाद भी विलंब देखा गया। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 प्रकरणों में कोई विलंब नहीं था, 11 प्रकरणों में एक माह तक का विलंब था, 13 प्रकरणों में एक से छः माह के बीच का विलंब था, 11 प्रकरणों में छः माह से एक वर्ष के बीच का विलंब था और 2 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक का विलंब था। जबकि 11 प्रकरणों में आवेदन पत्रों पर आवेदन तिथि अंकित नहीं थी, अतः विलंब सुनिश्चित नहीं किया जा सका। स्वीकृति उपरांत, पेंशन प्रारंभ किए जाने में एक से तीन माह का और विलंब पाया गया।

इस प्रकार, दिशा–निर्देशों में परिकल्पित पेंशन कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका और पेंशन की स्वीकृति में विलंब एवं प्रभावी माह से पेंशन शुरू करने में भी विफलता ने हितग्राहियों को पात्र होने के बावजूद उन विलंबित महीनों के लिये पेंशन लाभ से वंचित रखा।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि लक्षित लाभार्थी अति संवेदनशील समूह से संबंध रखते हैं। उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तीसरे पक्ष की जरूरत होगी। ऐसे में संदेहास्पद प्रविष्टियाँ भी हो सकती है। इसलिए, स्वीकृति के बाद, एनएसएपी–पीपीएस में केवल पात्र हितग्राहियों का विवरण दर्ज किया गया। दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पेंशन स्वीकृत किए जाने और शुरू करने में विलंब मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी के कारण हुई जिसने कार्यालयों के कामकाज को सीमित कर दिया था। इसके अलावा, बाद के चरणों में प्राप्त सभी आवेदनों (चाहे स्वीकृत या अस्वीकृत) के विवरण अपलोड करने की संभावना तलाशी जाएगी।

शासन ने आगे उत्तर दिया कि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र के लिए अलग से डाउनलोड सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्तमान में एनएसएपी–पीपीएस या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना उपलब्ध नहीं है। उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

आवेदन पत्रों और दस्तावेजों के फ्रंट–एंड कैप्चर के निर्माण का प्रकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी के संज्ञान में लाया जा सकता है।

2.2.7.9 अपात्र हितग्राहियों को पेंशन जारी करना

पात्रता मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जिसका नाम बीपीएल सूची में है और छत्तीसगढ़ का निवासी है, इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र था।

तथापि, नौ जिलों में से लेखापरीक्षा ने रायगढ़ जिले में पाया कि 60 वर्ष से कम आयु वाले 36 हितग्राहियों (जिले में कुल लाभार्थी 61574) को इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन स्वीकृत और वितरित की गयी। ये हितग्राही आयु मानदंड के अनुसार पात्र नहीं थे। विभाग ने इन हितग्राहियों के आवेदन पत्र और उनकी पात्रता स्थापित करने के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अब डाटाबेस का उन्नयन कर दिया गया है। इसलिए, यदि 60 वर्ष से कम आयु दर्ज की जाती है तो यह निम्न आयु के संदेश को दर्शाता है। प्रकरणों की जाँच की जा रही है तथा कम आयु का पाए जाने पर पेंशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।

2.2.7.10 हितग्राहियों की सक्रियता से पहचान

योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इस योजना के तहत पेंशन/सहायता के पात्र व्यक्ति समाज के सबसे कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए, यह कार्यान्वयन एजेंसी का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि चिन्हांकन, स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रियाओं में उन पर कम से कम भार पड़े।

इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अपनी पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी हितग्राही पर न हो। कार्यान्वयन एजेंसी को कमजोर समूहों जैसे हाथ से मैला ढोने वालों, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों, बंधुआ मजदूरों, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आदि के कारण प्रभावित परिवारों आदि के लिए विशेष प्राथमिकता पर कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। ट्रांसजेंडर, बौने जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, को भी शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने योग्य हितग्राहियों जैसे हाथ से मैला ढोने वालों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों, बंधुआ मजदूरों आदि, जिन्हें इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत कवर किया जा सकता था, की पहचान करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि उक्त वर्ग के कल्याण हेतु राज्य शासन के अन्य संबंधित विभाग विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अतः दोहराव से बचने तथा वित्तीय भार को कम करने के लिए विभाग ने कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया। तथापि, कमजोर समूहों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

विभाग ऐसे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने के लिए जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और राज्य शासन के अन्य विभागों के साथ संपर्क कर सकता है।

2.2.7.11 राज्य डीबीटी पोर्टल पर डीबीटी संव्यवहार संबंधी आँकड़ों का प्रदर्शित नहीं होना

राज्य स्तर पर डीबीटी ढांचे को समझने और अपनाने में सक्षम बनाने और डीबीटी संचालन से संबंधित गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने, विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। आगे, एनएसएपी के तहत डीबीटी की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के भीतर राज्य डीबीटी समिति का भी गठन किया गया था। राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ का प्राथमिक कार्य राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं डीबीटी योग्य होने की पहचान करना था। इं.गां.रा.वृ.पें.यो. डीबीटी के लिए चिंहित योजनाओं में से एक थी। इसके अलावा, राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की गतिविधियों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुपूरण हेतु एक स्वतंत्र और विन्यास योग्य समाधान के रूप में राज्य सरकार के लिए डीबीटी सूचना के प्रबंधन के लिए केंद्रीय डीबीटी पोर्टल एवं राज्य डीबीटी पोर्टल उपलब्ध कराया गया था। डीबीटी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत डीबीटी की प्रगति का विवरण राज्य डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इं.गां.रा.वृ.पें.यो. से संबंधित डीबीटी आंकड़ें राज्य डीबीटी पोर्टल पर अद्यतन नहीं किये जा रहे थे। राज्य डीबीटी पोर्टल पर 2019–20 तक के आंकड़े उपलब्ध थे लेकिन वर्ष 2020–21 का कोई भी आंकड़ा राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य डीबीटी पोर्टल एनएसएपी–पीपीएस और भुगतान मॉड्यूल के साथ एकीकृत नहीं है। डीबीटी आंकड़ों का विवरण मैनुअल रूप से प्रविष्ट किया जाता है और पोर्टल पर प्रविष्टियां करने के लिए केवल वर्ष 2019–20 तक ही पहुंच उपलब्ध है। इसलिए, राज्य डीबीटी पोर्टल पर वर्ष 2020–21 और उसके बाद का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

एनएसएपी–पीपीएस और भुगतान मॉड्यूल के साथ राज्य डीबीटी पोर्टल के एकीकरण का प्रकरण एनआईसी के समक्ष उठाया जा सकता है।

2.2.8 निष्कर्ष

डीबीटी का मूल उद्देश्य लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सुनिश्चित करना, लाभ प्रवाह में शामिल मध्यवर्ती स्तरों को कम करना, भुगतान में देरी को कम करना और चोरी और दोहराव को रोकना था। राज्य में डीबीटी के क्रियान्वयन के बाद नमूना जाँच किये गये नौ जिलों में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में डीबीटी के माध्यम से 95 प्रतिशत पेंशन भुगतान किया गया था। तिरानवे प्रतिशत मामलों में आधार संख्या प्राप्त कर ली गई थी जबकि चार प्रतिशत मामलों में आधार का सत्यापन लंबित था। 5,335 (2.13 प्रतिशत) हितग्राहियों के संबंध में डीबीटी अंतरण के लिए आवश्यक डेटा का डिजिटलीकरण पूरा नहीं किया गया था। अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,006 लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं मिल रही थी। हितग्राही की मृत्यु के बाद पेंशन रोके जाने में विलंब हुआ। हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण में विलंब के प्रकरण पाये गये। लेखापरीक्षा में डुप्लीकेट हितग्राहियों के प्रकरण देखे गए। पेंशन के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड नहीं किया जा सकता था और जो लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते थे, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्राप्ति के तुरंत बाद एनएसएपी–पीपीएस में आवेदन प्रपत्रों की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी, बल्कि पात्र आवेदकों के विवरण सहायक दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि को अपलोड किए बिना दर्ज किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रक्रिया की निगरानी नहीं की जा रही थी।

2.2.9 अनुशंसाएं

1. *शेष 2.13 प्रतिशत हितग्राहियों का डिजिटलीकरण शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।*
2. *प्रत्येक माह की सात तारीख तक डीबीटी भुगतान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि निधियों को जिलों को हस्तांतरित करने और इसे एसएनए में वापस लेने में देरी को कम किया जा सके अथवा इस चरण को समाप्त किया जा सके।*
3. *शेष डुप्लीकेट हितग्राहियों का सत्यापन किया जाना चाहिए और तदनुसार हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें दोहरा लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके और एकल हितग्राही को कई पेंशन की मंजूरी को रोकने के लिए एनएसएपी–पीपीएस में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण विकसित किए जाने चाहिये।*
4. *विभाग को शेष हितग्राहियों का आधार नंबर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और आधार सत्यापन के लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।*

5. *80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों और इं.गां.रा.वृ.पें.यो. के तहत पेंशन पाने के पात्रों को दिशानिर्देशों में परिकल्पित बढ़ी हुई दरों पर पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए।*

6. *पेंशन फॉर्म को आसानी से डाउनलोड करने योग्य बनाया जाना चाहिये और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिये। एनएसएपी–पीपीएस के माध्यम से सभी आवेदनों (चाहे स्वीकृत या अस्वीकृत) की प्रविष्टि और प्रसंस्करण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।*

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग

2.3 कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती

2.3.1 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख एजेंसियां हैं जो सड़कों/भवनों/पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण/सुधार के लिए जिम्मेदार हैं। ये विभाग निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन करते हैं।

निर्माण कार्यों में, ठेकेदारों द्वारा गौण खनिज जैसे पत्थर, धातु, रेत, मूरूम[11] आदि का उपयोग किया जाता है। कार्यपालन अभियंता ठेकेदारों के चल/अंतिम देयकों से कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती करते हैं। इस प्रकार काटी गई रॉयल्टी राशि को निर्माण विभाग के निक्षेप शीर्ष (8443 सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) में रखा जाता है और ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र (आरसीसी) जमा करने के उपरांत ठेकेदार को वापस कर दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने पर, काटी गयी रॉयल्टी की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में जमा करायी जाती है। निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, सामग्री के निष्कर्षण एवं निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी का आरोपण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली द्वारा शासित होता है जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा सभी निर्माण विभागों को यह निर्देश[12] जारी किया गया था कि वे ज्ञात कर लें कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों को ठेकेदार के द्वारा अधिकृत स्त्रोत[13] से लाया गया है एवं अंतिम देयक भुगतान से पूर्व ठेकेदार ने जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी आरसीसी प्रस्तुत कर दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के दो निर्माण विभागों लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा, खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की कटौती पर केन्द्रित करते हुए किया गया है तथा इसका अनुपालन नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गयी है।

2.3.2 निर्माण विभागों द्वारा काटे गए रॉयल्टी प्रभार

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदारों के देयकों से वसूले गये एवं खनिज साधन विभाग के खाते में भुगतान किये गये रॉयल्टी प्रभारों का विवरण **तालिका 2.3.1** में वर्णित है।

---

[11] मूरूम एक प्रकार की मिट्टी है, जिसका उपयोग अधिकतर निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। यह गहरे भूरे या लाल रंग का होता है जिसका उपयोग प्लिंथ फिलिंग, सड़क फुटपाथ, खाइयों में बैकफिलिंग, फुटिंग पिट में किया जाता है।

[12] छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 18.10.2001 एवं 13.10.2004; वित्त विभाग का पत्र दिनांक 28.12.2002 एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र दिनांक 18.02.2015 एवं 03.06.2016।

[13] अधिकृत स्त्रोत से अभिप्राय है कि ठेकेदार द्वारा शासकीय कार्य में उपयोग हेतु प्राप्त खनिजों को अनुमोदित खदानों से वैध परिवहन पास प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त किया जाना चाहिए।

तालिका 2.3.1: निर्माण विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी प्रभार

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	वर्ष					
		2019–20		2020–21		2021–22	
		ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती[14]	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान[15]	ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान	ठेकेदारों के देयकों से किए गए रॉयल्टी की कटौती	खनिज संसाधन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान
01.	लोक निर्माण विभाग	78.56	9.09	109.21	21.49	163.35	10.97
02.	जल संसाधन विभाग	18.75	19.05	19.24	18.33	10.28	10.99
कुल योग		**97.31**	**28.14**	**128.45**	**39.82**	**173.63**	**21.96**

(स्त्रोतः लोक निर्माण विभाग वेबसाइट एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग)

ठेकेदारों के देयकों से काटी गई कुल ₹ 399.39 करोड़ की रॉयल्टी में से मात्र ₹ 89.92 करोड़ खनिज साधन विभाग के खाते में जमा किये गये।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया थाः

- क्या अनुबंधों के प्रावधान अधिनियमों, नियमों और राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप थे
- क्या ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी की कटौती अधिनियमों, नियमों और शासकीय निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिये गए थे–

- निर्माण विभाग नियमावली
- अनुबंध अभिलेख
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 (सीजीएमएमआर, 2015)
- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)
- छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा गौण खनिजों के रॉयल्टी प्रभारों की वसूली हेतु जारी किए गए परिपत्र
- गौण खनिजों की रॉयल्टी दरों को निर्धारित करने वाली राजपत्र अधिसूचनाएं
- गौण खनिजों के बाजार मूल्य पर जिला कलेक्टरों/जिला खनिज अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश

---

[14] ठेकेदार के देयकों से काटी गई रॉयल्टी को संभाग के 8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप लेखा के अंतर्गत रखा गया है।

[15] रॉयल्टी का भुगतान खनिज साधन विभाग के खाते 0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग–अन्य पावती में करने की आवश्यकता है।

2.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2019–20 और 2020–21 की अवधि में लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यपालन अभियंता कार्यालयों और सात शीर्ष स्तरीय ईकाइयों[16] एवं जल संसाधन विभाग के 18 कार्यपालन अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में लोक निर्माण विभाग के 964 ठेकों में से 285 तथा जल संसाधन विभाग के 149 ठेकों में से 41 की संवीक्षा की गई जिनमें लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अंतिम देयकों का भुगतान किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण किये गये अनुबंधों में से प्रत्येक लोक निर्माण संभाग में पाँच उच्चतम मूल्य के अनुबंधों और प्रत्येक जल संसाधन संभाग में तीन उच्चतम मूल्य के अनुबंधों का विस्तृत जाँच के लिए चयन किया गया था।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीजीएमएमआर, 2015 के नियम–71 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद–21 (5) में जिला कलेक्टर/खनिज अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण और परिवहन किए जाने पर शास्ति की वसूली का प्रावधान है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया (फरवरी 2015 एवं जून 2016) कि वे निर्माण विभागों को ठेकेदारों से जिला खनिज संस्थान न्यास राशि (डीएमएफ) के साथ गौण खनिजों के रॉयल्टी और बाजार मूल्य की कटौती के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदारों को अंतिम देयक भुगतान से पहले आरसीसी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये आदेश राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग (अक्टूबर 2001 एवं अक्टूबर 2004) एवं वित्त विभाग (दिसम्बर 2002) के अंतर्गत जारी आदेशों के संदर्भ में जारी किये गये हैं।

सीजीएमएमआर, 2015 के नियम–71 (अ), संशोधित जून 2020 में निर्धारित किया गया है कि संबंधित निर्माण विभाग को ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्य में प्रयुक्त गौण खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर राशि की कटौती उनके देयकों में से करनी चाहिए। ठेकेदार कार्य में उपयोग किए गए खनिजों के वैध अभिवहन पास के साथ खनिज कार्यालय में एक आवेदन जमा करके संबंधित कलेक्टर के माध्यम से आरसीसी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद निर्माण विभाग द्वारा काटी गई राशि ठेकेदारों को वापस की जा सकती है और उनके अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के वैध अभिवहन पास प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23–बी के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

खनिज साधन विभाग तथा सीजीएमएमआर, 2015 के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.3.6.1 अनुबंध प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जाना

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी (31 अक्टूबर 2005) मानक अनुबंध अभिलेख के अनुसार ठेकेदार को सभी खदान, रॉयल्टी प्रभारों आदि का भुगतान करना होगा। यदि ठेकेदार संबंधित विभाग से आरसीसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी प्रभारों की कटौती कर निक्षेप शीर्ष (8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) में रखेगा, जिसे संबंधित विभाग से आरसीसी प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को वापस कर दिया जायेगा। यदि वह अंतिम देयक प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर आरसीसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता

[16] प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता कार्यालय।

द्वारा निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखे गये रॉयल्टी प्रभार संबंधित विभाग में जमा कर दिये जायेंगे एवं उसका अंतिम देयक भुगतान कर दिया जायेगा[17]। इसी प्रकार, जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध अभिलेख के अनुसार, सामग्री के लिए रॉयल्टी प्रभार का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियमानुसार किया जावेगा, जो ठेकेदार को वापस नहीं किया जावेगा।

खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (2001 से 2004) एवं संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी आदेश (2015–16) के अनुसार, कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा आरसीसी प्रस्तुत किये जाने पर ही ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान किया जाना था।

इसके पश्चात, राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 के माध्यम से संशोधन करके नियम–71 (अ) को शामिल किया गया, जो ठेकेदारों के देयकों से निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती को निर्धारित करता है। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए खनिज के लिए संबंधित कलेक्टर से आरसीसी प्राप्त करने के बाद निर्माण विभाग द्वारा काटी गई राशि वापस की जा सकती है और ठेकेदारों को अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त आदेशों तथा रॉयल्टी की कटौती एवं अंतिम देयकों के भुगतान से संबंधित नियमों में संशोधन के बावजूद, दोनों निर्माण विभागों के अनुबंध अभिलेखों के रॉयल्टी अनुच्छेद में शासकीय आदेशों के अनुरूप ऐसे प्रावधान शामिल नहीं किये गये थे। इसके विपरीत, लोक निर्माण विभाग के ठेकों में रॉयल्टी प्रावधान निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार अंतिम देयक जमा करने के 30 दिनों के अंदर आरसीसी उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता अंतिम देयक का भुगतान करेगा और संबंधित विभाग में रॉयल्टी प्रभार जमा करेगा जबकि जल संसाधन विभाग के अनुबंधों में आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में अंतिम देयक का भुगतान रोके जाने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ठेके के अभिलेखों के रॉयल्टी अनुच्छेद में खनिज साधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया। राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर में जून 2020 में संशोधन के बावजूद भी रॉयल्टी अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में राज्य शासन के निर्माण विभागों के विभिन्न संभागों के अनुबंध अभिलेखों में भी मानक रॉयल्टी अनुच्छेद की कमी पाई गई।

राज्य शासन द्वारा सीजीएमएमआर 2015 में किए गए संशोधन के अनुसार रॉयल्टी अनुच्छेदों को संशोधित किए बिना, निर्माण विभागों के द्वारा जून 2020 के बाद 8,417 अनुबंधों (लोक निर्माण विभागः 8,134 और जल संसाधन विभागः 283) में कार्य आदेश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (जून 2022) एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने कहा कि मामले में आगामी दिशानिर्देशों के लिए शासन को अग्रेषित किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि निर्माण विभागों द्वारा अनुबंध प्रावधानों में संशोधन के लिए उचित कार्यवाही नहीं की गई।

---

[17] एडीबी परियोजना कार्यों में, रॉयल्टी के लिए अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार कार्यस्थल के बाहर से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों के लिए सभी रॉयल्टी, किराए और अन्य भुगतानों का भुगतान करेगा।

2.3.6.2 रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनुबंधों के अंतिम देयकों का अनियमित भुगतान

लोक निर्माण विभाग के 51 संभागों के 285 अनुबंधों[18] की जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों ने 76 अनुबंधों में आरसीसी प्रस्तुत किये थे। 209 अनुबंधों में (48 संभाग), ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वित्त विभाग एवं खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 368.91 करोड़ के अंतिम देयकों का भुगतान, **परिशिष्ट 2.3.1** के विवरण के अनुसार, किया गया। 51 संभागों में से पाँच[19] संभागों ने राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए ठेकेदारों द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में गौण खनिजों का बाजार मूल्य वसूल किया तथा शेष 46 संभागों द्वारा खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

इसी प्रकार, जल संसाधन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 41 अनुबंधों[20] में से आठ में ठेकेदारों ने आरसीसी जमा कराये थे। केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग के दो अनुबंधों में ठेकेदारों ने आंशिक मात्रा के लिए आरसीसी प्रस्तुत किया था और शेष मात्रा के लिए रॉयल्टी प्रभार बाजार दर के अनुसार वसूल किया गया था। सोलह संभागों में, खनिज साधन विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया जहाँ ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद 33 अनुबंधों में ₹ 24.01 करोड़ के अंतिम देयकों का भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.3.2** में दर्शित है।

2.3.6.3 ठेकेदारों से गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की हानि

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म ने सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के संबंध में ठेकेदारों के देयकों से डीएमएफ सहित खनिजों की रॉयल्टी एवं बाजार दर की कटौती करने के निर्देश जारी करने हेतु आदेश जारी किया था (फरवरी 2015 एवं जून 2016), ताकि आरसीसी जमा करने के पश्चात् ही निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदार को अंतिम देयकों का भुगतान किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के 28 में से केवल 10[21] जिलों के कलेक्टरों ने एक वर्ष के अंतर्गत खनिजों की बाजार दर निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किए थे और निर्माण विभागों को रॉयल्टी और डीएमएफ के साथ गौण खनिजों के बाजार मूल्य की कटौती करने और जमा करने का निर्देश दिया था। आठ[22] जिलों में लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् अगस्त 2020 से अगस्त 2021 के बीच आदेश जारी किए गए थे

---

[18] अनुबंधों की अवधि थी – 2012–13 : 3, 2013–14 : 10, 2014–15 : 16, 2015–16 : 33, 2016–17 : 51, 2017–18 : 58, 2018–19 : 76, 2019–20 : 27 और 2020–21 : 11, अंतिम भुगतान 2019–20 और 2021–22 के दौरान किए गए थे।

[19] मुख्य अभियंता–बिलासपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (बी/आर) संभाग–चांपा, कोरबा, पेंड्रा, रायगढ़ और मुख्य अभियंता–सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग–अंबिकापुर।

[20] अनुबंधों की अवधि थी – 2011–12 : 1, 2013–14 : 3, 2014–15 : 2, 2015–16 : 2, 2016–17 : 5, 2017–18 : 7, 2018–19 : 11, 2019–20 : 4 और 2020–21 : 6, अंतिम भुगतान 2019–20 और 2021–22 के दौरान किए गए थे।

[21] (1) बीजापुर (2) जशपुर (3) कोरबा (4) कोरिया (5) रायगढ़ (6) सूरजपुर, (7) सरगुजा (8) जांजगीर–चांपा (9) दुर्ग और (10) राजनांदगांव

[22] (1) बेमेतरा (2) बलौदा बाजार (3) धमतरी (4) गरियाबंद (5) कवर्धा (6) महासमुंद, (7) नारायणपुर और (8) बलरामपुर–रामानुजगंज

जबकि शेष नौ[23] जिलों में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा आदेश जारी करने के बाद एक से पाँच वर्ष के विलंब से आदेश जारी किए गए। रायपुर जिले में कलेक्टर ने आज तक (मई 2022) गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली के आदेश जारी नहीं किये हैं। लेखापरीक्षा को यह बताया गया कि खनिजों का बाजार दर निर्धारित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में रॉयल्टी के चार गुना के बराबर बाजार दर वसूल की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के 62 संभागों में 242 अनुबंधों की जाँच की और 203 अनुबंधों में निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए गौण खनिज जिनके लिए ठेकेदारों के द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किये गये थे, की बाजार दरों में कटौती नहीं करने के कारण ₹ 307.09 करोड़ के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होना पाया जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है।

2.3.6.3 (i) बाजार दर आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होना

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 12[24] जिलों के 20 संभागों (लोक निर्माण विभाग –18, जल संसाधन विभाग–2) के अंतर्गत 66 अनुबंधों में निर्माण विभागों द्वारा ठेकेदारों से आरसीसी प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को अंतिम देयकों का भुगतान किया गया था। बाजार दरों के अभाव में, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के लिए ठेकेदारों के देयकों से केवल रॉयल्टी प्रभार[25] की राशि ₹ 38.74 करोड़ (लोक निर्माण विभाग– ₹ 38.46 करोड़, जल संसाधन विभाग–₹ 0.28 करोड़) की कटौती की गई थी। इस प्रकार, बाजार दर आदेश जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप खनिजों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 137.61 करोड़ की वसूली नहीं हुई जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.3** में वर्णित है।

2.3.6.3 (ii) जिला कलेक्टर के बाजार दरों पर आदेश के बावजूद बाजार मूल्य की वसूली नहीं किया जाना

गौण खनिजों के बाजार मूल्य को निर्दिष्ट करते हुए 21[26] जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी किये और ठेकेदारों द्वारा आरसीसी जमा नहीं करने की स्थिति में गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली के लिये निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन 21 जिलों में 137 अनुबंधों (लोक निर्माण विभाग–35 संभागों में 119 तथा जल संसाधन विभाग–12 संभागों में 18) में कार्यपालन अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान जिला कलेक्टरों के आदेशों का अनुपालन किये बिना किया गया तथा ठेकेदारों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं की गई।

---

23 (1) दंतेवाड़ा (2) बालोद (3) सुकमा (4) कांकेर (5) कोंडागांव (6) बिलासपुर (7) गौरेला–पेंड्रा–मरवाही (8) बस्तर (9) मुंगेली

24 बस्तर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज एवं सुकमा

25 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2018 के अनुसार स्वीकृत खदान पट्टे से लिए गए खनिजों के लिए लागू रॉयल्टी दरें: गिट्टी–₹ 130 प्रति घन मीटर, रेत–₹ 50 प्रति घन मीटर और मूरूम–₹ 50 प्रति घन मीटर; पूर्व में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार: गट्टी ₹ 103 प्रति घन मीटर, रेत–₹ 20 प्रति घन मीटर और मूरूम–₹ 20 प्रति घन मीटर

26 बस्तर, बालोद, बलरामपुर–रामानुजगंज, बीजापुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जशपुर, जांजगीर–चांपा, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर और सुकमा

इसके परिणामस्वरूप गौण खनिजों के बाजार मूल्य ₹ 169.48 करोड़ (लोक निर्माण विभाग–₹ 158.71 करोड़ और जल संसाधन विभाग–₹ 10.77 करोड़) की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.4** और **2.3.5** में वर्णित है।

उपरोक्त प्रकरणों में आरसीसी के अभाव में, ठेकेदार द्वारा शासकीय कार्य में उपयोग के लिए खनिजों की वैध स्त्रोत से खरीद सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और खनिजों के अनधिकृत परिवहन और उपयोग तथा इस कारण शासकीय राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जून 2022) और प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने कहा कि प्रकरण को आगामी दिशा–निर्देशों के लिए शासन को अग्रेषित किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि राजपत्र में अधिसूचित दरों पर अनुबंध प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी प्रभार वसूल किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य शासन एवं जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेशों के विपरीत कार्यों में उपयोग किये गये खनिजों का बाजार मूल्य वसूल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई।

2.3.6.4 रॉयल्टी राशि ₹ 65.39 करोड़ को खाते के अंतिम शीर्ष में प्रेषित न करके निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अनियमित रूप से रोक कर रखा जाना

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश (अक्टूबर 2004) के अनुसार ठेकेदार के देयकों से काटी गयी रॉयल्टी राशि को खनिज साधन विभाग के खाते में अंतिम देयक के भुगतान के एक माह की अवधि के अंदर प्रेषण किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के 44 संभागों में 142 अनुबंधों के अंतर्गत रॉयल्टी प्रभार के मद में ₹ 68.63 करोड़ की कटौती की गई थी। तथापि, ₹ 65.39 करोड़ की राशि संभाग में निक्षेप शीर्ष (8443–सिविल निक्षेप–108–लोक निर्माण निक्षेप) के अंतर्गत रखी गई थी जिसे अंतिम देयकों के भुगतान के एक महीने से अधिक समय व्यतीत जाने के बावजूद भी खनिज साधन विभाग के अंतर्गत रॉयल्टी के अंतिम लेखे शीर्ष (0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग–अन्य प्राप्तियाँ) में जमा नहीं किया गया था। रॉयल्टी राशि को निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत संभागों में रोक कर रखने की अवधि छः से 47 महीने के मध्य थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.6** में वर्णित है। रॉयल्टी राशि को संभागों के निक्षेप शीर्ष में अधिक समय तक रखने और निगरानी की कमी के कारण ठेकेदारों को अनियमित रूप से विमुक्त किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर 11[27] संभागों द्वारा 24 अनुबंधों में ₹ 5.34 करोड़ की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में जमा करायी गयी, जबकि अन्य संभागों के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मुख्य अभियंताओं से आवंटन प्राप्त होते ही रॉयल्टी की राशि खनिज साधन विभाग के खाते में यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

तथ्य यह है कि कार्यपालन अभियंता रॉयल्टी प्रभार को अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अंतिम देयक के भुगतान के एक माह के भीतर खनिज साधन विभाग के खाते में जमा कराने में असफल रहे। विभाग संबंधित कार्यपालन अभियंताओं पर निर्धारित समय के भीतर खनिज साधन विभाग के लेखा शीर्ष में रॉयल्टी जमा नहीं करने की जिम्मेदारी तय कर सकता है।

---

[27] बलौदा बाजार, एनएच–बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, नं. 2–जगदलपुर, खैरागढ़, पत्थलगांव, संभाग 2–रायपुर, नं. 1 रायपुर, रायगढ़ एवं संभाग–विधान सभा

प्रकरण राज्य शासन के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2022, फरवरी 2022 और जुलाई 2022) परंतु दिसम्बर 2022 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.3.7 निष्कर्ष

राज्य शासन द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय निर्माण विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से किये गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के बाजार मूल्य के समतुल्य राशि की कटौती एवं ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा किये जाने तक अंतिम देयकों के भुगतान पर रोक लगाने के संबंध में सीजीएमएमआर नियमावली, 2015 में संशोधन करके रॉयल्टी समाशोधन अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित ठेकों में संशोधित नियमों के अनुसार मौजूदा रॉयल्टी अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया गया।

उपरोक्त दो निर्माण विभागों में 242 अनुबंधों के अंतिम देयकों का भुगतान ठेकेदारों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिज के आरसीसी प्राप्त किये बिना किया गया। आगे, 203 अनुबंधों में आरसीसी के समर्थन के बिना निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों का बाजार मूल्य ठेकेदारों के देयकों से नहीं काटा गया था। कलेक्टर द्वारा बाजार दर जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 जिलों में 66 अनुबंधों के अंतर्गत, 20 संभागों के ठेकेदारों से गौण खनिजों के बाजार मूल्य ₹ 137.61 करोड़ की वसूली नहीं की गयी। आगे, कलेक्टरों द्वारा बाजार मूल्य जारी किये जाने के बावजूद निर्माण विभागों के 47 संभागों में 137 अनुबंधों के अंतर्गत गौण खनिजों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 169.48 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

लोक निर्माण विभाग के 44 संभागों में 142 अनुबंधों में ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि ₹ 65.39 करोड़ को निर्माण विभाग के निक्षेप शीर्ष में रोक कर रखा गया तथा खनिज साधन विभाग के अंतिम लेखा शीर्ष में अंतिम देयक के भुगतान के एक माह की अवधि के अन्दर जमा नहीं किया गया। यह विलंब छः से 47 महीनों के मध्य था।

इस प्रकार, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेशों की अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप आरसीसी प्राप्त किये बिना अनुबंधों का अनियमित रूप से अंतिमीकरण किया गया एवं ठेकेदारों से शासकीय कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली नहीं होने के कारण राज्य शासन को राजस्व की हानि हुई।

2.3.8 अनुशंसाएं

1. ***शासन को राजस्व की हानि से बचाने के लिए निर्माण विभाग को ठेकेदारों से आरसीसी नहीं दिये जाने पर रॉयल्टी एवं डीएमएफ के साथ गौण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।***
2. ***निर्माण विभाग को शासकीय कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों के लिए ठेकेदार द्वारा आरसीसी जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इसके स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित की जा सके और गौण खनिजों के अप्राधिकृत परिवहन एवं उपयोग को रोका जा सके।***
3. ***रॉयल्टी प्रभारों की कटौती से संबंधित अनुबंध के प्रावधान में गौण खनिजों के उपयोग से संबंधित प्रचलित आदेशों एवं नियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।***
4. ***निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे समस्त अनुबंध कार्यों का संपूर्ण डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए और इन कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के समुचित अभिलेख रखे जाने चाहिए। निष्पादित कार्यों में उपयोग किए गए गौण***

खनिजों की वास्तविक मात्रा के आधार पर ठेकेदारों के देयकों में से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए।

5. *रॉयल्टी प्रभारों की वसूली और शासकीय खाते में उनके समय पर प्रेषण की निगरानी के लिए एक पर्याप्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।*

जल संसाधन विभाग

2.4 मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन

2.4.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख जल संरक्षण एजेंसी है, जो राज्य में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का रूपांकन तैयार करना तथा निर्माण करना है। इन परियोजनाओं में बांधों, बैराजों, जलाशयों, एनीकटों और नहरों का निर्माण शामिल है, जिसके लिए वृहद मात्रा में कंक्रीट कार्यों की आवश्यकता होती है। सिंचाई परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण करना जल संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।

वर्तमान के वर्षों में, कंक्रीट संरचनाओं का स्थायित्व सभी कंक्रीट प्रौद्योगिकीविदों के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक (आईएस) कोड 456:2000– ''प्लेन और रीईनफोर्स्ड कंक्रीट की कोड ऑफ प्रैक्टिस'' को अपनाया, जो स्वीकार्य मानदण्ड, लक्षित शक्ति और परीक्षण की आवृत्ति के माध्यम से स्थायित्व की आवश्यकताओं को वर्णित करता है। उपरोक्त उल्लिखित आईएस कोड में कंक्रीट के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुपालन हेतु आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न संशोधन किए गए थे।

जल संसाधन विभाग को मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुसार विशेष रूप से सीमेंट कंक्रीट कार्य के निष्पादन में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, जैसा कि दरों की अनुसूची (एसओआर) के विभिन्न टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक–456:2000) के अनुरूप सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन पर केंद्रित जल संसाधन विभाग का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया था और इसके अनुपालन नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव/सचिव शासन स्तर पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रमुख अभियंता, विभाग के प्रमुख होते है एवं शासन के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और जल संसाधन विभाग की समग्र कार्यप्रणाली के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। विभाग को मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में पाँच परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिक्षेत्रों को आगे 11 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता, अधीक्षण अभियंता करते हैं। उक्त मंडलों के अंतर्गत 62 संभाग हैं जिनके अंतर्गत 291 उप–संभाग कार्यरत हैं। संभाग और उप–संभाग का नेतृत्व क्रमशः कार्यपालन अभियंता और उप संभाग अधिकारी करते हैं और वे विभिन्न कार्यों/योजनाओं को लागू करने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

जल संसाधन विभाग की संगठनात्मक संरचना

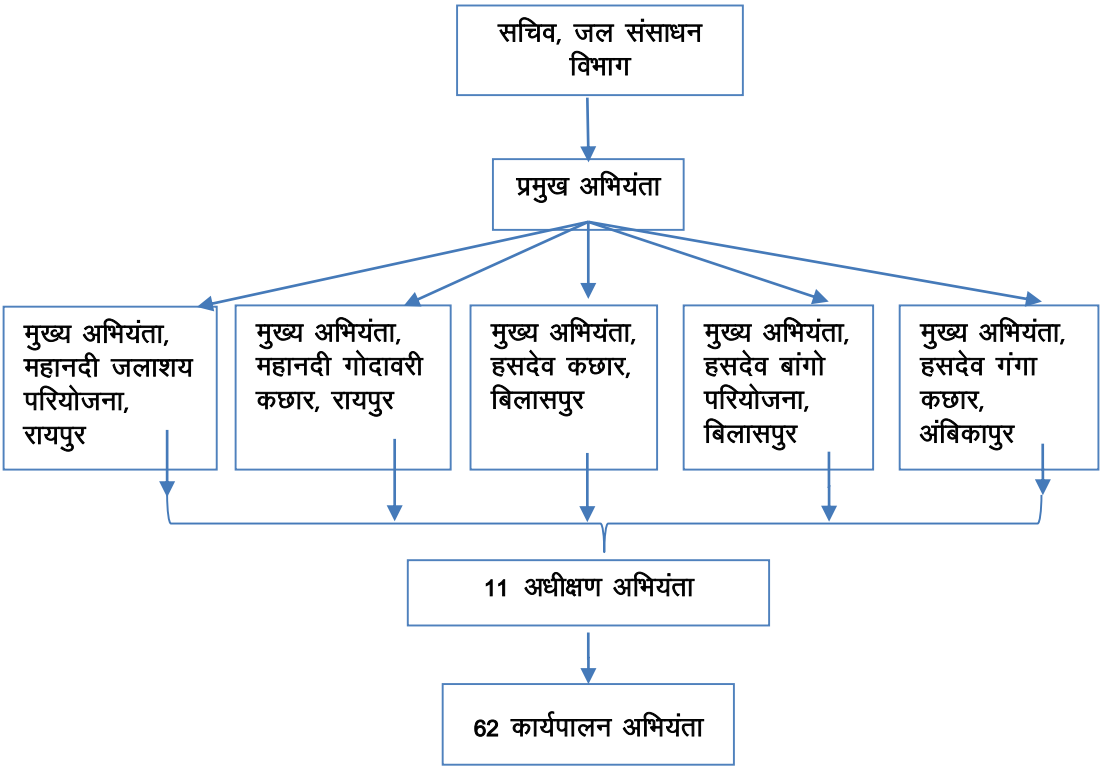

2.4.3 वित्तीय निष्पादन

प्रमुख अभियंता, बजट नियंत्रण अधिकारी होता है और योजना बनाने, अनुमोदन प्राप्त करने और निधियों के उपयोग के लिए शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान विभाग का वर्षवार आबंटन एवं व्यय **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:

तालिका 2.4.1: वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2018–19	2403.37	1545.16
2019–20	2143.73	1092.70
2020–21	2217.75	1124.58

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

2.4.4 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के खंड 3.3 के अनुसार, वर्ष 2020–22 में होने वाले अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना के लिए ऊपर से नीचे, जोखिम–आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। लेखापरीक्षा योग्य 80 ईकाइयों में से 65[28] ईकाइयों, जिनमें क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण कार्यालय शामिल हैं, को अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के

[28] प्रमुख अभियंता कार्यालय, पाँच मुख्य अभियंता कार्यालय, नौ अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं 50 संभागीय कार्यालय

संबंध में, पाँच प्रयोगशालाओं और 11 उप–प्रयोगशालाओं में से लेखापरीक्षा ने दो प्रयोगशालाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं सभी चयनित संभाग कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सितंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान (मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) और जुलाई–2021 से दिसंबर 2021[29] तक (मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 50 संभागों में कंक्रीट कार्य में हुए भुगतान[30] की राशि के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच हेतु 152 अनुबंधो का चयन किया गया।

2.4.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थीः

- क्या सीमेंट कंक्रीट कार्य (प्लेन सीमेंट कंक्रीटः पीसीसी एवं रीईनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीटः आरसीसी) आईएस कोड 456:2000 के निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पादित किए जा रहे हैं।
- क्या सीमेंट कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षण के लिए विभाग के पास पर्याप्त श्रमशक्ति और उपकरण/मशीनरी उपलब्ध हैं।

2.4.6 लेखापरीक्षा मानदंड

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में कंक्रीट कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन लेखापरीक्षा जल संसाधन विभाग के मानदंड के निम्नलिखित स्त्रोतों के संदर्भ में किया गया :

- भारतीय मानक कोड आईएस 456:2000, (चतुर्थ संशोधन–अप्रैल 2007) "प्लेन और रिइनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस संशोधनों के साथ।
- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा संशोधनों के साथ जारी दरों की अनुसूची (2010)।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और मुख्य अभियंताओं द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्राक्कलन।
- सिंचाई परियोजनाओं के अनुबंध और प्रासंगिक अभिलेख।

2.4.7 गुणवत्ता नियंत्रक ईकाई की संगठनात्मक संरचना

गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयां, कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित सभी परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं और विभाग के मुख्य अभियंता के अधीन कार्य करती हैं। पचास संभागों में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु पाँच मुख्य अभियंताओं के अधीन पाँच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख अनुसंधान अधिकारी है और 11 उप प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख सहायक अनुसंधान अधिकारी है। अनुसंधान अधिकारी आईएस कोड में निर्दिष्ट परीक्षण करते हैं और निर्दिष्ट अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विवरण आगे रेखाचित्र में दिखाया गया हैः

---

[29] अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में विभाग की पूर्व में की गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों को भी सम्मिलित किया गया है

[30] प्रत्येक संभाग में तीन अधिकतम भुगतान के प्रकरण

गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों की संगठनात्मक संरचना

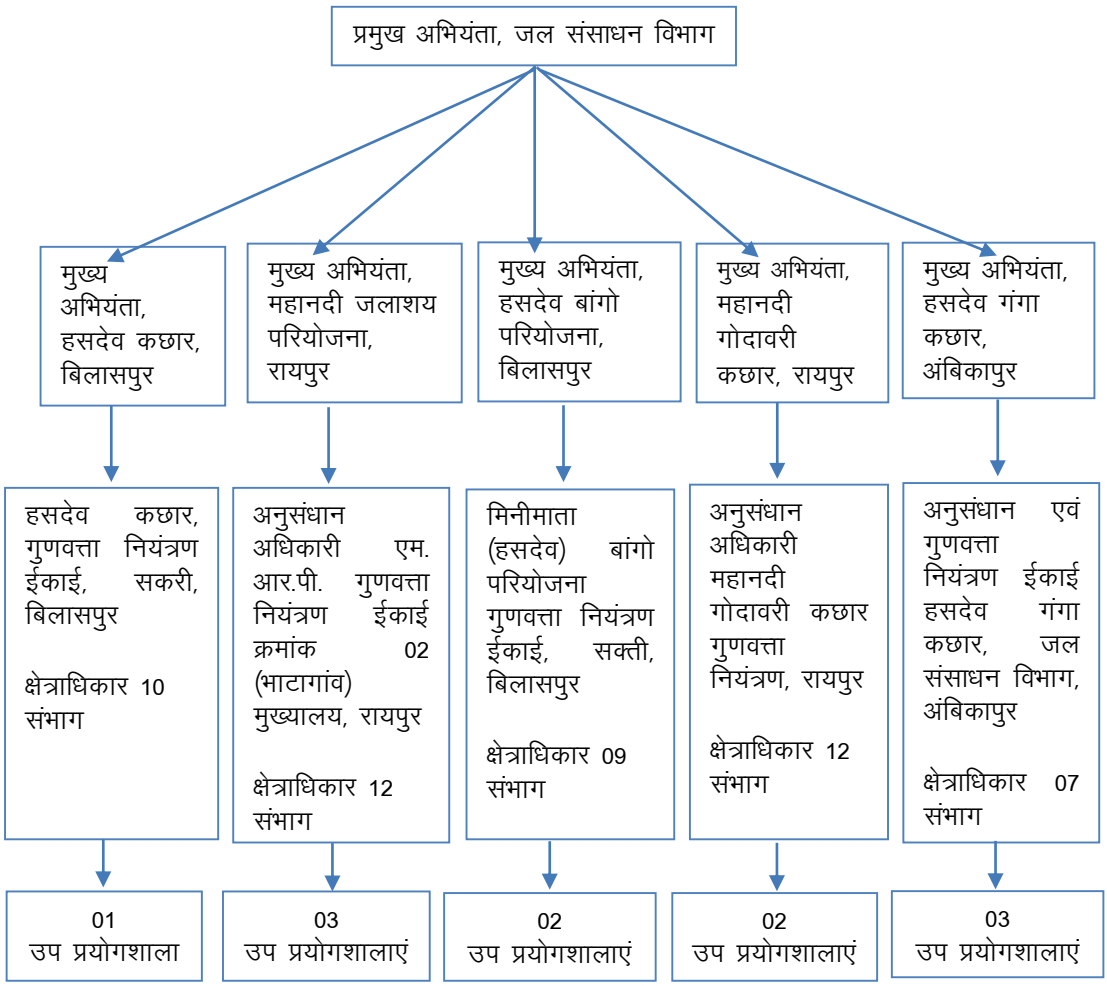

2.4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.8.1 गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति और परीक्षण मशीनरी/उपकरणों की कमी

निर्माण विभाग संहिता के खंड–I की कंडिका 6.001 के अनुसार सभी संरचनाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए और भवनों एवं दुर्लभ सामग्रियों के उपयोग के लिए भी गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है।

2.4.8.1 (i) गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति की उपलब्धता

जल संसाधन विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई का दायित्व कंक्रीट कार्यों से संबंधित परीक्षणों सहित विभिन्न प्रकार के परीक्षण करके सिंचाई परियोजना कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों और 11 उप–प्रयोगशालाओं में, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारीयों/कर्मचारियों की कार्यरत अमले 81 स्वीकृत अमले के विरुद्ध मात्र 35 है। विवरण **तालिका 2.4.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.2: गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में श्रमशक्ति की कमी

स. क्र.	मुख्य अभियंता का नाम	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई का नाम एवं संख्या	प्रयोगशालाओं के अंतर्गत कार्यरत उप प्रयोगशालाओं की संख्या	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की कार्यरत संख्या	कमी	तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी (प्रतिशत में)
1	**मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर**	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, सकरी, बिलासपुर	1	7	7	0	0
2	**मुख्य अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, रायपुर**	अनुसंधान अधिकारी नियंत्रण संभाग क्र. 2, भाटागांव, रायपुर	3	10	8	2	20
3	**मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर**	गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, सक्ती	2	10	9	1	10
4	**मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर**	अनुसंधान अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण, रायपुर	2	51	10	41	80
5	**मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर**	अनुसंधान एवं गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई, अंबिकापुर	3	3	1	2	67
	कुल योग	**केन्द्रीय प्रयोगशाला–5 उप–प्रयोगशाला–11**	**11**	**81**	**35**	**46**	**57**

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चार गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में 80 प्रतिशत तक श्रमशक्ति की कमी थी।

इंगित किये जाने पर, प्रमुख अभियंता ने गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में कर्मचारियों की कमी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2021)। उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों/कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.4.8.1 (ii) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में परीक्षण मशीनरी/उपकरण की उपलब्धता

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 6.016 के अनुसार सभी सिंचाई परियोजनाओं का गुणवत्ता परीक्षण अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी के अधीन विभाग की मुख्य प्रयोगशाला द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, कार्य स्थलों पर क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी जो दैनिक नियमित परीक्षण करने के लिए मुख्य प्रयोगशाला का हिस्सा होगी। आगे, निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 6.02 के अनुसार कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 17[31] विभिन्न मानक परीक्षण निर्धारित हैं।

[31] परीक्षणों की सूची जिनके लिए प्रयोगशाला/उप–प्रयोगशालाओं में मशीनरी/उपकरण उपलब्ध नहीं थेः (1) सिल्ट ऑन फाइन एग्रीगेट्स, (2) क्ले, फाइन सिल्ट एंड फाइन डस्ट इन एग्रीगेट (सेडीमेंटेसन मेथड) (3) सरफेस मोइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट (हॉट प्लेट मेथड), (4) सरफेस मोइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट, (5) बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, (6) स्पेसिफिक ग्रेविटी एण्ड एयर कंटेंट्स ऑफ फ्रेश कंक्रीट, (7) कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन (8) ड्राई एंड एयर कंटेंट्स ऑफ फ्रेश कंक्रीट, (9) लेबोरेटरी परमिएबिलीटी, (10) इन–सीटू परमिएबिलीटी।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 17 मानक परीक्षणों में से प्रयोगशालाओं/उप–प्रयोगशालाओं में केवल तीन से सात परीक्षण करने के लिए मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे। सभी पाँच मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न परीक्षण करने के लिए आवश्यक 662 मशीनरी/उपकरण के विरुद्ध मात्र 492 मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उपलब्ध 492 मशीनरी/उपकरणों में से 81 (16 प्रतिशत) अनुपयोगी थे।

आईएस–456 कोड के अनुसार कंक्रीट के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए दो प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है (i) कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन और (ii) क्यूब मोल्ड। यह देखा गया कि उपरोक्त दोनों मशीनरी/उपकरणों की आवश्यक 454 संख्या के विरुद्ध केवल 411 मशीनरी/उपकरण उपलब्ध थे, जिनमें से 362 कार्यशील थे और शेष 49 अनुपयोगी थे। तिरालिस मशीनरी/उपकरणों की कमी थी जो कुल आवश्यकता का नौ प्रतिशत है।

दो प्रयोगशालाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 17 मानक परीक्षण हेतु आवश्यक 155 मशीनरी/उपकरण के विरूद्ध 34 मशीनरी/उपकरण परिचालित नहीं थे और गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों की कमी थी।

नीचे दिखाई गई तस्वीरें संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान परीक्षण मशीनों की स्थिति दर्शाती हैं।

जांजगीर तथा सकरी में स्थित गुणवत्ता नियंत्रक ईकाई के फोटोग्राफ

1. क्यूब मोल्ड्स दिनांकः 04.10.2021 (जांजगीर प्रयोगशाला)

1. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन दिनांक 04.10.2021 (जांजगीर प्रयोगशाला)

3. इलेक्ट्रिक माइल्ड स्टील मोटर क्यूब वाइब्रेटिंग मशीन दिनांकः 06.10.2021 (सकरी प्रयोगशाला)

यह इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (दिसम्बर 2021) कि आगामी बजट में नई मशीनरी/उपकरणों के क्रय एवं पुराने अनुपयोगी मशीनरी/उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु प्रावधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.4.8.2 आईएस कोड 456:2000 के अनुरूप एसओआर नहीं होने के कारण कार्य का अनियमित निष्पादन

छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) 1 अगस्त 2010 से लागू थी और उसमें दी गई दरें विभाग द्वारा किए गए विभिन्न सिंचाई कार्यों पर लागू थी। एसओआर के अनुसार कंक्रीट कार्यों के प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) और रिइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) मदों के निष्पादन हेतु ''आईएस 456:2000 प्लेन एवं रिइनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए प्रैक्टिस कोड'' (संशोधन संख्या 1 और 2 पुनः पुष्टि 2005 के साथ तीसरा संशोधन) को उद्धृत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिंचाई से संबंधित कार्यों (जैसे एनीकट, नहर लाइनिंग, बैराज, जलाशय, डायवर्जन योजना) की संरचनाएं संयत वातावरण के संपर्क में रहती हैं। तालिका–3 के साथ पठित आईएस कोड 456:2000, जो कि संयत वातावरण को एक ऐसे वातावरण के रूप में व्याख्या करता है, जहां अतिवृष्टि से सुरक्षित कंक्रीट की सतहें निरंतर पानी के नीचे हों या कंक्रीट नॉन–एग्रेस्सिव मिट्टी/भू–जल के संपर्क में हो या अंदर दबा हो। ऐसी वातावरणीय स्थिति में पीसीसी और आरसीसी के लिए न्यूनतम श्रेणी क्रमशः एम–15 और एम–25 होना चाहिए जैसा कि आईएस कोड की कंडिका 6.1.2 के तहत तालिका 5 में प्रावधानित है। तथापि प्रचलित दर अनुसूची में पीसीसी एवं आरसीसी कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी क्रमशः एम–10 एवं एम–15 प्रावधानित किया गया है। आगे, एसओआर 2010 में केवल कंक्रीट के श्रेणी की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और उसके संबंधित मिश्रण का उल्लेख किया गया था। आईएस कोड में दिए गए टार्गेटेड मीन स्ट्रेंथ और कंक्रीट के स्वीकार्य मानदंड का कहीं भी एसओआर में उल्लेख नहीं किया गया था।

प्रमुख अभियंता ने भी एक संशोधन/परिपत्र (मई 2019) जारी किया और सभी अधीनस्थ कार्यालयों को आईएस कोड 456:2000 के अनुसार कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया।

इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि विभाग ने प्रचलित एसओआर–2010 को संशोधित करने का निर्णय लिया है और संबंधित अनुभाग को आईएस कोड के अनुरूप नया एसओआर तैयार करने का आदेश जारी किया गया है।

यद्यपि विभाग ने उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी के लिए परिपत्र जारी किया है, परन्तु अब तक एसओआर की संबंधित मदों में उक्त संशोधन किया जाना शेष है। आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं करने के कारण कार्यों के अनियमित निष्पादन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.4.8.2 (i) पीसीसी और आरसीसी कार्य का निम्न श्रेणी कंक्रीट के साथ निष्पादन

तालिका–5 के साथ पठित आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 6.1.2 प्रतिपादित करती है कि मध्यम वातावरण के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट की न्यूनतम श्रेणी पीसीसी के लिए एम–15[32] और आरसीसी के लिए एम–25 से कम नहीं होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता ने भी सौम्य वातावरण (माइल्ड

[32] अक्षर एम 28 दिनों में 15–सेमी घन की निर्दिष्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के मिश्रण और संख्या को संदर्भित करता है, जिसे न्यूटन/वर्ग मिमी में व्यक्त किया गया है।

एक्सपोजर) जैसा कि आईएस कोड 456:2000 में वर्णित है, में कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी पीसीसी के लिए एम–15 और उससे ऊपर तथा आरसीसी के लिए एम–20 और अधिक को अपनाने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया (मई 2019)।

48 संभागों (दो संभागों में कोई कंक्रीट कार्य निष्पादित नहीं किया गया) द्वारा निष्पादित 152 अनुबंधों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 150 अनुबंधों में आईएस कोड की अवहेलना करते हुए पीसीसी एवं आरसीसी मदों के लिए प्राक्कलन निर्धारित श्रेणी से नीचे का तैयार एवं निष्पादित किये गये थे। इन निम्न श्रेणी के कंक्रीटों की शक्ति पीसीसी के लिए एम–15 और आरसीसी के लिए एम–25 की आवश्यक शक्ति से लगभग 33 से 40 प्रतिशत कम थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 312.54 करोड़ के व्यय के साथ 851539.82 घनमीटर और 148985.71 घनमीटर के क्रमशः पीसीसी और आरसीसी कार्य का निष्पादन आईएस कोड का पालन किए बिना निम्न श्रेणी के कंक्रीट के साथ हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.1** में वर्णित है) जैसा कि **तालिका 2.4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.3: एम–15 से नीचे के पीसीसी और एम–25 से नीचे के आरसीसी के विभिन्न श्रेणी का निष्पादन

कंक्रीट के प्रकार	पीसीसी		आरसीसी	
कंक्रीट का श्रेणी	1:4:8 (एम –7.5)	1:3:6 (एम–10)	1:2:4(एम–15)	1:1.5:3(एम–20)
निष्पादित मात्रा (घनमीटर में)	2852.7	848687.11	66579.01	82406.69
कुल मात्रा (घनमीटर में)		**851539.82**		**148985.71**
चल देयक के अनुसार कंक्रीट कार्य का मूल्य (करोड़ में)		**234.40**		**78.14**

(स्त्रोतः जल संसाधन विभाग के लेखापरीक्षित संभागों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

आगे, आईएस कोड 456:2000 में उल्लिखित अनुसार सौम्य वातावरण में पीसीसी के लिए एम–15 और अधिक एवं आरसीसी के लिए एम–20 और अधिक के कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी को अपनाने के संबंध में परिपत्र जारी (मई 2019) होने के बाद 19 निविदाएं (एनआईटी) जारी की गयी थी एवं अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इन 19 अनुबंधों में से केवल एक अनुबंध में संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया गया था जबकि शेष 18 अनुबंधों में संशोधन आंशिक रूप से लागू किये गए थे। परिपत्र जारी होने के बाद निष्पादित पीसीसी और आरसीसी की मदों को **तालिका 2.4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4.4: परिपत्र जारी किये जाने के उपरांत एम–15 से नीचे के पीसीसी और एम–25 से नीचे के आरसीसी के विभिन्न श्रेणियों का निष्पादन

कंक्रीट के प्रकार	पीसीसी		आरसीसी	
कंक्रीट की श्रेणी	1:4:8 (एम –7.5)	1:3:6 (एम–10)	1:2:4 (एम–15)	1:1.5:3 (एम–20)
निष्पादित मात्रा (घनमीटर में)	0	13101.56	6357.02	2605.75
कुल मात्रा (घनमीटर में)		**13101.56**		**8962.77**

(स्त्रोतः जल संसाधन विभाग के लेखापरीक्षित संभागों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

इस प्रकार विभाग द्वारा परिपत्र जारी होने के बाद भी आईएस कोड 456:2000 के विपरीत निम्न विशिष्टियों वाले कार्य निष्पादित करना जारी रखा गया।

प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि संबंधित संभागों ने पीसीसी/आरसीसी कार्य निष्पादित किया था क्योंकि ये मदें एसओआर 2010 निर्दिष्ट हैं। उन्होंने आगे बताया कि पीसीसी और आरसीसी मदों के लिए कंक्रीट की श्रेणी को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संशोधित किया गया है और सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र जारी होने के बाद एसओआर तैयार करने और आईएस कोड के अनुसार कंक्रीट कार्यों के निष्पादन के संबंध में पर्याप्त सुधार देखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिपत्र जारी होने के बाद भी लेखापरीक्षा द्वारा निम्न श्रेणी के कंक्रीट के उपयोग के प्रकरण देखे गए। यद्यपि विभाग ने पीसीसी और आरसीसी कार्य के लिए सौम्य परिस्थिति में कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी को संशोधित करने के लिए परिपत्र जारी किया था, लेकिन एसओआर में कार्यों के संबंधित मदों की प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया गया।

2.4.8.2 (ii) आईएस 456:2000 में निर्धारित संख्या से कम क्यूब टेस्ट किया जाना

आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 15 के अनुसार कंक्रीट के प्रथम 50 घनमीटर के लिए 15 से.मी. x 15 से.मी. x 15 से.मी. आकार के तीन प्रतिरूपों के औसत वाले चार नमूनों का परीक्षण किया जाना चाहिए था और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 50 घनमीटर या उसके हिस्से के लिए चार के अतिरिक्त एक और नमूने का जाँच किया जाना चाहिए था। आगे, आईएस कोड की कंडिका 15.4 के अनुसार, नमूने के परीक्षण के परिणाम तीन प्रतिरूपों की शक्ति का औसत होना चाहिए। परीक्षण परिणामों में औसत के $\pm$ 15 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता को अमान्य माना जाना था।

संबंधित परियोजना के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कंक्रीट क्यूब्स की सूची, कार्य का विवरण, कंक्रीट कार्य की प्रकृति तथा ढलाई की तिथि के साथ संबंधित प्रयोगशालाओं के अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित किए जाने की आवश्यकता थी। 28 दिनों के बाद अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी को परीक्षण परिणाम संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंता को भेजे जाने की आवश्यकता थी।

कुल 48 संभागों द्वारा निष्पादित 152 कार्य जिसमें 43 एनीकट/स्टॉपडैम, 71 सीमेंट कंक्रीट नहर लाइनिंग और संरचनाएं, 24 बैराज/व्यपवर्तन/जलाशय, नौ सुरक्षा कार्य और पाँच पुल कार्य शामिल थे, की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि विभाग ने 16.33 लाख घनमीटर पीसीसी तथा आरसीसी का निष्पादन किया तथा उन्हें निर्धारित संख्या में क्यूब टेस्ट किए बिना स्वीकार किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.2** में वर्णित है)। कंक्रीट क्यूब नमूना परीक्षणों के आवश्यक 53,119 मात्रा के विरूद्ध एक भी नमूना परीक्षण तीन प्रतिरूपों का औसत लेकर नहीं किया गया था। जहाँ 53,119 नमूना परीक्षणों के लिए कंक्रीट क्यूब्स के 1,59,357 प्रतिरूपों की जाँच की जानी थी वहाँ केवल 7,401 (4.6 प्रतिशत) प्रतिरूपों की जाँच की गई थी। आगे, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बीजापुर[33] में आवश्यक 219 टेस्ट के विरूद्ध एक भी प्रतिरूप परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित आवृति के अनुसार कंक्रीट क्यूब परीक्षण नहीं किया गया था।

प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि आईएस कोड 456:2000 में आवृत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। तथापि, गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयाँ वर्तमान में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के साथ काम कर रहीं हैं और परीक्षण मशीनरी/उपकरणों की भी कमी थी। रिक्त पदों को भरने और मशीनरी/उपकरणों को

[33] कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बीजापुर (छत्तीसगढ) कार्य की प्रकृति–दो एनीकट एवं एक स्टॉप डैम

बदलने/खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों के सुधार के बाद कंक्रीट क्यूब के कॉम्प्रेसिव टेस्ट के नमूना परीक्षण की आवृति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

2.4.8.2 (iii) कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करना

आईएस कोड 456 की तालिका–8 के साथ कंडिका 9 तथा कंडिका 16, अनुमानित स्टैंडर्ड डेविएशन के संदर्भ में कंक्रीट के विभिन्न श्रेणी के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ और स्वीकार्य मानदंड निर्दिष्ट करता है। आगे, आईएस कोड 456:2000 के संशोधन 4 के अनुसार कंक्रीट के श्रेणी का स्वीकार्य मानदंड, चार नॉन–ओवरलैपिंग निरंतर परीक्षण परिणामों के समूह के औसत मान के लिए "f_{ck}[34]+3 अथवा f_{ck}+0.825*sd" के मान में से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि आईएस कोड 456:2000 के तालिका 11 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, किसी एक परीक्षण परिणाम के लिए यह f_{ck}-3 न्यूटन/वर्ग मि.मी. से कम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट के विभिन्न श्रेणियों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा आईएस कोड में निर्धारित सूत्र का उपयोग करके स्वीकार्य मानदंड और टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मान निकाला गया है, जैसा कि **तालिका 2.4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4.5: अनुमानित स्टैंडर्ड डेविएशन एवं आईएस कोड 456:2000 के अनुसार 28वें दिन पर कंक्रीट क्यूब के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टारगेट मीन स्ट्रेंथ एवं स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने हेतु सूत्र

कंक्रीट की श्रेणी (एम–मिक्स ऑफ कंक्रीट दर्शाता है)	28 दिन का कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (f_{ck})	अनुमानित स्टैंड्र्ड डेविएशन (sd)	टारगेट मीन स्ट्रेंथ (f_{ck}+(1.65*sd))	स्वीकार्य मानदंड (f_{ck}+3 अथवा f_{ck}+0.825*sd में से जो भी अधिक हो) निकटतम 0.5 न्यूटन/वर्ग मिमी तक
एम–10	10 न्यूटन/वर्ग मिमी	3.5	15.8	13
एम–15	15 न्यूटन/वर्ग मिमी	3.5	20.8	18
एम–20	20 न्यूटन/वर्ग मिमी	4	26.6	23.5
एम–25	25 न्यूटन/वर्ग मिमी	4	31.6	28.5
एम–30	30 न्यूटन/वर्ग मिमी	5	38.3	34
एम–35	35 न्यूटन/वर्ग मिमी	5	43.3	39.1

एसओआर में कंक्रीट की श्रेणी की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और उससे संबंधित मिश्रण का उल्लेख किया गया था। आईएस कोड में दिए गए टारगेट मीन स्ट्रेंथ और स्वीकार्य मानदंड का एसओआर में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि प्रमुख अभियंता ने आईएस कोड 456:2000 के अनुसार स्वीकार्य मानदंड और टारगेट मीन स्ट्रेंथ दर्शाते हुए एसओआर में एक संशोधन परिपत्र जारी किया था (मई 2019), जैसा कि **तालिका 2.4.6** में दिया गया है।

[34] f_{ck} कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को सूचित करता है, sd – स्टैन्डर्ड डेविएशन

तालिका 2.4.6: संशोधन के अनुसार 28 दिनों में कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ का टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ तथा स्वीकार्य मानदंड

कंक्रीट मिक्स	28 दिनों में कंक्रीट क्यूब का टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ	28 दिनों में कंक्रीट क्यूब के स्ट्रेंथ के लिए स्वीकार्य मानदंड
एम–20	26.6 न्यूटन/वर्ग मिमी	24 न्यूटन/वर्ग मिमी
एम–25	31.6 न्यूटन/वर्ग मिमी	29 न्यूटन/वर्ग मिमी
एम–30	38.5 न्यूटन/वर्ग मिमी	34 न्यूटन/वर्ग मिमी

(स्त्रोतः प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 48 संभागों द्वारा निष्पादित 152 अनुबंधों में ₹ 527.57 करोड़ मूल्य के 14.53 लाख घनमीटर पीसीसी मद तथा 1.69 लाख घनमीटर आरसीसी मद के कंक्रीट कार्य (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.3** में दर्शाया गया है) का निष्पादन किया गया। नमूना जाँच किए गए अनुबंधों में टेस्ट रिपोर्ट परिणामों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि परीक्षण किए गए 7,401 प्रतिरूपों में से केवल नौ प्रतिरूपों में टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ प्राप्त किया गया था और 540 प्रतिरूपों ने स्वीकार्य मानदंड प्राप्त किया था जबकि शेष 6,852 प्रतिरूप (93 प्रतिशत) स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में विफल रहे थे जैसा कि **तालिका 2.4.5** में गणना किया गया है। इस प्रकार वांछित शक्ति (टारगेट स्ट्रेंथ) अप्राप्त रहने के कारण राशि ₹ 527.57 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्ता वाले कंक्रीट कार्य का निष्पादन किया गया तथा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, आईएस कोड के अनुसार परीक्षण के मानक के अनुपालन के बिना और स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सुनिश्चित किए बिना कंक्रीट के निम्न श्रेणी के साथ कंक्रीट कार्यों के निष्पादन के कारण कंक्रीट संरचना को उनके अनुमानित जीवन के पूरा होने से पहले क्षति का खतरा निहित करता है। आगे, क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत और रखरखाव से परियोजना की लागत में भी वृद्धि होगी।

प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि प्रमुख अभियंता द्वारा वांछित स्ट्रेंथ एवं स्वीकार्य मानदंड के संबंध में संशोधन परिपत्र जारी किए जाने के पूर्व संबंधित संभागों ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को वांछित स्ट्रेंथ मानते हुए पीसीसी एवं आरसीसी कार्यों का निष्पादन कर लिया था, जैसा कि एसओआर 2010 में विनिर्दिष्ट था। आगे, उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने लेखापरीक्षा के आपत्ति उपरांत दिनांक 26.05.2019 को संशोधन जारी कर डिजाइन स्ट्रेंथ तथा कंक्रीट कार्य के स्वीकार्य मानदंड को अलग से परिभाषित किया और तदनुसार सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्त संशोधनों का पालन करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देश जारी होने के बाद, परीक्षण रिपोर्ट में पर्याप्त सुधार देखा गया है। इसके अलावा विभाग ने रायपुर प्रशिक्षण केन्द्र में वर्ष 2021–22 से फील्ड इंजीनियरों एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों के लिए पक्के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

लेखापरीक्षा नें संशोधन जारी होने के उपरांत पीसीसी और आरसीसी कार्यों के निष्पादन की भी जाँच की और पाया कि कंक्रीट क्यूब के केवल 2,235 प्रतिरूपों का परीक्षण किया गया जिनमें से एक भी प्रतिरूप वांछित टारगेट स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर सका, 332 प्रतिरूपों ने स्वीकार्य मानदंड प्राप्त किए जबकि शेष 1,903 प्रतिरूप स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करने में भी विफल रहे।

2.4.8.2 (iv) आरसीसी एवं पीसीसी कार्य का निष्पादन डिजाइन मिक्स के स्थान पर नॉमिनल मिक्स के साथ किए जाने के कारण निम्न विशिष्टियों के कार्य को स्वीकार किया जाना

आईएस कोड 456:2000 की कंडिका 9.1.1 के अनुसार डिजाइन मिक्स कंक्रीट को नॉमिनल मिक्स के स्थान पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि एम–20 या उससे नीचे के श्रेणी के लिए किसी भी कारण से डिजाइन मिक्स कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो प्रभारी अभियंता की अनुमति से नॉमिनल मिक्स का उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, पाँच अनुबंधों में 2,948 घनमीटर का पीसीसी एम–25, 3,053.11 घनमीटर का आरसीसी एम–25 तथा 250.52 घनमीटर का आरसीसी एम–30 का कार्य डिजाइन मिक्स तैयार किए बिना नॉमिनल मिक्स[35] के माध्यम से निष्पादित किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.4** में दर्शाया गया है)।

प्रमुख अभियंता द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया (मार्च 2022) गया कि नॉमिनल मिक्स के साथ आरसीसी/पीसीसी के निष्पादन में उपयोग की गई कंक्रीट की मात्रा बहुत कम थी। तथापि, संभागों को इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2.4.8.2 (v) क्षतिग्रस्त कंक्रीट संरचनाएं

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाँच[36] क्षतिग्रस्त संरचनाओं से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से यह देखा गया कि पाँच में से एक प्रकरण में संरचना के क्षतिग्रस्त/दरार होने के उपरांत विभाग की ओर से कोई आधिकारिक निरीक्षण नहीं किया गया था किन्तु क्षति की लागत का आंकलन करने तथा अनुमान तैयार करने हेतु अस्थायी सर्वे किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दो मामलों में भारी वर्षा को संरचना के क्षतिग्रस्त होने का जिम्मेदार ठहराया गया। एक मामले (चाटापारा II एनीकट) में निरीक्षण प्रतिवेदन में संरचना क्षतिग्रस्त होने का कारण योजना में कमी तथा विभागीय मानक के अनुसार कंक्रीट का परीक्षण नहीं किये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता को बताया गया था। एक अन्य मामले में क्षति का कारण ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाना बताया गया।

पीसीसी और आरसीसी कार्य के निष्पादन में आईएस कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी इन मामलों की जाँच की गयी (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4.5** में दर्शाया गया है)। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कंक्रीट के न्यूनतम श्रेणी के उपयोग, कंक्रीट क्यूब के परीक्षण और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आवश्यकता से संबंधित आईएस मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था। पाँच मामलों में से चार मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया जबकि शेष एक मामला कार्यालयीन अभिलेखों से सत्यापित किया गया। चार प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

---

[35] नॉमिनल मिक्स: धारा 9.1 के अनुसार कंक्रीट के लिए आवश्यक घटक के मिश्रण के अनुपात को बदले बिना वांछित शक्ति प्राप्त करने के आश्वासन के साथ नॉमिनल मिक्स विधि का उपयोग किया गया था।

[36] 1. चाटापारा II एनीकट, 2. अरपा नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण, 3. हटकुल व्यपवर्तन योजना, 4. तूरी व्यपवर्तन योजना तथा 5. तारागाँव एनीकट

पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त चाटापारा एनीकट

छायाचित्र दिनांक: 28.07.2020

अनुबंध क्रमांक.	03 डीएल/2009–10
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कोटा
कार्य का नाम	चाटापारा II एनीकट योजना
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 7.10 करोड़
पूर्णता दिनांक	25.03.2013
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	25.05.2014

पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त तुरी व्यपवर्तन योजना

छायाचित्र दिनांक: 27.07.2021

अनुबंध क्रमांक	18 डीएल/2012–13
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कांकेर
कार्य का नाम	तूरी व्यपवर्तन योजना का निर्माण (शीर्ष कार्य)
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 3.74 करोड़
पूर्णता दिनांक	23.05.2014
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	13.08.2018

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हटकुल व्यपवर्तन योजना

छायाचित्र दिनांक: 27.07.2021

अनुबंध क्रमांक	24 डीएल/2010–11
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–कांकेर
कार्य का नाम	हटकुल व्यपवर्तन योजना का निर्माण
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 1.72 करोड़
पूर्णता दिनांक	11.09.2012
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	12.08.2018

तारागाँव एनीकट का क्षतिग्रस्त भाग

छायाचित्र दिनांक: 05.08.2021

अनुबंध क्रमांक	07 डीएल/2013–14
संभाग का नाम	जल संसाधन संभाग–नारायणपुर
कार्य का नाम	तारागाँव एनीकट का निर्माण
कार्य की कुल वास्तविक लागत	₹ 2.67 करोड़
पूर्णता दिनांक	17.06.2015
क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	24.07.2021

आई एस कोड 456:2000 का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण कंक्रीट संरचना के खण्डित होने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि एसओआर में विसंगति के कारण पीसीसी और आरसीसी की निम्न श्रेणी की मदें प्रदान की गयी थी क्योंकि ये मदें किफायती हैं तथा वर्ष 2010 के पूर्व प्रचलित एसओआर में प्रावधानित थी। आगे एसओआर में स्वीकार्य मानदंड तथा टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ के संदर्भ में स्पष्टता नहीं होने के कारण संशोधन जारी कर इसे सुधारा गया था।

2.4.9 निष्कर्ष

जल संसाधन विभाग ने सीमेंट कंक्रीट कार्य के निष्पादन में आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस 456:2000 का अनुपालन नहीं किया था। विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों में कर्मचारियों तथा मशीनरी की कमी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमेंट कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित संख्या में क्यूब टेस्ट नहीं किए जा रहे थे और परीक्षण किए जाने वाले प्रत्येक नमूने के लिए तीन प्रतिरूपों का औसत नहीं लिया गया था। नमूना जाँच किए गए कार्यों में विभाग द्वारा परीक्षण किए गए 7,401 नमूनों में से 6,852 (93 प्रतिशत) नमूने स्वीकार्य मानदंड को पूरा करने में विफल रहे जो दर्शाता है कि निष्पादित कार्य का टारगेट स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं हुआ था। विभाग ने पीसीसी कार्य (एम–15 से कम) तथा आरसीसी कार्य (एम–25 से कम) के निम्न विशिष्टियों अथवा श्रेणी का प्रावधान एवं निष्पादन किया जो कि आईएस कोड के अनुरूप नहीं था।

पाँच नमूना जाँच किए गए कार्यों में कंक्रीट के उच्च श्रेणी (एम–25 और अधिक) के लिए डिजाइन मिक्स को नहीं अपनाया गया था। इस प्रकार, आईएस कोड 456:2000 का पालन नहीं करने के कारण विभाग द्वारा निष्पादित सीमेंट कंक्रीट कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयां विफल रहीं।

2.4.10 अनुशंसाएं

1. *एसओआर को प्रासंगिक आईएस कोड के अनुरूप समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जाना चाहिए।*
2. *गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों के प्रभावी कामकाज हेतु आवश्यक परीक्षण आवृति बनाये रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण ईकाइयों को पर्याप्त कर्मचारियों और मशीनरी/उपकरणों से सशक्त किया जाना चाहिए।*
3. *विभाग को सिंचाई परियोजनाओं में कंक्रीट कार्य की आवश्यक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु आईएस कोड में निर्दिष्ट कंक्रीट क्यूब्स का समुचित परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।*
4. *विभाग को सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट कार्यों के निष्पादन में आईएस कोड विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।*

भाग 2– राजस्व क्षेत्र

अध्याय 3

सामान्य

अध्याय 3

सामान्य

3.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन के भाग–तीन में दो अध्याय क्रमशः अध्याय–तीन सामान्य और अध्याय–चार राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा हैं। अध्याय–तीन छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, 2016–17 से 2020–21 की पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण एवं बकाया करों, जो 31 मार्च 2021 की स्थिति में वसूली हेतु लंबित हैं, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को रेखांकित एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है।

अध्याय–चार में ''वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट'', ''वस्तु एवं सेवा कर का प्रतिदाय'' और ''वाणिज्यिक कर विभाग'' के तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वंतत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन–देन, किसी ईकाई अथवा ईकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतो एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है।

भाग–तीन की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। इन विभागों की अन्य ईकाइयां जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं थी, में भी समान अनियमितताएं, त्रुटियां/चूक हो सकती है। अतः विभागों को सभी ईकाइयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का आंकलन, निर्धारण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध किया जाना अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

3.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा कर–भिन्न राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान) और पूर्ववर्ती तीन वर्षों हेतु छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 3.1** में वर्णित है:

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	कर राजस्व	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**10.95**	**5.01**	**7.70**	**3.22**	**3.49**
	कर–भिन्न राजस्व	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**8.71**	**11.84**	**21.49**	**3.00**	**–10.04**
	योग	**24,614.46**	**26,235.10**	**29,130.28**	**30,051.62**	**30,026.15**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम	18,809.16	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54
	सहायता अनुदान[1]	10,261.63	12,657.17	12,505.96	13,611.24	12,812.49
	योग	**29,070.79**	**33,411.98**	**35,964.65**	**33,817.08**	**33,150.03**
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 + 2)	**53,685.25**	**59,647.08**	**65,094.93**	**63,868.70**	**63,176.18**
4.	1 का 3 से प्रतिशत	**46**	**44**	**45**	**47**	**48**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आकलन वित्त आयोग के अनुशंसा पर आधारित राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान को छोड़कर कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- राज्य के कर राजस्व में 2016–21 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2016–20 के दौरान राज्य के कर–भिन्न राजस्व में भी वृद्धि हुई थी परंतु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 10.04 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से गैर–लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों, ब्याज प्राप्तियों, लघु सिंचाई, लोक निर्माण आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी के कारण हुई।
- जबकि 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत कर और कर–भिन्न राजस्व सहित राज्य के अपने संसाधनों से जबकि कुल राजस्व का 52 प्रतिशत विभाज्य केन्द्रीय करों और शुल्कों का निबल आय के हिस्से एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों का चित्रांकन **चार्ट 3.1** में दिया गया है:

[1] केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अंतरण/अनुदान (इसमें भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

चार्ट 3.1 वर्ष 2020–21 के राज्य के राजस्व का विच्छेद

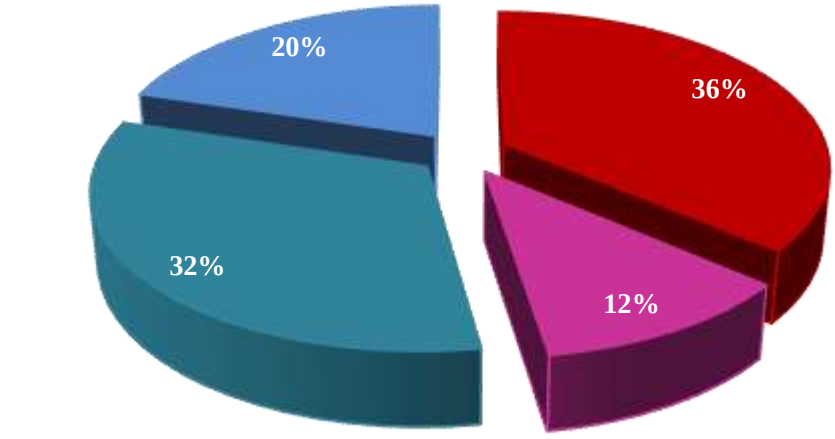

3.2.1 कर राजस्व

वर्ष 2020–21 के लिए कर राजस्व के विभिन्न घटकों का चित्रांकन **चार्ट 3.2** में दिया गया है:

चार्ट 3.2 वर्ष 2020–21 के कर राजस्वों का विच्छेद (₹ करोड़ में)

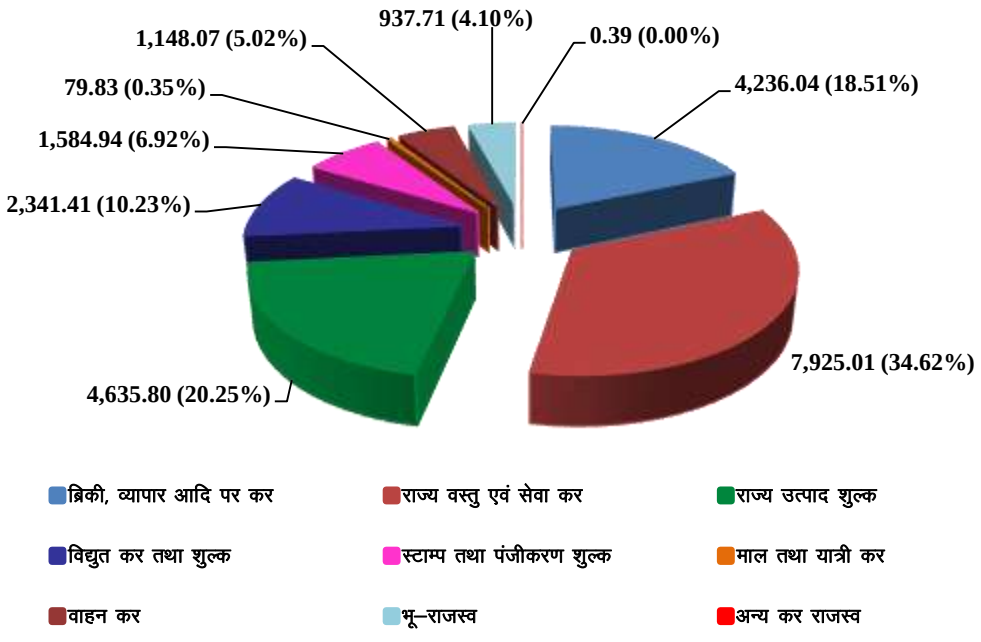

वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान कर राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका 3.2** में दी गई है:

तालिका 3.2: शासन द्वारा संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में अंतर का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**बजट अनुमान**	11,928.37	13,444.70	3,718.42	3,788.30	4,144.86	
	वास्तविक	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,236.04	(+) 7.75
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[2]	**बजट अनुमान**	लागू नहीं	3,212.82	5,006.65	8,201.70	10,700.92	
	वास्तविक	लागू नहीं	4,386.56	8,203.41	7,894.82	7,925.01	(+) 0.38
राज्य उत्पाद शुल्क	**बजट अनुमान**	3,870.00	3,168.50	4,355.00	5,000.00	5,199.72	
	वास्तविक	3,443.51	4,054.01	4,489.03	4,952.36	4,635.80	(–) 6.39
विद्युत कर तथा शुल्क	**बजट अनुमान**	1,575.00	1,650.00	1,850.00	2,090.00	2,200.00	
	वास्तविक	1,495.48	1,688.95	1,790.27	1,837.00	2,341.41	(+) 27.46
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	**बजट अनुमान**	1,485.00	1,550.00	1,790.00	1,550.00	1,705.00	**(-) 3.04**
	वास्तविक	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,584.94	
वस्तु तथा यात्री कर[3]	**बजट अनुमान**	1,563.77	1,767.06	5.63	0	3.00	**(+) 97.08**
	वास्तविक	1,340.35	477.66	54.51	40.51	79.83	
वाहन कर	**बजट अनुमान**	954.11	1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	**(-) 9.95**
	वास्तविक	985.27	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,148.07	
भू–राजस्व	**बजट अनुमान**	550.00	600.00	660.00	700.00	600.00	**(+) 70.03**
	वास्तविक	503.66	446.41	487.57	551.50	937.71	
अन्य कर राजस्व[4]	**बजट अनुमान**	37.85	40.38	0.00	0.00	1.50	**(-) 51.85**
	वास्तविक	38.38	14.01	1.44	0.81	0.39	
योग	**बजट अनुमान**	**21,964.10**	**26,633.46**	**18,885.70**	**22930.00**	**26,155.00**	**(+) 3.49**
	वास्तविक	**18,945.21**	**19,894.68**	**21.427.26**	**22,117.85**	**22,889.20**	

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत वर्ष 2016–18 के दौरान प्राप्तियां, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी परंतु 2018–19 से 2020–21 के दौरान बजटीय अनुमानों से अधिक थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत प्राप्तियां 2019–21 के दौरान अपने बजटीय अनुमानों में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी लेकिन 2019–21 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत बन गई थी। 2018–21 के दौरान माल और यात्रियों पर कर बजटीय अनुमानों से अधिक था, जबकि वाहनों पर कर 2017–21 के दौरान अनुमानित अपेक्षाओं से मेल

---

[2] राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

[3] 2020–21 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (84 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

[4] 'अन्य' में वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 18.08 लाख); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 20.77 लाख) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.27 लाख)।

नही खा सके। बजट अनुमान के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए वास्तविक राजस्व की वर्षवार तुलना नीचे **चार्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

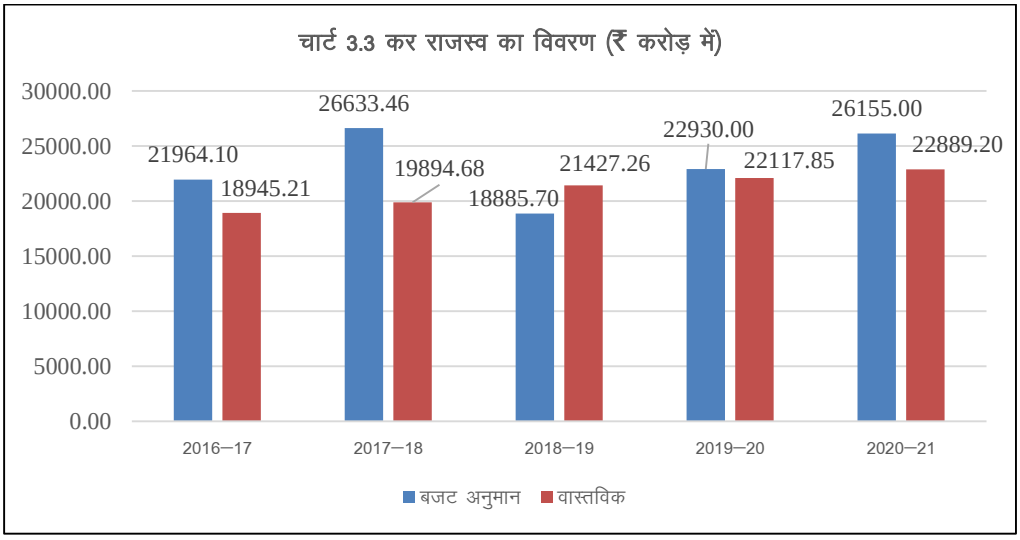

जैसा कि **चार्ट–3.3** से देखा जा सकता है, वर्ष 2018–19 को छोड़कर, शासन द्वारा उद्ग्रहित कर राजस्व बजट में दर्शाये गए मूल अनुमानों के समतुल्य नहीं रहा था। जबकि शासन की वास्तविक कर प्राप्तियों ने 2016–21 के दौरान निरंतर वृद्धि दर्ज की।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर के साथ ही कुछ मामलों मे पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

बिक्री, व्यापार आदि पर करः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पहले सभी वस्तुओं पर मूल्य सवंर्धित कर लागू था। राज्य शासन ने 1 जुलाई 2017 से पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईधन, प्राकृतिक गैस एवं मदिरा को छोड़कर सभी वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियां 7.75 प्रतिशत बढ़ी।

राज्य वस्तु एवं सेवा करः 2020–21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्तियां 2019–20 की तुलना में 0.38 प्रतिशत बढ़ी, जिसका मुख्य कारण कोविड–19 महामारी के दौरान व्यापार पर कम प्रभाव पड़ना था।

राज्य उत्पाद शुल्कः राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व में 6.39 प्रतिशत की कमी का कारण मुख्य रूप से राज्य शासन द्वारा कोविड–19 के दौरान, 1 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को बंद किया जाना तथा जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर लगाया गया लॉक डाउन था।

विद्युत कर तथा शुल्कः उद्योगों से लंबित बकायों की वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में कर राजस्व में 27.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वाहनों पर करः कोविड–19 महामारी के कारण 2020–21 के दौरान राजस्व में 9.95 प्रतिशत की कमी आई।

माल तथा यात्री करः वर्ष 2020–21 में 97.11 फीसदी की वृद्धि हुई थी। विभाग से राजस्व वृद्धि के कारणों का अनुरोध किया गया था (मई 2022)। उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: वर्ष 2020–21 में कर राजस्व में 3.04 प्रतिशत की कमी हुई क्योंकि पिछले वर्ष खनन पट्टों से प्राप्तियों के कारण राजस्व में समुचित वृद्धि हुई थी जबकि 2020–21 के दौरान प्राप्तियां सामान्य थीं।

3.2.2 कर–भिन्न राजस्व

वर्ष 2020–21 के कर–भिन्न राजस्व का विच्छेद **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4 वर्ष 2020–21 के कर–भिन्न राजस्वों का विच्छेद (₹ करोड़ में)

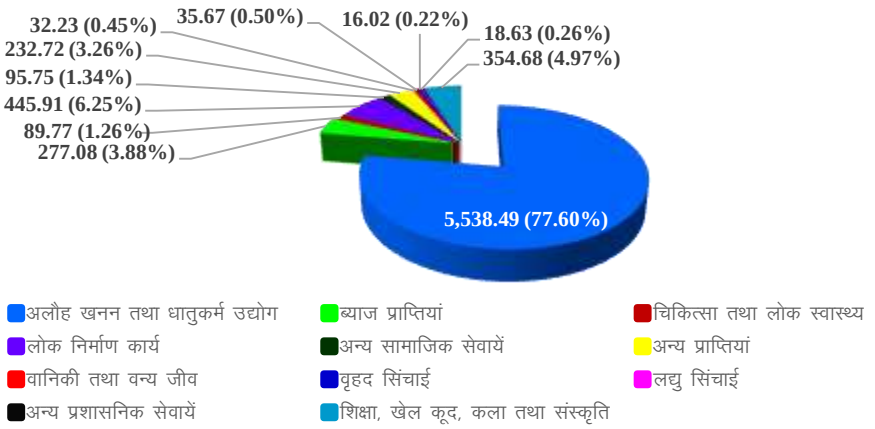

वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: शासन द्वारा उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2019–20 की तुलना में 2020–21 में अन्तर का प्रतिशत
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**बजट अनुमान**	5,500.00	5,600.00	6,000.00	6,500.00	6,670.00	(–) **10.60**
	वास्तविक	4,141.47	4,911.44	6,110.24	6.195.73	5,538.49	
वानिकी तथा वन्य जीव	**बजट अनुमान**	550.00	600.00	600.00	600.00	700.00	(+) **11.11**
	वास्तविक	405.15	291.17	236.73	249.37	277.08	
ब्याज प्राप्तियाँ	**बजट अनुमान**	249.38	137.25	132.93	126.83	194.49	(–) **61.37**
	वास्तविक	157.24	180.44	189.55	232.41	89.77	
वृहद सिंचाई	**बजट अनुमान**	586.47	703.68	738.89	791.67	749.94	(+) **2.03**
	वास्तविक	437.35	461.23	521.81	437.04	445.91	
लघु सिंचाई	**बजट अनुमान**	288.34	288.34	302.76	324.39	330.42	(–) **19.06**
	वास्तविक	180.84	121.73	164.06	287.54	232.72	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	**बजट अनुमान**	15.93	29.33	45.99	44.73	62.10	(+) **7.72**
	वास्तविक	46.50	52.56	52.86	88.88	95.75	

लोक निर्माण कार्य	**बजट अनुमान**	43.72	73.70	43.00	50.00	95.83	(–) **29.92**
	वास्तविक	41.12	54.29	73.57	45.98	32.23	
अन्य प्रशासनिक सेवायें	**बजट अनुमान**	23.69	65.43	42.82	28.41	47.34	(–) **0.22**
	वास्तविक	36.66	39.81	42.10	35.75	35.67	
अन्य सामाजिक सेवायें	**बजट अनुमान**	4.30	30.00	30.00	20.50	11.01	(–) **4.22**
	वास्तविक	28.71	17.42	8.12	16.73	16.02	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	**बजट अनुमान**	7.60	6.97	28.03	21.20	16.09	(+) **24.59**
	वास्तविक	27.04	17.15	14.04	14.83	18.63	
अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	**बजट अनुमान**	150.71	169.50	205.58	317.27	337.38	(+) **7.64**
	वास्तविक	167.17	193.18	289.94	329.51	354.68[5]	
योग	**बजट अनुमान**	**7,420.14**	**7,704.20**	**8,170.00**	**8,825.00**	**9,214.00**	(–) **10.04**
	वास्तविक	**5,669.25**	**6,340.42**	**7,703.02**	**7,933.77**	**7,136.95**	

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 10.61 प्रतिशत की कमी हुई और लक्षित राशि को भी घटाकर ₹ 5,500 करोड़ किया गया।

वानिकी तथा वन्य जीवः पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में प्राप्तियों में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चूंकि कूपों में कटाई और परिवहन निर्धारित समय में किया गया।

लघु सिंचाईः इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों में 2020–21 में 19.06 प्रतिशत की कमी औद्योगिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों के द्वारा जलकर जमा न करने के कारण हुई। साथ ही, किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर भुगतान से छूट भी दी गई थी।

[5] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2020–21 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 2.29 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 8.25 करोड़); पुलिस (₹ 29.06 करोड़); जेल (₹ 4.89 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 1.99 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 61.84 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 75.20 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.00 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 5.06 करोड़); आवास (₹ 4.77 करोड़); नगर विकास (₹ 10.20 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.04 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 22.46 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 13.34 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 23.23 करोड़); पशुपालन (₹ 9.72 करोड़); मछली पालन (₹ 5.77 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भंडागारण (₹ 1.30 करोड़); सहकारिता (₹ 2.88 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.86 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 37.70 करोड); मध्यम सिंचाई (₹ 5.16 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 2.84 करोड़); उद्योग (₹ 12.08 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 0.89 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 11.86 करोड़)।

वृहद सिंचाईः वर्ष 2020–21 में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि कोरबा एवं रायपुर नगर निगम के द्वारा शेष जलकर की राशि जमा करने के कारण हुई। बजट अनुमान के सापेक्ष कर वसूली में कमी (40.54 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा छूट दिये जाने एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, द्वारा जल कर के बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृतिः पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 के दौरान राजस्व में 24.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके कारणों हेतु विभाग से अनुरोध किया गया था (मई 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँः 2020–21 में 7.64 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः पुलिस, विविध सामान्य सेवाओं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्य पालन, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रमों , अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और उद्योग प्रमुखों के तहत राजस्व में वृद्धि के कारण हुई।

3.3 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

3.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

निम्नलिखित **प्रवाह चित्र** योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

चार्ट–3.5 योजना, लेखापरीक्षा का संचालन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

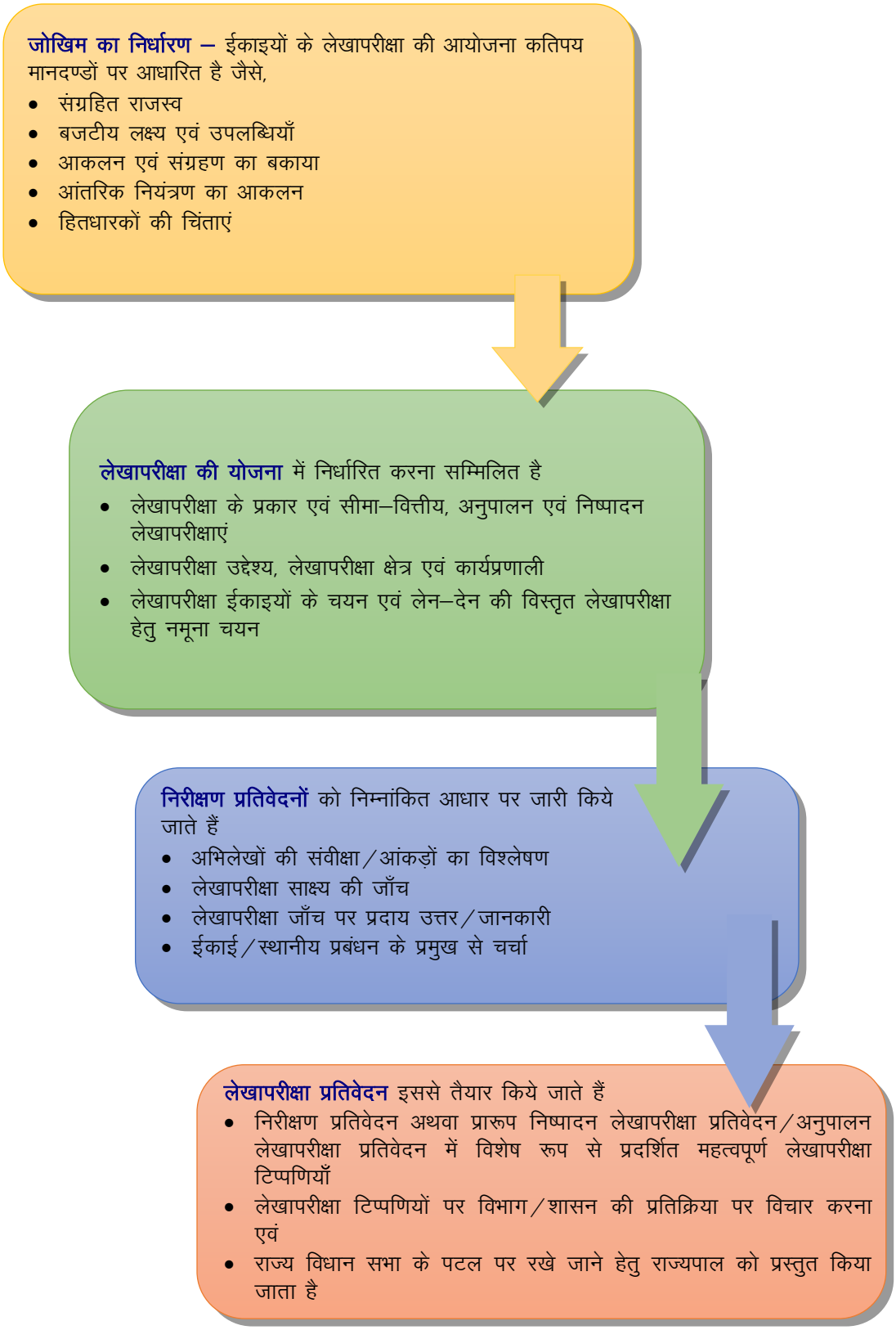

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर ईकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने की

आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सात विभागों के अंतर्गत कुल 544 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 119 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना की बनाई गई जिसमें मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क के आकलन, आरोपण और संग्रह पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 15 ईकाइयों सहित 134 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान दो विभागों[6] के अंतर्गत कुल 222 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 38 ईकाइयों का लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई और वाणिज्यिक कर की ईकाइयों के अलावा 36 ईकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया, इसके अलावा वाणिज्यिक कर वस्तु एवं सेवा कर विभाग की ईकाइयों को तीन अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया।

3.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2021 की स्थिति में छः विभागों का बकाया राजस्व ₹ 9,924.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 4,502.10 करोड़ (45.36 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 3.4** में वर्णन किया गया है:

तालिका 3.4: 31 मार्च 2021 की स्थिति में बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राजस्व	पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों की वस्तु–स्थिति के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	विद्युत कर तथा शुल्क	6,574.47	3,218.36	10 मामलों मे राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी, आठ प्रकरण न्यायालय में लंबित, तीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा 40 प्रकरण 'अन्य' में लंबित।
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,208.62	1,205.58	न्यायालय में लंबित (₹ 425.13 करोड़); दोषियों की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण नहीं (₹ 201.29 करोड़); 29157 मामलों में आरआरसी जारी, न्यायालय द्वारा स्थगन (₹ 1142.67 करोड़); अन्य राज्यों को जारी आरआरसी (₹ 235.16 करोड़); रूग्ण उद्योग (₹ 23.13 करोड़); बट्टे खाते में डाला गया (₹ 2.20 करोड़); अपील अनुश्रवण में स्थगित राशि (₹ 253.11 करोड़); अन्य अंचलों/मंडलों को भेजी गई आरआरसी की राशि (₹ 24.97 करोड़); फर्मों द्वारा कारोबार बंद करना (₹ 813.88 करोड़)
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	68.01	31.72	763 मामलों में आरआरसी जारी; 96 मामले अदालत में लंबित 10 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा दो प्रकरणों में दोषियों की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं।
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	56.48	43.37	109 मामलों में आरआरसी जारी; 19 मामले न्यायालय में विचाराधीन है।
5.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.88	0.88	विभाग ने बताया जनवरी 2022 कि खनन अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर बकाये की वसूली के निर्देश दिये गये हैं। आगे, समीक्षा बैठक में सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जिलों को निर्देश दिये हैं कि अति पुराने बकाये को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव भेजा जाये।
6.	वाहन कर	16.28	2.19	न्यायालय में लंबित (0.84 करोड़)
योग		**9,924.74**	**4,502.10**	

(स्त्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

[6] भौमिकी तथा खनिकर्म, वन विभाग

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं वानिकी वन्य जीव से संबंधित विभागों ने मामले को शासन स्तर पर उठाने (जनवरी 2022) के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी। परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विसंगति थी और इसलिए इसे शामिल नहीं किया जा सका। शासन स्तर पर फॉलोअप किया गया लेकिन कोई सूचना नहीं मिली।

3.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

3.6.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2021 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 1994–95 से 2020–21 के दौरान जारी 2,766 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,386 कंडिकाएँ जून 2021 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे **तालिका 3.5** में वर्णित है:

तालिका 3.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रकार	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन 2020–21 की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या 2020–21	सन्निहित राशि 2020–21
1.	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	**राजस्व**	254	757	108.94
			व्यय	13	58	26.01
2.	मोटर वाहन तथा परिवहन	वाहन कर	**राजस्व**	198	1464	297.63
			व्यय	66	145	0.33
3.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**राजस्व**	429	1326	1333.33
			व्यय	499	2621	1284.81
4.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**राजस्व**	537	3590	728.72
			व्यय	73	113	556.20
5.	खनन	पंजीकरण शुल्क	**राजस्व**	174	650	1435.04
			व्यय	61	184	689.78
6.	आबकारी	राज्य उत्पाद	**राजस्व**	165	415	2247.74
		मनोरंजन कर	**राजस्व**	103	165	4.20
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	**व्यय**	50	87	27.74
7.	भू–राजस्व	भू–राजस्व	**राजस्व**	597	1886	1115.65
			व्यय	48	122	13.82
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	**राजस्व**	21	91	2348.82
			व्यय	7	19	8031.58
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	**राजस्व**	288	1042	651.19
			व्यय	1	10	0.13
राजस्व				**2766**	**11386**	**10271.26**
व्यय				**818**	**3359**	**10630.40**
योग				**3584**	**14745**	**20901.66**

वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 36 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 30[7] निरीक्षण प्रतिवेदनों (83.34 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर किए जाने के जोखिम से युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को हानि भी हो सकती है।

राज्य शासन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें तथा जो निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ पर उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करें।

3.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

शासन लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं की प्रगति की निगरानी और उसे त्वरित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन करती है। वर्ष 2020–21 के दौरान खनन विभाग का लेखापरीक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें 230 कंडिकाओं पर चर्चा की गई और 122 कंडिकाओं तथा 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण किया गया।

बकाया कंडिकाओं के निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित करने का प्रयास किया गया तथा विभागाध्यक्षों के साथ मामले को उठाया गया। हालांकि, 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के कारण, केवल खनन विभाग की लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित की गई।

राज्य शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय–समय पर आयोजित लेखापरीक्षा समिति बैठकों द्वारा लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि समस्त संबंधित अभिलेख अद्यतन कर लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

3.7 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2020–21 के दौरान वन विभाग से संबंधित 20 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में राजस्व हानि, अन्य अनियमितताएं, अनियमित/निष्फल व्यय आदि के ₹ 185.67 करोड़ की राशि के 1,183 प्रकरण सामने आए। संबंधित विभागों ने 14 मामलों में ₹ 0.74 करोड़ के कम आकलन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

[7] वन–17; खनिज साधन–13

अध्याय 4

राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 4

राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय का सारांशः

इस अध्याय में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) विद्यमान विधियों के अंतर्गत भुगतान किए गए विभिन्न करों जैसे मूल्य सवंर्धित कर (वैट) के लिए अर्जित संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभागीय तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन और जीएसटी व्यवस्था में करदाता द्वारा अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता का आकलन करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा ने कई कमियां देखी जैसे कि संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की अनियमित प्राप्ति; वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक अग्रेनयन; अधिक दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट के वापसी पर ब्याज का भुगतान न करना और विभाग ने वैट विवरणी के साथ सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को प्रति सत्यापित नहीं किया था।

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कर–वापसी (प्रतिदाय) के प्रकरणों की विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता; कर अधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन; करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की प्रभावकारिता और व्यापार की सुविधा के लिए प्रतिदायों के आवेदनों को निराकरण में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अस्तित्व का आकलन करना था। लेखापरीक्षा ने कमियां देखी जैसे (i) प्रतिदाय दावे की पावती जारी करने, प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति और संबंधित विभाग को प्रतिदाय आदेशों की सूचना देने में विलंब, तथा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिदाय दावों की अस्वीकृति; (ii) अधिनियम/नियमों का पालन न करने और गणना में त्रुटि के कारण अधिक प्रतिदाय के प्रकरण और (iii) वस्तुओं और सेवाओं की शून्य रेटेड आपूर्ति के अलावा अन्य प्रकरणों में अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति के कारण अनियमित रूप से प्रतिदाय देना आदि।

वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि क्या करों का निर्धारण मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं प्रवेश कर अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया; कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई कर छूट/रियायत की लागू दरें वैध घोषणा फार्म द्वारा समर्थित थे और प्रस्तुत की गई कर विवरणियों की प्रारंभिक जाँच में कर निर्धारण प्राधिकारी ने यथोचित प्रयास किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण विभाग ने मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर की गलत दर अधिरोपित की तथा बिना वैधानिक फॉर्म के केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विक्रय पर, भंडार के अंतरण पर, पारगमन विक्रय पर कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की।

4.1 वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तुति अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में हमारे देश में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया। जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित कर है, जिसे बहु–स्तरों पर लगाया जाता है जहाँ आपूर्ति के साथ ही कर आगे बढ़ेंगे। कर उसी कर प्राधिकारी को देय होगा जिसका आपूर्ति के स्थान पर क्षेत्राधिकार है। यह कर केन्द्र और राज्यों के द्वारा एक साथ समान आधार पर लगाया जाता है। केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) राज्य के भीतर आपूर्तियों पर लगाया जाता है और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर लगाया जाता है। आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों के इनपुट कर क्रेडिट की उपलब्धता जीएसटी की एक प्रमुख विशेषता है। यह करों के ऊपर पुनः कर लगने के प्रभाव को हटाएगा तथा यह विक्रेता से क्रेता की ओर क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। जीएसटी व्यवस्था में विद्यमान कानूनों से इनपुट कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अधिनियम में 'इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था' को सम्मिलित किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त उपयुक्त करों अथवा शुल्कों के संबंध में इनपुट कर की हकदारी और दावा करने के तरीके का प्रावधान किया जा सके। शासन और व्यवसाय दोनों के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट के प्रावधान महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के लिए, संक्रमणकालीन क्रेडिट के प्रावधान पुराने विवरणी में संचित क्रेडिट, कच्चे माल, प्रगतिरत कार्य, नियत दिन पर स्टॉक में रखे तैयार वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर के साथ–साथ पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में क्रेडिट का जीएसटी व्यवस्था मे स्थानांतरण को सुनिश्चित करते हैं। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट कर क्रेडिट को तभी स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग सामान्यतः व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

4.1.2 कर प्रशासन

राज्य कर विभाग के अंतर्गत पाँच संभाग और 30 वृत्त हैं। शासन के स्तर पर राज्य कर विभाग, प्रमुख सचिव द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, राज्य कर विभाग का प्रमुख होता है और उसकी सहायता के लिए एक विशेष आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त, 12 संयुक्त आयुक्त, 26 उपायुक्त, 72 सहायक आयुक्त, 121 राज्य कर अधिकारी, 174 राज्य कर निरीक्षक है जो छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 की स्थिति अनुसार उपरोक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध विभाग में 10 संयुक्त आयुक्त, 20 उपायुक्त, 54 सहायक आयुक्त, 71 राज्य कर अधिकारी एवं 115 राज्य कर निरीक्षक कार्यरत हैं।

4.1.3 इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं–कानूनी प्रावधान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 करदाताओं को जीएसटी व्यवस्था में विद्यमान कानूनों के अंतर्गत अर्जित इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को अग्रेनित करने को सक्षम बनाती है। छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के साथ सहपठित, यह धारा इस संबंध मे विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है। आईटीसी के लिए

संक्रमणकालीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान कानूनों के तहत भुगतान किए गए विभिन्न करों जैसे मूल्य संवर्धित कर (वैट क्रेडिट) के आईटीसी को निम्नानुसार जीएसटी व्यवस्था में अग्रेनित किया जा सकता हैः

क) **अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंत–शेषः** विद्यमान कानूनों के तहत नियत दिन से ठीक पहले के माह के लिए जमा किये गये विवरणियों में उपलब्ध वैट क्रेडिट का अंत–शेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट के तौर पर लिया जा सकता है।

ख) **पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिटः** पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट की शेष किश्त जीएसटी ट्रान–1 में अपेक्षित घोषणा करके लिया जा सकता है।

ग) **कर भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिटः** निर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, बीजक के आधार पर स्टॉक में रखे गए वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट ले सकता है।

घ) **कर भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट जब पंजीकृत व्यक्ति के पास वैट भुगतान के साक्ष्य का अभिलेख नहीं हैः** जिन व्यापारियों के पास वैट बीजक नहीं हैं, उनके लिए कर भुगतान किये गए स्टॉक पर क्रेडिट की अनुमति देने के लिए एक तंत्र है।

ङ) **विद्यमान कानूनों के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य हैंः** छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के इनपुट, अर्ध–तैयार और तैयार वस्तुओं के स्टॉक के संबंध में वैट का इनपुट कर क्रेडिट जो अब जीएसटी में कर योग्य है।

च) **मार्गस्थ इनपुट/इनपुट सेवाएंः** नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाएं लेकिन उस पर शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यमान विधि के तहत किया गया था।

छ) **विद्यमान कानून के तहत कम्पोजिशन योजना के तहत चुकाये गये करः** जिन करदाताओं ने विद्यमान कानून के तहत देय कर के बदले निश्चित दर या निश्चित राशि पर कर का भुगतान किया था, अब जीएसटी के तहत सामान्य योजना के तहत काम कर रहे हैं, वे नियत तिथि पर अपने इनपुट स्टॉक, अर्ध–निर्मित और तैयार स्टॉक पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

ज) **मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के तहत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिटः** आपूर्ति के संबंध में संक्रमणकालीन क्रेडिट जो विद्यमान कानूनों के तहत वैट और सेवा कर दोनों को आकर्षित करता है, जिसके लिए नियत तिथि से पहले कर का भुगतान किया गया था और जिसकी आपूर्ति नियत तिथि के बाद की गई है।

करदाता, अधिनियम की धारा 140 की प्रासंगिक उप–धाराओं के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट के घटकों का दावा नीचे उल्लिखित उपयुक्त तालिका में फॉर्म–ट्रान–1 और ट्रान–2 में कर सकते हैं।

विवरणी	तालिका संख्या	संक्रमणकालीन क्रेडिट घटक
ट्रान–1	5(ग)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अग्रेनित कर क्रेडिट
ट्रान–1	6(ख)	राज्य/संघ राज्य के अप्रयुक्त कर क्रेडिट
ट्रान–1	7(ख)	इनपुट के संबंध में योग्य शुल्क और कर/वैट/प्रवेश कर
ट्रान–1	7(ग)	बीजक द्वारा समर्थित इनपुट पर वैट और प्रवेश कर की भुगतान राशि

ट्रान–2	7(घ)	वस्तुओं का स्टॉक जिनके कर भुगतान के प्रमाण बीजक/दस्तावेजों से समर्थित नहीं है
ट्रान–1	10(क)	प्रधान की ओर से स्टॉक में रखे गए सामान
ट्रान–1	11	धारा 142 (11) (सी) के तहत लिए गए क्रेडिट का विवरण

कम्पोजिशन योजना (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता, नियत दिन से 90 दिनों के भीतर ट्रान–1 विवरणी दाखिल करके संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। प्रारंभ में ट्रान–1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 27 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, कई करदाता तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल नहीं कर सके। इसलिए, ऐसे करदाताओं को समाहित करने के लिए सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के तहत उप–नियम 1ए को अधिसूचना क्रमांक 48/2018 सीटी दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा सम्मिलित किया गया एवं समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 किया गया था।

4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे सीधे तौर पर जीएसटी राजस्व को प्रभावित करते हैं क्योंकि यह क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन के योग्य है। इस प्रकार, संक्रमणकालीन क्रेडिट की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु की गई कि:

i) क्या संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; तथा

ii) क्या करदाताओं द्वारा जीएसटी व्यवस्था में अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के तहत करदाताओं द्वारा नियत तिथि[1] से लेकर मार्च 2020 के अंत तक दाखिल किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट विवरण की समीक्षा शामिल है। इसमें संक्रमणकालीन क्रेडिट के लिए अधिनियम के तहत निर्दिष्ट नियमों की पर्याप्तता, विभागीय सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पाए गए विचलनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, संक्रमणकालीन क्रेडिट के संबंध में अंतर–क्षेत्राधिकारिता कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और अनुपालन आश्वासन हेतु चयनित संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की स्वतंत्र जाँच शामिल है।

4.1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनायी गयी कार्यप्रणाली में चयनित नमूनों का डेटा विश्लेषण, अंतर्निहित अभिलेखों के किए जाने वाले लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा शामिल थी। मूल लेखापरीक्षा में क्षेत्र संरचनाओं में संधारित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट से संबंधित अभिलेखों की जाँच, संक्रमणकालीन क्रेडिट के संबंध में अंतर–क्षेत्राधिकारिता कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, विभाग द्वारा अपनाई गई संक्रमणकालीन विवरणियों का सत्यापन प्रक्रिया और पाये गए विचलन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसमें अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित

[1] वह तिथि जब से इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत्त हुए

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की एक स्वतंत्र जाँच भी शामिल थी। संक्रमणकालीन विवरणियों का सत्यापन आयुक्त और वृत्त/क्षेत्राधिकार कार्यालयों में किया गया।

4.1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

मानदंड, जिसके विरुद्ध लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप–उद्देश्यों को सत्यापित किया जाना है, में सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के साथ सहपठित सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के प्रावधान तथा समय–समय पर विभाग और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र सम्मिलित हैं।

4.1.8 लेखापरीक्षा नमूना

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए राज्य के 21 वृत्त के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से कुल 365 संक्रमणकालीन नमूना प्रकरणों का चयन किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों का वृत्तवार विवरण **तालिका 4.1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1.1: सत्यापन के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या

स.क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में कुल संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या	सत्यापन के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या
1	अम्बिकापुर	62	9
2	बिलासपुर–1 से 3	354	45
3	धमतरी	77	9
4	दुर्ग–1 से 4	720	99
5	रायगढ़–1 और 2	213	19
6	रायपुर–1 से 9	1239	167
7	राजनांदगांव	161	17
कुल योग		**2826**	**365**

4.1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों के रूप में दो व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को इंगित करते हैं जबकि अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन को दर्शाते हैं।

4.1.9.1 प्रणालीगत मुद्दे

प्रणालीगत मुद्दों में दोहरे नियंत्रण के लिए लागू प्रावधानों, विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र के संदर्भ में लक्ष्यों के विरूद्ध कवरेज की व्यापकता, सत्यापन तंत्र में नीति/प्रक्रियागत अंतर और वसूली प्रक्रिया की दक्षता हेतु लागू प्रावधानों की समीक्षा शामिल है।

4.1.9.1 (i) विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र

विरासतीय और जीएसटी दोनों कानूनों के तहत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, विभाग ने वर्ष 2018–19 के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख लक्षित क्षेत्र (फोकस एरिया) के रूप में विनिर्दिष्ट किया था। संक्रमणकालीन क्रेडिट डेटा

की जाँच में पाया गया कि 3,335 करदाताओं ने एसजीएसटी के रूप में राशि ₹ 285.13 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। विभाग ने 3,335 प्रकरणों में से, सत्यापन हेतु अंतिम विरासतीय विवरणी (2017–18 की पहली तिमाही विवरणी) के साथ आईटीसी के असंगत आंकड़ों के आधार पर सभी वृत्तों में केवल 222 (6.66 प्रतिशत) प्रकरणों की पहचान की थी। विभाग द्वारा सत्यापन हेतु चयनित प्रकरणों का विवरण **तालिका 4.1.2** में दिया गया है।

तालिका 4.1.2 विभाग द्वारा सत्यापन के लिए चयनित किये गये संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की संख्या

करदाताओं द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा	ट्रान–1 प्रकरणों की कुल संख्या	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा सत्यापन के लिए चयनित प्रकरणों की संख्या	विरासती विवरणी के साथ असंगत संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹ करोड़ में)
₹ 10 लाख से ऊपर	405	236.11	18	29.91
₹ एक से ₹ 10 लाख के बीच	2,926	49.11	204	2.68
शून्य दावा	3,117	(–) 0.09	0	0
कुल	**6,448**	**285.13**	**222**	**32.59**

(स्त्रोतः वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग द्वारा दी गई सूचना)

उपायुक्त, राज्य कर (जीएसटीएन), छत्तीसगढ़, रायपुर ने 22 जुलाई 2019 को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर के उप महालेखाकार (आरएस) को सूचित किया कि उन प्रकरणों की जाँच, जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा 2017–18 की पहली विवरण में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक था और अंतर ₹ 10 लाख से अधिक था, मुख्यालय स्तर पर किया जाना था। इसके अलावा, आयुक्त (राज्य कर) द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 2018) के अनुसार, जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा 2017–18 की पहली विवरण में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक था और अंतर ₹ 10 लाख से कम था, की जाँच वृत्त स्तर पर की जानी थी। इसके अलावा, आयुक्त (राज्य कर) ने वृत्तों को निर्देशित किया था कि उन संक्रमणकालीन क्रेडिट की वसूली करें जहाँ यह अधिक पाया गया था और इसकी सूचना दें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षित 21 वृत्तों में पहचाने गए 189 प्रकरणों (₹ 10 लाख से कम अंतर वाले) में से 165 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा को 24 प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा शेष 165 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी तथा ये प्रकरण विभाग द्वारा नस्तीबद्ध कर दिये गये। 134 प्रकरणों में, ₹ 6.89 करोड़ मूल्य के संक्रमणकालीन क्रेडिट के अधिक दावों का पता लगाया गया था, जिनमें से 62 प्रकरणों से ₹ 1.18 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली की गई थी। शेष 72 प्रकरणों में करदाताओं को मांग पत्र जारी किए गए थे। हालांकि, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, करदाताओं से ₹ 5.71 करोड़ की शेष राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, संक्रमणकालीन क्रेडिट, कर प्रशासन का लक्षित क्षेत्र होने के बावजूद लेखापरीक्षित 21 वृत्तों में 13 प्रतिशत दावों (24 प्रकरणों) का सत्यापन किया जाना शेष है।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा नस्तीबद्ध किए गए 31 प्रकरणों की जाँच की और दो प्रकरणों में अनियमितताएं पाई, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

क) वृत्त–4, रायपुर में लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक करदाता मैसर्स शिवम इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएन: 22BBJPJ9167J1ZB) ने ट्रान–1 में ₹ 2.78 लाख आईटीसी के रूप में दावा किया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया। आगे, डीलर ने संशोधित ट्रान–1 दाखिल किया और आईटीसी के रूप में ₹ 1.43 लाख का दावा किया लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किए गए अतिरिक्त आईटीसी को कम/वापस नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 लाख का अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट हुआ जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

ख) लेखापरीक्षा ने वृत्त–1, रायगढ़ में पाया कि एक करदाता मैसर्स राजेश सेल्स (जीएसटीआईएनः 22CRKPP4428C1ZZ) ने ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.99 लाख आईटीसी जमा किया। करदाता ने आगे संशोधित ट्रान–1 दाखिल किया और ₹ 0.44 लाख के लिए आईटीसी का दावा किया और ₹ 1.55 लाख के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गई अतिरिक्त राशि को वापस (डेबिट) कर दिया। हांलांकि, डीलर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तीन महीने के लिए बनाए गए अतिरिक्त आईटीसी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया, जिसका उपयोग भी उसके द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,323 के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि 5,351 प्रकरणों का सत्यापन प्रारंभ कर दिया गया है। कुल 5,351 प्रकरणों में से, 3,726 प्रकरणों (70 प्रतिशत) का सत्यापन किया जा चुका है और 1,625 प्रकरण जाँच के अधीन हैं।

प्रकरण शासन (दिसम्बर 2021) को प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2022)।

4.1.9.2 अनुपालन मुद्दे

अनुपालन मुद्दे जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं द्वारा अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान–1 एवं ट्रान–2 की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं, जैसा लागू हो, में संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया जाना आवश्यक था। व्यापक तौर पर, ये तालिकाएं विरासतीय विवरणी से अग्रेनित वैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित अप्रयुक्त वैट क्रेडिट, स्टाक में रखे इनपुट/अर्ध–तैयार माल/तैयार माल के संबंध में वैट/प्रवेश कर क्रेडिट तथा पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं की वैट क्रेडिट के संबंध में क्रेडिट प्रदान करती हैं। लेखापरीक्षा हेतु चयनित नमूनों में इन तालिकाओं में से प्रत्येक के तहत दावे शामिल थे ताकि समग्र अनुपालन आश्वासन के लिए तालिकावार लागू प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच की जा सके।

लेखापरीक्षा ने व्यापक तौर पर सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धाराओं 140(1), 140(3) के साथ–साथ धारा 50(3) के तहत विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों में विभिन्न कमियों का खुलासा किया। अनुपालन से विचलन की प्रकृति की ये कमियां विरासतीय विवरणी से क्रेडिट के अंत–शेष के संक्रमण, समर्थन दस्तावेजों के साथ या उसके बिना वैट भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट, अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने और बाद में वापस लेने तथा अभिलेखों को प्रस्तुत न करने में देखी गयी।

लेखापरीक्षा ने 21[2] लेखापरीक्षित वृत्तों के 365 प्रकरणों में से 175 प्रकरणों में राशि ₹ 26.33 करोड़ के अनुपालन विचलन देखे, जिसमें त्रुटि दर 48 प्रतिशत थी। ये अनुपालन विचलन आगामी कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.1.9.2 (i) वैट विवरणी दाखिल किए बिना संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को, अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, वैट यदि कोई हो, जैसा कि विद्यमान कानून के तहत उसके द्वारा अंतिम विवरणी में दर्शाये क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया गया हो, का क्रेडिट लेने की अनुमति है, यदि,

(i) नए कानून के तहत क्रेडिट अन्यथा स्वीकार्य है;

(ii) विद्यमान कानून के तहत पिछले छः माहों की विवरणी दाखिल की गई है;

(iii) क्रेडिट छूट प्राप्त विनिर्मित वस्तुओं के क्रेडिट से संबंधित नहीं है; तथा

(iv) क्रेडिट उस माल से संबंधित नहीं है जिसके संबंध में ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को कोई सहायता या प्रोत्साहन देय है। उपरोक्त वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट को ट्रान–1 विवरणी दाखिल करके पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्थानांतरित किया जाना है।

आगे, धारा 50(3) निर्धारित करती है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप–धारा (10) के तहत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप–धारा (10) के तहत आउटपुटकर दायित्व में अनुचित या अधिक कमी करता है, इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसे अदेय या अधिक कमी पर, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो 24 प्रतिशत से अधिक न हो।

लेखापरीक्षित 21 वृत्तों के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से 365 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 वृत्तों[3] के 36 करदाताओं ने अपने पिछले छः माह के विवरणी जमा नहीं किये या ट्रान–1 दाखिल करने के बाद विवरणी जमा किए परंतु ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.92 करोड़ का संक्रमणकालीन क्रेडिट (आईटीसी) दावा/प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.92 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.1** में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक दो प्रकरणों में ₹ 6.86 लाख की वसूली की जा चुकी है, 20 प्रकरणों में ₹ 10.56 करोड़ की मांग की जा चुकी है तथा शेष 14 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–9, रायपुर में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक डीलर मैसर्स रुक्मणी इलेक्ट्रिकल एंड कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 22AABCR6640R1Z1) ने ₹ 2.62 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेनित किया। विवरणी की आगे की जाँच में पता चला कि डीलर ने 2017–18 की पहली तिमाही के लिए

---

[2] वृत– अम्बिकापुर, बिलासपुर 1 से 3, धमतरी, दुर्ग 1 से 4, रायगढ़ 1 से 2, रायपुर 1 से 9 और राजनांदगांव

[3] वृत– रायपुर 2 से 5,7,8 एवं 9, वृत्त दुर्ग 2 एवं 3, , वृत्त बिलासपुर 1 से 3, अम्बिकापुर, धमतरी, और राजनांदगांव

तिमाही विवरणी दाखिल नहीं किया था। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार करदाता संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया जिसे ब्याज सहित वापस/वसूली किया जा सकता है।

4.1.9.2 (ii) वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक अग्रेनित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से 365 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच के दौरान पाया कि 21 वृत्तों[4] में 47 करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.03 करोड़ अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त किया। करदाताओं ने अपने पिछले वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.03 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को अनियमित रूप से अग्रेनित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.2** में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक सात प्रकरणों में ₹ 43.43 लाख की वसूली की जा चुकी है, 15 प्रकरणों में ₹ 3.92 करोड़ की माँग की गई है तथा शेष 25 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–9, रायपुर में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता मेसर्स बीपीएल मेडिकल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 22AAFCB3158EZ5) ने ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अतिरिक्त राशि को अग्रेनित किया। करदाता के पिछले विवरणी (2017–18 की पहली तिमाही) में अंतिम शेष 'निरंक' था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 0.21 करोड़ अग्रेनित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ अधिक क्रेडिट अग्रेनित किया गया जिसे ब्याज सहित वापस/वसूली किया जा सकता है।

4.1.9.2 (iii) लंबित फॉर्म–सी पर अंतर कर के भुगतान किये बिना ट्रान–1 की तालिका 5(ग) के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक दावा किया जाना

छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, वैट का क्रेडिट, यदि कोई हो, जिसे उसके द्वारा विद्यमान कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रस्तुत उनकी अंतिम विवरणी में अग्रेनित किया गया हो, लेने की अनुमति है। इसके अलावा, यदि किसी राज्य वैट के तहत एक पंजीकृत करदाता का कोई फॉर्म–सी/फॉर्म–एफ/फॉर्म–एच या आई बकाया हो तो उसे अंतर कर का भुगतान करना होगा क्योंकि वह रियायती केन्द्रीय विक्रय कर दर का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। इस तरह के देय अंतर कर को उसके द्वारा दाखिल अंतिम विवरणी में उपलब्ध आईटीसी शेष से घटाया जाएगा और शेष क्रेडिट को संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में जीएसटी व्यवस्था के तहत अग्रेनित किया जाएगा।

इसके अलावा, धारा 50(3) निर्धारित करती है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप–धारा (10) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप–धारा (10) के तहत आउटपुट कर दायित्व में अनुचित या अधिक

[4] वृत– अम्बिकापुर, वृत्त बिलासपुर 1 से 3, वृत्त धमतरी, वृत्त दुर्ग 1 से 4, वृत्त रायगढ़ 1 से 2, वृत्त रायपुर 1 से 9 और वृत्त राजनांदगांव

कमी करता है, इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो 24 प्रतिशत से अधिक न हो।

आगे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 प्रपत्र 'सी' में घोषणा के विरुद्ध की गई वस्तुओं की अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान करता है। फॉर्म–सी के अभाव में, करदाता उस वस्तु के लिए सीजी वैट अधिनियम में निर्धारित दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि चार वृत्तों[5] में 31 करदाताओं ने 2016–17 (चौथी तिमाही) और 2017–18 (पहली तिमाही) की अवधि के दौरान ₹ 269.05 करोड़ की अंतर्राज्यीय विक्रय के लिए अपेक्षित फॉर्म–सी प्रस्तुत नहीं किया लेकिन दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। फॉर्म–सी के अभाव में करदाता ₹ 8.10 करोड़ के अंतर कर का भुगतान करने या अंतिम वैट विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से इसे समायोजित करने और शेष आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, यह देखा गया कि करदाताओं ने न तो अंतर कर का भुगतान किया और न ही उनके पिछले विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित किया अपितु ट्रान–1 दाखिल करके आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ के अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.3** में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि एक प्रकरण में अब तक ₹ 0.82 लाख की वसूली की जा चुकी है, 21 प्रकरणों में वर्ष 2016–17 का निर्धारण कर कार्यवाही की जा चुकी है एवं वर्ष 2017–18 के प्रकरणों का सहायक आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आवंटित किया गया और नौ प्रकरणों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–3, दुर्ग में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक करदाता मेसर्स शिवम हाई–टेक स्टील्स प्रा. लिमिटेड (जीएसटीआइएनः 22AAJCS7718R1ZN) ने 2016–17 (चौथी तिमाही) और 2017–18 (पहली तिमाही) के दौरान की गई अंतर्राज्यीय विक्रय के लिए ₹ 41.44 करोड़ के फॉर्म–सी जमा नहीं किए थे, हालांकि, दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। फॉर्म–सी के अभाव में, करदाता ₹ 1.24 करोड़ के अंतर कर का भुगतान करने अथवा अपने पिछले विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित करने के लिए उत्तरदायी था। लेकिन, यह देखा गया कि करदाता ने न तो अंतर कर का भुगतान किया और न ही उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित किया लेकिन ट्रान–1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को अग्रेनित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को अनियमित रूप से प्राप्त किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

4.1.9.2 (iv) स्टॉक में रखे इनपुट पर संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था, अथवा जो छूट

[5] वृत्त रायपुर–8, वृत्त दुर्ग–2, 3 एवं 4

प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं जो किसी भी नाम से जानी जाती हों, अथवा ऐसी वस्तुओं जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और बाद का विक्रय विद्यमान कानून के तहत राज्य में कर के अधीन नहीं हैं लेकिन जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी हैं, के विक्रय में संलग्न था अथवा जहाँ व्यक्ति माल के विक्रय के समय इनपुट कर क्रेडिट का हकदार था, यदि कोई हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, स्टॉक में रखे गए इनपुट और नियत दिन पर स्टॉक में रखे गये अर्ध–तैयार या तैयार माल में सन्निहित इनपुट के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा यथाः

(i) ऐसे इनपुट या वस्तुएं जो इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं अथवा उपयोग किए जाने हेतु उद्दिष्ट हैं;

(ii) इस अधिनियम के तहत उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट के लिए पात्र है;

(iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान कानून के तहत कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं; तथा

(iv) ऐसे बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले के बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा के दौरान 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों में देखा कि नौ वृत्तों[6] के 16 करदाताओं ने ट्रान–1 विवरणी में तालिका 7(ग) के तहत ₹ 1.59 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। ट्रान–1 विवरणी की तालिका 7 (ग) के तहत स्टॉक में रखे वैट भुगतान किए गए वस्तुओं के संबंध में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान कानून के तहत वैट के भुगतान के साक्ष्य वाले बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज थे। हालांकि, संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे की जाँच के लिए लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का संभावित अनियमित लाभ लिया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.4** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि 12 प्रकरणों में ₹ 2.25 करोड़ की माँग की गयी है तथा शेष चार प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया हैः

वृत–4, दुर्ग में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता मैसर्स सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएनः 22ABMPH0624A1Z1) ने तालिका 7(ग) के अंतर्गत ₹ 0.23 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। हांलांकि, संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे की जाँच के लिए लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.23 करोड़ के क्रेडिट का संभावित अनियमित लाभ लिया गया।

[6] वृत– बिलासपुर 1 और 3, वृत्त दुर्ग 2 और 4 और वृत्त रायपुर 3, 4 एव 7

4.1.9.2 (v) दावा किए गए अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को वापस करने पर ब्याज का भुगतान न करना

छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप–नियम (3) के तहत क्रेडिट की गई राशि की वसूली सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या धारा 74, जैसा भी मामला हो, के तहत प्रारंभ की जा सकती है। धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही में करदाता को क्रेडिट के साथ सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय ब्याज का भी भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

आगे, अधिसूचना क्र. एफ–10/44/2017/सीटी/वी(87) दिनांक 29 जून 2017 के अनुसार धारा 50 की उप–धारा (3) के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वृत्तों[7] में तीन करदाताओं ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में संक्रमणकालीन क्रेडिट की अधिक राशि क्रेडिट की और बाद में अधिक क्रेडिट को वापस (डेबिट) कर दिया। हालांकि, करदाताओं ने ₹ 8.52 लाख के अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गई अधिक राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया, जिसके कारण ₹ 67,547 के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1.5** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.76 लाख की माँग की गयी है तथा एक प्रकरण में करदाता को नोटिस जारी किया गया है।

4.1.9.2 (vi) ट्रान–2 दाखिल करके बिना बीजक के स्टॉक के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117(4) (बी) (iii) में निर्दिष्ट है कि जिन पंजीकृत व्यक्तियों के पास बीजक या इनपुट के संबंध में कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाला कोई अन्य अभिलेख नहीं है, उन्हें प्रारंभ में प्रपत्र जीएसटी ट्रान–1 के तालिका 7(घ) के तहत ऐसे स्टॉक का विवरण जमा करना होगा तथा उसके बाद नियत तिथि से छः करावधि के भीतर इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी होने पर, प्रत्येक कर अवधि में आपूर्ति की गई वस्तुओं का विवरण दिखाते हुए प्रपत्र जीएसटी ट्रान–2 में विवरणी दाखिल करना होगा।

इक्कीस वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों[8] के तीन करदाताओं ने ट्रान–2 फाइल करके ₹ 0.16 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। हालांकि, यह देखा गया कि करदाताओं ने ट्रान–1 की तालिका 7(घ) में स्टॉक में रखे अपने वस्तुएं की घोषणा नहीं की, लेकिन ट्रान–2 के माध्यम से दावा किया और आईटीसी का लाभ उठाया, जो उपरोक्त नियम के प्रावधान के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 4.1.6** में वर्णित ₹ 0.16 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि एक प्रकरण में ₹ 9.14 लाख की माँग जारी की जा चुकी है तथा शेष दो प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

---

[7] वृत्त– रायपुर 2 और वृत्त बिलासपुर 2 एव 3

[8] वृत्त– दुर्ग–1, धमतरी, और राजनांदगांव

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

धमतरी वृत्त के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता मैसर्स दिनेश मेडिकल स्टोर्स (जीएसटीआईएन: 22AFPPK7470Q1ZP) ने ट्रान–2 दाखिल करके ₹ 0.08 करोड़ के वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि, यह देखा गया कि करदाता ने ट्रान–1 विवरणी के तालिका 7(घ) में स्टॉक में रखे माल की घोषणा नहीं की लेकिन केवल ट्रान–2 विवरणी के माध्यम से दावा किया और ₹ 0.08 करोड़ आईटीसी का लाभ उठाया, जो नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है और ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

4.1.9.2 (vii) संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 14 वृत्तों[9] ने 39 करदाताओं द्वारा ट्रान–1 के तालिका संख्या 6(ख), 7(ख), 7(ग), 7(घ), 10(क) और 11(ग) के तहत दावा किये गए ₹ 3.99 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट के अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, बीजक (क्रय/विक्रय), बही–खाते आदि उपलब्ध नहीं कराए। विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट की प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं कर सका। विवरण **परिशिष्ट 4.1.7** में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक दो प्रकरणों में ₹ 14.70 लाख की वसूली की जा चुकी है, 21 प्रकरणों में ₹ 4.62 करोड़ की मांग की जा चुकी है तथा शेष 16 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

4.1.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने वैट विवरण के साथ सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों का प्रतिसत्यापन नहीं किया था, जबकि यह अनियमितताओं को सुधारने के लिए एक बार किए जाने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि विभाग ने 222 संक्रमणकालीन प्रकरणों का सत्यापन किया था, परंतु जहाँ अनियमितताएं पायी गयी थी वहां राजस्व की वसूली के लिये कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी थी।

4.1.11 अनुशंसाएं

1. *विभाग वास्तविक इनपुट कर क्रेडिट की मात्रा निर्धारित करने के लिए सभी लंबित संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को सत्यापित कर सकता है।*
2. *विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में अनियमितताओं का पता लगाया गया है, उन प्रकरणों में विभाग राजस्व की वसूली के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।*

[9] वृत्त– बिलासपुर 1 एवं 3, दुर्ग 2 ,3 एवं 4 और रायपुर 1 से 9

4.2 वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.2.1 परिचय

कर प्रशासन में समयोचित कर–वापसी (प्रतिदाय) तंत्र आवश्यक है, क्योंकि यह अवरूद्ध निधियों को कार्यशील पूंजी तथा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु जारी कर व्यापार को सुगम करता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।

प्रत्येक दावे को एक मानकीकृत रूप में ऑनलाइन दाखिल करना होता है। हालांकि, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण, आवेदकों को जीएसटी अधिनियम के फार्म जीएसटी–आरएफडी–1ए में प्रतिदाय के लिये आवेदन दाखिल कर इसका प्रिंट आउट लेकर समस्त सहायक दस्तावेजों के साथ अधिकार क्षेत्र के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता थी। उन सभी प्रतिदाय आवेदनों का प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया गया था। समस्त सहायक दस्तावेज के साथ फॉर्म जीएसटी आरएफडी–1ए में प्रतिदाय आवेदन इलेक्ट्रॉनिक[10] रूप से जमा किए जाने थे। हालांकि आवेदनों के प्रस्तुत करने के पश्चात् भी प्रतिदाय आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया मैनुअल रूप से जारी रहा। प्रतिदाय प्रक्रिया दिनांक 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई, जिसमें आवेदन जमा करने से प्रसंस्करण तक सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से किये गये।

4.2.2 कर प्रशासन

राज्य कर विभाग के अंतर्गत पाँच संभाग और 30 वृत्त हैं। राज्य कर विभाग को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्य कर आयुक्त विभाग का प्रमुख होता है और उनकी सहायता के लिये एक विशेष आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त, 12 संयुक्त आयुक्त, 26 उपायुक्त, 72 सहायक आयुक्त, 121 राज्य कर आधिकारी, 174 राज्य कर निरीक्षक होते हैं जो छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत सौंपे गये समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध 10 संयुक्त आयुक्त, 20 उपायुक्त, 54 सहायक आयुक्त, 71 राज्य कर आधिकारी एवं 115 राज्य कर निरीक्षक वर्तमान में विभाग में अक्टूबर 2021 तक कार्यरत हैं।

4.2.3 वैधानिक प्रावधान

प्रतिदाय से संबंधित प्रावधान छत्तीसगढ़/केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 से 58 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 और 16 में निहित है। प्रतिदाय के लिये दावा निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है :

1. वस्तु या सेवाओं का निर्यात;
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाइयों (एसईजेड) और विकासकर्ताओं को आपूर्ति;
3. मानद निर्यात;
4. संयुक्त राष्ट्र या दूतावासों आदि द्वारा किए गए क्रय पर करों का प्रतिदाय
5. अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी अदालत के निर्णय, हुक्मनामा, आदेश या निर्देश के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिदाय;

[10] परिपत्र क्र. 79/53/2018– जीएसटी, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

6. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर/रिवर्स चार्जेस मामलों के कारण जीएसटी के संचित इनपुट कर क्रेडिट का प्रतिदाय;
7. अनंतिम आकलन को अंतिम रूप दिये जाने पर;
8. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि की वापसी;
9. पूर्व जमा राशि की वापसी;
10. अधिक जीएसटी भुगतान;
11. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा भारत से लौटते समय अपने साथ विदेश ले जायी गई वस्तुओं पर भुगतान किये गये जीएसटी की वापसी;
12. अग्रिम जिनके विरूद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई है, पर भुगतान किये गये करों की वापसी के लिये प्रतिदाय व्हाउचर जारी करने के कारण प्रतिदाय;
13. आपूर्ति को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में मानते हुए भुगतान किये गये सीजीएसटी और एसजीएसटी की वापसी जिसे बाद में राज्यान्तरिक आपूर्ति मान लिया गया हो एवं इसके विपरीत।

4.2.4 प्रतिदाय प्रक्रिया

जीएसटी के प्रतिदाय के लिये आवेदन सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, जो उक्त आवेदन के प्रस्तुत होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन की पूर्णता की जाँच करेगा और यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवेदक को पावती उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि, जब तक जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर प्रतिदाय प्रणाली प्रारंभ नहीं हो जाती है, प्रतिदाय दावों को मैनुअल पद्धति से दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिदाय दावे की जाँच कर दावा की गई राशि का प्रथम दृष्टया सही होना सुनिश्चित होने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित सत्यापन और दावे की जाँच के पश्चात् अंतिम वापसी को मंजूरी देने का आदेश जारी करना होगा। ऐसा न करने पर प्रतिदाय के भुगतान की 60 दिनों की समाप्ति पर प्रतिदाय के साथ छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

4.2.5 प्रतिदाय की प्रवृत्तियाँ

दिनांक 31 जुलाई 2020 तक कुल ₹ 678.89 करोड़ के 3,616 प्रतिदाय दावे प्राप्त हुये (₹ 458.91 करोड़ के 2,386 प्री–ऑटोमेशन प्रकरण तथा ₹ 219.98 करोड़ के 1,230 पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरण)। इनमें से ₹ 609.07 करोड़ के 3,102 आवेदनों को दिनांक 31 जुलाई 2020 तक स्वीकृत तथा प्रतिदाय किया गया (₹ 405.50 करोड़ के 2,144 प्री–ऑटोमेशन प्रकरण तथा ₹ 204.02 करोड़ के 958 पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरण)।

माह जुलाई 2017 से माह जुलाई 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रतिदाय दावों की संख्या और स्वीकृत प्रतिदाय की राशि का विवरण **तालिका 4.2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.1: प्रतिदाय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	वर्ष	पंजीकृत कर दाताओं की संख्या	प्राप्त प्रतिदाय दावे		स्वीकृत प्रतिदाय	
			प्रकरणों की संख्या	दावों की राशि	प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
प्री–ऑटोमेशन अवधि (दिनांक 1 जुलाई 2017 से 25 सितंबर 2019 तक)	2017–18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक)	96,897	602	80.03	567	79.08
	2018–19 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक)	1,01327	1,224	155.59	1,096	114.45
	2019–20 (25 सितम्बर 2019 तक)	1,10,197	560	223.29	481	211.52
प्रतिदाय दावों की कुल संख्या (प्री–ऑटोमेशन अवधि)			**2,386**	**458.91**	**2,144**	**405.05**
पोस्ट–ऑटोमेशन अवधि (दिनांक 26 सितंबर 2019 से आगे)	2019–20 (दिनांक 26 सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक)	119841	665	77.61	540	73.43
	2020–21 (जुलाई 2020 तक)	124710	565	142.37	418	130.59
प्रतिदाय दावों की कुल संख्या (पोस्ट–ऑटोमेशन अवधि)			**1,230**	**219.98**	**958**	**204.02**
कुल			**3,616**	**678.89**	**3,102**	**609.07**

4.2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिये की गई थी कि:

1. प्रतिदाय प्रदान करने के संबंध मे जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
2. कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये स्थापित प्रणालियों की प्रभावकारिता; एवं
3. क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटारे में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन जाँचने के लिये प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

4.2.7 मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और राज्य कर विभाग के परिपत्रों के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मानदंडों के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया गया था:

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017;
- केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017;
- छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017;
- एकीकृत जीएसटी अधिनियम, 2017; और
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश और निर्देश।

4.2.8 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

जीएसटीएन ने माह जुलाई 2017 से माह जुलाई 2020 तक की अवधि के लिये अखिल भारतीय प्रतिदाय डेटा प्रदान किया। दिनांक 26 सितंबर 2019 से पूर्व की अवधि अर्थात प्री–ऑटोमेशन की अवधि के लिये प्रत्येक श्रेणी के तहत प्रतिदाय को करदाताओं द्वारा

दावा की गई प्रतिदाय राशि के घटते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। नमूना लेने के लिये क्रमबद्ध प्रतिदाय आवेदनो को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया था।

दिनांक 26 सितंबर 2019 के पश्चात् दाखिल किये गये प्रतिदाय आवेदनों का चयन करने के लिये प्रतिदाय दावे की राशि (60 प्रतिशत), प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब (15 प्रतिशत), स्वीकृत प्रतिदाय और प्रतिदाय दावे की राशि का अनुपात (10 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदण्डों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम अंक तैयार किया गया और कमियों का ज्ञापन जारी किया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम अंक के आधार पर प्रतिदाय आवेदनों का चयन किया गया।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर राज्य के पाँच जीएसटी संभागों के अंतर्गत 30 वृत्तों में माह जुलाई 2020 तक प्रोसेस किये गये 292 प्रतिदाय प्रकरणों में से 153 प्री–ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों (1 जुलाई 2017 से 25 सितंबर 2019 तक प्राप्त) और 139 पोस्ट–ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों (26 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त) की नमूना जाँच की गई। पोस्ट–ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा ऑनलाईन की गई। जीएसटी प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिये चयनित प्रतिदाय प्रकरणों का वृत्तवार विवरण **तालिका 4.2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.2: प्री–ऑटोमेशन और पोस्ट–ऑटोमेशन मामले

क्र. सं.	संभाग का नाम	वृत्त का नाम	प्री–ऑटोमेशन		पोस्ट ऑटोमेशन	
			चयनित मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या	चयनित मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या
1	**रायपुर –1**	रायपुर –1	4	4	2	2
2		रायपुर –2	4	4	2	2
3		रायपुर –3	14	14	12	12
4		रायपुर –4	1	1	0	0
5		रायपुर –5	9	9	6	6
6		महासमुंद	1	1	0	0
7	**रायपुर –2**	रायपुर –6	14	14	0	0
8		रायपुर –7	20	20	10	10
9		रायपुर –8	2	2	3	3
10		रायपुर –9	6	6	13	13
11		धमतरी	3	3	5	5
12		जगदलपुर–1	1	1	5	5
13		जगदलपुर–2	2	2	1	1
14		भाटापारा	7	7	0	0
15	**बिलासपुर–1**	बिलासपुर–1	4	4	6	6
16		बिलासपुर–2	10	10	10	10
17		अम्बिकापुर	1	1	6	6
18		मनेन्द्रगढ़	0	0	2	2
19	**बिलासपुर–2**	बिलासपुर–3	8	8	10	10
20		कोरबा–1	1	1	2	2
21		कोरबा–2	2	2	6	6

22		रायगढ़–1	4	4	1	1
23		रायगढ़–2	3	3	5	5
24		जांजगीर	2	2	4	4
25	दुर्ग	दुर्ग–1	5	5	2	2
26		दुर्ग–2	7	7	0	0
27		दुर्ग–3	7	7	6	6
28		दुर्ग–4	6	6	13	13
29		कवर्धा	1	1	0	0
30		राजनांदगांव	4	4	7	7
कुल योग			**153**	**153**	**139**	**139**

4.2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.9.1 प्रतिदाय मामलों के अनुपालन में विलंब

प्रतिदाय एक समयबद्ध प्रक्रिया है जहाँ आवेदन को 15 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रतिदाय को आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर स्वीकृत या निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्वीकृत प्रतिदाय को सात दिनों के भीतर समकक्ष कर प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है।

4.2.9.1 (i) पावती जारी करने में विलंब

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 90(1) और (2) में कहा गया है कि यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है, तो सामान्य पोर्टल के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिदाय दावा दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी। प्री–ऑटोमेशन के मामले में, 15 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन को मैनुअल रूप से जमा करने की तारीख से की जाएगी।

प्रतिदाय मामलों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 वृत्तों के 60 प्रतिदाय मामलों में (15 वृत्तों में 50 प्री–ऑटोमेशन के मामले और 07 वृत्तों में 10 पोस्ट–ऑटामेशन के मामले) पावती जारी करने में 4 से लेकर 232 दिन का विलंब किया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.2.1ए** और **परिशिष्ट 4.2.1बी** में दिए गए हैं। विलंब से पावती जारी करने से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

तालिका 4.2.3: पावती जारी करने में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र.सं.	विलंब अवधि	प्रतिदाय मामलों की संख्या		
		प्री–ऑटोमेशन	पोस्ट–ऑटोमेशन	कुल
1.	3 महीनों तक	38	9	47
2.	3–6 महीने	9	1	10
3.	6 महीने से ज्यादा	3	0	03
कुल		**50**	**10**	**60**

इंगित किए जाने पर राज्य कर विभाग के संबंधित सहायक आयुक्तों ने कहा कि विलंब का मुख्य कारण करदाताओं द्वारा बैंक खातों को अद्यतन न करने, चालानों की विस्तृत

जाँच करना, करदाता द्वारा दिए गए गलत/अधूरे बैंक विवरण, सहायक आयुक्तों का अक्सर स्थानांतरण होना और जीएसटीएन माड्यूल का विलंब से आवंटन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम/नियमों में समय–सीमा निर्दिष्ट की गई है जिसके अनुसार पावती 15 दिनों के भीतर जारी की जानी है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 90 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया है कि प्रतिदाय आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब के उपरोक्त 60 मामलों में से 29 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय स्वीकृति आदेश जारी करने में भी विलंब हुआ है। इसलिए, इस विलंब से छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 56 के तहत ब्याज देयता के रूप में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

4.2.9.1 (ii) प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति में विलंब

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 92 के साथ पठित छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(7) निर्धारित करती है कि प्रतिदाय आवेदन जमा करने पर, अधिकारी जाँच प्रक्रिया को पूरा करेगा और यदि सही/गलत पाया जाता है तो प्रतिदाय स्वीकृत आदेश/अस्वीकृति आदेश तदनुसार, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी के फॉर्म आरएफडी 06 में जारी किया जाएगा। अन्यथा छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 56 के अनुसार, विभाग करदाताओं को छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16 वृत्तों में प्रतिदाय मामलों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 46 प्रतिदाय मामलों में (12 वृत्तों में 33 प्री–ऑटोमेशन के मामले और छः वृत्तों में 13 पोस्ट–ऑटमेशन के मामले) प्रतिदाय की मंजूरी में 4 से 651 दिनों तक का विलंब हुआ, जिनमें से 21 मामलों में तीन माह से अधिक का विलंब था। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम 2017 के नियम 92 के साथ पठित छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा दावेदारों को धारा 56 के तहत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जिससे कि राजकोष पर राशि ₹ 0.35 करोड़ की देनदारी बनती है (जुलाई 2021)। प्री–ऑटोमेशन और पोस्ट–ऑटामेशन के प्रतिदाय मामलों का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 4.2.2ए** और **परिशिष्ट 4.2.2बी** में दिया गया है। विलंब से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण **तालिका 4.2.4** में उल्लिखित है।

तालिका 4.2.4: प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र. सं.	विलंब के अवधि	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखा गया		
		प्री–ऑटोमेशन	पोस्ट–ऑटामेशन	कुल
1.	3 महीनों तक	15	10	25
2.	3–6 महीने	5	2	07
3.	6 महीने से ज्यादा	13	1	14
कुल		**33**	**13**	**46**

इंगित किए जाने पर राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्तों ने पावती जारी करने में विलंब के समान कारण बताए **(पैरा 4.2.9.1 (i))**।

सहायक आयुक्तों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रतिदाय आवेदन का अधिनियम एवं नियमों के अनुसार समय सीमा के भीतर निपटान नहीं किया गया था। प्रतिदाय

मामलों को मंजूर करने में विलंब का स्वरूपवार ब्यौरा **तालिका 4.2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.5: प्रतिदाय स्वीकृत करने में विलंब का स्वरूपवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिदाय का स्वरूप	चयनित मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखा गया	विलंब की अवधि	प्रतिदाय की कुल राशि
1.	कर के भुगतान के बिना वस्तु और सेवाओं का निर्यात (EXWOP)	57	27	10 दिन से 1 साल और 286 दिन	30.70
2.	इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण प्रतिदाय (INVITC)	64	3	5 दिन से 74 दिन	0.02
3.	कैश लेजर में अतिरिक्त बैलेंस के कारण प्रतिदाय (EXBCL)	132	12	4 दिन से 160 दिन	0.35
4.	कर का अधिक भुगतान (XSPAY)	11	2	64 दिन से 94 दिन	0.05
5.	कोई अन्य (ANYOTH) और ASSORD	28	2	29 दिन से 68 दिन	0.12
कुल		**292**	**46**	**4 दिन से 1 साल और 286 दिन**	**31.24**

4.2.9.1 (iii) समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में विलंब

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 24/24/2017 जीएसटी दिनांक 21.12.2017 के अनुसार, केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय आदेश को सात कार्य दिवस के भीतर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को कर या उपकर जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम एवं नियम में भी क्रमशः धारा 54(7) और नियम 91(2) के तहत प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोहराया गया था।

सात वृत्तों में प्रतिदाय मामलों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 40 प्री–ऑटोमेशन में से ₹ 0.28 करोड़ की राशि के 22 प्री–ऑटोमेशन के प्रतिदाय मामले में राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत प्रतिदाय आदेश केन्द्रीय कर अधिकारियों को 4 से 46 दिनों तक के विलंब से अग्रेषित किया। विवरण **परिशिष्ट 4.2.3** में दिया गया है। विलंब से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण **तालिका 4.2.6** में उल्लिखित है।

तालिका 4.2.6: समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र. सं.	प्रतिदाय के लिए आवेदन का वर्ष	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखी गई
1.	2017–18	00
2.	2018–19	12
3.	2019–20	10
कुल		**22**

इस प्रकार, जाहिर तौर पर विभाग ने बोर्ड[11] द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम की धारा 56 के तहत स्वीकार्य ब्याज का भुगतान दावेदारों (जुलाई 2021) को नहीं किया गया।

4.2.9.2 अधिनियम/नियमों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियमावली 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त इनपुट टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अधिकतम प्रतिदाय के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल होता है और इसमें इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं होता है। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में सूत्र निर्धारित है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड सप्लाई के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र में, "नेट आईटीसी" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं किया जाएगा।

सीबीआईसी परिपत्र (मार्च 2018) के अनुसार, जीएसटी बीजक में घोषित वस्तुओं के मूल्य और संबंधित शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जाँच की जानी चाहिए और मूल्यों में जो भी कम हो, उसे प्रतिदाय के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। अधिसूचना में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना में दिए गए निर्देश 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद किए गए निर्यात पर लागू होते हैं।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

4.2.9.2 (i) नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेवाओं पर क्रेडिट को त्रुटिपूर्ण शामिल करने के कारण अधिक प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट[12] (आईटीसी) के प्रतिदाय का दावा कर सकता है, जहाँ इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्तियों पर कर की दर की तुलना में (अर्थात इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) अधिक होने के कारण क्रेडिट संग्रहित हो गया हो। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम 2017 के नियम 89 (5) में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम प्रतिदाय के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है और इसमें इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि चार वृत्तों के 57 प्रतिदाय मामलों (27 प्री– ऑटोमेशन और 30 पोस्ट– ऑटोमेशन के प्रतिदाय मामले) में से आठ प्रतिदाय मामलों में, करदाताओं द्वारा दावा की गई राशि में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल है जिसे प्रतिदाय दावे की गणना करते समय पृथक रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्रतिदाय दावे की गणना करते समय विभाग ने नेट आईटीसी की

---

[11] केन्द्रीय उत्पाद और परिपत्र 24/24/2017– जीएसटी, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

[12] इनपुट टैक्स क्रेडिट वह क्रेडिट है जो आउटपुट टैक्स चुकाने के लिये सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होता है। सरल शब्दों में, आईटीसी खरीददारी के समय किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये गये कर पर प्रतिदाय है।

गणना में इनपुट सेवाओं को शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.67 लाख के प्रतिदाय का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण **तालिका 4.2.7** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने चार वृत्तों में 57 प्रतिदाय मामलों के नमूना जाँच के दौरान देखा कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेवाओं पर क्रेडिट को गलत तरीके से शामिल करने के कारण आठ प्रतिदाय मामलों में अधिक प्रतिदाय किया गया था, जिनमें से पाँच प्रतिदाय के मामले राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड से संबंधित हैं। राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड के पाँच मामलों में से एक का उदाहरण नीचे दिया गया है:

फरवरी 2019 के महीने के लिए राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड (GSTN-22AAECR6450Q1Z0 और पावती रसीद संख्या (ARN–AA2209190006938) का प्रतिदाय मामला यह है कि नेट आईटीसी में इनपुट सेवाओं की ₹ 0.42 करोड़ की राशि शामिल है। उपर्युक्त नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं होती है। अनुलग्नक–बी और फॉर्म जीएसटीआर–3बी के अनुसार ₹ 1.27 करोड़ के उपलब्ध आईटीसी से ₹ 0.42 करोड़ को अस्वीकार करने के बाद नेट आईटीसी ₹ 0.85 करोड़ होता है, जबकि माल और सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर ₹ 0.92 करोड़ है, जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है। इसलिए ₹ 0.35 करोड़ के प्रतिदाय की पूरी राशि अस्वीकार्य है।

तालिका 4.2.7: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिसमें नेट आईटीसी में इनपुट सेवाएं शामिल हैं

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटी पंजीकरण क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि
बिलासपुर 3	राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड	22AAECR6450Q1Z0	AA221217158220R	3.26
			AA2212182189943	14.30
			AA2207172774307	0.01
			AA2211180915657	13.87
			AA2209190006938	35.27
रायपुर 2	यूनम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	22AACCU0922C1Z3	AA220619007235H	0.26
रायपुर 3	मेसर्स महेष नेभानी	22ABHPN7881L1Z5	AA220518006456E	0.03
अम्बिकापुर	मैसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसियां	22AJAPG7746A1ZT	AA221219003483N	14.67
कुल				**81.67**

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि वे तथ्यों और आंकड़ों की जाँच के उपरांत आवश्यक कदम उठाएंगे, जबकि रायपुर वृत्त–3 के सहायक आयुक्त ने ब्याज सहित पूरी राशि वसूल कर ली थी।

4.2.9.2 (ii) नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट को गलत तरीके से शामिल करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है।

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) सूत्र निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र में, "नेट आईटीसी" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं

पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीजीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड डयूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम वापसी के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है और इसमें इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों में चार प्रतिदाय के दावों में पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी की राशि को प्रतिदाय राशि ज्ञात करने के लिए 'नेट आईटीसी' की गणना में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की गणना के दौरान पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के कारण ₹ 47,006 के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई, जो सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है। विवरण **तालिका 4.2.8** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.8: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें नेट आईटीसी में पूंजीगत माल शामिल है

(₹ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि
बिलासपुर 2	आनंद प्लास्टिक इंडिया जीएसटी क्रमांक– 22AAZPG3018K1ZL	AA2208171512691	8640
रायपुर 6	श्री साईनाथ उद्योग प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक– 22AALCS6148P1ZR	AA2209190052890	3661
राजनांदगांव	खेतानी बोर्ड	AA220719002771E	24320
	सनटेक जियोटेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक– 22AATCS5208C1ZJ	AA220319193179Y	10385
कुल			**47006**

इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग, राजनांदगांव वृत्त ने ₹ 9,880 के ब्याज के साथ ₹ 34,705 वसूल किया तथा शेष दो वृत्तों के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

4.2.9.2 (iii) प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद का पालन न करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी नियम 89(4) और (5) सूत्र निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो–रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र के अनुसार प्रासंगिक अवधि का मतलब वह अवधि है जिसके लिए प्रतिदाय का दावा दाखिल किया गया है।

आगे, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क परिपत्र क्रमांक 59/33/2018–जीएसटी दिनांक 4 सितंबर 2018 के क्रम सं. 2.3 में कहा गया है कि प्रतिदाय के दावेदारों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दावेदार को प्रासंगिक अवधि जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, के लिए

फॉर्म जीएसटीआर–2ए के प्रिंट–आउट के साथ प्रतिदाय दावा संलग्न करना होगा। सक्षम अधिकारी, फॉर्म जीएसटीआर–2ए को उस आपूर्ति, जिसके संबंध में दावेदार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है, के आपूर्तिकर्ता द्वारा लेखांकन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित सभी बीजकों का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, संभवतः क्योंकि आपूर्तिकर्ता का फॉर्म जीएसटीआर–1 देरी से दाखिल किया गया था या दाखिल नहीं किया गया था। ऐसे मामले में, सक्षम अधिकारी ऐसे चालानों की हार्ड कॉपी की मांग कर सकता है यदि वह प्रतिदाय के दावे की जाँच के लिए इसे आवश्यक समझता है।

दो वृत्तों[13] में 50 प्रतिदाय मामलों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि छः प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की राशि स्वीकृत करते समय प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद पर विचार नहीं किया गया था। इसका विवरण **तालिका 4.2.9** में दिखाया गया है

तालिका 4.2.9: प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिसमें प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद का पालन नहीं किया गया था

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	अधिक प्रतिदाय की राशि	कारण
रायपुर– वृत्त –7	मैसर्स ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स जीएसटी क्रमांक– 22ADLPT9120C1ZQ	AA2206190062320	6.11	जून 2018 से अगस्त 2018 के लिए प्रतिदाय लागू किया गया था लेकिन समायोजित कुल टर्नओवर और नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना जुलाई 2017 से अगस्त 2018 तक की गई थी
बिलासपुर –वृत्त –2	आनंद प्लास्टिक इंडिया जीएसटी क्रमांक– 22AAZPG3018K1ZL	AA2208171512691	0.48	प्रासंगिक अवधि अगस्त 2017 के विरुद्ध जुलाई, 2017 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया
	उजाला रबर उद्योग जीएसटी क्रमांक– 22ABLPK7698A1ZK	AA220917175588L	0.78	प्रासंगिक अवधि सितंबर, 2017 के विरुद्ध अगस्त, 2017 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।
		AA221218231333Q	0.98	प्रासंगिक अवधि अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के विरुद्ध सितंबर, 2018 के चालानों पर प्राप्त आईटीसी
		AA2203181757047 (प्रासंगिक अवधि जनवरी 2019से मार्च 2019)	1.79	जनवरी 2019 से मार्च 2019 की प्रासंगिक अवधि के विरुद्ध नवंबर–दिसंबर, 2018 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।
	एक्मे प्लास्टिक उद्योग जीएसटी क्रमांक– 22AIYPD9181F1ZZ	AA2203180198l4D	0.32	जनवरी 2018 से मार्च 2018 की प्रासंगिक अवधि के विरुद्ध अक्टूबर–दिसंबर, 2017 के चालानों पर प्राप्त आईटीसी
कुल			**10.46**	

यह इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि तथ्यों और आंकड़ों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4.2.9.3 अनियमित प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) निर्धारित करती है कि 90 प्रतिशत की राशि का अनंतिम (प्रोविजनल) प्रतिदाय केवल उन करदाताओं को दिया जाएगा जो वस्तुओं और सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति करते

[13] रायपुर, वृत्त– 7 एवं बिलासपुर, वृत्त– 2

हैं। परिपत्र संख्या 45/19/2018–जीएसटी दिनांक 30.05.2018 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत की गई जीरो–रेटेड आपूर्ति के कारण क्षतिपूर्ति उपकर की संचित आईटीसी का प्रतिदाय उपलब्ध है और पंजीकृत व्यक्ति क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 86 (4ए) के अनुसार, जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि की प्रतिदाय का दावा किया है, लेकिन उसे गलत तरीके से भुगतान किया गया था या अधिक भुगतान किया गया था, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया है, उक्त राशि, यदि स्वीकार्य पाई जाती है, तो फॉर्म जीएसटी पीएमटी–03 में किए गए आदेश द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता में फिर से जमा की जाएगी।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है:

4.2.9.3 (i) अनंतिम (प्रोविजनल) प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो–रेटेड आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए प्रतिदाय का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के तहत एक आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार, वस्तुओं और/या सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति पर ही अनंतिम प्रतिदाय की अनुमति दी जाती है तथा अन्य वर्गों में नहीं।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, तीन वृत्तों (27 प्री–ऑटोमेशन मामले और 25 पोस्ट–ऑटोमेशन मामले) में 52 प्रतिदाय मामलों में से सात प्रतिदाय मामलों में विभाग ने उन मामलों में अनंतिम प्रतिदाय जारी किया था जो वस्तु या सेवाओं की जीरो–रेटेड सप्लाई की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार, इन मामलों में अनंतिम प्रतिदाय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 26.17 लाख के अनंतिम प्रतिदाय का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण **तालिका 4.2.10** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.10: वस्तुओं और सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति के अलावा प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें अनंतिम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि	अनंतिम प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति की तिथि
रायपुर 03	एम/एस महेश नेभानी एंड कंपनी जीएसटी क्रमांक –22BHPN7881L1Z5	AA220318007923G	0.12	25/05/2019
		AA221118088909S	0.10	25/05/2019
		AA220518006456E	0.08	25/05/2019
	रिच फाइटो केयर प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक –22AACCR8543G1ZH	AA220219126530P	0.90	22/07/2019
रायपुर 09	एस्क्योर फुड एण्ड वेपरेजेस जीएसटी क्रमांक –22ANCA8045R1Z3	AA220119103527L	8.85	01/04/2019
		AA221118087175A	10.05	01/04/2019
भाटापारा	क्वालिटि बैग मेकर्स जीएसटी क्रमांक –22AAAFQ5093M1Z2	AA2211180878034	06.07	04/05/2018
कुल			**26.17**	

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने उत्तर दिया कि संबंधित मामले जीएसटी दौर के प्रारंभिक काल के हैं और जीएसटी के प्रारंभिक चरण में सहायक आयुक्तों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

4.2.9.3 (ii) क्षतिपूर्ति उपकर के मामले में अनियमित प्रतिदाय

परिपत्र सं. 45/19/2018–जीएसटी दिनांक 30.05.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत की गई जीरो–रेटेड आपूर्ति के कारण क्षतिपूर्ति उपकर के संचित आईटीसी की वापसी उपलब्ध है, भले ही निर्यातित उत्पाद उपकर के आरोपण के अधीन न हो। इस परिपत्र के जारी होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति जुलाई 2017 से मई 2018 के महीनों में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय का दावा अगले महीनों में कर सकता है। ऐसे मामले में, क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय को अधिकतम प्रतिदाय के सूत्र के अनुसार वस्तु की जीरो–रेटेड सप्लाई के मामले में पुनर्गणना की जानी है और यदि क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय की पुनर्गणना की राशियों का योग उस महीने जिसमें वास्तव में दावा किया गया है, के संबंध में गणना की गई क्षतिपूर्ति उपकर के पात्र प्रतिदाय से कम या बराबर है तो संबंधित महीनों के क्षतिपूर्ति उपकर की पुनर्गणना की कुल राशि स्वीकार्य होगी।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान दो वृत्तों में 21 प्रतिदाय मामलों में से (10 प्री–ऑटोमेशन और 11 पोस्ट–ऑटोमेशन मामले), दो मामले क्षतिपूर्ति उपकर की वापसी से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय की पुनर्गणना की गई कुल राशि उस महीने जिसमें वास्तव में इसका दावा किया गया था, के संबंध में गणना की गई क्षतिपूर्ति उपकर के पात्र प्रतिदाय से अधिक थी। इसलिए ₹ 1.25 करोड़ की क्षतिपूर्ति उपकर की वापस की गई राशि अस्वीकार्य थी। प्रतिदाय के मामलों का विवरण **तालिका 4.2.11** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.11: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें क्षतिपूर्ति उपकर की अनियमित अनुमति देखी गई थी

(₹ करोड़ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	एआरएन	राशि
रायगढ़ 2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड जीएसटी क्रमांक– 22AAACM0501D1ZK	AA220719008102P	1.20
दुर्ग 3	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जीएसटी क्रमांक– 22AAACJ6715G2ZW	AA220719001037L	0.05
कुल			**1.25**

इस ओर इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त–2 ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 अप्रैल, 1993 के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर का प्रतिदाय स्वीकार्य है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्णय पूर्व–जीएसटी अवधि से संबंधित है।

4.2.9.3 (iii) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के स्थान पर बैंक खाते में अनियमित प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) में कहा गया है कि एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर सकता है बशर्ते अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रतिदाय इन मामलों के अलावा किसी अन्य मामलों में नहीं किया जाएगा– (i) जीरो–रेटेड सप्लाई और (ii) जहाँ इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से

अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है (शून्य–रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा)।

इसके अलावा, नियम 86 (4ए), सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने गलत तरीके से भुगतान किए गए या अधिक भुगतान किए गए कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि की वापसी का दावा किया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया है, उक्त राशि, यदि स्वीकार्य पाया गया, तो सक्षम अधिकारी द्वारा फॉर्म जीएसटी पीएमटी–03 में किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा किया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाँच प्रतिदाय मामलों में पाया कि विभाग ने करदाताओं के बैंक खाते में प्रतिदाय की अनुमति दी थी, जिसे करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाना था। उपर्युक्त नियम का पालन नहीं किये जाने से प्रक्रियात्मक चूक के कारण ₹ 49.05 लाख की अनियमित प्रतिदाय हुआ। इसके अलावा, अनियमित प्रतिदाय के परिणामस्वरूप करदाताओं को अनुचित लाभ हुआ जिससे करदाता की कार्यशील/परिचालन पूंजी का प्रवाह बढ़ गया। इसका विवरण नीचे **तालिका 4.2.12** में दिया गया है।

तालिका 4.2.12: प्रतिदाय मामलों का विवरण जहाँ आईटीसी को बैंक खाते में वापस किया गया था

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटीआईएन	पावती रसीद क्रमांक	राशि
जगदलपुर 1	मे. ऊर्जा प्रापर्टीज प्रा. लि.	22AABCU6244N1Z6	AA220319203621Q AA220219126461M	38.20
जगदलपुर 1	मे. भवर लाल जैन	22ACKPJ2062P1ZH	AA220420002181C	0.06
जगदलपुर 2	अरिहंत एजेंसी	22BVBPS7954N1ZY	AA220720003638M	6.98
जगदलपुर 1	में. बाबा जनरल स्टोर	22AVXPS7197Q1Z4	AA2207190028267	3.81
कुल				**49.05**

इसे इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इसे लागू ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

4.2.9.4 गणना में त्रुटि के कारण प्रतिदाय का अधिक/कम भुगतान

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में अधिकतम प्रतिदाय का सूत्र निर्धारित करता है। सूत्र के अनुसार, नेट आईटीसी में पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) उस सूत्र को निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय की जाती है। सूत्र के अनुसार, नेट आईटीसी में पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

इसके अलावा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का अर्थ है किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में टर्नओवर, जैसा कि धारा 2 के खंड (112) के तहत परिभाषित किया गया है, प्रासंगिक अवधि के दौरान शून्य–रेटेड आपूर्ति के अलावा अन्य छूट वाली आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है।

4.2.9.4 (i) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(5) के अनुसार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण प्रतिदाय के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय निर्धारित सूत्र[14] के अनुसार दिया जाएगा।

चार वृत्तों में 55 प्रतिदाय मामलों (27 प्री–ऑटोमेशन और 30 पोस्ट–ऑटोमेशन के मामले) की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि दो प्रतिदाय मामलों में प्रासंगिक अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में अधिक था।

इसके अतिरिक्त, छः प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की गणना में त्रुटि थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय के सूत्र का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 121.43 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित पाँच मामलों में से एक जिसमें गणना में त्रुटि के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था (देय कर नेट आईटीसी से अधिक था) नीचे दर्शाया गया है:

जुलाई से मार्च (2017–18) की कर अवधि के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (GSTN-22AAACH1201R1ZX और ARN-AA220318001451X) के प्रतिदाय मामले में करदाता ने ₹ 62.89 करोड़ की नेट आईटीसी जिसमें इनपुट सेवाएं शामिल हैं, पर ₹ 24.61 करोड़ के प्रतिदाय का आवेदन किया था। इनपुट सेवाओं को अस्वीकार करने के बाद नेट आईटीसी की राशि ₹ 1.81 करोड़ होती है जो कि इनवर्टेड रेटेड के देय कर (₹ 38.22 करोड़) से कम है। अतः ₹ 0.90 करोड़ का संपूर्ण प्रतिदाय अस्वीकार्य है।

इसके अलावा, दो वृत्तों के 12 प्रतिदाय मामलों (11 प्री–ऑटोमेशन और एक पोस्ट–ऑटोमेशन) में से 02 प्रतिदाय मामलों में गणना में त्रुटि के कारण ₹ 5.89 लाख कम भुगतान किया गया था। प्रतिदाय के अधिक तथा कम भुगतान का विवरण **तालिका 4.2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.13: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि	कारण
अधिक भुगतान				
रायपुर वृत्त–5	लेवेन्ट सोलर प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी क्रमांक–22AADCL2329R1ZB	AA220719005563C	0.14	देय कर नेट आईटीसी से अधिक है।
रायगढ़–वृत्त –2	मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जीएसटी क्रमांक–2AAACH1201R1ZX	AA220318001451X	90.36	देय कर नेट आईटीसी से अधिक है।
दुर्ग वृत्त –4	कोठारी इंजिनियरिंग वर्क्स जीएसटी क्रमांक–22AETPK2294K1Z3	AA220919006402H	0.23	स्टेटमेंट 1 के अनुसार नेट आईटीसी और जीएसटी आरएफडी 01 बनाम खरीद रजिस्टर में बेमेल होने के कारण।
		AA220819004652C	0.52	

[14] (अधिकतम प्रतिदाय राशि = {(प्रासंगिक अवधि के दौरान माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x प्रासंगिक अवधि का नेट आईटीसी ÷ प्रासंगिक अवधि का समायोजित कुल टर्नओवर} – प्रासंगिक अवधि के दौरान माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर। नोट– नेट आईटीसी में इनपुट सेवाएं शामिल नहीं हैं।)

दुर्ग वृत्त –3 (पोस्ट–ऑटोमेशन के बाद के)	मेसर्स कोठारी केमिकल्स लिमिटेड जीएसटी क्रमांक – 22AETPK2241N1ZA	AA221219002744K	11.52	बुक के अनुसार नेट आईटीसी 0.398 करोड़ था लेकिन जीएसटी आरएफडी 01 में 1.32 करोड़ के रूप में लिया गया
दुर्ग वृत्त –4 (पोस्ट–ऑटोमेशन के बाद के)	कोठारी इंजिनियरिंग वर्क्स जीएसटी क्रमांक – 22AETPK2294K1Z3	AA220420001789L	5.19	स्टेटमेंट 1 के अनुसार नेट आईटीसी और (खरीद रजिस्टर) बनाम जीएसटी आरएफडी 01 में मेल नहीं होने के कारण।
		AA221119012426O	4.57	
		AA221019000917J	8.90	
कुल			**121.43**	
कम भुगतान				
रायगढ़ वृत्त–1	मेसर्स अग्रवाल ब्रिक्स उद्योग जीएसटी क्रमांक – 22ADZPA6983C1ZE	AA2209170057547	2.41	प्रतिदाय को बिना किसी वैध कारण के अस्वीकार कर दिया गया था।
भाटापारा वृत्त	क्वालिटी बैग मेकर्स जीएसटी क्रमांक – 22AAAFQ5093M1Z2	AA2203180878034	3.48	नियमों की गलत व्याख्या और गणना में गलती के कारण।
कुल			**5.89**	

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि सत्यापन के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त ने DRC–03 (8 नवंबर 2021) के माध्यम से ₹ 90.36 लाख की वसूली की और भाटापारा वृत्त ने करदाता को ₹ 0.03 करोड़ का प्रतिदाय दिया था।

4.2.9.4 (ii) बिना कर भुगतान के निर्यात के मामले में गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम वापसी

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) सूत्र[15] निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो–रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का अर्थ धारा 2 के अनुच्छेद (112) के तहत परिभाषित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में टर्नओवर जो प्रासंगिक अवधि के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा छूट वाली सप्लाई के मूल्य को छोड़कर है।

रायपुर वृत्त–6 के श्री साईनाथ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी क्रमांक–22AALCS6148P1ZR) के प्रतिदाय दावे की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिदाय दावों की गलत गणना के कारण अधिक/कम प्रतिदाय किया गया है। विवरण **तालिका 4.2.14** में दिखाया गया है।

[15] प्रतिदाय = (वस्तुओं के जीरो रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं के जीरो रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x नेट आईटीसी ÷ समायोजित कुल टर्नओवर

तालिका 4.2.14: बिना कर भुगतान निर्यात के मामलों का विवरण जिनमें गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

(₹ लाख में)

पावती रसीद क्रमांक	राशि	कारण
अधिक भुगतान		
AA2208181019918	0.06	₹ 581958 की जावक कर योग्य आपूर्ति को शामिल नहीं किया गया था।
AA2209180024958	7.95	प्रारंभ में ₹ 34.31 लाख के प्रतिदाय का दावा किया और ₹ 26.36 लाख का संशोधित दावा प्रस्तुत किया। तथापि, विभाग ने ₹ 26.36 लाख के संशोधित दावे के स्थान पर ₹ 34.31 लाख वापस कर दिए। इस प्रकार, ₹ 7.95 लाख की राशि अधिक वापस की गई।
कुल	**8.01**	
कम भुगतान		
AA2209190052890	0.59	समायोजित कुल टर्नओवर में छूट/नगन्य रेटेड आपूर्ति लेने के बाद गणना की गई।
कुल	**0.59**	

इस ओर इंगित किये जाने पर रायपुर वृत्त–6 के सहायक आयुक्त ने उत्तर दिया कि तथ्यों एवं आँकड़ों का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.2.9.5 भिन्न–भिन्न कर शीर्षो से प्रतिदाय का दावा किया गया

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र संख्या 59/33/2018–जीएसटी दिनांक 04.09.2018 के क्र.सं. 3.2 में कहा गया है कि कम से कम तीन राशियों की गणना करने के बाद, जैसा कि उक्त परिपत्र के क्र.सं. 3.1 में, विस्तार से दिया गया है, समतुल्य राशि को दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से निम्नलिखित क्रम में डेबिट किया जाना है:–

क) एकीकृत कर, उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक।

ख) केन्द्रीय कर और राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, समान रूप से उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक और किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (जैसे कि केन्द्रीय कर) में उपलब्ध शेष राशि में कमी की स्थिति में, अंतर राशि को अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (अर्थात इस मामले में राज्य कर/केन्द्र शासित प्रदेश कर) से डेबिट किया जाना है।

तीस वृत्तों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रायपुर वृत्त–7 के दो प्रतिदाय प्रकरणों में ₹ 0.03 करोड़ एवं ₹ 0.15 करोड़ के अधिकतम प्रतिदाय क्रमशः फरवरी 2019 और जून 2019 में एसजीएसटी के विरूद्ध किए गए, हालांकि आईजीएसटी और सीजीएसटी में क्रेडिट उपलब्ध था। यह इंगित किए जाने पर उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

4.2.9.6 उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिदाय को अस्वीकार कर दिया गया

सीजीजीएसटी नियम के नियम 92(3) में कहा गया है कि जहाँ सक्षम अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई पूरी या आंशिक राशि स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को देय नहीं है, वह आवेदक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे इस तरह के नोटिस[16] की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर जवाब[17] देने की आवश्यकता होगी और उत्तर पर विचार करने के बाद,

[16] फॉर्म जीएसटी आरएफडी– 08

[17] फॉर्म जीएसटी आरएफडी– 09

पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत करने या उक्त प्रतिदाय को अस्वीकार करने का आदेश[18] देगा और उक्त आदेश आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और उप–नियम (1) के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, स्वीकृत प्रतिदाय की सीमा तक लागू होंगेः

बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रायपुर के वृत्त–8 के पाँच प्रतिदाय मामलों में से दो प्रतिदाय मामलों में (दो प्री–ऑटोमेशन और तीन पोस्ट–ऑटोमेशन के मामले) सहायक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण डिफिशिएंसी मेमो (जीएसटी आरएफडी–03) तथा कारण बताओ ज्ञापन जारी किये बिना प्रतिदाय दावा अस्वीकृत कर दिया गया था।

इस संबंध में सहायक आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2022) है।

4.2.9.7 सामान्य पोर्टल के माध्यम से पावती/डिफिशिएंसी ज्ञापन जारी न करना

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 90(1), (2) और (3) में प्रावधान है कि प्रतिदाय के आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदक को एक पावती/डिफिशिएंसी ज्ञापन उपलब्ध कराया जाएगा।

बिलासपुर वृत्त– 2 और बिलासपुर वृत्त–3 के 38 प्रतिदाय मामलों (18 प्री–ऑटोमेशन और 20 पोस्ट–आटोमेशन के मामले) में से 16 प्रतिदाय मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि आवेदक को पावती/डिफिसिएंसी ज्ञापन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसका विवरण **परिशिष्ट 4.2.4** में दिया गया है।

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने इसका कोई विशेष कारण तो नहीं बताया परंतु आश्वस्त किया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।

4.2.9.8 ₹ 1000 की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा का अनुपालन नहीं करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(14) में कहा गया है कि यदि आवेदक की राशि ₹ 1000 से कम है तो उसे कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹ 1000 की सीमा प्रत्येक कर मद के लिए पृथक से लागू होगी और संचयी रूप से नहीं– कंडिका 60 सीबीआई और सी परिपत्र संख्या 125/44/2019–जीएसटी दिनांक 18 नवंबर 2019।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने दो मामलों में ₹ 1000 प्रति मद की उपर्युक्त प्रारंभिक सीमा का अनुपालन नहीं किया था। इसका विवरण **तालिका 4.2.15** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.15: प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिनमें न्यूनतम सीमा पर विचार किए बिना राशि वापस की गई थी।

(₹ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटीआईएन	पावती रसीद क्रमांक	सीजीएसटी	एसजीएसटी
जगदलपुर वृत्त –1	मे. दीपक कुमार दीवान	22ACVPD1425B1Z8	AA220620008811V	814	814
	मे. संदीप साजावत	22ACSFS3667B1Z1	AA2206200052318	991	991

[18] फॉर्म जीएसटी आरएफडी– 06

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इसे ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

4.2.9.9 जीएसटी परिपत्र क्रमांक 135/05/2020– जीएसटी दिनांक 31/03/2020 का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय

जीएसटी परिपत्र संख्या 135/05/2020–जीएसटी दिनांक 31/03/2020 के क्रमांक 5 में कहा गया है कि परिपत्र संख्या 125/44/2019–जीएसटी दिनांक 18.11.2019 के पैरा 36 के अनुसार आईटीसी का प्रतिदाय फॉर्म जीएसटीआर–2ए में नहीं दर्शाए गए बीजकों के संबंध में भी स्वीकार्य था और ऐसे बीजकों की प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता थी। हालांकि, अधिसूचना संख्या 49/2019–जीएसटी दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के तहत सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 36 में उप–नियम (4) को शामिल करने के मद्देनजर बीजकों पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय जो आवेदक के फॉर्म जीएसटीआर–2ए में नहीं दिख रहे हैं, की स्वीकार्यता के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

मामले की सीबीआईसी द्वारा जाँच की गई और यह निर्णय लिया गया कि संचित आईटीसी की वापसी उन बीजकों के अनुसार आईटीसी तक सीमित होगी, जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर–1 में अपलोड किया गया है और आवेदक का फॉर्म जीएसटीआर–2ए में परिलक्षित होता है। तदनुसार, परिपत्र संख्या 125/44/2019–जीएसटी, दिनांक 18 नवंबर 2019 के पैरा 36 को उस सीमा तक संशोधित किया गया है।

रायपुर वृत्त–7 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रतिदाय के 30 प्रकरणों (20 प्री–ऑटोमेशन और 10 पोस्ट–ऑटोमेशन के मामले) में से तीन प्रतिदाय मामले में यह देखा गया कि नेट आईटीसी में जीएसटीआर–2ए के आंकड़ों के साथ–साथ बीजकों के आंकड़ें भी शामिल हैं जो जीएसटीआर–2ए में अपलोड नहीं किए गए थे। अतः सहायक आयुक्त ने ₹ 27.93 लाख की अधिक स्वीकृति दी। विवरण **तालिका 4.2.16** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.16: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें जीएसटी परिपत्र 135/05/2020 का अनुपालन नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटी पंजीकरण क्रमांक	एआरएन	राशि
रायपुर 7	रेडिएंट ऑफशोर कंसल्टेंसी एलएलपी	22AATFR5203M1ZY	AA220620000498P	0.84
	सनफ्लैग एग्रोटेक	22ALVPA2615H1ZE	AA220520005365X	0.85
	जिनकुशल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	22AAACZ3367N1Z0	AA220620003385V	26.24
कुल				**27.93**

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने जवाब दिया कि वे तथ्यों और आंकड़ों की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

4.2.9.10 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

पाँच वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान 43 प्री–ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों में से 19 प्री–ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों के पूर्ण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए

गए थे। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा इन मामलों में राज्य कर विभाग के प्रदर्शन का सत्यापन नहीं कर सका। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट 4.2.5** में दिया गया है

इसके अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 125/44/2019–जीएसटी दिनांक 18 नवंबर, 2019 के **अनुलग्नक ए** के अनुसार, बयान/घोषणा/वचन/प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों को प्रतिदाय आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है। इसका विवरण **तालिका 4.2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.17: प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रदान किए जाने वाले सभी विवरणों/घोषणाओं/उपक्रमों/प्रमाणपत्रों और अन्य सहायक दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	प्रतिदाय के प्रकार	घोषणा/विवरण/अंडरटेकिंग/प्रमाणपत्र जिसे ऑनलाइन भरा जाना है	अतिरिक्त रूप से अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेज
1.	इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण संचित होने से अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) धारा 54(3)(ii) के तहत घोषणा धारा 16(2)(सी) और धारा 42(2) के संबंध में (ग) नियम 89(5) के तहत विवरण 1 में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रतियां। (घ) नियम 89(2)(एच) के तहत विवरण 1ए । (ङ) नियम 89(2)(एल) के तहत स्व–घोषणा यदि दावा की गई राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, अन्यथा नियम 89(2)(एम) के तहत प्रमाणीकरण	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए की प्रति। (ख) चालान का विवरण (अनुबंध–बी)। (ग) अनुलग्नक–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में नहीं मिलता है।
2.	कर भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) धारा 42(2) और 16(2)(सी) अनुभागों के संबंध में वचनबद्धता (ग) नियम 89(2)(बी) और नियम 89(2)(सी) के तहत विवरण 3 (घ) नियम 89(4) के तहत विवरण 3ए	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए की प्रति। (ख) चालान का विवरण (अनुबंध–बी) (ग) अनुलग्नक–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में नहीं मिलता है (घ) सेवाओं के निर्यात के मामले में बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी)/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) और वस्तु के मामले में शिपिंग बिल (केवल गैर–इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) बंदरगाहों के माध्यम से किए गए निर्यात के मामले में)।
3.	कर भुगतान के साथ की गई सेवाओं के निर्यात पर कर का प्रतिदाय किया गया	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा (ख) धारा 42(2) और 16(2)(सी) अनुभागों के संबंध में वचनबद्धता (ग) नियम 89(2)(सी) के तहत विवरण 2	(क) बीआरसी/एफआईआरसी/सेवाओं की विक्रय आय की प्राप्ति का संकेत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज। (ख) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए की प्रति। (ग) चालान का विवरण (अनुबंध–बी)।

			(घ) अनुबंध–ए में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में नहीं मिलता है। (ङ) सीजीएसटी नियम के नियम 91 के उप–नियम (1) के तहत अस्थायी प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए गैर–अभियोजन के संबंध में स्व–घोषणा।
4.	कर के भुगतान के बिना एसईजेड ईकाइयों/ विकासकर्ताओं को की गयी आपूर्ति पर अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) नियम 89(2)(डी) और नियम 89(2)(ई) के तहत विवरण 5। (ग) नियम 89(4) के तहत विवरण 5ए। (घ) नियम 89(2)(एफ) के तहत घोषणा। (ङ) धारा 42(2) और 16(2)(सी) के अनुभागों के संबंध में उपक्रम। (च) नियम 89(2)(एल) के तहत स्व–घोषणा यदि दावा की गई राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो नियम 89(2)(एम) के तहत प्रमाणीकरण अन्यथा।	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए की प्रति (ख) चालान का विवरण (अनुबंध–बी) (ग) अनुलग्नक–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में नहीं मिलता है। (घ) नियम 89(1) के दूसरे प्रावधान के तहत अधिकृत संचालन के लिए वस्तु/सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी से अनुमोदन

चौबीस वृत्तों में 139 पोस्ट–ऑटोमेशन नमूने प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 40 प्रतिदाय मामलों में आवश्यक दस्तावेज जैसे जीएसटीआर–2ए, बीजकों का विवरण आदि छत्तीसगढ़ जीएसटी के वेब पोर्टल पर प्रतिदाय के आवेदन के साथ अपलोड नहीं पाये गये। पच्चीस प्रतिदाय मामलों में, नेट आईटीसी की गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज करदाता द्वारा अपलोड नहीं किए गए थे और 15 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की राशि की डेबिट प्रविष्टि दिखाने वाली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की प्रति अपलोड नहीं की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2.6** में वर्णित है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा संभावित अधिक/अनियमित वापसी के मामलों का पता नहीं लगा सका।

4.2.9.11 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे आम तौर पर सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि संगठन स्वयं को यह आश्वस्त कर सके कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्य कर रही हैं।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड परिपत्र संख्या 17/17/2017–जीएसटी दिनांक 15 नवंबर 2017 ने जीरो रेटेड सप्लाई के प्रतिदाय के मैनुअल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र, अन्य बातों के साथ–साथ, निर्धारित करता है कि मैनुअल रूप से संसाधित प्रतिदाय आवेदनों की प्री–ऑडिट तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि बोर्ड द्वारा पृथक विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, चाहे इसमें कितनी भी राशि शामिल हो। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदाय आदेश का पोस्ट ऑडिट जारी रहेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा कि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 42 अधिकारियों को मिलाकर 10 लेखापरीक्षा दलों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए प्रतिदाय मामलों की न तो आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और न ही पोस्ट ऑडिट के लिए कोई नमूना मामले भेजे गए।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा और पोस्ट ऑडिट के साथ प्रतिवेदन में इंगित व्यापक रूप से फैली हुई तंत्रात्मक कमियां एक उचित संकेत है कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर है।

4.2.10 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2020 की अवधि के 292 नमूना प्रतिदाय दावों की जाँच से पता चला कि दावों के निपटान में विलंब (651 दिनों तक) हुआ था। विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के स्थान पर करदाताओं के बैंक खाते में प्रतिदाय स्वीकृत किया जो करदाता की कार्यशील/परिचालन पूंजी के प्रवाह में अनुचित लाभ को दर्शाता है। विशिष्ट निर्देशों के बावजूद प्रतिदाय दावों का पोस्ट ऑडिट नहीं किया गया था। पूंजीगत माल से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को नेट आईटीसी में गलत तरीके से शामिल करने और कर अवधि के प्रतिबंधों का पालन न करने, क्षतिपूर्ति उपकर की अनियमित अनुमति के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय किया गया था। आगे, करदाताओं द्वारा अपलोड किए जाने के लिए आवश्यक पूर्ण दस्तावेज या तो अपलोड नहीं किए गए थे या लेखापरीक्षा दल को इसकी पहुंच नहीं दी गई थी।

4.2.11 अनुशंसाएं

1. *ब्याज के भुगतान की देनदारी से बचने के लिए विभाग को समयबद्ध तरीके से प्रतिदाय मामलों से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।*
2. *प्रतिदाय के अधिक/अनियमित भुगतान से बचने के लिए नेट आईटीसी की गणना करते समय विभाग को सीबीआईसी और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/परिपत्र का सख्ती से पालन करना चाहिए।*
3. *विभाग को संबंधित अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि प्रतिदाय के भुगतान में अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक चूक से बचा जा सके।*
4. *विभाग को वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनानी चाहिए और प्रतिदाय के मामलों की लेखापरीक्षा करनी चाहिए।*

4.3 वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3.1 परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य में मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर का आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण क्रमशः छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रशासित किया गया। मूल्य संवर्धित कर एक बहु–स्तरीय कर है जो मूल्यवर्धन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर इस प्रावधान के साथ आरोपित किया जाता है कि पूर्व में भुगतान किए गए कर पर इनपुट कर छूट की अनुमति होगी जिसका उपयोग बाद के विक्रय पर मूल्य संवर्धित कर/केन्द्रीय विक्रय कर की देनदारी हेतु किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं प्रवेश कर अधिनियम, 1976 लागू थे। जीएसटी के लागू होने के बाद भी पेट्रोलियम उत्पाद और मानव सेवन के लिए शराब जैसे कुछ वस्तुओं पर अभी भी मूल्य संवर्धित कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर लागू है।

चूंकि वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से प्रभाव में आ चुका है इसलिए मूल्य संवर्धित कर प्रणाली से संबंधित लंबित कर निर्धारण प्रकरणों का निस्तारण जैसे परंपरागत मुद्दों का समाधान वरीयता के आधार पर करना होगा। पुरानी कर प्रणाली (2017–18 की प्रथम तिमाही) के प्रकरणों का कर निर्धारण अभी भी लंबित हैं। तथापि, इस संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही के पुराने कर निर्धारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु मई 2022 तक का समय तय किया गया है।

4.3.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभागीय प्रशासनिक प्रमुख होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर इस विभाग का प्रमुख होता है और तीन अपर आयुक्त, 12 उपायुक्त, 26 सहायक आयुक्त, 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक ऐसे कार्य, जो इन्हें अधिनियम के अंतर्गत निहित किए गए हैं, उनके निष्पादन में इनकी सहायता करते हैं। वर्तमान में विभाग में उपरोक्त स्वीकृत पदों पर 10 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 54 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 71 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा 115 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत हैं।

संगठनात्मक संरचना

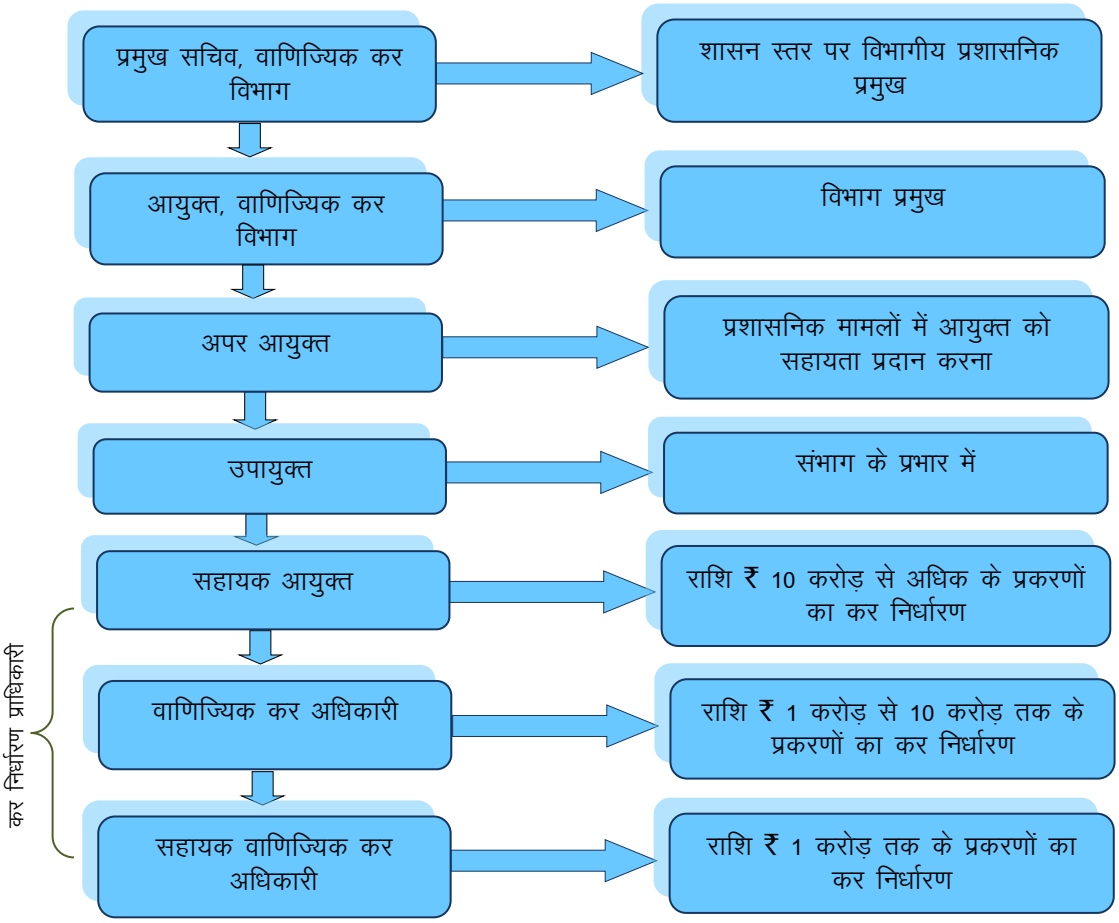

4.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि क्या:

- मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर के अंतर्गत करों का निर्धारण निर्धारित प्रक्रियानुसार तथा कर की लागू दरें अधिरोपित करते हुए किया गया;
- कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई छूट/रियायत वैध घोषणा फार्म से समर्थित थे, एवं
- दाखिल की गई कर विवरणी की प्रारंभिक जाँच करने में कर निर्धारण प्राधिकारी ने यथोचित प्रयास किया।

4.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में प्रयोग किया गया:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957

- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर नियम, 1976
- विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियम, परिपत्र, छूट की अधिसूचना तथा निर्देश।

4.3.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु राज्य की कुल 50 ईकाइयों (30 वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 20 सहायक आयुक्त) में से 16 ईकाइयों (आठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं आठ सहायक आयुक्त) का चयन किया गया। इन चयनित 16 ईकाइयों में से आठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की ईकाइयों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया जो कुल वाणिज्यिक कर अधिकारी की ईकाइयों का 25 प्रतिशत है तथा शेष आठ सहायक आयुक्त की ईकाइयों का चुनाव आठ चयनित वाणिज्यिक कर अधिकारी जो इन्हीं सहायक आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में हैं, से स्वतः ही हो गया। कुल 14[19] ईकाइयों (सात वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सात सहायक आयुक्त) में वित्त वर्ष 2014–17 के लिए निर्धारण वर्ष 2018–22 के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए मामलों की अनुपालन लेखापरीक्षा नवंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच संचालित की गई।

4.3.6 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर तथा प्रवेश कर के अंतर्गत बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.1: बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ				बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता/भिन्नता प्रतिशत
			मूल्य संवर्धित कर	केन्द्रीय विक्रय कर	प्रवेश कर	कुल	
2014–15	72468	9800.00	7495.75	932.36	768.44	9196.55	(–)603.45/6.15
2015–16	73495	10998.00	7971.08	911.32	743.51	9625.91	(–)1372.09/12.48
2016–17	80358	11928.37	9000.77	914.25	1294.16	11209.18	(–)719.19/6.03

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्धित कर/केन्द्रीय विक्रय कर/प्रवेश कर से प्राप्त राजस्व वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के दौरान बढ़ गया है। वर्ष 2014–17 के दौरान प्राप्त कुल राजस्व में सिर्फ मूल्य संवर्धित कर से प्राप्त राजस्व का हिस्सा 80 प्रतिशत से भी अधिक था। मूल्य संवर्धित कर एवं पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या की दर में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

[19] कोविड–19 के कारण दो ईकाइयों (वाणिज्यिक कर अधिकारी–2, दुर्ग एवं सहायक आयुक्त–2, दुर्ग) को पूरा नहीं किया जा सका।

4.3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.3.7.1 कर की गलत दर का अनुप्रयोग

मूल्य सवंर्धित कर के कम दर के अनुप्रयोग से कर की राशि ₹ 6.50 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 8 अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में नियत दर पर माल के वर्गीकरण के आधार पर कर के आरोपण का प्रावधान करता है। साथ ही छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि संख्या 1 के अनुसार ऐसे सभी माल जो अनुसूची I, अनुसूची II के भाग–I (1 प्रतिशत), भाग–II (5 प्रतिशत) तथा भाग–III (25 प्रतिशत) में शामिल नहीं हैं, पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने 10[20] ईकाइयों में 9,356 (स्व–कर निर्धारण–3,047 एवं कर निर्धारण–6,309) में से 2,138 (स्व–कर निर्धारण–1,152 एवं कर निर्धारण–986) प्रकरणों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 25 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण–17 एवं कर निर्धारण–8) में कर की राशि ₹ 649.50 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(अ) स्व–कर निर्धारण के 17 प्रकरणों में व्यवसायियों ने अपने कर विवरणियों में या तो कर की लागू दर 5/7 तथा 14/14.5 प्रतिशत के बजाय कर की शून्य, दो तथा पाँच प्रतिशत की रियायती दर/गलत दर प्रयुक्त किया या घोषणा फॉर्म[21] के समर्थन के बिना ही करमुक्त विक्रय का दावा किया। व्यवसायियों द्वारा उनके विवरणियों में दी गई जानकारी की सत्यता तथा संपूर्णता की प्रारंभिक जाँच करने में कर निर्धारण प्राधिकारी असफल रहे। यद्यपि, विवरणियों के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों (क्रय/विक्रय विवरण) के प्रति–परीक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि मालों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की गलत दर का आरोपण हुआ तथा घोषणा प्रमाणपत्र के बिना ही कर मुक्त विक्रय की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 516.34 लाख का कम आरोपण हुआ।

(ब) लेखापरीक्षा ने पाँच ईकाइयों के आठ कर निर्धारण प्रकरणों में पाया कि मालों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण जैसे मछली की औषधि को मछली का भोजन, सौर बैटरी को सौर ऊर्जा उपकरण, पानी के पम्प सेट एवं मोटर पुर्जे को सबमर्सिबल पम्प तथा स्टील ट्रंक को टिन ट्रंक के रूप में वर्गीकृत करने के कारण कर की राशि ₹ 133.16 लाख का कम आरोपण हुआ।

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 4.3.1** में दिया गया है। इनमें से ₹ 85.19 लाख के कर प्रभाव के एक प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:

सौर बैटरी को सौर ऊर्जा उपकरण के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने के कारण मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV के अनुसार, ''वर्ष 2013–14 के लिए ऐसे सभी अन्य वस्तुओं जो अनुसूची I तथा अनुसूची II के भाग–I, II एवं III में सूचीबद्ध नहीं हैं, पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था''। तदनुसार, सभी अवशिष्ट वस्तुओं पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

---

[20] वाणिज्यिक कर अधिकारी–1, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–6, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–9, रायपुर; सहायक आयुक्त–1, रायपुर; सहायक आयुक्त –2, रायपुर तथा सहायक आयुक्त–9, रायपुर

[21] अधिसूचना संख्या एफ–10/128/2007/वा.क./पाँच (42) दिनांक अक्टूबर 2007 के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ–10/15/2012/वा.क./पाँच (20) दिनांक 31.03.2012 के अनुसार अवधि 01.04.2012 से 31.03.2015[22] के लिए सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जों को कर से छूट प्रदान किया गया था।

अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर के एक कर निर्धारण प्रकरण में एक व्यवसायी ने वर्ष 2013–14 में सौर ऊर्जा उपकरण एवं सौर बैटरी का विक्रय किया तथा इस पर करमुक्त माल के रूप में छूट प्राप्त किया। व्यवसायी ने सौर बैटरी का क्रय किया तथा किसी कर का भुगतान किए बिना सौर ऊर्जा उपकरण के साथ इनका विक्रय कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 31 मार्च 2012 के तहत सौर बैटरी के विक्रय को सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जा के अंतर्गत करमुक्त विक्रय मानते हुये कर निर्धारण प्राधिकारी ने किसी कर का आरोपण नहीं किया। हालांकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग छत्तीसगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2014 में मेसर्स पैनेशिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि 'सौर बैटरी' अधिसूचना संख्या एफ–10/15/2012/वा.क./पाँच (20) दिनांक 31.03.2012 (जो सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जों पर कर से छूट प्रदान करता है) में तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग– I, II एवं III में सूचीबद्ध अन्य प्रविष्टियों में शामिल नहीं है। अतः यह अवशिष्ट वस्तुओं के रूप में 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

इस प्रकार, सौर बैटरी के लिए करमुक्त माल का छूट दिए जाने के कारण सौर बैटरी के विक्रय पर मूल्य संवर्धित कर की राशि ₹ 85.19 लाख का अनारोपण हुआ।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि छः प्रकरणों में राशि ₹ 1.93 करोड़ की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है और 16 प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया है। शेष तीन प्रकरणों, जिनमें तीन व्यवसायी शामिल हैं, के संबंध में शासन का उत्तर **तालिका 4.3.2** में वर्णित है:

तालिका 4.3.2: शासन का उत्तर

ईकाई का नाम	परिशिष्ट 4.3.1 के सरल क्रमांक का संदर्भ	शासन का विस्तृत उत्तर	लेखापरीक्षा का प्रत्युत्तर
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर (यूनिस्टोन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड टिन–22801406624)	8	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी) एल्युमिनियम उत्पाद के अंतर्गत आता है। अतः पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।	शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसीपी एक कम्पोजिट पदार्थ है जिसमे एल्युमिनियम की दो पतली परत के बीच थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन कोर और अग्निरोधी कोर को दबाकर बनाया जाता है तथा एल्युमिनियम उत्पाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः एसीपी अवशिष्ट माल की श्रेणी में आता है और इस प्रकार यह 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। साथ ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक ने अपने स्पष्टीकरण में दिनांक 26.01.2012 को यह स्पष्ट किया कि एसीपी मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर (पर्ल इंटरप्राइजेज टिन–22091406287)	9	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि संख्या 23	शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II की प्रविष्टि संख्या 41 के अनुसार "सब्जी मशरूम" पाँच प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। साथ ही माल की विशिष्ट

[22] अधिसूचना संख्या 07 तथा 44 दिनांक 22.03.2013 तथा 04.03.2014 के अनुसार प्रतिस्थापित आंकड़ा 2013 एवं 2014

		के अंतर्गत मशरूम और स्वीटकॉर्न ताजी सब्जी और फल हैं, अतः करमुक्त हैं।	प्रविष्टि को सामान्य प्रविष्टि पर वरीयता प्राप्त है। अतः मशरूम अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित दर से करारोपणीय है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर (सूर्याधन, टिन–22861307942)	10	सौर बैटरी, सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जे के अंतर्गत करमुक्त है।	मेसर्स पैनेशिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ के स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2014 के अनुसार शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि 'सौर बैटरी' अधिसूचना संख्या एफ– 10/15/2012/वा.क./पाँच (20) दिनांक 31.03.2012 (जो सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जों पर मूल्य सवंर्धित कर से छूट प्रदान करता है) के अंतर्गत शामिल नहीं है और तदनुसार, 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

4.3.7.2 प्रवेश कर के गलत दर का अनुप्रयोग

स्थानीय क्षेत्र के बाहर से वस्तुओं के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 2.65 करोड़ की कम प्राप्ति/अप्राप्ति

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार के दौरान प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग या विक्रय हेतु वस्तुएं लाता है तो वह अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट दर से प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यदि अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को स्थानीय क्षेत्र में खपत या उपयोग हेतु परंतु विक्रय हेतु नहीं, लाया जाता है तो इन पर उल्लिखित दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। आगे, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4–अ यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित ऐसी वस्तुओं जिनका उपयोग या खपत ऐसे स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में विशेष रूप से अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में या पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, पर बढ़ी हुई दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने 11[23] ईकाइयों के 9,119 (स्व–कर निर्धारण–2,678 एवं कर निर्धारण–6,441) में से 2,278 (स्व–कर निर्धारण–1,221 एवं कर निर्धारण–1,057) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि 27 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण–17 एवं कर निर्धारण–13) में कर निर्धारण प्राधिकारियों/व्यवसायियों ने कर निर्धारण करते समय/विवरणी प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की अनुसूची–II एवं III तथा अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रवेश कर की उचित दर का आरोपण नहीं किया। फलस्वरूप, प्रवेश कर की राशि ₹ 203.70 लाख का अनारोपण एवं राशि ₹ 61.51 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.3.2** में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि सात प्रकरणों में कर की राशि ₹ 36.16 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा एक प्रकरण में राशि ₹ 5.61 लाख की वसूली की गई है। तेईस प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

[23] वाणिज्यिक कर अधिकारी–1, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–6, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–9, रायपुर; सहायक आयुक्त–2, रायपुर; सहायक आयुक्त–3, रायपुर; सहायक आयुक्त–4, रायपुर एवं सहायक आयुक्त–7, रायपुर

4.3.7.3 घोषणा फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर प्रदाय किया

घोषणा फॉर्म 'सी' की प्रस्तुति सुनिश्चित किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की दर में रियायत प्रदान करने के फलस्वरूप केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 1.80 करोड़ का कम आरोपण हुआ

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 फॉर्म 'सी' में वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर की गई घोषणा के विरूद्ध टर्नओवर के दो प्रतिशत अथवा संबंधित राज्य में लागू कर की दर में से जो भी कम हो, की दर से कर के आरोपण का प्रावधान करता है जो जून 2008 से प्रभावशील होगा। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायी उस वस्तु के लिए छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने 11[24] ईकाइयों के 8,850 (स्व–कर निर्धारण–2,628 एवं कर निर्धारण–6,222) में से 2,140 (स्व–कर निर्धारण–1,144 एवं कर निर्धारण–996) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि 22 व्यवसायियों के 24 स्व–कर निर्धारण प्रकरणों एवं एक कर निर्धारण प्रकरण में अंतराज्यीय विक्रय राशि ₹ 48.43 करोड़ के समर्थन में फॉर्म 'सी' प्रस्तुत नहीं किए गए। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायियों को कर की रियायती दर शून्य/दो प्रतिशत के स्थान पर पाँच या 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। कर निर्धारण प्राधिकारियों को फॉर्म 'सी' समर्थित अंतर्राज्यीय लेनदेन के नियमों के अनुसार कर की रियायती दर की अनुमति देनी चाहिए थी। हालांकि, उपरोक्त प्रकरणों में व्यवसायियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत सी–फॉर्म के बिना कर की रियायती दर शून्य/दो प्रतिशत का लाभ उठाया। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 179.91 लाख की कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.3.3** में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 11.13 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई हैं तथा एक प्रकरण में राशि ₹ 0.99 लाख की वसूली की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि 20 प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई हैं।

4.3.7.4 पारगमन विक्रय के लिए वैधानिक फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट की अनुमति प्रदान की गई

वैधानिक फॉर्म 'ई–I तथा सी' प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की राशि ₹ 1.07 करोड़ की छूट दी गई

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, पारगमन विक्रय पर कर में छूट का प्रावधान करता है। छूट के दावे के लिए व्यवसायियों को ऐसे विक्रय के समर्थन में फॉर्म 'ई–I/II' और फॉर्म 'सी' प्रस्तुत करना होता है। ई–I/सी फॉर्म के अभाव में इन वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने चार[25] ईकाइयों में 924 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण–463 एवं कर निर्धारण–461) में से 546 प्रकरणों (स्व–कर निर्धारण–322 एवं कर निर्धारण–224) की

[24] वाणिज्यिक कर अधिकारी–2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–9, रायपुर; सहायक आयुक्त–1, रायपुर; सहायक आयुक्त–2, रायपुर; सहायक आयुक्त–3, रायपुर; सहायक आयुक्त–4, रायपुर; सहायक आयुक्त–7, रायपुर एवं सहायक आयुक्त–9, रायपुर

[25] सहायक आयुक्त–3, रायपुर; सहायक आयुक्त–4, रायपुर; सहायक आयुक्त–7, रायपुर

नमूना जाँच में पाया कि सात स्व–कर निर्धारण प्रकरणों में व्यवसायियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई–I' / 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किए बिना पारगमन विक्रय राशि ₹ 23.04 करोड़ पर कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को दो / चार / पाँच या 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। व्यवसायियों द्वारा अपने विवरणी के साथ वैधानिक फॉर्म को संलग्न किये बिना कर से छूट के गलत दावे के फलस्वरूप कर की राशि ₹ 107.16 लाख की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.3.4** में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि तीन प्रकरणों में राशि ₹ 55.96 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा चार प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

4.3.7.5 भंडार अंतरण हेतु वैधानिक फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट की अनुमति प्रदान की गई

वैधानिक फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की राशि ₹ 2.35 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, वस्तुओं के शाखा अंतरण पर कर में छूट का प्रावधान करता है। छूट के दावे के लिए व्यवसायियों को ऐसे शाखा अंतरण के समर्थन में फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत करना पड़ता है। फॉर्म 'एफ' के अभाव में इन वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने छः[26] ईकाइयों में 5,849 (स्व–कर निर्धारण–1,366 एवं कर निर्धारण–4,483) में से 1,142 (स्व–कर निर्धारण–639 एवं कर निर्धारण–503) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि नौ व्यवसायियों के 11 स्व–कर निर्धारण प्रकरणों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राशि ₹ 18.07 करोड़ के शाखा अंतरण के समर्थन में कोई भी 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परंतु व्यवसायियों / करदाताओं द्वारा इस लेनदेन पर कर के भुगतान से छूट का दावा किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को पाँच या 14 / 14.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। व्यवसायियों / करदाताओं द्वारा घोषणा फॉर्म संलग्न किये बिना कर से छूट के गलत दावे के फलस्वरूप कर की राशि ₹ 235.33 लाख का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.3.5** में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 160.13 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा नौ प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

4.3.8 अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण

4.3.8.1 पारगमन विक्रय के लिए नकली फॉर्म प्रस्तुत किया जाना

पारगमन विक्रय के लिए नकली 'ई–I' फॉर्म प्रस्तुत किये जाने से कर की राशि ₹ 1.42 लाख का अपवंचन हुआ

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2), माल के पारगमन विक्रय के समर्थन में फॉर्म 'सी' तथा 'ई– I' में घोषणा करने पर कर के आरोपण से छूट का प्रावधान करता है।

[26] वाणिज्यिक कर अधिकारी–3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी–7, रायपुर; सहायक आयुक्त–1, रायपुर; सहायक आयुक्त–2, रायपुर; सहायक आयुक्त–3, रायपुर एवं सहायक आयुक्त–9, रायपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2020) कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21(5) के अंतर्गत लौह एवं इस्पात के पारगमन विक्रय की राशि ₹ 35.81 करोड़ के समर्थन में ई– I/सी फॉर्म प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक दिसंबर 2019 में कर से छूट की अनुमति प्रदान की। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत व्यवसायी को इस विक्रय पर सम्पूर्ण कर से छूट की अनुमति दी गई और तदनुरूप व्यवसायी ने छत्तीसगढ़ (विक्रेता व्यवसायी) का 'ई–I' फॉर्म तथा छत्तीसगढ़ के बाहर (क्रेता व्यवसायी) का 'सी' फॉर्म भी प्रस्तुत किया। 'ई–I' फॉर्म की संवीक्षा में पाया गया कि प्रकरण के साथ प्रस्तुत किये गए राशि ₹ 70.77 लाख के छः 'ई–I' फॉर्म की छपाई का प्रारूप तथा कागज की गुणवत्ता की बनावट अन्य 'ई–I' फॉर्म से भिन्न थी। ये 'ई–I' फॉर्म, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग के जारी करने वाले वृत्त (वृत्त–5, रायपुर) से सत्यापित कराये गए तथा लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त 'ई–I' फॉर्म नकली/जाली हैं क्योंकि जारी करने वाले वृत्त ने बताया कि ये फॉर्म उनके द्वारा जारी नहीं किये गए हैं। फलस्वरूप कर की राशि ₹ 1.42 लाख (₹ 70.77 लाख का दो प्रतिशत) का अपवंचन हुआ। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 54 के अंतर्गत कर का अपवंचन होने पर ₹ 7.10 लाख की शास्ति भी आरोपणीय है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2022)।

4.3.9 निष्कर्ष

वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की 14 ईकाइयों के नमूना जाँच के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा से मालों के गलत वर्गीकरण के कारण मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर की गलत दर के अनुप्रयोग से मूल्य संवर्धित कर की राशि ₹ 6.50 करोड़ तथा प्रवेश कर की राशि ₹ 2.65 करोड़ के कम आरोपण के प्रकरण उजागर हुए। करदाता द्वारा वैधानिक फॉर्म प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विक्रय/शाखा विक्रय/पारगमन विक्रय पर कर की रियायती दर/कर से छूट की अनुमति दी जिसके फलस्वरूप ₹ 5.22 करोड़ कर की कम वसूली हुई।

भाग 3– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

5.1 ब्याज से आय की हानि

ऑटो स्वीप सुविधा के लिए असामान्य रूप से उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा मान्य कर निजी बैंक को अनुचित लाभ देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.82 करोड़ के ब्याज से आय की हानि हुई

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन प्राप्त धन को जमा करने के लिए विभिन्न बैंकों[1] में 36 अलग–अलग बैंक खाते (31 मार्च 2019 तक) खोले गये थे। कंपनी अपने बैंक खातों के लिए ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाती है, जिसके अधीन चालू बैंक खातों में एक विशेष न्यूनतम शेष राशि (अर्थात् न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा) से अधिक धनराशि को स्वतः ही सावधि जमा (एफडी) में परिवर्तित कर देती है जिस पर सावधि जमा पर प्रचलित ब्याज दर पर भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2020) कि उक्त 36 बैंक खातों में से, कंपनी ने फरवरी 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान एक्सिस बैंक में पाँच बैंक खाते खोले। एक्सिस बैंक में पहला बैंक खाता अगस्त 2016 में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर खोला (फरवरी 2017) गया था तथा शेष चार बैंक खाते सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान बिना किसी नये प्रस्ताव के खोले गए थे। 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान अन्य बैंकों की न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख के बीच थी, जबकि एक्सिस बैंक के लिए ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 15.00 करोड़ थी।

असामान्य रूप से उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा होने के कारण एक्सिस बैंक के केवल एक खाते ने ₹ 8.84 लाख की राशि का ब्याज अर्जित किया और शेष चार बैंक खातों ने ऑटो स्वीप सुविधा पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया। इस प्रकार, अनुचित वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने एक्सिस बैंक के इन पाँच खातों में जमा अपने अधिशेष कोषों पर ₹ 3.82 करोड़[2] (**परिशिष्ट 5.1** देखें) की राशि का ब्याज[3] अर्जित करने का अवसर खो दिया। कंपनी द्वारा इन तथ्यों से अवगत (सितंबर 2018) होने के बाद भी बैंक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जैसे कि बैंक के साथ बातचीत या बैंक खातों को बंद करना, बल्कि बैंक से थ्रेसहोल्ड सीमा घटाकर ₹ 5.00 लाख या ₹ 10.00 लाख करने का अनुरोध किया था (फरवरी 2019), जिस पर बैंक ने कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकार ने कहा (सितंबर 2022) कि कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए दो अपरिचालित बैंक खातों सहित एक्सिस बैंक में संचालित सभी सात बैंक खातों को बंद कर दिया है।

---

1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एवं देना बैंक

2 न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा ₹ 10.00 लाख मानते हुए

3 प्रचलित ब्याज दर के आधार पर गणनीत

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य बैंकों की तुलना में कंपनी ने एक्सिस बैंक के मामले में निर्धारित असाधारण उच्च थ्रेसहोल्ड सीमा की अनदेखी की और अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 3.82 करोड़ की ब्याज से होने वाली आय की हानि हो गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा (फरवरी 2020) द्वारा बताए जाने के बाद, कंपनी ने मार्च 2020 में एक्सिस बैंक में संचालित सभी बैंक खातों को बंद कर दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

5.2 देयकों को पारित करने में समुचित सावधानी का अभाव

वित्तीय अनौचित्य और समुचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपंजीकृत ठेकेदार को ₹ 10.36 करोड़ का जीएसटी भुगतान हुआ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अधीन बिलासपुर क्षेत्र के लिए सामग्री की आपूर्ति और लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण के लिए मेसर्स फेडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) को ₹ 202.97 करोड़[4] का कार्यादेश जारी (दिसंबर 2016) किया।

कार्यादेश जारी होने के बाद, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम और सीजीएसटी नियम, 2017 क्रमशः 1 जुलाई 2017 और 22 जून 2017 से प्रभावी हुए। सीजीएसटी अधिनियम और सीजीएसटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने सामग्री/उपकरण और निर्माण की शेष आपूर्ति के लिए मूल आदेश में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों (टी एंड सी) के साथ जीएसटी को सम्मिलित करते हुए ₹ 204.34 करोड़ का अनंतिम कार्यादेश जारी किया (सितंबर 2017)। तदानुसार, ठेकेदार ने जीएसटी पंजीकरण नंबर जो कि 01 जुलाई 2017 से प्रभावशील था, के साथ बिल प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि, 03 जुलाई 2017 को जीएसटी विभाग द्वारा ठेकेदार के जीएसटी पंजीकरण नंबर को स्व–प्रेरणा के आधार पर रद्द कर दिया गया था एवं ठेकेदार ने 05 अक्टूबर 2020 को नया जीएसटी पंजीकरण नंबर प्राप्त किया जिसकी देयता तिथि 14 अगस्त 2019 से प्रभावशील थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020) कि कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को चल खाता देयकों के साथ करों के भुगतान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था; अन्यथा करों के समतुल्य राशि को देयक पास करते समय कंपनी द्वारा रोक लिया जाना था। यद्यपि, ठेकेदार ने जीएसटी देयक प्रस्तुत करना जारी रखा तथा कंपनी को करों के भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना ही दो वर्ष से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से जीएसटी एकत्र किया और कंपनी भी नियम एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रही और उसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं होने के बाद भी ठेकेदार को 04 जुलाई 2017 और 13 अगस्त 2019 के दौरान जमा किए गए चल खाता देयकों पर ₹ 10.36 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2**) के जीएसटी का भुगतान किया गया।

सरकार ने कहा (जून 2022) कि यद्यपि कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार देयकों के भुगतान के समय करों के भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जिसका अनुपालन नहीं किया गया, चूंकि ठेकेदार द्वारा प्रारंभ में एक वैध जीएसटी पंजीकरण नंबर प्रदान किया गया था इस कारण करयुक्त देयकों की सत्यता पर विश्वास करते हुए जीएसटी की राशि का भुगतान किया गया एवं प्रत्येक देयक के साथ पंजीकरण की वैधता की जांच संभव नहीं है। अधिनियम क्रेता पर ऐसा कोई

[4] सामग्री/उपकरण की आपूर्ति के लिए ₹ 149.97 करोड़ एवं निर्माण के लिए ₹ 53.00 करोड़

कर्त्तव्य/उत्तरदायित्व नहीं डालता है और कर भुगतान का उत्तरदायित्व देयक जारी करने वाले व्यक्ति का होता है। इसके अलावा, अगस्त 2020 में सहायक आयुक्त (राज्य कर) से ठेकेदार के जीएसटी पंजीकरण के निरस्त होने की सूचना लंबित देयकों के भुगतान को रोकने की सलाह के साथ प्राप्त हुई थी। सहायक आयुक्त (राज्य कर) से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही ठेकेदार को लंबित भुगतान नए जीएसटी नंबर के तहत जारी किया गया था। पुरानी अवधि का जीएसटी वसूल नहीं हो सका क्योंकि ठेकेदार के खिलाफ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) 14 अगस्त 2019 को प्रारम्भ हो गई थी तथा इस तिथि के पश्चात् अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार से पुराने कर की वसूली संभव नहीं थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि जीएसटी पंजीकरण की वैध प्रति ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी अपितु केवल देयक में जीएसटी नंबर दर्शाया गया था और कंपनी ने ठेकेदार से न तो जीएसटी पंजीकरण की प्रति मांगी और न ही भुगतान करते समय प्रथम जीएसटी देयक के प्रसंस्करण हेतु समुचित सावधानी बरती, जैसा कि कार्यादेश के नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु अनिवार्य था। कंपनी द्वारा ठेकेदार से संबंधित विभाग को उसके द्वारा किये गये करों के भुगतान के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मांगा गया और जीएसटी के रूप में उसे ₹ 10.36 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को उक्त राजस्व की पूर्ण हानि हो गई। इसके अलावा, पुरानी अवधि हेतु भुगतान किया गया जीएसटी भी वसूल नहीं हो सका।

रायपुर
दिनांकः 19 जून 2023

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 21 जून 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.6.1 में संदर्भित)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

विभाग	30 सितम्बर 2021 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
उच्च शिक्षा	142	534
तकनीकी शिक्षा	50	203
स्कूल शिक्षा	568	2797
श्रम विभाग	33	118
सामान्य प्रशासन	136	655
जनसंपर्क विभाग	28	95
संसदीय कार्य विभाग	16	61
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग	81	291
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	104	339
खेल एवं युवा कल्याण विभाग	16	57
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	560	4537
जेल विभाग	51	149
गृह विभाग	144	501
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	77	186
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	166	1830
आवास एवं पर्यावरण विभाग	18	99
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	12	84
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3	41
पर्यटन विभाग	6	77
लोक निर्माण विभाग	453	2437
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	241	1418
जल संसाधन विभाग	490	2429
कृषि विभाग	235	1002
उद्यानिकी विभाग	94	670
पशु पालन विभाग	94	494
रेशम विभाग	65	238
मत्स्य विभाग	42	114
सहकारिता विभाग	51	141
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	170	761
चिकित्सा शिक्षा विभाग	45	428
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	369	2584
पुनर्वास विभाग	9	29
समाज कल्याण विभाग	96	516
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	145	1186
महिला एवं बाल विकास विभाग	362	1769
योग	**5172**	**28870**

परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.6.1 में संदर्भित)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू)

विभाग	30 सितम्बर 2021 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
वित्त विभाग	4	11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	5	72
राज्य आबकारी विभाग	4	24
सामाज कल्याण विभाग	2	13
गृह विभाग	1	7
कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	4	56
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	13	66
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	2	22
लोक निर्माण विभाग	1	9
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	4	21
खनिज संसाधन विभाग	4	16
ऊर्जा विभाग	201	798
वाणिज्य और उद्योग विभाग	9	70
योग	**254**	**1185**

परिशिष्ट 2.1.1

(कंडिका 2.1.9 में संदर्भित)

चयनित जिलों की सूची

स. क्र.	जिला	स. क्र.	जिला
1.	रायपुर	11.	कोरबा
2.	दुर्ग	12.	रायगढ़
3.	बिलासपुर	13.	सूरजपुर
4.	बलौदाबाजार	14.	जांजगीर
5.	धमतरी	15.	महासमुंद
6.	राजनांदगांव	16.	बेमेतरा
7.	कांकेर	17.	सरगुजा
8.	कोरिया	18.	कवर्धा
9.	जशपुर	19.	मुंगेली
10.	बालोद	20.	बीजापुर

परिशिष्ट 2.2.1

(कंडिका 2.2.7.2 में संदर्भित)

विभिन्न जिलों में डीबीटी भुगतान में देरी की सीमा

जिला	क्र. सं.	माह	अंतरण की देय तिथि	जिले से निधि की प्राप्ति	जिला कार्यालय द्वारा निधि अंतरण में विलंब	संचालनालय द्वारा खाते में अंतरण की तिथि	विलंब (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
बलौदाबाजार	1	जनवरी–2020	07–02–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	30–04–2020	83
बलौदाबाजार	2	फरवरी–2020	07–03–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	30–04–2020	54
बलौदाबाजार	3	मार्च–2020	07–04–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	30–04–2020	23
बलौदाबाजार	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	13–05–2020	6	13–05–2020	6
बलौदाबाजार	5	मई–2020	07–06–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	10–06–2020	3
बलौदाबाजार	6	जून–2020	07–07–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	15–07–2020	8
बलौदाबाजार	7	जुलाई–2020	07–08–2020	05–08–2020	कोई विलंब नहीं	13–08–2020	6
बलौदाबाजार	8	अगस्त–2020	07–09–2020	16–09–2020	9	22–09–2020	15
बलौदाबाजार	9	सितंबर–2020	07–10–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	03–01–2021	88
बलौदाबाजार	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	03–01–2021	57
बलौदाबाजार	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	28–12–2020	21	03–01–2021	27
बलौदाबाजार	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	21–01–2021	14	19–02–2021	43
बलौदाबाजार	13	जनवरी–2021	07–02–2021	03–03–2021	24	19–03–2021	40
बलौदाबाजार	14	फरवरी–2021	07–03–2021	23–04–2021	47	28–04–2021	52
बलौदाबाजार	15	मार्च–2021	07–04–2021	07–05–2021	30	18–05–2021	41
बलौदाबाजार	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	07–05–2021	कोई विलंब नहीं	18–05–2021	11
बलौदाबाजार	17	मई–2021	07–06–2021	07–06–2021	कोई विलंब नहीं	23–06–2021	16
बलौदाबाजार	18	जून–2021	07–07–2021	08–07–2021	1	13–07–2021	6
बलौदाबाजार	19	जुलाई–2021	07–08–2021	04–08–2021	कोई विलंब नहीं	10–08–2021	3
बलौदाबाजार	20	अगस्त–2021	07–09–2021	27–09–2021	20	28–09–2021	21
बलौदाबाजार	21	सितंबर–2021	07–10–2021	01–11–2021	25	04–11–2021	28
बलौदाबाजार	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	23–11–2021	16	25–11–2021	18
बलौदाबाजार	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	25–12–2021	18
बिलासपुर	1	जनवरी–2020	07–02–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	21–02–2020	14
बिलासपुर	2	फरवरी–2020	07–03–2020	06–03–2020	कोई विलंब नहीं	11–03–2020	4
बिलासपुर	3	मार्च–2020	07–04–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	27–04–2020	20
बिलासपुर	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	26–05–2020	19	30–05–2020	23
बिलासपुर	5	मई–2020	07–06–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	16–06–2020	9
बिलासपुर	6	जून–2020	07–07–2020	06–07–2020	कोई विलंब नहीं	10–07–2020	3
बिलासपुर	7	जुलाई–2020	07–08–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	30–08–2020	23
बिलासपुर	8	अगस्त–2020	07–09–2020	01–09–2020	कोई विलंब नहीं	13–10–2020	36
बिलासपुर	9	सितंबर–2020	07–10–2020	28–10–2020	21	08–11–2020	32
बिलासपुर	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	26–11–2020	19	02–12–2020	25
बिलासपुर	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	29–12–2020	22	11–01–2021	35

बिलासपुर	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	19–02–2021	43	26–02–2021	50
बिलासपुर	13	जनवरी–2021	07–02–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	13–03–2021	34
बिलासपुर	14	फरवरी–2021	07–03–2021	12–04–2021	36	14–05–2021	68
बिलासपुर	15	मार्च–2021	07–04–2021	12–04–2021	5	14–05–2021	37
बिलासपुर	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	21–05–2021	14	26–05–2021	19
बिलासपुर	17	मई–2021	07–06–2021	11–06–2021	4	23–06–2021	16
बिलासपुर	18	जून–2021	07–07–2021	12–07–2021	5	17–07–2021	10
बिलासपुर	19	जुलाई–2021	07–08–2021	12–08–2021	5	19–08–2021	12
बिलासपुर	20	अगस्त–2021	07–09–2021	14–09–2021	7	23–09–2021	16
बिलासपुर	21	सितंबर–2021	07–10–2021	23–10–2021	16	26–10–2021	19
बिलासपुर	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	26–11–2021	19
बिलासपुर	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	25–12–2021	18
धमतरी	1	जनवरी–2020	07–02–2020	06–02–2020	कोई विलंब नहीं	21–02–2020	14
धमतरी	2	फरवरी–2020	07–03–2020	12–03–2020	5	24–03–2020	17
धमतरी	3	मार्च–2020	07–04–2020	12–03–2020	कोई विलंब नहीं	24–03–2020	कोई विलंब नहीं
धमतरी	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	29–04–2020	कोई विलंब नहीं	09–05–2020	2
धमतरी	5	मई–2020	07–06–2020	08–06–2020	1	16–06–2020	9
धमतरी	6	जून–2020	07–07–2020	01–07–2020	कोई विलंब नहीं	07–09–2020	62
धमतरी	7	जुलाई–2020	07–08–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	20–08–2020	13
धमतरी	8	अगस्त–2020	07–09–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	18–09–2020	11
धमतरी	9	सितंबर–2020	07–10–2020	11–08–2020	कोई विलंब नहीं	16–10–2020	9
धमतरी	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	25–11–2020	18	01–12–2020	24
धमतरी	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	30–12–2020	23	03–01–2021	27
धमतरी	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	01–02–2021	25	11–02–2021	35
धमतरी	13	जनवरी–2021	07–02–2021	01–03–2021	22	16–03–2021	37
धमतरी	14	फरवरी–2021	07–03–2021	22–03–2021	15	15–04–2021	39
धमतरी	15	मार्च–2021	07–04–2021	22–04–2021	15	06–05–2021	29
धमतरी	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	10–05–2021	3	19–05–2021	12
धमतरी	17	मई–2021	07–06–2021	04–06–2021	कोई विलंब नहीं	22–06–2021	15
धमतरी	18	जून–2021	07–07–2021	09–07–2021	2	28–07–2021	21
धमतरी	19	जुलाई–2021	07–08–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	20–08–2021	13
धमतरी	20	अगस्त–2021	07–09–2021	20–09–2021	13	28–09–2021	21
धमतरी	21	सितंबर–2021	07–10–2021	18–10–2021	11	26–10–2021	19
धमतरी	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	17–11–2021	10
धमतरी	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	13–12–2021	6
जशपुर	1	जनवरी–2020	07–02–2020	09–04–2020	62	02–05–2020	85
जशपुर	2	फरवरी–2020	07–03–2020	09–04–2020	33	02–05–2020	56
जशपुर	3	मार्च–2020	07–04–2020	09–04–2020	2	02–05–2020	25
जशपुर	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	04–06–2020	28	13–06–2020	37
जशपुर	5	मई–2020	07–06–2020	21–07–2020	44	21–07–2020	44

जशपुर	6	जून–2020	07–07–2020	21–07–2020	14	21–07–2020	14
जशपुर	7	जुलाई–2020	07–08–2020	04–09–2020	28	17–09–2020	41
जशपुर	8	अगस्त–2020	07–09–2020	04–09–2020	कोई विलंब नहीं	17–09–2020	10
जशपुर	9	सितंबर–2020	07–10–2020	03–10–2020	कोई विलंब नहीं	25–11–2020	49
जशपुर	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	01–12–2020	24	08–12–2020	31
जशपुर	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	31–12–2020	24	09–01–2021	33
जशपुर	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	19–02–2021	43
जशपुर	13	जनवरी–2021	07–02–2021	31–03–2021	52	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं
जशपुर	14	फरवरी–2021	07–03–2021	31–03–2021	24	18–05–2021	72
जशपुर	15	मार्च–2021	07–04–2021	05–06–2021	59	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं
जशपुर	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	05–06–2021	29	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं
जशपुर	17	मई–2021	07–06–2021	05–06–2021	कोई विलंब नहीं	23–06–2021	16
जशपुर	18	जून–2021	07–07–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	13–07–2021	6
जशपुर	19	जुलाई–2021	07–08–2021	03–08–2021	कोई विलंब नहीं	20–08–2021	13
जशपुर	20	अगस्त–2021	07–09–2021	08–09–2021	1	23–09–2021	16
जशपुर	21	सितंबर–2021	07–10–2021	28–10–2021	21	04–11–2021	28
जशपुर	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	28–10–2021	कोई विलंब नहीं	04–11–2021	कोई विलंब नहीं
जशपुर	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	01–12–2021	कोई विलंब नहीं	06–12–2021	कोई विलंब नहीं
कोंडागांव	1	जनवरी–2020	07–02–2020	05–02–2020	कोई विलंब नहीं	18–02–2020	11
कोंडागांव	2	फरवरी–2020	07–03–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	27–04–2020	51
कोंडागांव	3	मार्च–2020	07–04–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	06–05–2020	29
कोंडागांव	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	26–05–2020	19
कोंडागांव	5	मई–2020	07–06–2020	03–06–2020	कोई विलंब नहीं	10–06–2020	3
कोंडागांव	6	जून–2020	07–07–2020	01–07–2020	कोई विलंब नहीं	09–07–2020	2
कोंडागांव	7	जुलाई–2020	07–08–2020	05–08–2020	कोई विलंब नहीं	13–08–2020	6
कोंडागांव	8	अगस्त–2020	07–09–2020	03–09–2020	कोई विलंब नहीं	06–09–2020	कोई विलंब नहीं
कोंडागांव	9	सितंबर–2020	07–10–2020	09–10–2020	2	09–10–2020	2
कोंडागांव	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	09–11–2020	2	18–11–2020	11
कोंडागांव	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	07–12–2020	कोई विलंब नहीं	12–12–2020	5
कोंडागांव	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	20–01–2021	13	19–02–2021	43
कोंडागांव	13	जनवरी–2021	07–02–2021	26–02–2021	19	07–03–2021	28
कोंडागांव	14	फरवरी–2021	07–03–2021	22–03–2021	15	07–04–2021	31
कोंडागांव	15	मार्च–2021	07–04–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	27–04–2021	20
कोंडागांव	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	18–05–2021	11	25–05–2021	18
कोंडागांव	17	मई–2021	07–06–2021	08–06–2021	1	23–06–2021	16
कोंडागांव	18	जून–2021	07–07–2021	12–07–2021	5	28–07–2021	21
कोंडागांव	19	जुलाई–2021	07–08–2021	07–08–2021	कोई विलंब नहीं	24–08–2021	17

कोंडागांव	20	अगस्त–2021	07–09–2021	20–09–2021	13	28–09–2021	21
कोंडागांव	21	सितंबर–2021	07–10–2021	06–10–2021	कोई विलंब नहीं	14–10–2021	7
कोंडागांव	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	02–11–2021	कोई विलंब नहीं	12–11–2021	5
कोंडागांव	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	20–12–2021	13	25–12–2021	18
कोरबा	1	जनवरी–2020	07–02–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	11–02–2020	4
कोरबा	2	फरवरी–2020	07–03–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	24–03–2020	17
कोरबा	3	मार्च–2020	07–04–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	30–04–2020	23
कोरबा	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	13–05–2020	6
कोरबा	5	मई–2020	07–06–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	29–06–2020	22
कोरबा	6	जून–2020	07–07–2020	04–07–2020	कोई विलंब नहीं	10–07–2020	3
कोरबा	7	जुलाई–2020	07–08–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	21–08–2020	14
कोरबा	8	अगस्त–2020	07–09–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	18–09–2020	11
कोरबा	9	सितंबर–2020	07–10–2020	15–10–2020	8	31–10–2020	24
कोरबा	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	31–10–2020	कोई विलंब नहीं	17–11–2020	10
कोरबा	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	27–11–2020	कोई विलंब नहीं	15–12–2020	8
कोरबा	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	10–01–2021	3	21–01–2021	14
कोरबा	13	जनवरी–2021	07–02–2021	02–02–2021	कोई विलंब नहीं	09–02–2021	2
कोरबा	14	फरवरी–2021	07–03–2021	03–03–2021	कोई विलंब नहीं	26–03–2021	19
कोरबा	15	मार्च–2021	07–04–2021	07–05–2021	30	18–05–2021	41
कोरबा	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	07–05–2021	कोई विलंब नहीं	19–05–2021	12
कोरबा	17	मई–2021	07–06–2021	03–06–2021	कोई विलंब नहीं	23–06–2021	16
कोरबा	18	जून–2021	07–07–2021	09–07–2021	2	01–08–2021	25
कोरबा	19	जुलाई–2021	07–08–2021	10–08–2021	3	28–08–2021	21
कोरबा	20	अगस्त–2021	07–09–2021	08–09–2021	1	28–09–2021	21
कोरबा	21	सितंबर–2021	07–10–2021	04–10–2021	कोई विलंब नहीं	31–10–2021	24
कोरबा	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	02–11–2021	कोई विलंब नहीं	04–12–2021	27
कोरबा	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	16–12–2021	9	31–12–2021	24
कोरिया	1	जनवरी–2020	07–02–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	11–02–2020	4
कोरिया	2	फरवरी–2020	07–03–2020	30–03–2020	23	27–04–2020	51
कोरिया	3	मार्च–2020	07–04–2020	30–03–2020	कोई विलंब नहीं	27–04–2020	20
कोरिया	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	08–05–2020	1	13–05–2020	6
कोरिया	5	मई–2020	07–06–2020	09–06–2020	2	20–06–2020	13
कोरिया	6	जून–2020	07–07–2020	02–07–2020	कोई विलंब नहीं	11–07–2020	4
कोरिया	7	जुलाई–2020	07–08–2020	13–08–2020	6	20–08–2020	13
कोरिया	8	अगस्त–2020	07–09–2020	01–09–2020	कोई विलंब नहीं	05–09–2020	कोई विलंब नहीं
कोरिया	9	सितंबर–2020	07–10–2020	28–09–2020	कोई विलंब नहीं	10–10–2020	3
कोरिया	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	09–11–2020	2	23–11–2020	16
कोरिया	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	02–01–2021	26	10–12–2020	3
कोरिया	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	16–01–2021	9
कोरिया	13	जनवरी–2021	07–02–2021	18–02–2021	11	25–02–2021	18

कोरिया	14	फरवरी–2021	07–03–2021	05–03–2021	कोई विलंब नहीं	26–03–2021	19
कोरिया	15	मार्च–2021	07–04–2021	30–03–2021	कोई विलंब नहीं	08–04–2021	1
कोरिया	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	06–05–2021	कोई विलंब नहीं	14–05–2021	7
कोरिया	17	मई–2021	07–06–2021	02–06–2021	कोई विलंब नहीं	09–06–2021	2
कोरिया	18	जून–2021	07–07–2021	13–07–2021	6	15–07–2021	8
कोरिया	19	जुलाई–2021	07–08–2021	03–08–2021	कोई विलंब नहीं	07–08–2021	कोई विलंब नहीं
कोरिया	20	अगस्त–2021	07–09–2021	07–09–2021	कोई विलंब नहीं	22–09–2021	15
कोरिया	21	सितंबर–2021	07–10–2021	21–10–2021	14	26–10–2021	19
कोरिया	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	06–11–2021	कोई विलंब नहीं	11–11–2021	4
कोरिया	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	17–12–2021	10	25–12–2021	18
नारायणपुर	1	जनवरी–2020	07–02–2020	07–02–2020	कोई विलंब नहीं	16–02–2020	9
नारायणपुर	2	फरवरी–2020	07–03–2020	04–03–2020	कोई विलंब नहीं	11–03–2020	4
नारायणपुर	3	मार्च–2020	07–04–2020	12–03–2020	कोई विलंब नहीं	20–03–2020	कोई विलंब नहीं
नारायणपुर	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	25–04–2020	कोई विलंब नहीं	14–05–2020	7
नारायणपुर	5	मई–2020	07–06–2020	01–06–2020	कोई विलंब नहीं	05–06–2020	कोई विलंब नहीं
नारायणपुर	6	जून–2020	07–07–2020	03–07–2020	कोई विलंब नहीं	10–07–2020	3
नारायणपुर	7	जुलाई–2020	07–08–2020	18–08–2020	11	21–08–2020	14
नारायणपुर	8	अगस्त–2020	07–09–2020	14–09–2020	7	18–09–2020	11
नारायणपुर	9	सितंबर–2020	07–10–2020	27–10–2020	20	08–11–2020	32
नारायणपुर	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	24–11–2020	17	27–11–2020	20
नारायणपुर	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	11–12–2020	4	18–12–2020	11
नारायणपुर	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	08–01–2021	1	14–01–2021	7
नारायणपुर	13	जनवरी–2021	07–02–2021	08–02–2021	1	18–02–2021	11
नारायणपुर	14	फरवरी–2021	07–03–2021	08–03–2021	1	23–03–2021	16
नारायणपुर	15	मार्च–2021	07–04–2021	15–04–2021	8	24–04–2021	17
नारायणपुर	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	03–05–2021	कोई विलंब नहीं	14–05–2021	7
नारायणपुर	17	मई–2021	07–06–2021	31–05–2021	कोई विलंब नहीं	09–06–2021	2
नारायणपुर	18	जून–2021	07–07–2021	30–06–2021	कोई विलंब नहीं	13–07–2021	6
नारायणपुर	19	जुलाई–2021	07–08–2021	04–08–2021	कोई विलंब नहीं	07–08–2021	कोई विलंब नहीं
नारायणपुर	20	अगस्त–2021	07–09–2021	07–09–2021	कोई विलंब नहीं	21–09–2021	14
नारायणपुर	21	सितंबर–2021	07–10–2021	12–10–2021	5	23–10–2021	16
नारायणपुर	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	11–11–2021	4	16–11–2021	9
नारायणपुर	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	06–12–2021	कोई विलंब नहीं	11–12–2021	4
रायगढ़	1	जनवरी–2020	07–02–2020	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	25–02–2020	18
रायगढ़	2	फरवरी–2020	07–03–2020	19–03–2020	12	30–03–2020	23
रायगढ़	3	मार्च–2020	07–04–2020	19–03–2020	कोई विलंब नहीं	30–03–2020	कोई विलंब नहीं
रायगढ़	4	अप्रैल–2020	07–05–2020	05–05–2020	कोई विलंब नहीं	18–05–2020	11

रायगढ़	5	मई–2020	07–06–2020	08–06–2020	1	13–06–2020	6
रायगढ़	6	जून–2020	07–07–2020	03–07–2020	कोई विलंब नहीं	10–07–2020	3
रायगढ़	7	जुलाई–2020	07–08–2020	13–08–2020	6	18–08–2020	11
रायगढ़	8	अगस्त–2020	07–09–2020	14–09–2020	7	18–09–2020	11
रायगढ़	9	सितंबर–2020	07–10–2020	06–10–2020	कोई विलंब नहीं	12–10–2020	5
रायगढ़	10	अक्टूबर–2020	07–11–2020	19–11–2020	12	25–11–2020	18
रायगढ़	11	नवम्बर–2020	07–12–2020	10–12–2020	3	19–12–2020	12
रायगढ़	12	दिसंबर–2020	07–01–2021	उपलब्ध नहीं है	सुनिश्चित नहीं	15–01–2021	8
रायगढ़	13	जनवरी–2021	07–02–2021	30–01–2021	कोई विलंब नहीं	08–02–2021	1
रायगढ़	14	फरवरी–2021	07–03–2021	06–03–2021	कोई विलंब नहीं	07–04–2021	31
रायगढ़	15	मार्च–2021	07–04–2021	12–04–2021	5	20–04–2021	13
रायगढ़	16	अप्रैल–2021	07–05–2021	05–05–2021	कोई विलंब नहीं	14–05–2021	7
रायगढ़	17	मई–2021	07–06–2021	02–06–2021	कोई विलंब नहीं	09–06–2021	2
रायगढ़	18	जून–2021	07–07–2021	09–07–2021	2	20–07–2021	13
रायगढ़	19	जुलाई–2021	07–08–2021	02–08–2021	कोई विलंब नहीं	13–08–2021	6
रायगढ़	20	अगस्त–2021	07–09–2021	08–09–2021	1	23–09–2021	16
रायगढ़	21	सितंबर–2021	07–10–2021	13–10–2021	6	26–10–2021	19
रायगढ़	22	अक्टूबर–2021	07–11–2021	18–11–2021	11	26–11–2021	19
रायगढ़	23	नवम्बर–2021	07–12–2021	07–12–2021	कोई विलंब नहीं	10–12–2021	3

परिशिष्ट 2.3.1

(कंडिका 2.3.6.2 में संदर्भित)

ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या/वर्ष	अंतिम देयक में अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ में)	ठेकेदार का नाम	सी.बी. व्हाउचर क्रमांक/दिनांक	अंतिम देयक मे भुगतान की गयी राशि (₹ लाख मे)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायगढ़	05 डीएल/2016–17	6.74	साजन गुप्ता	06 डीएल/10.07.2019	72.22
2		06 डीएल/2016–17	3.97	साजन गुप्ता	03 डीएल/03.08.2019	62.63
3		07 डीएल/2015–16	2.40	साजन गुप्ता	06 डीएल/15.06.2020	53.27
4		09 डीएल/2015–16	1.43	देवनारायण यादव	05 डीएल/13.09.2019	38.22
5		13 डीएल/2017–18	1.04	महेश प्रसाद चन्द्र	04 डीएल/11.06.2019	16.68
6	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), पत्थलगांव	38 डीएल/2016–17	10.78	मनोज कुमार केडिया	55 डीएल/29.02.2020 33 डीएल/02.09.2020	146.34
7		39 डीएल/2017–18	1.27	गजेन्द्र जैन	45 डीएल/30.12.2019 46 डीएल/30.12.2019 44 डीएल/29.02.2020	105.85
8		43 डीएल/2017–18	1.47	दिनेश जयसवाल	33 डीएल/24.10.2019 34 डीएल/24.10.2019 126 डीएल/26.06.2020	41.10
9		45 डीएल/2018–19	1.77	नित्यानन्द सिंह	29 डीएल/22.07.2020	44.86
10		04 डीएल/2018–19	1.40	द्वारिका बिल्डकॉन	48 डीएल/29.02.2020 23 डीएल/24.03.2020	28.71
11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), अम्बिकापुर	29 डीएल/2015–16	22.34	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	17 डीएल/20.08.2018 13 डीएल/04.07.2019 38 डीएल/22.07.2020	421.30
12		89 डीएल/2015–16	2.10	गौरी कंस्ट्रक्शन	16 डीएल/15.01.2018 33 डीएल/22.07.2020	150.85
13		49 डीएल/2018–19	2.77	नित्यानन्द सिंह	34 डीएल/28.02.2020	169.31
14		42 डीएल/2018–19	1.68	हर्ष कंस्ट्रक्शन	80 डीएल/26.06.2020	50.11
15		67 डीएल/2017–18	1.79	चन्द्रा कंस्ट्रक्शन	08 डीएल/10.06.2019 66 डीएल/25.03.2020	67.28
16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सूरजपुर	21 डीएल/2015–16	12.54	विकास कंस्ट्रक्शन	04 डीएल/19.03.2020	30.60
17		25 डीएल/2016–17	2.88	ओझा कंस्ट्रक्शन	33 डीएल/18.05.2018 13 डीएल/12.06.2018 06 डीएल/06.12.2019	110.45
18		38 डीएल/2016–17	2.12	मधुसूदन अग्रवाल	12 डीएल/21.08.2019 13 डीएल/27.12.2019 16 डीएल/21.10.2020	143.24
19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), जगदलपुर	01 डीएल/2018–19	3.99	बी.के. चावला	27 डीएल/23.10.2019 08 डीएल/13.12.2019	79.85
20		20 डीएल/2015–16	20.44	के.सी. राव	33 डीएल/25.02.2020 16 डीएल/19.06.2020	171.93
21		9 डीएल/2016–17	16.28	रोशन बिल्डर्स	10 डीएल/27.11.2019	51.07
22		7 डीएल/2017–18	17.21	अशोक कुमार मित्तल	05 डीएल/25.11.2019 22 डीएल/27.01.2020	368.96

23		13 डीएल/2017–18	2.85	मानक लाल साहू	05 डीएल/06.06.2020	39.04
24	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, जगदलपुर	02 डीएल/2018–19	0.99	बालाजी कंस्ट्रक्शन	65 डीएल/29.02.2020 06 डीएल/06.05.2020	36.19
25		69 डीएल/2016–17	32.47	डी.के. इंजीनियरिंग	64 डीएल/29.02.2020 19 डीएल/20.05.2020	293.37
26		42 डीएल/2017–18	0.98	आडिल ग्लोबल मार्केटिंग	28 डीएल/17.12.2019 21 डीएल/30.09.2020	29.32
27		43 डीएल/2017–18	1.01	आडिल ग्लोबल मार्केटिंग	21 डीएल/22.11.2019	18.17
28		64 डीएल/2017–18	0.67	वैभव कंस्ट्रक्शन	25 डीएल/05.08.2019 05 डीएल/19.03.2020	41.97
29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मुंगेली	11 डीएल/2019–20	22.66	कन्हैया लाल अग्रवाल	12 डीएल/24.07.2020 13 डीएल/24.07.2020	237.12
30		17 डीएल/2018–19	1.29	सुरेश कुमार अग्रवाल	05 डीएल/17.05.2019 06 डीएल/18.03.2020	76.54
31		54 डीएल/2018–19	0.57	मां भवानी कंस्ट्रक्शन	87 डीएल/25.10.2019 05 डीएल/14.07.2020	12.61
32		13 डीएल/2017–18	7.92	योगेश कंस्ट्रक्शन कंपनी	24 डीएल/24.02.2020 25 डीएल/24.02.2020	104.10
33		19 डीएल/2012–13	10.63	मेसर्स हिल्ब्रो मेटालिक्स	22 डीएल/22.05.2020	50.21
34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), बिलासपुर	17 डीएल/2018–19	1.45	महामाया कंस्ट्रक्शन	05 डीएल/26.08.2019	39.05
35		15 डीएल/2018–19	1.24	राजेश कुमार अग्रवाल	06 डीएल/29.08.2019	36.40
36		16 डीएल/2018–19	1.50	महामाया कंस्ट्रक्शन	04 डीएल/26.08.2019	52.05
37	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	78 डीएल/2016–17	18.99	मोहन पोद्दार	26 डीएल/13.05.2019 29 डीएल/08.06.2020	496.23
38		97 डीएल/2017–18	5.85	जैन कंस्ट्रक्शन	59 डीएल/27.02.2020 61 डीएल/27.02.2020	173.55
39		99 डीएल/2017–18	5.81	जैन कंस्ट्रक्शन	60 डीएल/27.02.2020 62 डीएल/27.02.2020	67.80
40		38 डीएल/2018–19	2.16	चक्रधारी कंस्ट्रक्शन	52 डीएल/30.04.2020 60 डीएल/30.09.2020	78.63
41		2 डीएल/2018–19	1.90	मनोहर लाल गावरी	19 डीएल/10.08.2020 03 डीएल/04.09.2020 92 डीएल/15.10.2020 93 डीएल/15.10.2020	68.14
42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दुर्ग	124 डीएल/2018–19	35.70	एन. सी. नाहर	126 डीएल/29.05.2020 55 डीएल/12.06.2020 95 डीएल/27.06.2020	764.91
43		98 डीएल/2017–18	13.79	राजकॉन इंजीनियर्स	13 डीएल/10.02.2020 69 डीएल/13.03.2020 70 डीएल/14.05.2020	235.47
44		109 डीएल/2019–20	11.43	सेवा सिंह ओबेराय एंड कंपनी	54 डीएल/09.11.2020 54 डीएल/14.01.2021	337.59
45		94 डीएल/2016–17	9.66	एन.सी. नाहर	74 डीएल/22.03.2018 129 डीएल/26.03.2018 19 डीएल/19.06.2018 61 डीएल/21.07.2020	383.69

46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दुर्ग	08 डीएल/2019–20	9.28	राजकॉन इंजीनियर्स प्रा. लि.	09 डीएल/02.05.2020 71 डीएल/14.05.2020 88 डीएल/19.05.2020 88 डीएल/23.06.2020 4 डीएल/07.09.2020	137.71
47		157 डीएल/2019–20	25.03	गणेश प्रसाद खेतान	22 डीएल/12.08.2021 235 डीएल/29.06.2021	779.66
48		130 डीएल/2019–20	20.54	गणेश प्रसाद खेतान	103 डीएल/12.03.2021 234 डीएल/29.06.2021	471.63
49		80 डीएल/2019–20	16.58	मेसर्स एन.सी. नाहर	257 डीएल/30.06.2021 05 डीएल/07.08.2021	133.98
50		162 डीएल/2019–20	18.45	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी	201 डीएल/26.06.2021 244 डीएल/29.06.2021	408.99
51	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), दुर्ग	01 डीएल/2017–18	5.51	पवन कुमार अग्रवाल	10 डीएल/22.08.2019 04 डीएल/03.01.2020	91.06
52		06 डीएल/2016–17	4.27	गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी	13 डीएल/09.12.2019	82.72
53		03 डीएल/2013–14	5.59	इंजीनियर ब्रिजेश अग्रवाल	09 डीएल/24.10.2019	48.99
54		07 डीएल/2018–19	20.63	विनोद कुमार जैन	13 डीएल/11.10.2021	66.75
55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1 बिलासपुर	33 डीएल/2019–20	4.92	जवाहर लाल गुप्ता	72 डीएल/13.11.2020	80.60
56	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जशपुर	23 डीएल/2016–17	7.43	जवाहर लाल गुप्ता	02 डीएल/06.06.2018 23 डीएल/26.06.2019	149.16
57		06 डीएल/2016–17	6.03	विरेन्द्र कुमार सिंह	03 डीएल/06.07.2020	71.87
58	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मनेन्द्रगढ़	53 डीएल/2015–16	6.51	डी.सी. कंस्ट्रक्शन	90 डीएल/13.02.2019 21 डीएल/27.11.2019 04 डीएल/05.12.2019	159.02
59		09 डीएल/2016–17	4.16	डी.सी. बिल्डकॉन	43 डीएल/12.02.2019 20 डीएल/27.11.2019	119.47
60		42 डीएल/2016–17	3.87	रामनिवास पोद्दार	26 डीएल/26.09.2018 12 डीएल/22.10.2018 39 डीएल/27.06.2020	77.67
61		01 डीएल/2018–19	2.91	द्वारिका बिल्डकॉन	30 डीएल/19.12.2018 76 डीएल/24.03.2020	18.07
62		37 डीएल/2018–19	2.67	अशोक कुमार जयसवाल	44 डीएल/25.10.2019	188.60
63	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोरबा	11 डीएल/2019–20	2.15	डी.सी. कंस्ट्रक्शन	41 डीएल/22.06.2020	104.01
64	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बालोद	02 डीएल/2018–19	3.67	मेसर्स ए.व्ही. कंस्ट्रक्शन	22 डीएल/18.06.2019	29.23
65		07 डीएल/2017–18	9.16	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी	30 डीएल/11.07.2019 31 डीएल/11.07.2019	108.38
66		44 डीएल/2018–19	15.49	मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय एंड कंपनी	04 डीएल/07.08.2019 38 डीएल/14.08.2019 39 डीएल/14.08.2019 80 डीएल/31.08.2019	297.40

67		93 डीएल/2016–17	4.00	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन	09 डीएल/31.03.2019 39 डीएल/25.04.2019	162.85
68	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बीजापुर	31 डीएल/2016–17	3.77	मि. दयाशंकर पटेल	04 डीएल/07.08.2019 10 डीएल/16.07.2021	144.83
69		19 डीएल/2018–19	1.73	मि. अभिषेक कुमार साहा	09 डीएल/24.03.2021 07 डीएल/20.05.2021 11 डीएल/16.07.2021	54.69
70		12 डीएल/2015–16	10.87	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	14 डीएल/27.02.2021 15 डीएल/27.02.2021	390.38
71		61 डीएल/2013–14	3.82	जी.बी.आर. कंस्ट्रक्शन	16 डीएल/29.08.2019	16.75
72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), खैरागढ़	63 डीएल/2017–18	37.38	मेसर्स बी.बी. वर्मा	03 डीएल/21.05.2021	82.61
73		53 डीएल/2018–19	6.40	मेसर्स सुराना एंड कंपनी	22 डीएल/28.07.2020 06 डीएल/07.09.2020	128.31
74		58 डीएल/2018–19	15.65	आलोक बिल्डटेक	73 डीएल/15.10.2019 33 डीएल/29.02.2020	138.17
75		64 डीएल/2018–19	12.52	राजकॉन इंजीनियर	45 डीएल/31.08.2019 41 डीएल/28.09.2019 04 डीएल/10.10.2019	95.98
76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर	21 डीएल/2019–20	12.77	उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	12 डीएल/25.03.2020 16 डीएल/12.11.2020	56.05
77		14 डीएल/2016–17	2.02	बच्ची देवी मिश्रा	15 डीएल/25.04.2019 160 डीएल/28.08.2019	10.30
78		83 डीएल/2017–18	1.12	बजाज बिल्डर्स 002	24 डीएल/17.05.2019 19 डीएल/27.12.2019	95.09
79		09 डीएल/2017–18	5.01	जी.सी. जैन	22 डीएल/22.08.2019 21 डीएल/25.10.2019	72.83
80		18 डीएल/2017–18	18.72	मल्लिकार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी	24 डीएल/22.08.2019	103.29
81		23 डीएल/2017–18	7.30	मेसर्स बी.बी. वर्मा	09 डीएल/22.11.2021	41.88
82		20 डीएल/2020–21	1.04	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	20 डीएल/25.02.2021 38 डीएल/27.02.2021	103.81
83		32 डीएल/2017–18	0.70	मि. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	18 डीएल/12.11.2020	9.79
84	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोंडागांव	14 डीएल/2015–16	14.22	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	06 डीएल/11.06.2019 05 डीएल/09.12.2019 06 डीएल/09.12.2019	427.05
85		21 डीएल/2018–19	5.49	मेसर्स मां दंतेश्वरी कंस्ट्रक्शन	04 डीएल/11.08.2020 05 डीएल/11.08.2020	25.46
86		59 डीएल/2017–18	4.53	मेसर्स किशोर जयसवाल	47 डीएल/28.02.2020 03 डीएल/11.06.2020 14 डीएल/17.07.2020 08 डीएल/16.10.2020 62 डीएल/31.10.2020	160.78
87		49 डीएल/2018–19	3.52	मेसर्स श्री लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन	42 डीएल/30.05.2020 43 डीएल/30.05.2020	43.43
88		80 डीएल/2016–17	2.91	मेसर्स पवन कुमार चन्द्राकर	48 डीएल/25.03.2020 32 डीएल/30.04.2020	172.23
89	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	71 डीएल/2016–17	2.38	मि. जे. मनोज कुमार	56 डीएल/21.03.2020 19 डीएल/30.04.2020	47.32

	(भ/स), संभाग–1, जगदलपुर				19 डीएल/15.05.2020	
90	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, जगदलपुर	28 डीएल/2013–14	53.87	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	18 डीएल/24.08.2020	9.00
91		37 डीएल/2013–14	19.19	अशोका इंजीनियर्स (इंडिया) प्रा. लि.	36 डीएल/31.12.2019	0.56
92		31 डीएल/2019–20	1.43	मि. संदीप गोयल	29 डीएल/09.03.2020	82.71
93	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, रायपुर	86 डीएल/2017–18	9.56	मेसर्स विनोद कुमार जैन	212 डीएल/26.10.2019 24 डीएल/19.02.2020	332.93
94		10 डीएल/2019–20	1.04	बिटुमेक कंस्ट्रक्शन	58 डीएल/29.02.2020	84.66
95		103 डीएल/2017–18	0.86	मि. अतुल चौहान	20 डीएल/19.02.2020 21 डीएल/19.02.2020 04 डीएल/07.08.2020	40.99
96		108 डीएल/2017–18	5.39	मेसर्स बिरेश शुक्ला	28 डीएल/23.01.2020	1.14
97		28 डीएल/2012–13	8.55	गोवर्धन दास गोविन्द राम	04 डीएल/12.03.2020	7.56
98	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बलौदाबाजार	227 डीएल/2018–19	33.71	किरण बिल्डकॉन	72 डीएल/29.07.2020 117 डीएल/31.10.2020	697.29
99		206 डीएल/2018–19	30.23	जवाहर लाल गुप्ता	73 डीएल/27.02.2020 27 डीएल/17.08.2020	679.61
100		84 डीएल/2017–18	3.42	मेसर्स रामनिवास अग्रवाल	05 डीएल/12.05.2020 58 डीएल/16.06.2020 76 डीएल/30.09.2020 68 डीएल/12.11.2020	139.03
101		107 डीएल/2020–21	4.34	प्रमोद कंस्ट्रक्शन	61 डीएल/28.07.2021	268.02
102		119 डीएल/2020–21	17.66	किरण बिल्डकॉन	17 डीएल/12.07.2021	1173.18
103		145 डीएल/2018–19	5.52	किरण बिल्डकॉन	18 डीएल/12.07.2021	12.96
104		65 डीएल/2018–19	8.34	योगेश कंस्ट्रक्शन	42 डीएल/23.01.2021	49.43
105		17 डीएल/2015–16	10.71	मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कं.	28 डीएल/19.03.2020	25.52
106		71 डीएल/2013–14	16.10	ए.के. कंस्ट्रक्शन	60 डीएल/28.07.2021	345.44
107	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु.), रायपुर	36 डीएल/2017–18	6.41	अमर इंफ्रास्ट्रचर	15 डीएल/07.03.2020	77.27
108		30 डीएल/2018–19	4.89	पदुमन कंस्ट्रक्शन	16 डीएल/07.03.2020	42.51
109		06 डीएल/2018–19	3.75	अशोक केजरीवाल	19 डीएल/07.03.2020	57.23
110	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रामानुजगंज	02 डीएल/2015–16	33.57	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	25 डीएल/09.06.2017 38 डीएल/14.06.2017 48 डीएल/16.10.2017 03 डीएल/02.07.2019	399.46
111		13 डीएल/2016–17	10.13	मेसर्स महामाया कंस्ट्रक्शन	32 डीएल/31.03.2018 33 डीएल/31.08.2018 04 डीएल/01.06.2019	125.80
112		54 डीएल/2018–19	9.44	योगेश जयसवाल	71 डीएल/30.08.2019 18 डीएल/03.09.2019	321.36

					19 डीएल/03.09.2019 36 डीएल/25.10.2019	
113	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रामानुजगंज	18 डीएल/2015–16	9.19	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	62 डीएल/30.01.2017 12 डीएल/08.02.2018 76 डीएल/27.06.2019	648.59
114		112 डीएल/2013–14	8.08	ए.के. कंस्ट्रक्शन	13 डीएल/13.07.2020	95.85
115	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), विधानसभा	88 डीएल/2018–19	6.68	मेसर्स गुलाबचंद जैन	45 डीएल/26.06.2020	52.95
116		35 डीएल/2015–16	4.12	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन	14 डीएल/15.07.2019 47 डीएल/24.02.2020 48 डीएल/24.02.2020	135.94
117		64 डीएल/2018–19	2.27	सुरेश कुमार मिश्रा	06 डीएल/06.02.2020 07 डीएल/06.02.2020 07 डीएल/05.03.2020	46.49
118		12 डीएल/2019–20	0.51	मेसर्स जे. के. ट्रांसपोर्ट	10 डीएल/11.12.2019	51.02
119		74 डीएल/2019–20	0.87	मेसर्स इंटीरियर्स	47 डीएल/28.05.2020	7.55
120	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कवर्धा	85 डीएल/2017–18	10.22	मेसर्स ओम एसोसिएट्स	16 डीएल/12.09.2019 41 डीएल/26.10.2019	129.85
121		63 डीएल/2018–19	7.77	एन.सी. नाहर	05 डीएल/13.08.2019 03 डीएल/09.09.2019 36 डीएल/31.12.2019	39.28
122		54 डीएल/2018–19	5.78	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	36 डीएल/31.05.2019 34 डीएल/29.06.2019 08 डीएल/05.10.2019	132.04
123		50 डीएल/2018–19	5.11	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	19 डीएल/25.07.2019 07 डीएल/05.10.2019	315.52
124		112 डीएल/2013–14	21.61	मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन	30 डीएल/19.03.2020	130.76
125		69 डीएल/2016–17	3.04	शंकरा इंटरप्राईजेज	23 डीएल/31.08.2021	18.65
126		07 डीएल/2018–19	2.86	राजस्थान एसोसिएट्स	49 डीएल/23.03.2021	14.56
127		12 डीएल/2015–16	7.01	मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन	75 डीएल/24.03.2021	24.10
128	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, रायपुर	125 डीएल/2016–17	7.56	मेसर्स पी.एम.डी. इंफ्राकॉन	10 डीएल/02.11.2018 19 डीएल/12.12.2018 58 डीएल/22.05.2020	171.49
129		56 डीएल/2015–16	8.57	मेसर्स पी.एम.डी. इंफ्राकॉन	64 डीएल/31.12.2018 59 डीएल/22.05.2020	14.40
130		80 डीएल/2016–17	14.01	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	4 डीएल/06.09.2018 130 डीएल/26.03.2019 62 डीएल/06.03.2020	190.22
131		07 डीएल/2019–20	12.72	मेसर्स एन.सी. नाहर	82 डीएल/29.07.2020	430.58
132	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बेमेतरा	64 डीएल/2016–17	8.71	मि. आलोक शिवहरे	69 डीएल/25.01.2018 18 डीएल/21.02.2018 12 डीएल/09.11.2020	259.63
133		11 डीएल/2017–18	30.08	मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय	14 डीएल/10.04.2019 25 डीएल/16.04.2019 34 डीएल/16.07.2020	659.91

134	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–3, रायपुर	02 डीएल/2018–19	7.27	मि. विजय कुमार अग्रवाल	13 डीएल/10.11.2020 16 डीएल/16.12.2020	106.12
135		56 डीएल/2018–19	9.26	मेसर्स गुलाब चन्द जैन	12 डीएल/19.03.2020 34 डीएल/24.03.2020 20 डीएल/19.06.2020	189.60
136	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), धमतरी	76 डीएल/2017–18	7.12	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	13 डीएल/30.09.2020 14 डीएल/30.09.2020 15 डीएल/30.09.2020	72.53
137		93 डीएल/2017–18	6.92	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	04 डीएल/08.09.2020 32 डीएल/29.12.2020 33 डीएल/29.12.2020 34 डीएल/29.12.2020	98.09
138		24 डीएल/2018–19	1.32	मेसर्स रमेश कुमार साहू	47 डीएल/27.08.2019 15 डीएल/07.03.2020 16 डीएल/07.03.2020	132.35
139	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दंतेवाड़ा	16 डीएल/2017–18	14.10	मेसर्स विनोद कुमार जैन	05 डीएल/05.06.2019 04 डीएल/09.07.2019 21 डीएल/30.07.2019	298.13
140		59 डीएल/2016–17	0.88	मि. प्रसून यादव	04 डीएल/31.08.2019	24.57
141		35 डीएल/2017–18	0.88	मि. दुर्गा प्रकाश सिंह चौहान	03 डीएल/31.08.2019	23.68
142		47 डीएल/2017–18	0.84	मेसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन	03 डीएल/04.09.2019	55.10
143		48 डीएल/2017–18	0.84	मेसर्स सरताज कंस्ट्रक्शन	14 डीएल/15.10.2018 21 डीएल/29.11.2019 22 डीएल/29.11.2019	84.04
144	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कांकेर	09 डीएल/2017–18	8.58	मेसर्स मां भगवती कंस्ट्रक्शन	21 डीएल/26.10.2018 18 डीएल/14.03.2019 18 डीएल/14.01.2020 19 डीएल/16.01.2020	316.35
145		19 डीएल/2017–18	1.35	मि. रूपेश्वर सिंह ठाकुर	23 डीएल/29.08.2020 10 डीएल/05.02.2021	43.32
146		59 डीएल/2019–20	1.14	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	15 डीएल/18.08.2020	20.34
147		43 डीएल/2014–15	2.35	मेसर्स श्री शक्ति कंस्ट्रक्शन	17 डीएल/18.08.2020	24.82
148		44 डीएल/2014–15	3.12	मेसर्स ओम बिल्डर	06 डीएल/02.05.2020	15.56
149	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), नारायणपुर	31 डीएल/2014–15	7.64	मेसर्स श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	07 डीएल/22.05.2019 08 डीएल/22.05.2019 09 डीएल/10.06.2019	96.99
150	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), महासमुंद	122 डीएल/2017–18	4.12	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	38 डीएल/23.07.2019 24 डीएल/29.02.2020	49.01
151		64 डीएल/2018–19	10.63	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	45 डीएल/25.12.2019	99.14
152		80 डीएल/2018–19	6.72	मेसर्स रिगल बिल्डर्स	06 डीएल/14.01.2020 19 डीएल/27.02.2020 12 डीएल/08.01.2021	169.14
153		82 डीएल/2018–19	3.23	मेसर्स सुशील कुमार अग्रवाल	5 डीएल/06.03.2020	48.37

154	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), महासमुंद	104 डीएल/2018–19	3.88	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	32 डीएल/16.07.2020	59.25
155	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), संभाग–1, रायपुर	12 डीएल/2020–21	0.72	मेसर्स बच्ची देवी मिश्रा	15 डीएल/13.07.2021	46.13
156		13 डीएल/2020–21	1.39	मेसर्स बच्ची देवी मिश्रा	16 डीएल/13.07.2021	20.40
157		25 डीएल/2019–20	0.74	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	03 डीएल/01.07.2020	12.93
158	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग, एडीबी, बलौदाबाजार	05 डीएल/2014–15	96.16	श्री किशन बार्बरिक जे.व्ही.	71 डीएल/27.11.2019	84.79
159		08 डीएल/2014–15	114.16	अग्रवाल इंफाबिल्ट प्रा. लि.	55 डीएल/26.11.2019	6.61
160		01 डीएल/2015–16	159.70	विनोद कुमार जैन	47 डीएल/24.11.2019	737.62
161		01 डीएल/2019–20	35.15	मेसर्स आरकान्स डी.डी.वी. जे.वी..	8 डीएल/22.09.2021	279.05
162		09 डीएल/2019–20	45.15	मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट	100 डीएल/29.10.2021	341.15
163	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), चांपा	40 डीएल/2017–18	1.10	मि. देवनंदन दिलीप	07 डीएल/05.03.2020	13.89
164	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, बिलासपुर	64 डीएल/2017–18	1.46	संजीव कंस्ट्रक्शन	87 डीएल/29.04.2020	5.37
165		50 डीएल 2018–19	2.15	मेसर्स वाई जी. नन्देश्वर	36 डीएल/31.08.2020	20.89
166		15 डीएल/2019–20	0.90	मेसर्स आलोक सिंह ठाकुर	5 डीएल/13.05.2020	52.45
167	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), अम्बिकापुर	13 डीएल/2016–17	9.82	मि. अशोक कुमार मित्तल	25 डीएल/21.07.2020	92.41
168		12 डीएल/2016–17	1.04	मेसर्स यू.सी. जयसवाल	12 डीएल/24.08.2020	9.65
169		10 डीएल/2018–19	10.48	मेसर्स एग्रिको स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स	03 डीएल/20.05.2020	13.23
170	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), अम्बिकापुर	01 डीएल/2019–20	0.76	मेसर्स आर. के. इंफ्रास्ट्रक्चर	3 डीएल/04.11.2019	11.50
171		07 डीएल/2019–20	0.62	गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी	5 डीएल/27.02.2021	62.63
172		12 डीएल/2018–19	0.85	मेसर्स पूर्वा इंजियरिंग एंड अर्थ मूवर्स	56 डीएल/07.03.2019	68.06
173		13 डीएल/2018–19	0.86	मेसर्स पूर्वा इंजियरिंग एंड अर्थ मूवर्स	13 डीएल/16.04.2019	58.29
174	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु.), बिलासपुर	18 डीएल/2016–17	22.63	मेसर्स बांका कंस्ट्रक्शन	08 डीएल/10.06.2020	83.93
175		31 डीएल/2017–18	9.67	मि. नरेन्द्र मिश्रा	09 डीएल/09.10.2020	133.08
176		12 डीएल/2018–19	4.27	मि. एम.डी. अख्तर	06 डीएल/20.07.2021	60.53
177		28 डीएल/2015–16	9.04	मि. विशम्भर दयाल अग्रवाल	11 डीएल/09.10.2020	2.83

178	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), राजनांदगांव	06 डीएल/2015–16	192.06	मेसर्स अमर–डीआरए (जे.व्ही.)	26 आईपीसी/03.08.2021	69.28
179		04 डीएल/2015–16	76.46	मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	19 आईपीसी/24.11.2019	341.79
180		06 डीएल/2014–15	101.97	मेसर्स एन.एस.पी. आर. कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	25 आईपीसी/24.11.2019	192.63
181		05 डीएल/2015–16	70.52	मेसर्स अमर–डी.. आर.ए. (जे.व्ही.)	15 आईपीसी/24.11.2019	318.88
182		02 डीएल/2015–16	109.07	सिनफ्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	18 डीएल/25.11.2019	59.94
183	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), जगदलपुर	19 डीएल/2016–17	11.54	मेसर्स बी.आर. सिंह भदौरिया, नकुलनार	03 डीएल/19.06.2019	116.28
184		40 डीएल/2014–15	1.29	सरफेस इंजिनयरिंग प्रा. लि.	04 डीएल/06.01.2015	36.71
185		02 डीएल/2017–18	0.58	ए.वाइ.व्ही. इंफ्रास्ट्रक्चर	02 डीएल/02.06.2018	58.80
186		04 डीएल/2016–17	0.80	मेसर्स के.जी.एन. कंस्ट्रक्शन	07 डीएल/29.11.2016	61.55
187		06 डीएल/2016–17	0.62	ओशो बिल्डकॉन प्रा.लि.	05 डीएल/28.02.2017	62.04
188	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सुकमा	114 डीएल/2016–17	4.02	मेसर्स रामशरण सिंह	06 डीएल/11.01.2019 44 डीएल/27.08.2019 17 डीएल/22.10.2019	163.72
189		16 डीएल/2017–18	0.40	अशोक कुमार टपाड़िया	35 डीएल/25.02.2021	27.63
190		22 डीएल/2017–18	1.70	मेसर्स रामशरण सिंह	48 डीएल/29.08.2019	81.76
191		78 डीएल/2017–18	0.22	विशाल सिंह	03 डीएल/03.09.2019	11.73
192	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), सुकमा	03 डीएल/2018–19	0.41	तनय चौधरी	03 डीएल/04.06.2019	5.51
193		09 डीएल/2015–16	0.93	मेसर्स जी.टी. रामा राव	09 डीएल/18.12.2015	62.21
194		10 डीएल/2015–16	0.35	मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन	02 डीएल/05.01.2016	35.00
195		11 डीएल/2015–16	0.28	मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन	08 डीएल/09.12.2015	27.87
196	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), रायपुर	07एडीबी/2014–15	85.79	मेसर्स बीएसबीके प्रा.लि.	69 एडीबी/26.06.2018 41 एडीबी/17.09.2018 67 एडीबी/30.11.2018 14 एडीबी/02.12.2018 45 एडीबी/24.11.2019 56 एडीबी/26.11.2019 67 एडीबी/27.11.2019	2162.33
197		09एडीबी/2014–15	70.89	मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड	61 एडीबी/22.09.2018 64 एडीबी/29.11.2018 09 एडीबी/02.12.2018 39 एडीबी/04.12.2018 85 एडीबी/21.10.2019 58 एडीबी/26.11.2019 68 एडीबी/27.11.2019	1058.95

198		13एडीबी / 2014–15	126.61	मेसर्स आरकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लि.	71 एडीबी / 20.07.2018 67 एडीबी / 26.09.2018 07 एडीबी / 02.12.2018 13 एडीबी / 02.12.2018 09 एडीबी / 13.03.2019 21 एडीबी / 05.09.2019 39 एडीबी / 24.11.2019 52 एडीबी / 26.11.2019	2753.71
199		15एडीबी / 2014–15	120.48	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि.	72 एडीबी / 30.06.2018 19 एडीबी / 03.12.2018 20 एडीबी / 03.12.2018 42 एडीबी / 24.11.2019 50 एडीबी / 25.11.2019	2129.35
200	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), रायपुर	03एडीबी / 2015–16	53.11	मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	56 एडीबी / 20.09.2018 06 एडीबी / 02.12.2018 17 एडीबी / 02.12.2018 35 एडीबी / 23.03.2019 38 एडीबी / 23.11.2019 57 एडीबी / 26.11.2019	1454.63
201	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ / स), संभाग गरियाबंद	02 डीएल / 2015–16	2.11	मि. रोहित कुमार चन्द्राकर	11 डीएल / 05.01.2021 16 डीएल / 08.01.2021	39.99
202		148 डीएल / 2013–14	15.73	मेसर्स एन्यू कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	23 डीएल / 24.04.2019	96.60
203		41 डीएल / 2015–16	1.58	मेसर्स शेवतर्क ट्रेडर्स	04 डीएल / 11.08.2021 07 डीएल / 13.08.2021	28.08
204		01 डीएल / 2018–19	14.07	मेसर्स एन्यू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	20 डीएल / 22.09.2021 21 डीएल / 28.10.2021	122.73
205		13 डीएल / 2019–20	3.40	मेसर्स गुलाब चन्द जैन	04 डीएल / 05.11.2020	55.65
206		07 डीएल / 2020–21	1.85	मेसर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर	44 डीएल / 29.09.2021 31 डीएल / 30.10.2021	32.56
207		46 डीएल2018–19	7.33	मि. मो. फारूक वारसी	03 डीएल / 11.05.2020 08 डीएल / 04.07.2020	35.28
208		51 डीएल / 2015–16	9.62	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	31 डीएल / 22.02.2020	55.63
209		43 डीएल / 2018–19	3.56	अनुज बिल्डकॉन	08 डीएल / 09.06.2020 25 डीएल / 14.07.2020	39.10
योग						**36890.71**

परिशिष्ट 2.3.2

(कंडिका 2.3.6.2 में संदर्भित)

ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या/वर्ष	अंतिम देयक में अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ मे)	ठेकेदार का नाम	सी.बी. व्हाउचर क्रमांक/दिनांक	अंतिम देयक मे भुगतान की गयी राशि (₹ लाख मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद	02 डीएल/ 2019–20	4.57	मेसर्स संतोष अग्रवाल	15 डीएल/ 27.08.2021	50.10
2		03 डीएल/ 2020–21	2.97	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन	15 डीएल/ 21.09.2021	17.88
3	कार्यपालन अभियंता, तांदूला, जल संसाधन संभाग, दुर्ग	07 डीएल/ 2020–21	2.94	श्री रानी सोती ग्रेनाईट कंपनी	47 डीएल/ 29.12.2020	76.95
4		05 डीएल/2018–19	11.59	गणपती कंस्ट्रक्शन	18 डीएल/ 15.03.2021	19.03
5		10 डीएल/ 2017–18	4.56	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	50 डीएल/ 30.12.2020	35.52
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर	02 डीएल/ 2016–17	13.34	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	01 डीएल/ 06.08.2021	393.55
7	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग–1, अम्बिकापुर	27 डीएल/ 2013–14	5.40	मेसर्स उत्तम सिंह सिसोदिया, अंबिकापुर	393 डीएल/ 17.03.2021	25.30
8		02 डीएल/ 2020–21	3.17	मेसर्स देवनरायण यादव	399 डीएल/ 23.03.2021	24.76
9		06 डीएल/ 2019–20	5.86	एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी	30 डीएल/ 02.06.2021	7.15
10	कार्यपालन अभियंता, एमबीसी संभाग–5, खरसिया	07/डीएल/ 2018–19	2.57	मेसर्स संतोष अग्रवाल एंड कं.	57 डीएल/ 24.03.2021	37.06
11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वे एवं बैराज कंस्ट्रक्शन संभाग क्र.–1, खरसिया	01/डीएल/ 2011–12	391.14	मेसर्स एन.सी.सी., हैदराबाद	14 डीएल/ 02.11.2021	101.12
12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सुकमा	08/डीएल/ 2013–14	2.59	कुलकर्णी एंड साहू एसोसिएट	01/डीएल/ 17.05.2016	9.60
13		02/डीएल/ 2014–15	1.84	मेसर्स अतुल सिंह ठाकुर	01/डीएल/ 30.04.2015	64.56
14	कार्यपालन अभियंता, केलो प्रोजेक्ट सर्वे संभाग रायगढ़	10 डीएल/ 2017–18	8.67	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	03 डीएल/ 10. 03.2021	185.50
15		07 डीएल/	5.73	विजय कुमार शैलेन्द्र	98 डीएल/ 30.	32.16

		2018–19		कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	12.2020	
16		04 डीएल/ 2016–17	3.78	मेसर्स संतोष अग्रवाल एंड कं.	03 डीएल/ 06. 08.2021	29.02
17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	01 डीएल/ 2017–18	0.93	अमित कुमार उष्या	02 डीएल/ 01.08.2018	11.65
18		02 डीएल/ 2014–15	3.82	राजीव कुमार चौधरी	01 डीएल/ 01.06.2018	17.91
19		06 डीएल/2013–14	1.84	मेसर्स बैजनाथ अग्रवाल	17 डीएल /27. 08.2019	3.22
20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बीजापुर	10 डीएल/ 2016–17	0.71	मेसर्स श्रींग कंस्ट्रक्शन	01 डीएल/ 06.08.2019	30.53
21	कार्यपालन अभियंता, केलो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन संभाग लाखा, रायगढ़	02 डीएल/ 2016–17	1.10	मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन	29 डीएल/ 13.08.2019	6.91
22	कार्यपालन अभियंता, एमआरपी फेज–2, रायपुर	02 डीएल/ 2018–19	5.68	आर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रायगढ़	105 डीएल/ 29.12.2020	10.39
23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर	09 डीएल/ 2018–19	1.00	आर.बी. कंस्ट्रक्शन	02 डीएल/ 14.06.2019	20.93
24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग–2, रामानुजगंज	04 डीएल/ 2015–16	2.94	विरेन्द्र कुमार सिंह	158 डीएल/ 17.12.2019	160.77
25		02 डीएल/ 2016–17	3.72	ओम कंस्ट्रक्शन	12 डीएल/ 12.09.2020	44.00
26		02 डीएल/ 2019–20	2.67	महामाया कंस्ट्रक्शन	5 डीएल/ 21.03.2021	110.11
27	कार्यपालन अभियंता, एचसीडब्ल्यूएम संभाग जांजगीर	10/डीएल/ 2017–18	13.94	अशोक कुमार मित्तल	33 डीएल/ 07.03.2020	85.42
28		19/डीएल/ 2017–18	12.32	रितेश कुमार अग्रवाल	01 डीएल/ 01.06.2020	39.23
29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कंस्ट्रक्शन संभाग कसडोल	02/डीएल/ 2015–16	28.64	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	07 डीएल/ 26.08.2021	471.52
30		20/डीएल/ 2017–18	9.22	श्री अच्छेलाल अग्रवाल	33 डीएल/ 20.11.2019	162.93
31		27 डीएल/ 2018–19	6.34	श्री अच्छेलाल अग्रवाल	08 डीएल/ 03.07.2020	65.99
32		39 डीएल/ 2018–19	2.11	श्री बैजनाथ अग्रवाल	29 डीएल/ 18.08.2020	31.17
33		40 डीएल/ 2018–19	3.09	श्री बैजनाथ अग्रवाल	13 डीएल/ 28.10.2020	18.62
कुल						**2400.56**

परिशिष्ट 2.3.3

(कंडिका 2.3.6.3(i) में संदर्भित)

बाजार दर विलंब से जारी करने के कारण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण

लोक निर्माण विभाग (अ)													
स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक/वर्ष	अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ मे)	ठेकेदार का नाम	कार्य मे प्रयुक्त गौण खनिजों का विवरण (घनमीटर मे)			जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गयी गौण खनिजो की बाजार दर (₹ मे)			काटी गयी रॉयल्टी की कुल राशि (₹ लाख मे)	रॉयल्टी शुल्क काटी जानी थी (₹ लाख मे)	कम काटी गयी रॉयल्टी शुल्क (₹ लाख मे)
					गिट्टी	रेती	मूरूम	गिट्टी	रेती	मूरूम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (=13–12)
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर	14 डीएल /2016–17	2.02	बच्ची देवी मिश्रा	1529.41	1120.59	1739.72	520	200	200	3.02	13.67	10.65
2		83 डीएल/2017–18	1.12	बजाज बिल्डर्स 002	3552.15	0	2243.49	520	200	200	5.74	22.96	17.22
3		09 डीएल/2017–18	5.01	जी.सी. जैन	21797.51	1473.97	3738.90	520	200	200	30.73	123.77	93.04
4		18 डीएल/2017–18	18.72	मल्लिकार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी	56582.07	4683.34	4358.78	520	200	200	69.15	312.31	243.16
5	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बलौदाबाजार	227 डीएल/2018–19	33.71	किरण बिल्डकॉन	48473.99	1029.34	279.50	528	180	200	63.67	258.35	194.68
6		206 डीएल/2018–19	30.23	जवाहर लाल गुप्ता	61300.17	3839.63	0	528	180	200	81.13	330.58	249.45
7		84 डीएल/2017–18	3.42	मेसर्स रामनिवास अग्रवाल	1807.46	664.85	0	528	180	200	2.57	10.74	8.17
8	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु.), रायपुर	36 डीएल/2017–18	6.41	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2628.01	1352.32	1500.00	520	200	200	10.20	19.37	9.17
9		30 डीएल/2018–19	4.89	पदुमन कंस्ट्रक्शन	4912.91	1590.88	0	520	200	200	9.33	28.73	19.40
10		6 डीएल/2018–19	3.75	मेसर्स अशोक कुमार केजरीवाल	3066.00	1195.00	1604.00	520	200	200	7.50	21.54	14.04
11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रामानुजगंज	02 डीएल/2015–16	33.57	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	25036.00	23664.00	39597.00	500	147.24	147.24	82.08	218.33	136.25
12		13 डीएल/2016–17	10.13	मेसर्स महामाया कंस्ट्रक्शन	29028.47	11822.01	1233.06	500	147.24	147.24	21.58	164.36	142.78
13		54 डीएल/2018–19	9.44	योगेश जायसवाल	9714.04	6346.47	0	500	147.24	147.24	15.80	57.91	42.11
14		18 डीएल/2015–16	9.19	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	7837.00	2832.00	1599.00	500	147.24	147.24	1.46	45.71	44.25
15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), विधान सभा	88 डीएल/2018–19	6.68	मेसर्स गुलाबचंद जैन	16560.00	4283.90	336.75	520	200	200	26.27	95.35	69.08
16		35 डीएल/2015–16	4.12	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन	2960.25	976.03	0	520	200	200	4.40	17.35	12.95

17		64 डीएल/2018–19	2.27	मेसर्स सुरेश कुमार मिश्रा	989.11	942.35	0	520	200	200	1.87	7.03	5.16
18		12 डीएल/2019–20	0.51	मेसर्स जे. के. ट्रांसपोर्ट	699.26	0	0	520	200	200	0.91	3.64	2.73
19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), गरियाबंद	46 डीएल 2018–19	7.33	मि. मो. फारूक वारसी	4916.03	5761.04	7966.10	559	215	215	17.23	56.99	39.76
20		51 डीएल/2015–16	9.62	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि	4346.03	17199.84	333.63	559	215	215	12.71	61.99	49.28
21		43 डीएल/2018–19	3.56	अनुज बिल्डकॉन	9063.51	735.78	2213.47	559	215	215	17.47	57.01	39.54
22		13 डीएल/2019–20	3.40	मेसर्स गुलाबचंद जैन	10297.90	851.66	2477.26	559	215	215	23.13	64.72	41.59
23	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कवर्धा	85 डीएल/2017–18	10.22	मेसर्स ओम एसोसिएट्स	3727.68	2690.64	10419.00	590	227.26	227.26	9.47	51.79	42.32
24		63 डीएल/2018–19	7.77	एन.सी. नाहर	32722.04	1615.61	251.55	590	227.26	227.26	45.75	197.30	151.55
25		54 डीएल/2018–19	5.78	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	15277.89	2217.28	1903.85	590	227.26	227.26	24.62	99.51	74.89
26		50 डीएल/2018–19	5.11	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	12266.55	677.19	2753.60	590	227.26	227.26	17.33	80.17	62.84
27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, रायपुर	125 डीएल/2016–17	7.56	मेसर्स पी.एम.डी. इंफ्राकॉन	1266.34	136.86	0	520	200	200	13.46	6.86	– 6.60
28		56 डीएल/2015–16	8.57	मेसर्स पी.एम.डी. इंफ्राकॉन	29283.76	1636.87	0	520	200	200	30.49	155.55	125.06
29		80 डीएल/2016–17	14.01	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	27506.66	31056.59	0	520	200	200	29.88	205.15	175.27
30		07 डीएल/2019–20	12.72	मेसर्स एन.सी. नाहर	45704.00	2858.00	0	520	200	200	60.63	243.38	182.75
31	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बेमेतरा	64 डीएल/2016–17	8.71	मि. आलोक शिवहरे	31395.00	324.00	0	819	315	315	32.40	258.15	225.75
32		11 डीएल/2017–18	30.08	मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय	64575.00	7400.14	0	819	315	315	87.65	552.18	464.53
33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–3, रायपुर	02 डीएल/2018–19	7.27	मि. विजय कुमार अग्रवाल	2384.80	2074.52	10571.79	520	200	200	8.01	37.69	29.68
34		56 डीएल/2018–19	9.26	मेसर्स गुलाबचंद जैन	28231.00	2358.04	0	520	200	200	53.24	151.52	98.28
35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), धमतरी	76 डीएल/2017–18	7.12	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	2933.74	6113.81	1825.83	408	212	212	8.79	28.80	20.01
36		93 डीएल/2017–18	6.92	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	2193.24	5549.63	804.38	408	212	212	6.48	22.42	15.94
37		24 डीएल/2018–19	1.32	मेसर्स रमेश कुमार साहू	843.44	671.70	845.00	408	212	212	1.91	6.66	4.75
38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), नारायणपुर	31 डीएल/2014–15	7.64	मेसर्स श्रीजी कृपा प्रोजक्ट लि.	3034.11	5749.14	641.70	390	231	150	3.63	26.08	22.45
39	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	122 डीएल/2017–18	4.12	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	15375.96	1636.89	0	400	200	200	27.13	64.78	37.65
40		64 डीएल/2018–19	10.63	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	22578.37	0	0	400	200	200	38.15	90.31	52.16

41	(भ/स), महासमुंद	80 डीएल/2018–19	6.72	मेसर्स रिगल बिल्डर्स	24089.43	2963.73	0	400	200	200	42.27	102.29	60.02
42		82 डीएल/2018–19	3.23	मेसर्स सुशील कुमार अग्रवाल	14303.01	5497.07	0	400	200	200	30.82	68.21	37.39
43		104 डीएल/2018–19	3.88	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	13792.85	998.09	2713.37	400	200	200	34.15	62.59	28.44
44	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), संभाग–1, रायपुर	12 डीएल/2020–21	0.72	मेसर्स बच्ची देवी मिश्रा	2027.48	0	0	520	200	200	3.42	10.54	7.12
45		13 डीएल/2020–21	1.39	मेसर्स बच्ची देवी मिश्रा	3488.55	0	0	520	200	200	5.89	18.14	12.25
46		25 डीएल/2019–20	0.74	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	1159.94	0	0	520	200	200	2.00	6.03	4.03
47	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), बलौदाबाजार	05 डीएल/2014–15	96.29	श्री किशन बार्बरिक (जे.व्ही.), कोरबा	249180.63	30087.45	55671.09	528	180	200	149.18	1481.17	1331.99
48		08 डीएल/2014–15	143.37	मेसर्स अग्रवाल इंफ्राबिल्ड प्रा. लि., बिलासपुर	368664.94	15016.17	94185.22	528	180	200	464.92	2161.95	1697.03
49		01 डीएल/2015–16	159.95	मेसर्स विनोद कुमार जैन–पाथ (जे.व्ही.), रायपुर	356478.05	85431.93	124812.77	528	180	200	606.04	2285.61	1679.57
50	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), जगदलपुर	40 डीएल/2014–15	1.29	सरफेस इंजीनियरिंग प्रा. लि., जगदलपुर	1827.04	0	0	452	174	174	1.88	8.26	6.38
51		02 डीएल/2017–18	0.58	मेसर्स ए. वाई. व्ही. इंफ्रास्ट्रक्चर	800.57	354.48	0	452	174	174	1.12	4.24	3.12
52		04 डीएल/2016–17	0.80	मेसर्स के.जी.एन. कंस्ट्रक्शन	1367.30	0	0	452	174	174	0.91	6.18	5.27
53		06 डीएल/2016–17	0.62	मेसर्स ओशो बिल्डकॉन प्रा. लि.	1150.00	0	0	452	174	174	1.30	5.20	3.90
54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), सुकमा	09 डीएल/2015–16	0.93	मेसर्स जी.टी. रामा राव	5665.87	0	2428.20	206	100	100	6.32	14.10	7.78
55		10 डीएल/2015–16	0.35	मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन	527.15	0	0	206	100	100	0.54	1.09	0.55
56		11 डीएल/2015–16	0.28	मेसर्स पी.एस.ए. कंस्ट्रक्शन	424.51	0	0	206	100	100	0.56	0.87	0.31
57	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), रायपुर	07 एडीबी/2014–15	85.79	मेसर्स बी.एस.बी.के. प्रा.लि.	166598.72	10126.07	71079.67	520	200	200	350.42	1028.72	678.30
58		09एडीबी/2014–15	70.89	मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लि.	49142.62	23603.49	52293.40	520	200	200	363.99	407.34	43.35
59		13एडीबी/2014–15	126.61	मेसर्स आरकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लि.	292686.84	64758.34	96189.68	520	200	200	455.50	1843.87	1388.37
60		15एडीबी/2014–15	120.48	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि.	384247.94	34791.08	145089.49	520	200	200	55.46	2357.85	2302.39
61		03एडीबी/2015–16	53.11	मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	203091.37	14278.00	57913.49	520	200	200	261.92	1200.46	938.54
योग (अ)											**3845.58**	**17345.39**	**13499.81**

जल संसाधन विभाग (ब)													
स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक/वर्ष	सी.बी. व्हाउचर क्रमांक एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य मे प्रयुक्त गौण खनिजों का विवरण (घनमीटर मे)			जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गयी गौण खनिजो की बाजार दर (₹ मे)			काटी गयी रॉयल्टी की कुल राशि (₹ लाख मे)	रॉयल्टी शुल्क काटी जानी थी (₹ लाख मे)	कम काटी गयी रॉयल्टी शुल्क (₹ लाख मे)
					गिट्टी	रेती	मूरूम	गिट्टी	रेती	मूरूम			
1	कार्यपालन अभियंता, एमआरपी फेज–2 रायपुर	02 डीएल/ 2018–19	105 डीएल/ 29.12.2020	आर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रायगढ़	4312.00	2144.00	3495.41	520	200	200	10.95	33.70	22.75
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कसडोल	20 डीएल/ 2017–18	33 डीएल/ 20.11.2019	श्री अच्छेलाल अग्रवाल	22682.00	11743.00	0	528	180	200	6.43	140.90	134.47
3		27 डीएल/ 2018–19	08 डीएल/ 03.07.2020	श्री अच्छेलाल अग्रवाल	9315.00	5624.70	0	528	180	200	6.34	59.31	52.97
4		39 डीएल/ 2018–19	29 डीएल/ 18.08.2020	श्री बैजनाथ अग्रवाल	4416.00	2226.80	0	528	180	200	1.99	27.32	25.33
5		40 डीएल/ 2018–19	13 डीएल/ 28.10.2020	श्री बैजनाथ अग्रवाल	4500.00	2256.60	0	528	180	200	2.46	27.82	25.36
	योग (ब)										**28.17**	**289.05**	**260.88**
	महायोग (अ+ब)										**3873.75**	**17634.44**	**13760.69**

परिशिष्ट 2.3.4

(कंडिका 2.3.6.3(ii) में संदर्भित)

जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद बाजार मूल्यों की वसूली न होने का विवरण (लोक निर्माण विभाग)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक/वर्ष	अंतिम देयक मे अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ मे)	ठेकेदार का नाम	कार्य मे प्रयुक्त गौण खनिजों का विवरण (घनमीटर मे)			जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गयी गौण खनिजों की बाजार दर (₹ मे)			काटी गयी वास्तविक रॉयल्टी शुल्क	रॉयल्टी शुल्क काटी जानी थी	कम काटी गयी रॉयल्टी शुल्क
					गिट्टी	रेती	मूरूम	गिट्टी	रेती	मूरूम	(₹ लाख मे)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14 (=13–12).
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मनेन्द्रगढ़	53 डीएल/2015–16	6.51	डी.सी. कंस्ट्रक्शन	22690.68	1432.75	निरंक	403	70	70	24.43	92.45	68.02
2		09 डीएल/2016–17	4.16	डी.सी. बिल्डकॉन	23829.58	2405.77	525.26	403	70	70	20.15	98.08	77.93
3		42 डीएल/2016–17	3.87	रामनिवास पोद्दार	21197.70	981.73	781.70	403	70	70	22.42	86.66	64.24
4		1 डीएल/2018–19	2.91	द्वारिका बिल्डकॉन	2425.51	निरंक	निरंक	434	76	76	2.74	10.53	7.79
5		37 डीएल/2018–19	2.67	अशोक कुमार जायसवाल	8973.30	695.25	निरंक	434	76	76	15.25	39.47	24.22
6	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), पत्थलगांव	38 डीएल/2016–17	10.78	मनोज कुमार केडिया	40356.55	22976.24	9298.50	412	80	80	58.54	192.09	133.55
7		39 डीएल/2017–18	1.27	गजेन्द्र जैन	793.00	680.00	निरंक	412	80	80	1.37	3.81	2.44
8		43 डीएल/2017–18	1.47	दिनेश जैन	742.86	616.34	457.06	412	80	80	1.51	3.92	2.41
9		45 डीएल/2018–19	1.77	नित्यानन्द सिंह	4905.66	1516.63	निरंक	412	80	80	6.54	21.42	14.88
10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), अम्बिकापुर	29 डीएल/2015–16	22.34	श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लि.	7214.99	6332.13	17273.67	381	80	80	12.96	46.37	33.41
11		89 डीएल/2015–16	2.10	गौरी कंस्ट्रक्शन	6879.10	654.46	606.96	381	80	80	7.34	27.22	19.88
12		49 डीएल/2018–19	2.77	नित्यानन्द सिंह	8726.13	931.25	निरंक	264	165	165	11.81	24.57	12.76
13		42 डीएल/2018–19	1.68	हर्ष कंस्ट्रक्शन	344.83	452.84	निरंक	264	165	165	0.67	1.66	0.99
14		67 डीएल/2017–18	1.79	चन्द्रा कंस्ट्रक्शन	10761.22	2280.86	निरंक	381	80	80	13.18	42.82	29.64
15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सूरजपुर	21 डीएल/2015–16	11.18	विकास कंस्ट्रक्शन	4095.61	10432.80	7097.00	309	60	60	8.10	23.17	15.07
16		25 डीएल/2016–17	2.88	ओझा कंस्ट्रक्शन	1573.71	745.34	निरंक	284	56	56	2.07	4.89	2.82
17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), जगदलपुर	1 डीएल/2018–19	3.99	बी.के. चावला	2377.92	1220.41	1540.20	262.4	100	100	5.75	9.00	3.25
18		20 डीएल/2015–16	20.44	के.सी. राव	13883.91	6191.92	4582.10	452	174	174	16.45	81.50	65.05
19		9 डीएल/2016–17	16.28	रोशन बिल्डर्स	11586.66	7083.33	8782.20	452	174	174	22.33	79.98	57.65

20		7 डीएल/2017–18	17.21	अशोक कुमार मित्तल	17902.84	4200.84	33816.10	452	174	174	46.85	147.07	100.22
21		13 डीएल/2017–18	2.85	मानक लाल साहू	3961.24	758.79	0	452	174	174	7.23	19.23	12.00
22	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मुंगेली	11 डीएल/2019–20	22.66	कन्हैया लाल अग्रवाल	60563.28	1156.66	5537.79	520	150	150	115.28	324.97	209.69
23		17 डीएल/2018–19	1.29	सुरेश कुमार अग्रवाल	5461.95	239.29	निरंक	520	150	150	7.23	28.76	21.53
24		54 डीएल/2018–19	0.57	मां भवानी कंस्ट्रक्शन	149.82	81.89	190.87	520	150	150	0.98	1.19	0.21
25		13 डीएल/2017.18	7.92	योगेश कंस्ट्रक्शन कंपनी	3321.19	5627.72	0	520	150	150	6.18	25.71	19.53
26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), बिलासपुर	17 डीएल/2018–19	1.45	महामाया कंस्ट्रक्शन	4692.49	निरंक	निरंक	170	30	30	7.94	7.98	0.04
27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	78 डीएल/2016–17	18.99	मोहन पोद्दार	11390.26	26738.95	निरंक	382	80	80	28.19	64.90	36.71
28		97 डीएल/2017–18	5.85	जैन कंस्ट्रक्शन	2736.72	2456.60	6986.30	382	80	80	8.28	18.01	9.73
29		99 डीएल/2017–18	5.81	जैन कंस्ट्रक्शन	2730.26	2446.56	7368.50	382	80	80	8.46	18.28	9.82
30		38 डीएल/2018–19	2.16	चक्रधारी कंस्ट्रक्शन	7704.77	866.72	निरंक	382	80	80	21.15	30.13	8.98
31		02 डीएल/2018–19	1.90	मनोहर लाल गावरी	1164.18	982.05	2877.89	382	80	80	4.48	7.54	3.06
32	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दुर्ग	124 डीएल/2018–19	35.70	एन.सी. नाहर	98772.63	31698.56	321.05	618	520	332	150.48	776.31	625.83
33		98 डीएल/2017–18	13.79	राजकॉन इंजिनियर	54307.79	4511.96	1748.96	618	520	332	57.78	364.89	307.11
34		109 डीएल/2019–20	11.43	सेवा सिंह ओबेराय एंड कंपनी	22358.18	4332.47	निरंक	618	520	332	51.67	160.70	109.03
35		94 डीएल/2016–17	9.66	एन.सी. नाहर	33652.56	5182.78	निरंक	618	520	332	35.70	234.92	199.22
36		08 डीएल/2019–20	9.28	राजकॉन इंजीनियर्स प्रा. लि.	31061.37	4029.67	2969.24	618	520	332	43.88	222.77	178.89
37		157 डीएल/2019–20	25.03	मेसर्स जी.पी. खेतान	76665.33	8447.17	निरंक	618	520	332	194.15	517.72	323.57
38		130 डीएल/2019–20	20.54	मेसर्स जी.पी. खेतान	69957.00	8784.56	निरंक	618	520	332	155.03	478.01	322.98
39		80 डीएल/2019–20	16.58	मेसर्स एन.सी. नाहर	53872.65	5795.11	3382.05	618	520	332	112.73	374.30	261.57
40		162 डीएल/2019–20	18.45	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी	59930.59	6888.28	निरंक	618	520	332	105.76	406.19	300.43
41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), राजनांदगांव	01 डीएल/2017–18	5.51	पवन कुमार अग्रवाल	4559.05	1324.41	138.39	293	80	80	8.31	14.53	6.22
42		06 डीएल/2016–17	4.27	गुप्ता कंस्ट्रक्शन क.	3723.27	1235.70	433.50	293	80	80	11.24	12.24	1.00
43		09 डीएल/2016–17	5.47	मिथिलेश मिश्रा	4800.39	1354.97	निरंक	293	80	80	8.40	15.15	6.75
44	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सभाग–01, बिलासपुर	33 डीएल/2019.20	4.92	जवाहर लाल गुप्ता	20263.00	802.31	निरंक	339	95	95	26.74	69.45	42.71

45	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जशपुर	23 डीएल/2016–17	7.43	जवाहर लाल गुप्ता, अंबिकापुर	10551.01	18871.53	864.18	412	80	80	16.00	59.26	43.26
46		06 डीएल/2016–17	6.03	विरेन्द्र कुमार सिंह	15383.21	2028.20	1489.60	412	80	80	21.76	66.10	44.43
47	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायगढ़	05 डीएल/2016–17	6.74	साजन गुप्ता	7806.50	3366.66	1098.00	290	40	40	17.33	24.42	7.09
48		06 डीएल/2016–17	3.97	साजन गुप्ता	5723.96	2885.31	1284.42	290	40	40	7.75	18.27	10.52
49		07 डीएल/2015–16	2.40	साजन गुप्ता	2255.42	2055.70	1284.30	290	40	40	5.30	7.88	2.58
50		09 डीएल/2015–16	1.43	देवनारायण यादव	860.66	685.12	993.72	290	40	40	2.90	3.17	0.27
51		13 डीएल/2017–18	1.04	महेष प्रसाद चन्द्र	787.20	787.18	82.68	290	40	40	1.61	2.63	1.02
52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोरबा	11 डीएल/2019–20	2.15	डी.सी. कंस्ट्रक्शन	9256.35	1236.80	निरंक	531	186	186	12.65	51.45	38.80
53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बालोद	02 डीएल/2018–19	3.67	मेसर्स ए.व्ही. कंस्ट्रक्शन	9219.13	निरंक	1150.20	384	86	86	12.56	36.39	23.83
54		07 डीएल/2017–18	9.16	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी	23735.65	693.06	20133.04	384	83	83	33.90	109.06	75.16
55		44 डीएल/2018–19	15.49	मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय	31869.00	2849.79	निरंक	384	86	86	42.85	124.83	81.97
56		93 डीएल/2016–17	4.00	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी	1626.50	1016.87	निरंक	384	86	86	2.03	7.12	5.09
57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बीजापुर	31 डीएल/2016–17	3.77	मि. दयाशंकर पटेल	5613.55	768.23	6840.68	206	40	40	13.21	14.61	1.40
58		19 डीएल/2018–19	1.73	मि. अभिषेक कुमार साहा	824.03	781.63	1067.90	429	165	165	3.30	6.59	3.29
59	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), खैरागढ़	63 डीएल/2017–18	37.38	मेसर्स बी.बी वर्मा	80059.23	13830.41	518.44	293	80	80	107.82	246.05	138.23
60		53 डीएल/2018–19	6.40	मि. सुराना एंड कंपनी	28040.85	959.89	762.00	293	80	80	37.31	83.54	46.23
61		58 डीएल/2018–19	15.65	आलोक बिल्डटेक	54357.98	3308.90	9108.12	293	80	80	76.87	169.20	92.33
62		64 डीएल/2018–19	12.52	राजकॉन इंजिनियर्स	49844.98	2250.07	6897.85	293	80	80	69.37	153.36	83.99
63	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), अम्बिकापुर	01 डीएल/2019–20	0.76	मेसर्स आर. के. इंफ्रास्ट्रक्चर	1924.33	निरंक	निरंक	429	165	165	2.54	8.26	5.72
64		07 डीएल/2019–20	0.62	गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी	1522.81	निरंक	निरंक	429	165	165	1.97	6.53	4.56
65		12 डीएल/2018–19	0.85	मेसर्स पूर्वा इंजियरिंग एंड अर्थ मूवर्स	1229.91	निरंक	निरंक	429	165	165	1.62	5.28	3.66
66		13 डीएल/2018–19	0.86	मेसर्स पूर्वा इंजियरिंग एंड अर्थ मूवर्स	1887.76	निरंक	निरंक	429	165	165	2.49	8.10	5.61
67	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कवर्धा	62 डीएल/2020–21	3.80	कुरमी बेना कंस्ट्रक्शन कंपनी	8587.67	44.05	734.04	590	227.26	227.26	22.65	52.43	29.78

68		69 डीएल/2016–17	3.04	मेसर्स शंकरा इंटरप्राईजेज	1242.96	1100.61	4636.06	590	227.26	227.26	2.70	20.37	17.67
69		24 डीएल/2019–20	95.02	मेसर्स हिल ब्रो मेटालिक्स एन्ड कंस्ट्रक्शन	240463.82	21601.05	0	590	227.26	227.26	201.39	1467.83	1266.44
70		07 डीएल/2018–19	2.86	राजस्थान एसोसिएट्स	1731.15	1269.80	1004.26	590	227.26	227.26	4.20	15.38	11.18
71		12 डीएल/2015.16	7.01	मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन	3600.24	2554.83	13365.73	590	227.26	227.26	9.08	57.42	48.34
72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु.), बिलासपुर	12 डीएल/2018–19	4.27	मो. अख्तर	5404.75	2635.42	476.19	531	186	186	18.22	34.49	16.26
73	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर	20 डीएल/2020–21	1.04	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	1962.78	निरंक	निरंक	520	200	200	2.55	10.21	7.65
74		21 डीएल/2019–20	12.77	उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	1761.62	0	0	520	200	200	2.98	9.16	6.18
75		23 डीएल/2017–18	7.30	मेसर्स बी.बी.वर्मा	20461.78	2428.78	813.32	520	200	200	29.22	112.89	83.67
76		32 डीएल/2017–18	0.70	आर.के.जायसवाल	353.69	293.27	0	520	200	200	0.62	2.43	1.81
77	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), दुर्ग	06 डीएल/2014–15	101.97	मेसर्स एन.एस.पी.आर.,लि. हैदराबाद	250911.55	25248.09	47276.54	293	80	80	331.02	793.19	462.17
78		06 डीएल/2015–16	191.35	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जॉइंट वेंचर)	436244.09	38706.84	141848.80	618	520	332	712.75	3368.20	2655.45
79		04 डीएल/2014–15	76.46	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जॉइंट वेंचर)	190663.06	22587.18	54489.18	618	520	332	249.73	1476.66	1226.93
80		05 डीएल/2015–16	70.52	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जॉइंट वेंचर)	155950.28	25971.26	45827.24	618	520	332	205.48	1250.97	1045.49
81		02 डीएल/2015–16	109.27	मेसर्स सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि., कोलकाता	285740.19	41894.72	45124.49	618	520	332	443.47	2133.54	1690.07
82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), सुकमा	03 डीएल/2018–19	0.41	मि. तनय चौधरी	460.79	निरंक	निरंक	260	100	100	0.78	1.20	0.42
83	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोंडागांव	14 डीएल/2015–16	14.22	श्रीजी कृपा प्रो. लि.	5923.42	14578.59	0	591	227	227	14.81	68.10	53.29
84		21 डीएल/2018–19	5.49	मेसर्स मां दंतेश्वरी कंस्ट्रक्शन	19253.13	4139.26	1292.78	591	227	227	36.07	126.12	90.05
85		59 डीएल/2017–18	4.53	मेसर्स किशोर जायसवाल	1768.88	3495.87	0	591	227	227	5.80	18.39	12.59
86		49 डीएल/2018–19	3.52	मेसर्स श्री लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन	12646.46	428.79	679.67	591	227	227	22.09	77.26	55.17

87		80 डीएल/2016–17	2.91	मेसर्स पवन कुमार चन्द्राकर	6539.52	2209.52	3812.77	591	227	227	12.04	52.32	40.28
88	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1 जगदलपुर	71 डीएल/2016–17	2.38	मि. जे. मनोज कुमार	1629.00	1005.00	1638.10	452	174	174	4.49	11.96	7.47
89	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, रायपुर	86 डीएल/2017–18	9.56	मेसर्स विनोद कुमार जैन	46144.36	839.04	0	452	174	174	78.53	210.03	131.50
90		10 डीएल/2019–20	1.04	मेसर्स बिटुमेक कंस्ट्रक्शन रायपुर	5219.68	156.16	779.51	452	174	174	9.43	25.22	15.79
91		103 डीएल/2017–18	0.86	मि. अतुल चौहान	415.06	358.29	890.70	452	174	174	1.21	4.05	2.84
92		108 डीएल/2017–18	5.39	मेसर्स बिरेश शुक्ला	129.40	268.85	0	452	174	174	0.36	1.05	0.69
93	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बलौदाबाजार	107 डीएल/2020–21	4.34	प्रमोद कंस्ट्रक्शन	10247.15	696.80	0	528	180	200	13.66	55.36	41.70
94		119 डीएल/2020–21	17.66	किरण बिल्डकॉन	17583.51	910.80	465.00	528	180	200	23.54	95.41	71.87
95		145 डीएल/2018–19	5.52	किरण बिल्डकॉन	4828.50	0	0	528	180	200	6.27	25.49	19.22
96		65 डीएल/2018–19	8.34	योगेश कंस्ट्रक्शन कंपनी	4276.34	1741.00	0	528	180	200	7.08	25.71	18.63
97	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), गरियाबंद	02 डीएल/2015–16	2.11	रोहित कुमार चंद्राकर	1173.82	841.61	0	559	215	215	2.05	8.37	6.32
98		41 डीएल/2015–16	1.58	शेवतार्क ट्रेडर्स	1070.43	379.60	0	559	215	215	2.56	6.80	4.24
99		01 डीएल/2018–19	14.07	एन्यू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	5655.98	4994.78	1565.75	559	215	215	15.55	45.72	30.17
100	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2 जगदलपुर	69 डीएल/2016–17	32.47	डी.के. इंजीनियरिंग	95974.28	34608.83	10273.22	452	174	174	207.70	511.90	304.20
101		42 डीएल/2017–18	0.98	आडिल ग्लोबल मार्केटिंग	524.79	441.00	2387.55	452	174	174	3.20	7.29	4.09
102		43 डीएल/2017–18	1.01	आडिल ग्लोबल मार्केटिंग	345.27	336.44	1189.01	452	174	174	2.37	4.21	1.84
103		64 डीएल/2017–18	0.67	वैभव कंस्ट्रक्शन	536.85	344.93	940.99	452	174	174	1.83	4.66	2.83
104	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दंतेवाड़ा	16 डीएल/2017–18	14.10	मेसर्स विनोद कुमार जैन	46220.07	3513.22	1166.23	309	60	60	43.61	145.63	102.02
105		59 डीएल/2016–17	0.88	मि. प्रसून यादव	505.37	2039.31	0	309	60	60	1.94	2.79	0.85
106		35 डीएल/2017–18	0.88	मि. दुर्गा प्रकाश सिंह चौहान	399.00	1681.00	0	309	60	60	1.33	2.24	0.91
107		47 डीएल/2017–18	0.84	मेसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन	422.00	1421.00	0	309	60	60	1.16	2.16	1.00
108		48 डीएल/2017–18	0.84	मेसर्स सरताज कंस्ट्रक्शन	665.79	2146.34	0	309	60	60	1.68	3.35	1.67
109	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कांकेर	09 डीएल/2017–18	8.58	मेसर्स मां भगवती कंस्ट्रक्शन	2920.34	4358.54	0	520	200	200	5.37	23.90	18.53

110		19 डीएल/2017–18	1.35	मि. रूपेश्वर सिंह ठाकुर	542.15	540.08	1015.23	520	200	200	1.58	5.93	4.35
111		59 डीएल/2019–20	1.14	मेसर्स उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	1422.24	0	1200.52	520	200	200	2.45	9.80	7.35
112	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), बिलासपुर	04 डीएल/2014–15	115.03	जी.पी.एल.–आर.के.टी.सी. पी.एल. (जे.व्ही.)	39700.17	1733.09	0	303.90	56	56	3.56	121.62	118.06
113		14 डीएल/2014–15	126.21	सेव इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	53300.23	9613.00	62178.40	303.90	56	56	1.65	202.18	200.53
114		09 डीएल/2015–16	112.99	बैकबोन उत्कल (जे.व्ही.)	137339.61	2832.76	0	303.90	56	56	350.67	418.96	68.29
115		07 डीएल/2015–16	103.20	मेसर्स जिंदल पी.आर.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर (जे.व्ही.)	169590.10	14490.18	29564.13	303.90	56	56	191.20	540.05	348.85
116	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (एडीबी), बलोदाबाजार	01 डीएल/2019–20	35.73	मेसर्स एग्रेकॉन डी.बी.बी (जे.व्ही.)	122808.34	2266.87	14740.41	528	180	200	130.53	681.99	551.46
117		09 डीएल/2019–20	45.08	मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट	119519.00	5158.00	0	528	180	200	199.09	640.34	441.25
118	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), जगदलपुर	19 डीएल/2016–17	11.54	मेसर्स बी.आर. सिंह भदौरिया	12173.43	2257.14	7985.04	452	174	174	27.86	72.85	44.99
119	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सुकमा	114 डीएल/2016–17	4.02	मेसर्स रामशरण सिंह	2490.46	2574.91	0	206	100	100	3.08	7.71	4.63
योग											**5645.11**	**21515.95**	**15870.90**

परिशिष्ट 2.3.5

(कंडिका 2.3.6.3(ii) में संदर्भित)

जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण (जल संसाधन विभाग)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक/वर्ष	अंतिम देयक मे अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ मे)	ठेकेदार का नाम	कार्य मे प्रयुक्त गौण खनिजों का विवरण				जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गयी गौण खनिजों के बाजार दर				कटौती की गयी वास्तविक रॉयल्टी शुल्क	रॉयल्टी शुल्क कटौती किया जाना था	कम कटौती की गयी रॉयल्टी शुल्क
					(घनमीटर मे)				(₹ मे)						
					गिट्टी	रेती	मूरूम	बोल्डर	गिट्टी	रेती	मूरूम	बोल्डर	(₹ लाख मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (=15–14)
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद	02 डीएल/ 2019–20	4.57/ 27.08.2021	मेसर्स संतोष अग्रवाल	6470.78	4241.84	21905.58	निरंक	384	86	86	निरंक	22.21	47.33	25.12
2		03 डीएल/ 2020–21	2.97/ 21.09.2021	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन	3349.23	1706.59	16399.07	निरंक	384	86	86	निरंक	11.04	28.43	17.39
3	कार्यपालन अभियंता, तांदूला जल संसाधन संभाग दुर्ग	07 डीएल/ 2020–21	2.94/ 29.12.2020	श्री रानी सोती ग्रेनाईट कंपनी	11636.28	5826.96	4899.00	निरंक	618	520	332	निरंक	15.32	118.48	103.16
4		05 डीएल/ 2018–19	11.59/ 15.03.2021	गणपती कंस्ट्रक्शन	17860.70	9513.78	58259.25	निरंक	618	520	332	निरंक	83.58	353.27	269.69
5		10 डीएल/ 2017–18	4.56/ 30.12.2020	विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	9360.70	6311.93	21378.06	निरंक	618	520	332	निरंक	27.34	161.65	134.31
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर	02 डीएल/ 2016–17	13.34/ 06.08.2021	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	52654.28	13350.12	निरंक	निरंक	283	60	60	निरंक	27.39	157.02	129.63
7	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग–1 अंबिकापुर	02 डीएल/ 2020–21	3.17/ 23.03.2021	मेसर्स देवनरायण यादव	9984.27	5045.03	निरंक	निरंक	429	165	165	447	18.75	51.16	32.41
8		06 डीएल/ 2019–20	5.86/ 02.06.2021	एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी	19526.94	10098.21	निरंक	निरंक	429	165	165	447	39.72	100.43	60.71
9	कार्यपालन अभियंता, एमबीसी संभाग–5 खरसीया	07 डीएल/ 2018–19	2.57/ 24.03.2021	मेसर्स संतोष अग्रवाल एण्ड कंपनी	6379.63	3205.26	निरंक	निरंक	528	250	250	234	14.38	41.70	27.32

10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर	9 डीएल/ 2018–19	1.00/ 14.06.2019	आर.बी. कंस्ट्रक्शन	2247.06	1135.14	निरंक	निरंक	528	80	80	निरंक	4.53	8.74	4.21
11	कार्यपालन अभियंता, एचसीडब्ल्यूएमसंभाग जांजगीर	10 डीएल/ 2017–18	13.94/ 07.03.2021	अशोक कुमार मित्तल	44318.36	21384.26	निरंक	निरंक	528	80	80	निरंक	0.00	9.74	9.74
12		19 डीएल/ 2017–18	12.32/ 01.06.2020	रितेश कुमार अग्रवाल	22316.68	11146.67	32504.50	निरंक	528	80	80	निरंक	0.00	10.74	10.74
13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग–2 रामानुजगंज	2 डीएल/ 2016–17	3.72/ 12.09.2020	ओम कंस्ट्रक्शन	4679.51	2524.55	299.25	1702.23	312	60	60	283	5.87	12.74	6.87
14		2 डीएल/ 2019–20	2.67/ 21.03.2021	महामाया कंस्ट्रक्शन	1638.55	1139.93	0	3140.87	312	60	निरंक	283	4.44	13.74	9.30
15	कार्यपालन अभियंता, केलो प्रोजेक्ट सर्वे संभाग रायगढ़	04 डीएल/ 2016–17	3.78/ 06.08.2021	मेसर्स संतोष कुमार अग्रवाल एण्ड कं.	2442.00	1220.50	498.95	0	300	315	315	0	1.57	12.74	11.17
16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही	01 डीएल/ 2017–18	0.93/ 01.08.2018	अमित कुमार उष्या	5858.00	1715.40	247.07	0	531	234	234	0	11.17	35.70	24.53
17	कार्यपालन अभियंता, केलो प्रोजेक्ट सर्वे संभाग रायगढ़	02 डीएल/ 2016–17	1.10/ 13.08.2019	मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन	1677.00	799.10	3475.21	0	300	315	315	0	2.42	18.50	16.08
18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग. कसडोल	02 डीएल/ 2015–16	28.64/ 26.08.2021	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	30832.00	15539.00	0	0	528	180	200	0	6.31	190.76	184.45
	योग												**296.04**	**1372.87**	**1076.83**

परिशिष्ट 2.3.6

(कंडिका 2.3.6.4 में संदर्भित)

रॉयल्टी राशि को खनिज विभाग के खाते मे प्रेषित नही करते हुए जमा शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	ठेकेदार का नाम	अंतिम देयकों की तिथि	रॉयल्टी के लिए कटौती की गई राशि	खनिज विभाग के खाते में भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि	रॉयल्टी राशि भुगतान के लिए खनिज विभाग के खाते में देय थी	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भुगतान की गई राशि	दिसंबर 2022 की स्थिति में खनिज विभाग के खाते में भुगतान न होने में देरी (माह)
					(₹ लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (=6–7)	9	10
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर	21 डीएल/2019–20	उपाध्याय कंस्ट्रक्शन	25.03.2020	2.98	निरंक	2.98	निरंक	34
2		14 डीएल/2016–17	बच्ची देवी मिश्रा	28.08.2019	3.02	2.04	0.98	निरंक	41
3		83 डीएल/2017–18	बजाज बिल्डर्स 002	27.12.2019	5.74	1.70	4.04	निरंक	37
4		09 डीएल/2017–18	जी. सी. जैन	22.08.2019	30.73	निरंक	30.73	निरंक	41
5		18 डीएल/2017–18	मल्लिकार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी	22.08.2019	69.15	निरंक	69.15	निरंक	41
6		32 डीएल/2017–18	राजेन्द्र कुमार जायसवाल	12.11.2020	0.62	निरंक	0.62	निरंक	26
7	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोण्डागांव	14 डीएल/2015–16	श्रीजी कृपा प्रो. लि.	09.12.2019	14.82	निरंक	14.82	निरंक	37
8		21 डीएल/2018–19	मेसर्स मां दंतेश्वरी कंस्ट्रक्शन	08.11.2020	36.07	6.11	29.96	निरंक	26
9		59 डीएल/2017–18	मेसर्स किशोर जायसवाल	31.10.2020	5.79	निरंक	5.79	निरंक	26
10		49 डीएल/2018–19	मेसर्स श्री लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन	30.05.2020	22.09	निरंक	22.09	निरंक	32
11		80 डीएल/2016–17	मेसर्स पवन कुमार चंद्राकर	30.04.2020	12.04	निरंक	12.04	निरंक	33
12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, जगदलपुर	28 डीएल/2013–14	श्रीजी कृपा प्रो. लि.	24.08.2020	24.22	12.54	11.68	निरंक	29
13		37 डीएल/2013–14	अशोक ईं. (इंडिया) प्रा. लि.	31.12.2019	5.71	2.47	3.24	निरंक	37
14		71 डीएल/2016–17	मि. जे. मनोज कुमार	15.05.2020	4.48	3.05	1.43	निरंक	32
15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, रायपुर	10 डीएल/2019–20	मेसर्स बिटुमेक कंस्ट्रक्शन रायपुर	29.02.2020	9.43	निरंक	9.43	0.61 (11.02.2021)	12
16		108 डीएल/2017–18	मेसर्स बिरेश शुक्ला	23.01.2020	0.36	निरंक	0.36	0.36 (11.02.2021)	12

17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मनेन्द्रगढ़	53 डीएल/2015–16	डी. सी. कंस्ट्रक्शन	05.12.2019	24.43	निरंक	24.43	निरंक	37
18		9 डीएल/2016–17	मेसर्स डी. सी. बिल्डकॉन	27.11.2019	20.15	निरंक	20.15	निरंक	38
19		42 डीएल/2016–17	रामनिवास पोद्दार	27.06.2020	22.42	निरंक	22.42	निरंक	31
20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायपुर	36 डीएल/2017–18	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	07.03.2020	10.20	निरंक	10.20	निरंक	34
21		30 डीएल/2018–19	पदुमन कंस्ट्रक्शन	07.03.2020	9.33	निरंक	9.33	निरंक	34
22		06 डीएल/2018–19	मेसर्स अशोक कुमार केजरीवाल	07.03.2020	7.50	निरंक	7.50	निरंक	34
23	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), विधान सभा	88 डीएल/2018–19	मेसर्स गुलाब चंद जैन	26.06.2020	26.27	निरंक	26.27	26.27 (04.10.2021)	15
24		64 डीएल/2018–19	मेसर्स सुरेश कुमार मिश्रा	05.03.2020	1.87	1.13	0.74	0.74 (04.10.2021)	19
25	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), चांपा	40 डीएल/2017–18	मेसर्स देवनंदन दीलिप	05.03.2020	5.12	निरंक	5.12	निरंक	34
26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कोरबा	11 डीएल/2019–20	मेसर्स डी. सी. कंस्ट्रक्शन	22.06.2020	12.65	निरंक	12.65	निरंक	31
27	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कवर्धा	112 डीएल/2013–14	ए. के. कंस्ट्रक्शन	19.03.2020	19.82	निरंक	19.82	निरंक	34
28		85 डीएल/2017–18	मेसर्स ओम एसोसिएटस्	26.10.2019	9.47	निरंक	9.47	निरंक	39
29		63 डीएल/2018–19	एन. सी. नहर	31.12.2019	45.76	निरंक	45.76	निरंक	37
30		54 डीएल/2018–19	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	05.10.2019	24.62	निरंक	24.62	निरंक	39
31		50 डीएल/2018–19	आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	05.10.2019	17.33	निरंक	17.33	निरंक	39
32		62 डीएल/2020–21	कुरमी बेना कंस्ट्रक्शन कं.	29.10.2021	22.65	निरंक	22.65	निरंक	14
33		24 डीएल/2019–20	मेसर्स हिल ब्रो मेटालिक्स एंड कंस्ट्रक्शन	16.08.2021	201.39	निरंक	201.39	निरंक	17
34		07 डीएल/2018–19	राजस्थान एसोसिएटस्	23.03.2021	4.20	निरंक	4.20	निरंक	22
35	कार्यपालन अभियंत,, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जशपुर	06 डीएल/2016–17	विरेन्द्र कुमार सिंह, अंबिकापुर	06.07.2020	21.76	निरंक	21.76	निरंक	30
36	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, रायपुर	07 डीएल/2019–20	मेसर्स एन. सी. नाहर	29.07.2020	60.63	निरंक	60.63	60.63 (27.02.2021)	07
37	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–1, बिलासपुर	17 डीएल/2017–18	मेसर्स सन इंफ्रास्ट्रक्चर	25.03.2020	10.10	निरंक	10.10	निरंक	34
38		53 डीएल/2017–18	मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कं.	29.02.2020	15.59	निरंक	15.59	निरंक	35
39		13 डीएल/2018–19	मेसर्स मां भगवती कंस्ट्रक्शन	19.06.2020	12.53	निरंक	12.53	निरंक	31

40		29 डीएल/2018–19	मेसर्स मां भगवती कंस्ट्रक्शन	28.08.2020	4.89	निरंक	4.89	निरंक	29
41		33 डीएल/2019–20	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	13.11.2020	26.74	निरंक	26.74	निरंक	26
42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–3, रायपुर	62 डीएल/2016–17	मेसर्स जी. पी. खेतान	12.02.2020	29.10	निरंक	29.10	निरंक	35
43		55 डीएल/2016–17	अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	25.02.2020	18.91	निरंक	18.91	निरंक	35
44		02 डीएल/2018–19	मेसर्स विजय कुमार अग्रवाल	16.12.2020	8.01	निरंक	8.01	निरंक	25
45		56 डीएल/2018–19	मेसर्स गुलाब चंद जैन	19.06.2020	53.24	निरंक	53.24	निरंक	31
46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रायगढ़	77 डीएल/2017–18	एव्हीआर इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	25.02.2021	19.71	15.80	3.91	निरंक	22
47		114 डीएल/2018–19	हिल ब्रो मेटालिक्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	29.04.2020	10.98	निरंक	10.98	10.98 (21.03.2022)	11
48		115 डीएल/2018–19	हिल ब्रो मेटालिक्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	20.02.2021	40.40	निरंक	40.39	40.40 (21.03.2022)	13
49	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), धमतरी	76 डीएल/2017–18	मेसर्स अशोक खंडेलवाल	30.09.2020	8.79	निरंक	8.79	8.19 (07.04.2022)	18
50		93 डीएल/2017–18	मेसर्स अशोक खंडेलवाल	29.12.2020	6.48	निरंक	6.48	6.48 (14.07.2021)	06
51		24 डीएल/2018–19	मेसर्स रमेश कुमार साहू कंस्ट्रक्शन	07.03.2020	1.90	निरंक	1.90	1.86 (14.07.2021)	16
52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), जगदलपुर	20 डीएल/2015–16	मेसर्स के. चंद्रशेखर राव	19.06.2020	16.46	11.96	4.50	निरंक	31
53		01 डीएल/2018–19	मेसर्स बी. के. चावला	13.12.2019	5.75	5.27	0.48	निरंक	37
54		13 डीएल/2017–18	मानक लाल साहू	06.06.2020	7.23	2.07	5.16	निरंक	31
55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, जगदलपुर	02 डीएल/2018–19	मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कं.	06.05.2020	2.98	निरंक	2.98	2.98 (12.08.2022)	27
56		64 डीएल/2017–18	वैभव कंस्ट्रक्शन	19.03.2020	1.83	निरंक	1.83	1.83 (12.08.2022)	29
57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दंतेवाड़ा	16 डीएल/2017–18	मेसर्स विनोद कुमार जैन	30.07.2019	43.61	निरंक	43.61	निरंक	42
58		59 डीएल/2015–16	मेसर्स प्रसून यादव	31.07.2019	1.94	निरंक	1.94	निरंक	42
59		47 डीएल/2017–18	शिवम कंस्ट्रक्शन	04.09.2019	1.16	निरंक	1.16	निरंक	40
60		35 डीएल/2017–18	मेसर्स दुर्गा प्रकाश सिंह चौहान	31.08.2019	1.33	निरंक	1.33	निरंक	41
61		48 डीएल/2017–18	मेसर्स सरताज कंस्ट्रक्शन	29.11.2019	1.68	निरंक	1.68	निरंक	38
62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), रायगढ़	05 डीएल/2016–17	मेसर्स साजन गुप्ता	10.07.2019	17.33	निरंक	17.33	निरंक	42
63		06 डीएल/2016–17	मेसर्स साजन गुप्ता	03.08.2019	7.75	निरंक	7.75	निरंक	42

64		07 डीएल/2015–16	मेसर्स साजन गुप्ता	15.06.2020	5.30	निरंक	5.30	निरंक	31
65		09 डीएल/2015–16	मेसर्स देव नारायण यादव	13.09.2019	2.90	निरंक	2.90	निरंक	40
66		13 डीएल/2017–18	मेसर्स महेश प्रसाद चंद्रा	11.06.2019	1.62	निरंक	1.62	निरंक	43
67	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), बिलासपुर	16 डीएल/2018–19	महामाया कंस्ट्रक्शन	26.08.2019	4.95	निरंक	4.95	4.95 (04.03.2021)	18
68		17 डीएल/2018–19	महामाया कंस्ट्रक्शन	26.08.2019	7.94	निरंक	7.94	7.94 (04.03.2021)	18
69		15 डीएल/2018–19	मेसर्स राजेश कुमार अग्रवाल	29.08.2019	5.13	निरंक	5.13	निरंक	41
70	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सूरजपुर	21 डीएल/2015–16	मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कं.	19.03.2020	8.10	निरंक	8.10	निरंक	34
71		38 डीएल/2016–17	मेसर्स मधुसूदन अग्रवाल	31.10.2020	12.12	निरंक	12.12	निरंक	26
72		25 डीएल/2016–17	मेसर्स ओझा कंस्ट्रक्शन कं.	06.12.2019	2.07	निरंक	2.07	निरंक	37
73	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), अंबिकापुर	29 डीएल/2015–16	मेसर्स श्रीजी कृपा प्रो. लि.	22.07.2020	12.96	निरंक	12.96	निरंक	30
74		89 डीएल/2015–16	मेसर्स गौरी कंस्ट्रक्शन	22.07.2020	7.34	निरंक	7.34	निरंक	30
75		49 डीएल/2018–19	मेसर्स नित्यानंद सिंह	28.02.2020	11.81	निरंक	11.81	निरंक	35
76		42 डीएल/2018–19	मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शन	26.06.2020	0.67	निरंक	0.67	निरंक	31
77		67 डीएल/2017–18	मेसर्स चंद्रा कंस्ट्रक्शन कं.	25.03.2020	13.18	निरंक	13.18	निरंक	34
78	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), पत्थलगांव	38 डीएल/2016–17	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	02.09.2020	58.54	निरंक	58.54	निरंक	28
79		45 डीएल/2018–19	मेसर्स नित्यानंद सिंह	22.07.2020	6.54	2.67	3.87	3.87 (21.12.2022)	29
80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मुंगेली	11 डीएल/2019–20	मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल	24.07.2020	115.28	निरंक	115.28	निरंक	30
81		19 डीएल/2012–13	मेसर्स हिल ब्रो मेटालिक्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	22.05.2020	52.04	निरंक	52.04	निरंक	32
82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), मुंगेली	13 डीएल/2017–18	मेसर्स योगेश कंस्ट्रक्शन कं.	24.02.2020	6.18	निरंक	6.18	निरंक	35
83		17 डीएल/2018–19	मेसर्स सुरेश कुमार अग्रवाल	18.03.2020	7.23	4.39	2.84	निरंक	34
84		54 डीएल/2018–19	मेसर्स मां भवानी कंस्ट्रक्शन	14.07.2020	0.98	निरंक	0.98	निरंक	30
85	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	78 डीएल/2016–17	मेसर्स मोहन पोद्दार	08.06.2020	28.19	निरंक	28.19	निरंक	31
86		97 डीएल/2017–18	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन	27.02.2020	8.28	निरंक	8.28	निरंक	35
87		99 डीएल/2017–18	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन	27.02.2020	8.46	निरंक	8.46	निरंक	35
88		38 डीएल/2018–19	मेसर्स चक्रधारी कंस्ट्रक्शन	30.09.2020	21.15	निरंक	21.15	निरंक	27

89		02 डीएल/2018–19	मेसर्स मनोहर लाल गावरी एण्ड संस	15.10.2020	4.48	निरंक	4.48	निरंक	27
90	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग–2, बिलासपुर	46 डीएल/2018–19	मेसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन	15.07.2020	87.14	73.65	13.49	निरंक	30
91		50 डीएल/2018–19	मेसर्स वाई. जी. नंदेश्वर	31.08.2020	2.61	निरंक	2.61	निरंक	28
92		64 डीएल/2017–18	मेसर्स संजीव कंस्ट्रक्शन	29.04.2020	0.59	निरंक	0.59	निरंक	33
93		15 डीएल/2019–20	मेसर्स आलोक सिंह ठाकुर	13.05.2020	4.63	निरंक	4.63	निरंक	32
94	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बालोद	07 डीएल/2017–18	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कं.	11.07.2019	33.90	निरंक	33.90	निरंक	42
95		02 डीएल/2018–19	मेसर्स ए. व्ही. कंस्ट्रक्शन	18.06.2019	12.56	निरंक	12.56	निरंक	43
96		44 डीएल/2018–19	मेसर्स सेवा सिंह ओबेरोय एण्ड कं.	31.08.2019	42.85	निरंक	42.85	निरंक	41
97		93 डीएल/2016–17	मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन कं.	25.04.2019	2.04	निरंक	2.04	निरंक	45
98	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), नारायणपुर	31 डीएल/2014–15	मेसर्स श्रीजी कृपा प्रो. लि.	10.06.2019	3.63	निरंक	3.63	निरंक	43
99	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बीजापुर	31 डीएल/2016–17	मेसर्स दया शंकर पटेल	07.08.2019	13.21	निरंक	13.21	निरंक	41
100		19 डीएल/2018–19	मेसर्स अभिशेक कुमार साहा	08.05.2021	3.30	निरंक	3.30	निरंक	20
101		12 डीएल/2015–16	मेसर्स श्रीजी कृपा प्रो. लि.	08.02.2021	18.86	निरंक	18.86	निरंक	23
102		61 डीएल/2013–14	जी. व्ही. आर. कंस्ट्रक्शन	29.08.2019	4.19	निरंक	4.19	निरंक	41
103	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), खैरागढ़	63 डीएल/2017–18	मेसर्स बी. बी. वर्मा	21.05.2021	107.82	निरंक	107.82	107.82 (19.07.2022)	14
104		53 डीएल/2018–19	मेसर्स सुराना एण्ड कं.	07.09.2020	37.31	निरंक	37.31	37.31 (29.01.2022)	16
105		58 डीएल/2018–19	मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्रा. लि.	29.02.2020	76.87	निरंक	76.87	76.87 (29.01.2022)	23
106		64 डीएल/2018–19	राजकॉन ईं. प्रा. लि.	10.10.2019	69.37	निरंक	69.37	69.37 (29.01.2022)	27
107	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), महासमुंद	64 डीएल/2018–19	मेसर्स मनोज कुमार केडिया	25.12.2019	38.15	निरंक	38.15	निरंक	37
108		80 डीएल/2018–19	मेसर्स रिगल बिल्डर्स	08.01.2021	42.27	निरंक	42.27	निरंक	24
109	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (ए.डी.बी.), बिलासपुर	04 डीएल/2014–15	जी.पी.एल.–आर.के.टी.सी.पी.एल. जे.व्ही.	26.11.2019	3.56	निरंक	3.56	निरंक	38
110		14 डीएल/2014–15	स्यू. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	25.11.2019	1.65	निरंक	1.65	निरंक	38
111		09 डीएल/2015–16	बेकबोन–उत्कल (जे.व्ही.)	27.11.2019	350.67	निरंक	350.67	निरंक	38

112		08 डीएल/2015–16	बी. ई. एल.–एन. सी. नाहर (जे.व्ही.)	27.11.2019	187.74	निरंक	187.74	निरंक	38
113		07 डीएल/2015–16	मेसर्स जिंदल–पी. आर. एल. इंफ्रास्ट्रक्चर (जे.व्ही.)	26.11.2019	191.20	निरंक	191.20	निरंक	38
114	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), अंबिकापुर	01 डीएल/2019–20	मेसर्स आर. के. इंफ्रास्ट्रक्चर	04.11.2019	2.54	निरंक	2.54	निरंक	38
115		07 डीएल/2019–20	गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी	27.02.2021	1.97	निरंक	1.97	निरंक	22
116		12 डीएल/2018–19	मेसर्स पूर्वा ईंजिनीयरिंग एण्ड अर्थ मूवर्स	07.03.2019	1.62	निरंक	1.62	निरंक	47
117		13 डीएल/2018–19	मेसर्स पूर्वा ईंजिनीयरिंग एण्ड अर्थ मूवर्स	16.04.2019	2.49	निरंक	2.49	निरंक	45
118	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बलोदाबाजार	107 डीएल/2020–21	प्रमोद कंस्ट्रक्शन	28.07.2021	13.66	निरंक	13.66	13.66 (21.03.2022)	08
119		119 डीएल/2020–21	किरण बिल्डकॉन	12.07.2021	23.54	निरंक	23.54	23.54 (21.03.2022)	08
120	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), बिलासपुर	18 डीएल/2016–17	मेसर्स बंका कंस्ट्रक्शन	10.06.2020	11.63	निरंक	11.63	निरंक	31
121		31 डीएल/2017–18	नरेंद्र मिश्रा	09.10.2020	1.89	निरंक	1.89	निरंक	27
122	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दुर्ग	157 डीएल/2019–20	मेसर्स गणेश प्रसाद खेतान	29.06.2021	110.61	निरंक	110.61	निरंक	18
123		130 डीएल/2019–20	मेसर्स गणेश प्रसाद खेतान	29.06.2021	95.34	निरंक	95.34	निरंक	18
124		80 डीएल/2019–20	मेसर्स एन. सी. नाहर	07.08.2021	97.03	निरंक	97.03	निरंक	17
125		162 डीएल/2019–20	मेसर्स मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी	29.06.2021	81.35	निरंक	81.35	निरंक	18
126	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (ए.डी.बी.), दुर्ग	06 डीएल/2015–16	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जे.व्ही.)	03.08.2021	712.75	निरंक	712.75	निरंक	17
127		04 डीएल/2015–16	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जे.व्ही.)	24.11.2019	249.73	निरंक	249.73	निरंक	38
128		06 डीएल/2014–15	मेसर्स एन.एस.पी.आर. लि., हैदराबाद	24.11.2019	331.01	निरंक	331.01	निरंक	38
129		05 डीएल/2015–16	मेसर्स अमर–डी.आर.ए. (जे.व्ही.)	24.11.2019	205.48	175.63	29.85	निरंक	38
130		02 डीएल/2015–16	मेसर्स सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि., कोलकाता	25.11.2019	443.47	निरंक	443.47	निरंक	38
131	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), सुकमा	114 डीएल/2016–17	मेसर्स रामशरण सिंह	22.10.2019	7.98	3.36	4.62	निरंक	39
132	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), सुकमा	03 डीएल/2018–19	मेसर्स तनय चौधरी	04.06.2019	0.78	0.67	0.11	निरंक	44

133	परियोजना प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (ए.डी.बी.), रायपुर	07 डीएल/2014–15	मेसर्स बी.एस.बी.के. प्रा. लि.	27.11.2019	350.42	निरंक	350.42	निरंक	38
134		09 डीएल/2014–15	मेसर्स बर्बरीक प्रो. लि.	27.11.2019	363.99	निरंक	363.99	निरंक	38
135		13 डीएल/2014–15	मेसर्स आरकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लि.	26.11.2019	455.50	निरंक	455.50	निरंक	38
136		15 डीएल/2014–15	मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लि.	25.11.2019	55.46	निरंक	55.46	निरंक	38
137		03 डीएल/2015–16	मेसर्स अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	26.11.2019	261.92	निरंक	261.92	निरंक	38
138	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु), दुर्ग	09 डीएल/2016–17	मेसर्स मिथिलेश मिश्रा	19.10.2020	8.40	निरंक	8.40	निरंक	27
139		16 डीएल/2017–18	मेसर्स घाई कंस्ट्रक्शन लि.	17.06.2021	4.08	निरंक	4.08	निरंक	19
140	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), गरियाबंद	02 डीएल/2015–16	मेसर्स रोहित कुमार चंद्राकर	08.01.2021	2.05	निरंक	2.05	2.05 (27.05.2022)	16
141		41 डीएल/2015–16	मेसर्स शेवतार्क ट्रेडर्स	13.08.2021	2.56	निरंक	2.56	2.56 (27.05.2022)	09
142		13 डीएल/2019–20	मेसर्स गुलाब चंद जैन	05.11.2020	23.13	निरंक	23.13	23.13 (25.03.2022 एवं 02.06.2022)	19
योग					**6863.18**	**324.51**	**6538.66**	**534.40**	

परिशिष्ट 2.4.1

(कंडिका 2.4.8.2(i) में संदर्भित)

निम्न ग्रेड कंक्रीट के साथ कार्य के पीसीसी और आरसीसी आइटम के निष्पादन का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की कुल संख्या	पीसीसी 1:4:8/एम 7.5 (घनमीटर में)	पीसीसी 1:3:6/एम. 10 (घनमीटर में)	आरसीसी 1:2:4/एम. 15 (घनमीटर में)	आरसीसी 1:1.5:3/एम. 20 (घनमीटर में)	कोल्ड ट्विस्टेड स्टील (कि. ग्रा. में)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग	3	0.00	36618.79	0.00	343.11	59016.44	9.88
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद	3	0.00	27095.50	2260.90	3798.70	418078.97	11.30
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग स. 1, अम्बिकापुर	3	0.00	38295.10	3002.35	701.64	128424.18	12.85
4	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग–3, तिल्दा	3	76.10	10594.15	0.00	269.37	21001.80	4.03
5	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेंड्रा रोड	3	0.00	33910.74	3364.05	0.00	103233.07	9.48
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, बिलासपुर	3	0.00	20032.81	954.71	3792.65	156155.21	9.31
7	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	3	0.00	9888.44	1885.74	0.00	170039.67	3.67
8	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा	3	0.00	18641.97	3630.51	360.36	89449.35	7.00
9	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा	3	0.00	10383.99	0.00	0.00	0.00	3.53
10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	2	0.00	3046.63	760.11	0.00	13251.42	1.42
11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बराज संभाग डोंगरगांव	3	27.91	16668.57	3.04	26.46	2991.72	4.66
12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर	3	0.00	1881.55	951.97	490.54	51486.71	1.54
13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग नारायणपुर	3	0.00	15014.25	933.15	1501.58	66580.33	5.80
14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर	3	0.00	30875.15	4125.57	2877.45	33877.58	11.76
15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मीनीमाता बांगो नहर संभाग–5 खरसिया	1	0.00	1097.67	0.00	1246.76	41994.40	0.82
16	कार्यपालन अभियंता, सर्वे एवं बैराज निर्माण संभाग–1, खरसिया	1	0.00	1971.50	0.00	3481.48	41199.85	2.71
17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा	3	723.37	10412.19	900.41	142.18	49326.61	4.02
18	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़	3	289.18	2384.56	309.55	1521.42	34606.73	2.10
19	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना पी– II, रायपुर	3	0.00	8169.83	0.00	10535.09	295958.03	5.51
20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायगढ़	3	0.00	17187.04	804.33	5363.67	665813.34	8.55
21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, एमबीसी कैनाल, संभाग 6, सक्ती रायपुर	3	0.00	37057.51	4386.40	0.00	129379.36	11.27
22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जशपुर	3	0.00	41508.12	5532.48	161.75	283794.11	13.59

23	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1,रायपुर	3	0.00	15577.90	0.00	166.58	7742.25	5.57
24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा	3	0.00	5471.29	0.00	12736.24	370918.42	8.76
25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद	3	302.48	9371.79	150.64	0.00	19817.04	2.65
26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	3	0.00	25669.33	107.93	611.19	85919.56	8.23
27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैंकुठपुर	3	0.00	17085.28	188.12	2871.41	122716.79	5.26
28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़	3	0.00	4121.10	2014.23	0.00	48333.84	1.56
29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	3	0.00	4979.63	219.09	0.00	4116.27	1.25
30	कार्यपालन अभियंता, डैम संभाग 3, माचाडोली	1	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.05
31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बीजापुर	3	0.00	6550.35	250.45	148.60	20648.34	2.52
32	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, रायगढ़	3	0.00	3791.42	0.00	0.00	0.00	0.76
33	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री	7	0.00	975.95	7.92	270.14	26686.78	0.46
34	कार्यपालन अभियंता, हसदेव कैनाल जल प्रबंध संभाग, जांजगीर	3	1433.66	86498.16	8709.62	0.00	231820.30	28.20
35	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर	6	0.00	31356.14	1026.60	1835.89	134481.00	9.98
36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल	5	0.00	55477.69	5411.71	6086.68	508620.52	22.70
37	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, क्र.–2, बालौदाबाजार	3	0.00	16337.63	413.37	792.05	76326.45	6.63
38	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली	4	0.00	13636.62	3449.57	1379.17	175892.91	5.52
39	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना डैम संभाग –2, रूद्री	4	0.00	4905.41	0.00	198.59	16483.95	1.38
40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी	3	0.00	11660.23	0.00	345.93	42942.47	2.85
41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद	4	0.00	83360.00	384.32	16104.10	634235.64	31.32
42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	3	0.00	8457.77	0.00	172.52	14277.68	2.33
43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	3	0.00	3735.23	212.75	214.47	31663.16	1.20
44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दंतेवाड़ा	3	0.00	14454.66	335.83	27.96	48699.89	4.32
45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोंडागांव	3	0.00	8757.56	0.00	404.04	19663.39	2.84
46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर–चांपा	4	0.00	985.25	80.07	1238.30	54792.04	0.78
47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सरगुजा	3	0.00	9225.58	5142.13	0.00	123003.11	3.90
48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रामानुजगंज	3	0.00	13325.28	4669.39	188.63	389164.67	6.72
	महायोग	**150**	**2852.70**	**848687.11**	**66579.01**	**82406.70**	**6064625.35**	**312.54**

कुल पीसीसी (घनमीटर में)	**851539.82**	**कुल आरसीसी (घनमीटर में)**	**148985.71**

परिशिष्ट 2.4.2

(कंडिका 2.4.8.2(ii) में संदर्भित)

आईएस 456:2000 में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में क्यूब परीक्षण किए जाने का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की कुल संख्या	पी.सी.सी. एवं आरसीसी की कुल मात्रा (घनमीटर में)	आवश्यक नमूनों की संख्या	वास्तविक नमूनों की संख्या	आवश्यक प्रतिरूपों की संख्या	वास्तविक प्रतिरूपों की संख्या	कमी	किए गए परीक्षणों की कुल संख्या	प्राप्त आवश्यक स्ट्रेंथ	अमानक किन्तु स्वीकार्य	अस्वीकृति के तहत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग	3	60262.44	2072	0	6216	480	5736	480	0	45	435
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद	3	51857.19	2221	0	6663	263	6400	263	0	8	255
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.1, अम्बिकापुर	3	42670.24	1142	0	3426	79	3347	79	0	0	79
4	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. डिस्नेट संभाग 3, तिल्दा	3	21523.02	676	0	2028	24	2004	24	0	0	24
5	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड	3	43325.71	1205	0	3615	38	3577	38	0	12	26
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, बिलासपुर	3	27380.25	1634	0	4902	100	4802	100	0	5	95
7	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	3	16515.07	848	0	2544	50	2494	50	0	0	50
8	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा	3	23103.58	740	0	2220	48	2172	48	0	0	48
9	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा	3	14829.26	420	0	1260	59	1201	59	0	0	59
10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनंदगाँव	3	15470.07	574	0	1722	212	1510	212	0	51	161
11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बराज संभाग, डोंगरगाँव	3	33310.13	1128	0	3384	292	3092	292	0	109	183
12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर	3	16231.50	547	0	1641	42	1599	42	0	4	38
13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, नारायणपुर	3	18718.90	678	0	2034	50	1984	50	0	0	50
14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर	3	59923.11	1390	0	4170	62	4108	62	0	0	62
15	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो कैनाल संभाग 5, खरसिया	1	7517.86	194	0	582	70	512	70	0	0	70
16	कार्यपालन अभियंता, सर्वे एवं बैराज निर्माण संभाग 1, खरसिया	2	17107.55	838	0	2514	291	2223	291	0	0	291
17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा	3	15017.57	431	0	1293	46	1247	46	0	0	46
18	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना संभाग, रायगढ़	3	7217.22	356	0	1068	81	987	81	0	0	81

19	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेज 2, रायपुर	3	25054.28	1239	0	3717	359	3358	359	0	250	109
20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	3	68584.29	2082	0	6246	230	6016	230	0	0	230
21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन एम.बी.सी. कैनाल संभाग 6, सक्ती	3	41489.24	1289	0	3867	299	3568	299	0	0	299
22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर	3	48465.48	1621	0	4863	140	4723	140	0	0	140
23	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.–1, रायपुर	3	40923.04	1804	0	5412	307	5105	307	0	0	307
24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा	3	117754.84	3027	0	9081	138	8943	138	0	3	135
25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद	3	17858.82	759	0	2277	86	2191	86	0	9	77
26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	3	63391.54	1997	0	5991	179	5812	179	0	16	163
27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर	3	20144.81	601	0	1803	58	1745	58	0	0	58
28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़	3	14587.02	393	0	1179	11	1168	11	0	0	11
29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	3	5261.97	300	0	900	13	887	13	0	0	13
30	कार्यपालन अभियंता, डैम संभाग 3, माचाडोली	1	712.52	44	0	132	4	128	4	0	0	4
31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बीजापुर	3	6949.40	219	0	657	0	657	0	0	0	0
32	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, रायगढ़	3	3917.03	263	0	789	58	731	58	0	0	58
33	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री	7	11562.84	381	0	1143	80	1063	80	0	0	80
34	कार्यपालन अभियंता, हसदेव कैनाल जल प्र. संभाग, जांजगीर	3	95332.51	2853	0	8559	162	8397	162	0	0	162
35	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर	6	56500.57	2234	0	6702	641	6061	641	0	0	641
36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल	5	120319.01	3310	0	9930	354	9576	354	9	28	317
37	कार्यपालन अभियंता, ज. प्र. संभाग, क्र. 2, बलौदाबाजार	3	34961.40	1388	0	4164	127	4037	127	0	0	127
38	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली	4	30951.47	1176	0	3528	76	3452	76	0	0	76
39	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. डैम संभाग क्र.–2, रूद्री	4	11452.79	905	0	2715	111	2604	111	0	0	111
40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी	3	16269.15	535	0	1605	59	1546	59	0	0	59

41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद	4	132973.53	1917	0	5751	456	5295	456	0	0	456
42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	3	23442.53	867	0	2601	201	2400	201	0	0	201
43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	3	11920.08	615	0	1845	160	1685	160	0	0	160
44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा	3	21105.55	1194	0	3582	64	3518	64	0	0	64
45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागाँव	3	13582.59	506	0	1518	16	1502	16	0	0	16
46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर–चांपा	4	12232.01	452	0	1356	20	1336	20	0	0	20
47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर	3	33844.85	1010	0	3030	73	2957	73	0	0	73
48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रामानुजगंज	3	39829.91	1044	0	3132	632	2500	632	0	0	632
	योग	**152**	**1633355.74**	**53119**	**0**	**159357**	**7401**	**151956**	**7401**	**9**	**540**	**6852**

परिशिष्ट 2.4.3

(कंडिका 2.4.8.2(iii) में संदर्भित)

कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का गैर–अनुपालन दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की कुल संख्या	पीसीसी की कुल मात्रा (घनमीटर में)	आरसीसी की कुल मात्रा (घनमीटर में)	पीसीसी एवं आरसीसी की कुल मात्रा (घनमीटर में)	कोल्ड ट्वीस्टेड स्टील	राशि (₹ करोड़ में)	किए गए परीक्षणों की कुल संख्या	प्राप्त आवश्यक स्ट्रेंथ	अमानक किन्तु स्वीकार्य	अस्वीकृति के तहत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग	3	58884.46	343.11	59227.57	59016.44	18.78	480	0	45	435
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद	3	44407.57	6059.60	50467.17	418078.97	16.06	263	0	8	255
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.1, अम्बिकापुर	3	38946.85	3703.99	42650.84	128424.18	13.05	79	0	0	79
4	कार्यपालन अभियंता, एमआरपी डिस्नेट संभाग 3, तिल्दा	3	21136.10	269.37	21405.47	21001.80	7.65	24	0	0	24
5	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड	3	39603.85	3367.25	42971.10	103233.07	11.15	38	0	12	26
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, बिलासपुर	3	22745.06	4747.36	27492.42	156155.21	10.58	100	0	5	95
7	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	3	13623.41	2390.61	16014.02	170039.67	5.18	50	0	0	50
8	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा	3	19111.43	3990.87	23102.30	89449.35	7.15	48	0	0	48
9	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा	3	14829.09	0.00	14829.09	0.00	5.15	59	0	0	59
10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगाँव	3	11222.20	760.11	11982.31	13251.42	4.66	212	0	51	161
11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगाँव	3	38401.29	29.50	38430.79	2991.72	12.69	292	0	109	183
12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर	3	16576.55	1442.51	18019.06	51486.71	7.69	42	0	4	38
13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, नारायणपुर	3	15682.27	2434.73	18117.00	66580.33	6.02	50	0	0	50
14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर	3	51135.67	7003.02	58138.69	338777.58	17.37	62	0	0	62
15	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो कैनाल संभाग 5, खरसिया	1	6171.07	1246.76	7417.83	41994.40	2.15	70	0	0	70
16	कार्यपालन अभियंता, सर्वे एवं बैराज निर्माण संभाग 1, खरसिया	2	3336.42	10419.98	13756.40	41199.85	6.52	291	0	0	291

17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा	3	13931.42	1042.59	14974.01	63424.11	5.26	46	0	0	46
18	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना संभाग, रायगढ़	3	5386.15	1830.97	7217.12	34606.73	9.14	81	0	0	81
19	कार्यपालन अभियंता, एम.आर.पी. फेज 2, रायपुर	3	12982.96	12071.32	25054.28	295958.03	6.71	359	0	250	109
20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	3	62131.71	6452.58	68584.29	665813.34	20.91	230	0	0	230
21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन एमबीसी कैनाल संभाग 6, सक्ती	3	37102.84	4386.40	41489.24	129379.36	11.29	299	0	0	299
22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर	3	41508.12	6957.36	48465.48	283794.11	15.74	140	0	0	140
23	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.–1, रायपुर	3	35186.73	5736.31	40923.04	7742.25	16.96	307	0	0	307
24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा	3	101944.20	15810.64	117754.84	370918.42	44.11	138	0	3	135
25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद	3	17655.28	203.54	17858.82	19817.04	5.15	86	0	9	77
26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा	3	62449.19	942.35	63391.54	85919.56	22.25	179	0	16	163
27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर	3	17085.28	3059.53	20144.81	122716.79	5.26	58	0	0	58
28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़	3	12572.79	2014.23	14587.02	48333.84	3.36	11	0	0	11
29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही	3	5042.88	219.09	5261.97	4116.27	1.27	13	0	0	13
30	कार्यपालन अभियंता, डैम संभाग 3, माचाडोली	1	712.52	0.00	712.52	0.00	0.21	4	0	0	4
31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बीजापुर	3	6550.35	399.05	6949.40	20648.34	2.53	0	0	0	0
32	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, रायगढ़	3	3917.03	0.00	3917.03	0.00	1.16	58	0	0	58
33	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रूद्री	7	11284.78	278.06	11562.84	26686.78	4.13	80	0	0	80
34	कार्यपालन अभियंता, हसदेव कैनाल जल प्रबंधन संभाग, जांजगीर	3	86583.13	8709.62	95292.75	231820.30	27.89	162	0	0	162
35	कार्यपालन अभियंता, टीडीपीपी जल संसाधन संभाग, जगदलपुर	6	53638.08	2862.49	56500.57	134481.00	16.42	641	0	0	641
36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल	5	108820.62	11498.39	120319.01	508620.52	39.77	354	9	28	317
37	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग, क्र. 2, बलौदाबाजार	3	33755.98	1205.41	34961.39	76326.45	10.48	127	0	0	127

38	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली	4	26122.73	4828.74	30951.47	175892.91	10.31	76	0	0	76
39	कार्यपालन अभियंता, एमआरपी डैम संभाग क्र.–2, रूद्री	4	11117.60	198.59	11316.19	16483.95	3.45	111	0	0	111
40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी	3	15922.82	345.93	16268.75	42942.47	4.05	59	0	0	59
41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद	4	116387.24	16488.42	132875.66	634235.64	42.64	456	0	0	456
42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	3	18174.54	172.52	18347.06	14277.68	5.26	201	0	0	201
43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	3	11492.27	427.22	11919.49	31663.16	3.94	160	0	0	160
44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा	3	20719.07	363.70	21082.77	48699.89	6.01	64	0	0	64
45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागाँव	3	12151.03	1051.22	13202.25	19663.39	4.88	16	0	0	16
46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर–चाम्पा	4	10903.64	1318.37	12222.01	54792.04	3.24	20	0	0	20
47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर	3	28696.08	5142.13	33838.21	123003.11	9.23	73	0	0	73
48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रामानुजगंज	3	34971.84	4858.02	39829.86	389164.67	12.72	632	0	0	632
	योग	**152**	**1452714.19**	**169083.56**	**1621797.75**	**6383622.85**	**527.57**	**7401**	**9**	**540**	**6852**

परिशिष्ट 2.4.4

(कंडिका 2.4.8.2(iv) में संदर्भित)

डिजाइन मिक्स के स्थान पर नॉमिनल मिक्स से आरसीसी एवं पीसीसी कार्य के निष्पादन के कारण निम्न विशिष्टियों वाले कार्य की स्वीकृति दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की कुल संख्या	एम 25 पीसीसी (1:1:2) (मात्रा घनमीटर में)	एम 25 आरसीसी (1:1:2) (मात्रा घनमीटर में)	एम 30 आरसीसी (मात्रा घनमीटर में)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	1	0.00	504.87	0.00	0.20
2	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना एस संभाग, रायगढ़	2	2948.00	0.00	0.00	7.08
3	कार्यपालन अभियंता, एमआरपी पी–II रायपुर	1	0.00	1285.10	250.52	0.27
4	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर	1	0.00	1263.14	0.00	2.15
	योग	**5**	**2948.00**	**3053.11**	**250.52**	**9.70**

परिशिष्ट 2.4.5

(कंडिका 2.4.8.2(v) में संदर्भित)

क्षतिग्रस्त कंक्रीट संरचनाओं का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध सं./वर्ष	क्षतिग्रस्त कार्य का नाम	परियोजना के क्षतिग्रस्त भाग का मूल्य (₹ करोड़ में)	पूर्णता दिनांक	क्षतिग्रस्त होने का दिनांक	विभागीय निरीक्षण दल द्वारा क्षति के लिए बताया गया कारण	संरचनाओं के टूटने/क्षतिग्रस्त होने की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अतिरिक्त बिंदु
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	जल संसाधन संभाग कोटा	03/डीएल, 09–10	चाटापारा–II एनीकट	7.10	25.03.2013	25.05.2014	(i) कंक्रीट क्यूब का परीक्षण निर्धारित आवृति में नहीं किया गया था (ii) भारी वर्षा के कारण (iii) फील्ड ऑफिसर द्वारा पर्यवेक्षण में कमी के कारण ठेकेदार द्वारा खराब गुणवत्ता वाले कार्य का निष्पादन (iv) डायफ्राम वाल में रिइनफोर्समेंट अनावरित देखा गया (v) डायफ्राम वाल के पेनल ज्वाइन्ट जोड़ में गैप देखा गया।	(i) एम–10 ग्रेड कंक्रीट के लिए 921 प्रतिरूप परीक्षणों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 28 परीक्षण किए गए और सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। पीसीसी एम–15 तथा आरसीसी एम–20 के लिए आवश्यक प्रतिरूपों की संख्या 153 एवं 162 थी जिसके विरूद्ध क्रमशः तीन एवं 10 प्रतिरूप परीक्षण किए गए तथा सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। (ii) निम्न श्रेणी की कंक्रीट मदें प्राक्कलन में प्रदान की गईं और तदनुसार निष्पादित की गई।
2	जल संसाधन संभाग खारंग बिलासपुर	44/डीएल, 08–09	अरपा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	2.89	09.05.2013	04.09.2011	(i) सुरक्षा दीवार के पीछे मिट्टी नहीं भरने के कारण बाढ़ सुरक्षा दीवार ढह गयी और पिचिंग भी नहीं की गयी। (ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत नहीं की थी।	(i) एम–10 पीसीसी ग्रेड कंक्रीट के लिए 151 नमूना परीक्षणों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 40 परीक्षण किए गए और सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। आरसीसी एम–15 ग्रेड के लिए आवश्यक नमूनों की संख्या पाँच के विरूद्ध केवल दो नमूना परीक्षण किए गए तथा सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। (ii) निम्न श्रेणी की कंक्रीट मदें प्राक्कलन में प्रदान की गईं और तदनुसार निष्पादित की गई।
3	जल संसाधन संभाग कांकेर	24/डीएल, 10–11	हटकुल व्यपवर्तन योजना	1.72	11.09.2012	12.08.2018	भारी वर्षा के कारण संरचना क्षतिग्रस्त	(i) एम–10 पीसीसी ग्रेड कंक्रीट के लिए 324 प्रतिरूप लेते हुए 108 नमूना परीक्षणों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 73 परीक्षण किए गए और सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। आरसीसी एम–15 ग्रेड कंक्रीट के लिए 39 नमूना परीक्षण के लिए आवश्यक 117 प्रतिरूप परीक्षण के विरूद्ध केवल 39 प्रतिरूप परीक्षण किए गए तथा सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। (ii) निम्न श्रेणी की

								कंक्रीट मदें प्राक्कलन में प्रदान की गईं और तदनुसार निष्पादित की गई।
4	जल संसाधन संभाग कांकेर	18/डीएल,12–13	तुरी व्यपवर्तन योजना	3.74	23.05.2014	13.08.2018	भारी वर्षा के कारण संरचना क्षतिग्रस्त	(i) एम–10 पीसीसी ग्रेड कंक्रीट के लिए 101 नमूना परीक्षणों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 41 परीक्षण किए गए और सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। आरसीसी एम–15 तथा आरसीसी 1:1.5:3 ग्रेड के आरसीसी कंक्रीट के लिए 36 एवं 30 प्रतिरूप लेते हुए क्रमशः 12 एवं 10 नमूना परीक्षण किया जाना था जिसके विरूद्ध प्रत्येक के लिए केवल पाँच प्रतिरूप परीक्षण किए गए तथा सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। (ii) निम्न श्रेणी की कंक्रीट मदें प्राक्कलन में प्रदान की गईं और तदनुसार निष्पादित की गई।
5	जल संसाधन संभाग नारायणपुर	07/डीएल, 13–14	तारागाँव एनीकट	0.07	17.06.2015	24.07.2021 के पूर्व	कोई आधिकारिक निरीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन क्षति की लागत का आकलन करने और प्राक्कलन की तैयारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ) द्वारा अस्थायी सर्वेक्षण किया गया था।	(i) एम–10 पीसीसी ग्रेड कंक्रीट के लिए 113 नमूना परीक्षणों की आवश्यकता के विरूद्ध एक भी परीक्षण नहीं किया गया और इनके लिए आवश्यक 339 प्रतिरूपों के विरूद्ध केवल सात परीक्षण किए गए और सभी अस्वीकृत श्रेणी में थे। (ii) निम्न श्रेणी की कंक्रीट मदें प्राक्कलन में प्रदान की गई और तदनुसार निष्पादित की गई।
योग		**5**		**15.52**				

परिशिष्ट 4.1.1

(कंडिका 4.1.9.2(i) में संदर्भित)

ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया या ट्रान–1 दाखिल करने के बाद विवरणी जमा किया लेकिन एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनित किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसाय का नाम (मेसर्स)	जीएसटीआइएन	तिमाही विवरणी में उपलब्ध वैट क्रेडिट	इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित वैट क्रेडिट	गलत/अमान्य दावा की गई राशि	टीप
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	वृत्त–2 रायपुर	रायल इलेक्ट्रॉनिक्स	22AHDPK8947N1ZV	3,77,949	3,77,949	3,77,949	व्यवसायी ने 2016–17 की चौथी तिमाही के वैट का त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया था हालांकि ट्रान–1 दाखिल करने के बाद वार्षिक वैट विवरणी दाखिल किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
2.	वृत्त–3 रायपुर	लाल गंगा बिल्डर प्राइवेट लिमि.	22AAACL9016E1ZZ	86,46,758	86,46,758	86,46,758	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
3.	वृत्त–3 रायपुर	जय अम्बे	22ATHPS8670E1ZH	12,75,465	12,75,465	12,75,465	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
4.	वृत्त–3 रायपुर	टेरासिस टेक्नोलाजीस लिमिटेड	22AAACD2042C1ZN	13,16,047	13,16,047	13,16,047	2016–17 की चौथी तिमाही के लिए तिमाही विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
5.	वृत्त–3 रायपुर	गजेट्स वर्ल्ड	22ANWPG7553M1ZD	15,40,649	15,40,649	15,40,649	व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करने से पहले 2016–17 की चौथी तिमाही की विवरणी प्रस्तुत नहीं की। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
6.	वृत्त–4 रायपुर	डी के इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन्स	22AACFD2681C1Z2	–	2,09,242	2,09,242	व्यवसायी ने पिछले छः महीनों की विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
7.	वृत्त–4 रायपुर	सिंघानिया	22ATTPS7971C1Z7	880	3,93,421	3,93,421	2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही का त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
8.	वृत्त–4 रायपुर	मेसर्स हरदेव	22AAOFM3770H1Z7	6,72,459	6,72,459	6,72,459	2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही के लिए

		एग्रो इंडस्ट्रीज					त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था। **अब तक ₹ 6,72,459 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
9.	वृत्त–4 रायपुर	मधु फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	22AADCM1070C1Z9	90,00,487	90,00,487	90,00,487	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
10.	वृत्त–4 रायपुर	कम्युनिकेशन वर्ल्ड इन्फोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड	22AAGCC6304E1Z9	24,65,186	24,65,186	24,65,186	2017–18 की पहली तिमाही का त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
11.	वृत्त–5 रायपुर	देवी आयरन एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	22AABCD9753D1ZW	51,88,496	47,90,319	47,90,319	2017–18 की पहली तिमाही का त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने से पहले जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
12.	वृत्त–5 रायपुर	आकाश इस्पात	22AKEPA8332P1Z6	19,56,411	19,26,503	19,26,503	व्यवसायी ने 2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही के लिए वैट की त्रैमासिक विवरणी ट्रान 1 दाखिल करने के बाद प्रस्तुत की और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
13.	वृत्त–5 रायपुर	पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमि.	22AACCP4406G1ZX	3,67,093	3,67,093	3,67,093	व्यवसायी ने 2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही के लिए वैट की त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने के बाद प्रस्तुत की और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
14.	वृत्त–7 रायपुर	भूपेंद्र अरोरा	22ALVPA2564M1ZV	–	85,001	85,001	2016–17 की चौथी तिमाही का तिमाही विवरणी जमा नहीं किया गया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
15.	वृत्त–7 रायपुर	वंशिका ऑटोमोबाइल्स एलएलपी	22AAOFV0141M1Z4	–	9,21,384	9,21,384	व्यवसायी ने पिछले छह महीनों (2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही) के लिए कोई विवरणी जमा नहीं किया और संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त किया जो कि गलत था।
16.	वृत्त–8 रायपुर	बी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमि.	22AABCB6260B1ZE	–	10,26,787	10,26,787	2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
17.	वृत्त–9 रायपुर	रुक्मणी इलेक्ट्रिकल एंड कार्पोरेशन प्राइवेट लिमि.	22AABCR6640R1Z1	–	2,61,64,911	2,61,64,911	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।

18.	वृत्त–9 रायपुर	वंदना इन्डस्ट्रीज	22AALFV2241F1ZH	–	62,930	62,930	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
19.	वृत्त–9 रायपुर	आदित्य इन्डस्ट्रीज	22ABBFA0747Q2ZF	–	2,94,760	2,94,760	2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
20.	वृत्त–9 रायपुर	नेक्सस फास्टनर्स (इंडिया)	22AHJPJ1420B1Z9	–	26,11,328	26,11,328	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
21.	वृत्त–2 दुर्ग	शुक्ला इन्डस्ट्रीज	22AYFPS9711H1ZB	–	1,53,110	1,53,110	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
22.	वृत्त–2 दुर्ग	केएनडी इंटरप्राइजेस	22AFOPD5260Q1Z5	1,17,389	1,17,389	1,17,389	व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करने के बाद 2016–17 के लिए चौथी तिमाही विवरणी और 2017–18 के लिए पहली त्रैमासिक विवरणी दाखिल की। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
23.	वृत्त–3 दुर्ग	विमला स्टील्स	22AANFV6186H1ZR	–	4,05,214	4,05,214	व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही का वैट त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
24.	वृत्त–3 दुर्ग	ओपीसी असेट साल्युशन्स प्राइवेट लिमि.	22AAACO7555K1ZB	24,86,992	24,81,989	24,81,989	व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करने के बाद 2017–18 की पहली तिमाही के वैट का त्रैमासिक विवरणी जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
25.	वृत्त–3 दुर्ग	मनोज इन्डस्ट्रीज	22ADCPB6547Q1ZF	4,12,542	3,68,532	3,68,532	व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करने के बाद 2017–18 की पहली तिमाही के वैट का त्रैमासिक विवरणी जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
26.	वृत्त–3 दुर्ग	भिलाई आक्सिलरी इंडस्ट्रीज	22AADFB0594K1ZM	12,17,530	12,17,530	12,17,530	व्यवसायी ने ट्रान–1 जमा करने के बाद 2016–17 की चौथी तिमाही के वैट का त्रैमासिक विवरणी जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
27.	वृत्त–3 दुर्ग	साईं कृपा एजेंसिस	22ACZPT0435F1ZG	3,58,467	3,58,467	3,58,467	व्यवसायी ने ट्रान–1 जमा करने के बाद 2017–18 की पहली तिमाही के वैट का तिमाही विवरणी जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
28.	वृत्त–3 दुर्ग	अवंता इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमि.	22AANCA9383L1Z4	5,46,345	5,46,345	5,46,345	व्यवसायी ने ट्रान–1 जमा करने के बाद 2016–17 की चौथी तिमाही और 2017–18 की पहली तिमाही का वैट का तिमाही विवरणी जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
29.	वृत्त–3 दुर्ग	अतुल टायर्स	22ABEFA0424B1ZI	1,98,315	1,98,315	1,98,315	व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करने के बाद अंतिम छह मासिक विवरणी (पहली तिमाही 2017–18 और चौथी तिमाही 2016–17 के लिए त्रैमासिक

							विवरणी) जमा किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
30.	वृत्त–1 बिलासपुर	अग्रवाल इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमि.	22AAFCA6636C1Z5	–	34,67,404	34,67,404	व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही के लिए तिमाही विवरणी जमा नहीं किया। इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
31.	वृत्त–3 बिलासपुर	सतवंत कौर सलुजा	22AEYPS1338D1ZE	–	1,03,283	1,03,283	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट अनियमित था।
32.	वृत्त– अम्बिकापुर	विवेक ट्रेडर्स	22AYGPP2231E1ZY	–	2,79,499	2,79,499	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट अनियमित था।
33.	वृत्त– राजनांदगांव	कामर्शियल वुड क्राफ्ट	22AKEPP5282H1Z5	–	8,26,962	8,26,962	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट अनियमित था।
34.	वृत्त– धमतरी	स्वस्तिक ट्रेडर्स	22AEPPP7761N1ZQ	19,03,420	19,03,420	19,03,420	2016–17 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट अनियमित था।
35.	वृत्त– धमतरी	दिनेश ट्रेडर्स	22AGTPG1753D1ZO	16,28,345	16,28,345	16,28,345	2016–17 की चौथी तिमाही का त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया गया था और 2017–18 की पहली तिमाही का वैट विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने के बाद जमा किया गया था, इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट अनियमित था। **अब तक राशि ₹ 13,430 वसूल की जा चुकी है।**
36.	वृत्त– धमतरी	मोहन ट्रेडर्स	22AMZPK3496M1Z6	–	10,37,604	10,37,604	2017–18 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरणी ट्रान–1 दाखिल करने के पश्चात जमा किया गया था और इसलिए प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत था।
योग						**7,92,42,087**	

परिशिष्ट 4.1.2

(कंडिका 4.1.9.2(ii) में संदर्भित)

ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने आईटीआर से अधिक एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया, जैसा कि वैट विवरणी में अग्रेनित किया गया, को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसाय का नाम (मेसर्स)	जीएसटीआइएन	त्रैमासिक विवरणी में उपलब्ध वैट क्रेडिट	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किये गए वैट क्रेडिट	दावा की गई गलत/अयोग्य राशि	टीप
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	वृत्त–1 रायपुर	अम्बिका इंडस्ट्रीज	22AEQPP3867E1Z9	0	1,30,153	1,30,153	2017–18 की पहली तिमाही के त्रैमासिक विवरणी का अंतिम शेष शून्य था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,30,153 को अग्रेनित किया जो कि गलत था। **अब तक ₹ 2,23,478 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
2	वृत्त–2 रायपुर	लखवानी मोबाइल	22AFNPL2522G1ZS	0	3,58,977	3,58,977	2017–18 की पहली तिमाही के त्रैमासिक विवरणी का अंतिम शेष शून्य था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 3,58,977 को अग्रेनित किया जो कि गलत था।
3	वृत्त–2 रायपुर	बालाजी सेल्स	22ACJPA2655A2ZE	5,58,545	5,85,445	26,900	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष ₹ 5,58,545 था जबकि अग्रेनित किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 5,85,445 था। अतः व्यवसायी द्वारा ₹ 26,900 की अधिक राशि का दावा किया गया जो कि गलत था।
4	वृत्त–3 रायपुर	श्री रानी सतीजी इंटरप्राइजेस	22AJBPA1400A1ZR	0	2,24,012	2,24,012	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष शून्य था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 2,24,012 अग्रेनित किया था और इसलिए गलत था।
5	वृत्त–3 रायपुर	श्री ट्रेडर्स	22AGNPG0350J1ZQ	0	98,140	98,140	2017–18 की पहली तिमाही का अंतिम शेष शून्य था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 98,140 अग्रेनित किया था और इसलिए गलत।
6	वृत्त–3 रायपुर	इन्दरमनी मिनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	22AABC1912OM2ZM	46,95,726	35,61,172	35,61,172	वर्ष 2016–17 की तीसरी चौथी तिमाही एवं 2017–18 की पहली तिमाही के विवरणी में गणना गलत थी और इन विवरणी की जाँच के बाद व्यवसायी सरकार को कर राशि ₹ 1,66,68,202 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। दायित्व के बावजूद व्यवसायी ने ₹ 35,61,172 के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया और प्राप्त किया जो कि गलत था।
7	वृत्त–3 रायपुर	इन्दर मनी कोल	22AACC1308OR1ZD	72,46,519	72,46,519	51,33,372	2016–17 की चौथी तिमाही में उपलब्ध वैट आईटीआर का अंतिम शेष

		बेनेफिकेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड					₹ 56,526 था। हालांकि व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही के प्रारंभिक शेष के रूप में ₹ 51,89,898 अग्रेनित किया। इसलिए व्यवसायी ने अधिक वैट आईटीआर ₹ 51,33,372 को अग्रेनित किया जो कि जो गलत था।
8	वृत्त–4 रायपुर	सनराइज वायर्स	22ACXFS2424D1Z7	43,77,087	43,77,087	5,44,913	व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही के अंत शेष की गलत गणना की। वैट आईटीआर का वास्तविक समापन शेष ₹ 38,32,174 होगा जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा ₹ 43,77,087 था। इस प्रकार व्यवसायी ने ₹ 5,44,913 के अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया जो अयोग्य था। **अब तक ₹ 7,57,429 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
9	वृत्त–4 रायपुर	पुंज लायड लिमिटेड	22AAACP0305Q1ZO	42,27,205	42,27,205	2,47,789	व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही के आइटीसी के अंत शेष की गलत गणना ₹ 42,27,205 के रूप में की। आइटीसी का वास्तविक अंत शेष ₹ 39,79,416 होगा। इस प्रकार व्यापारी ने ट्रॉन–1 के माध्यम से संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में ₹ 2,47,789 की अधिक राशि लिया और इसलिए यह राशि अयोग्य था।
10	वृत्त–4 रायपुर	जय अम्बे वायर प्राइवेट लिमिटेड	22AACCJ8068L1ZA	0	1,52,90,973	1,52,90,973	व्यवसायी का 2017–18 की पहली तिमाही को अंतिम शेष शून्य था जबकि अग्रेनित संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,52,90,973 था और इसलिए गलत था।
11	वृत्त–5 रायपुर	श्री श्याम स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड	22AAHCS1901N1ZG	45,13,524	45,13,524	45,13,524	2016–17 को अंतिम शेष निरंक था जबकि 2017–18 की पहली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष को ₹ 56,27,064 के रूप में लिया गया था। इसलिए व्यवसायी ने अधिक वैट आईटीआर किया और बाद में ट्रॉन–1 के माध्यम से ₹ 45,13,524 का अधिक अग्रेनित किया गया जो कि गलत है।
12	वृत्त–5 रायपुर	अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	22AADCA4079M1ZL	93,25,382	93,25,382	54,93,616	2016–17 को अंतिम शेष ₹ 44,30,105 था जबकि 2017–18 की पहली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष ₹ 99,23,721 के रूप में लिया गया था। इस प्रकार से ₹ 54,93,616 का अधिक क्रेडिट था जिसे ट्रान–1 के माध्यम से ईसीएल को अग्रेनित किया जो कि गलत था।
13	वृत्त–5 रायपुर	हनुमान मार्केटिंग	22AAJFH0542B1Z5S	6,19,962	6,19,962	2,53,716	व्यवसायी ने 2016–17 की चौथी तिमाही से 2017–18 की पहली तिमाही के तिमाही विवरणी में ₹ 3,45,499 के स्थान पर ₹ 5,99,215 अग्रेषित किया और ईसीएल को ट्रॉन–1 के माध्यम से ₹ 2,53,716 का अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त किया और इसलिए गलत है।
14	वृत्त–6 रायपुर	राज कुमार नागवानी	22ABIPN1996P1Z0	22,15,733	22,15,733	14,59,423	2016–17 के वार्षिक विवरणी में आइटीआर का अंत शेष ₹ 4,91,917 था। हालांकि 2017–18 की पहली तिमाही के आइटीआर में ₹ 19,51,340 अग्रेनित किया। इसलिए वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 14,59,423 का अधिक अग्रेनित किया जाना जो कि गलत था।
15	वृत्त–6 रायपुर	संदीप एजेंसिस	22ACMPR7712C1ZR	18,44,410	18,44,410	7,77,232	2016–17 के वार्षिक विवरणी की जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने

							₹ 24,91,461 के रिफंड का दावा किया था जिसकी गलत गणना की गई थी और सही रिफंड ₹ 18,96,762 होगा। इसके अलावा 2017–18 की पहली तिमाही के लिए वैट क्रेडिट का प्रारंभिक शेष ₹ 18,96,762 के बजाय ₹ 26,73,994 लिया गया। यहां शुद्ध प्रभाव ₹ 7,77,232 का अधिक अग्रेनित किया जो कि गलत था।
16	वृत्त–7 रायपुर	अभिश्री इंडस्ट्रीज	22AEWPK4548R1ZL	(–) 42,540	1,00,647	1,00,647	2017–18 की पहली तिमाही का अंत शेष ₹ (–) 42,540 था। हालांकि ईसीएल में लिया गया वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,00,647 था जो गलत है।
17	वृत्त–7 रायपुर	इफ्को ई–बाज़ार लिमिटेड	22AAKCA1714G1Z7	5,93,468	11,37,894	5,44,426	2017–18 की पहली तिमाही का अंत शेष ₹ 5,93,468 था। हालांकि ईसीएल में लिया गया वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 11,37,894 था। इसलिए ₹ 5,44,426 का अधिक अग्रेनित किया गया जो गलत था।
18	वृत्त–7 रायपुर	उत्तम कान इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमि.	22AAACU9074D1Z1	14,45,405	14,45,405	4,92,937	2016–17 की चौथी तिमाही के लिए अंतिम शेष शून्य था, जबकि 2017–18 की पहली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष ₹ 4,92,937 के रूप में लिया गया था। इस प्रकार का ₹ 4,92,937 अधिक क्रेडिट था जो गलत था।
19	वृत्त–7 रायपुर	राजपूत इंजिनियरिंग (भूपेंद्र सिंह)	22AQFPS8859Q1ZT	38,690	1,16,070	77,380	2017–18 की पहली तिमाही के अंतिम शेष ₹ 38,690 था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,16,070 अग्रेनित किया गया। (तालिका 5(ग) 6(ख) और 7(ग) में समान राशि ₹ 38,690) जो अयोग्य है।
20	वृत्त–8 रायपुर	गोल्ड स्टार स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	22AAACG9222F1Z2	11,64,718	17,49,948	5,85,230	2017–18 की पहली तिमाही के अंतिम शेष था ₹ 11,64,718 जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 17,49,948 था और इसलिए ₹ 5,85,230 का अधिक अग्रेनित किया जाना गलत था।
21	वृत्त–8 रायपुर	बीएचआर कम्युनिकेसन प्राइवेट लिमि.	22AAMCS7467E1Z5	4,65,269	4,65,269	4,65,269	2016–17 की चौथी तिमाही में अंतिम शेष था ₹ 265380 जबकि 2017–18 की पहली तिमाही में ओपनिंग बैलेंस ₹ 769448 था। इसलिए 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 504068 के वैट आईटीआर का अधिक कैरी फॉरवर्ड था जिसे आगे ट्रान–1 दाखिल करके ईसीएल में ले जाया गया था जो था गलत।
22	वृत्त–9 रायपुर	बीपीएल मेडिकल इक्यूपमेंटस प्राइवेट लिमि.	22AAFCB3158EZ5	0	20,94,086	20,94,086	व्यवसायी के अंतिम विवरणी में उसका अंतिम शेष (2017–18 की पहली तिमाही) निरंक थी जबकि अग्रेनित संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 20,94,086 था जो गलत था।
23	वृत्त–1 दुर्ग	श्री राम गजेट्स प्राइवेट लिमि.	22AARCS8902K1ZX	1,02,571	6,02,660	5,00,089	2017–18 की पहली तिमाही में व्यवसायी का क्लोजिंग बैलेंस ₹ 1,02,571 था जबकि अग्रेनित संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 6,02,660 था। इसलिए ₹ 5,00,089 का संक्रमणकालीन क्रेडिट अधिक था जो अयोग्य था। **अब तक ₹ 5,00,089 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
24	वृत्त–2 दुर्ग	पॉवर पेक इंडस्ट्रीज	22ACGPJ6183P1Z7	12,82,089	12,82,089	2,23,945	2016–17 की चौथी तिमाही में आईटीआर का अतंशेष ₹ 6,77,379 था। हालांकि व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 9,01,324

							अग्रेनित किया। इसलिए ₹ 2,23,945 का अधिक अग्रेनित किया जाना गलत था।
25	वृत्त–2 दुर्ग	श्रेयांश इंडस्ट्रीज	22ACGPJ6219G3ZV	12,08,512	12,08,512	3,43,593	2016–17 की चौथी तिमाही के त्रैमासिक विवरणी में आईटीआर का अंत शेष ₹ 7,59,002 था जबकि संशोधित विवरणी में 2017–18 की पहली तिमाही का प्रारंभिक शेष ₹ 11,02,595 था। इसलिए आगतकर ₹ 3,43,593 का अधिक क्रेडिट अग्रेनित किया जाना गलत था।
26	वृत्त–3 दुर्ग	टॉपवार्थ इन्फ्रा प्राइवेट लिमि.	22AADCT1844P2Z4	(–)4,80,50,673	84,37,709	84,37,709	2017–18 की पहली तिमाही का अंत शेष ₹ (–) 4,80,50,673 था। हालांकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 84,37,709 के रूप में लिया गया जो अधिक और गलत था।
27	वृत्त–3 दुर्ग	कोर फेब प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमि.	22AACCD3269K1ZP	11,44,568 2017–18 के वार्षिक विवरणी अनुसार	11,76,720	32,152	अंतिम विवरणी (2017–18 की वार्षिक रिटर्न) के अनुसार अंतिम शेष राशि ₹ 11,44,568 थी, जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया और वहन किया गया ₹ 11,76,720 था। इसलिए व्यवसायी ने ₹ 32,152 की अधिक क्रेडिट राशि का दावा किया था जो कि गलत था। **अब तक ₹ 60,381 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
28	वृत्त–3 दुर्ग	श्री मालवे इंडस्ट्रीज	22CLOPP7947L1ZA	39,399	53,268	13,869	2017–18 की पहली तिमाही के त्रैमासिक विवरणी के अनुसार अंत शेष की राशि ₹ 39,399 (पूंजीगत सामान पर) थी, लेकिन ट्रान–1 (तालिका 5ग) में संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 53,268 का दावा किया गया था। इसलिए व्यवसायी ने संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 13,869 के अधिक का दावा किया जो कि गलत था।
29	वृत्त.3 दुर्ग	ए.बी. इस्पात प्राइवेट लिमि.	22AAGCA2580E1Z	1,49,23,747	1,49,23,747	51,10,451	2016–17 के वार्षिक विवरणी के अनुसार आईटीआर का अंतिम शेष ₹ 86,44,154 था। हालांकि व्यवसायी ने 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 1,37,54,605 अग्रेनित किया। अतः व्यवसायी ने ₹ 51,10,451 का अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट अग्रेनित किया जो कि गलत था।
30	वृत्त–3 दुर्ग	श्री ब्रिक्यूट एमएफजी प्राइवेटलिमि.	22AADCS7681R1ZN	9,01,184	9,01,184	6,75,131	2016–17 की चौथी तिमाही की विवरणी के अनुसार व्यवसायी को ₹ 2,33,736 की आईटीआर को अग्रेनित करना है लेकिन उसने 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 9,08,867 को अग्रेनित किया। आगे यह पाया गया कि व्यवसायी ने ₹ 9,01,184 के लिए ट्रान–1/ईसीएल के माध्यम से आईटीसी को अग्रेनित किया। इसलिए ₹ 6,75,131 के संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनीात किया जो कि गलत था।
31	वृत्त–4 दुर्ग	दी कान इंफ्रास्ट्रक्चर्स	22AAFFD9555Q2ZU	0	3,13,556	3,13,556	2017–18 की पहली तिमाही में व्यवसायी का अंत शेष शून्य था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 3,13,556 अग्रेनित किया था। इसलिए ₹ 3,13,556 का एक अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट अग्रेनित किया था जो अयोग्य था।
32	वृत्त–1 बिलासपुर	एसआरपी खनिज एसोसियेटस	22ACRFS2165D1Z7	0	20,58,073	20,58,073	2017–18 की पहली तिमाही में व्यवसायी का अंत शेष 'निरंक' था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 20,58,073 अग्रेनित किया था। इसलिए

							₹ 20,58,073 का एक अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट है जो अयोग्य था।
33	वृत्त–1 बिलासपुर	ए.बी कम्युनिकेसन	22AGHPM5401A1Z7	2,16,950	2,16,950	1,75,323	2016–17 की चौथी तिमाही में आईटीआर का अंतिम शेष शून्य था, जबकि 2017–18 की पहली तिमाही में ₹ 1,75,323 का प्रारंभिक शेष था। इसलिए 2017–18 के प्रथम तिमाही में 1,75,323 अधिक आईटीआर अग्रेनित किया और इसके बाद अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को जीएसटी के अंतर्गत ईसीएल में अग्रेनित किया गया जो अयोग्य था।
34	वृत्त–1 बिलासपुर	हुकूमत राय थिलियानी	22AAJPT5837D1ZO	0	1,24,020	1,24,020	व्यवसायी का 2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार समापन शेष निरंक था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,24,020 था। इसलिए का अग्रेनित अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,24,020 जो अयोग्य था।
35	वृत्त–2 बिलासपुर	गल्फ एशले मोटर लिमिटेड	22AACCG1194Q1ZE	0	3,10,761	3,10,761	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष निरंक था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 3,10,761 अग्रेनित किया था। इसलिए व्यवसायी ने अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 3,10,761 ले लिया जो अयोग्य था।
36	वृत्त–2 बिलासपुर	इरा इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमि.	22AAACE1268K1ZV	0	21,20,107	21,20,107	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंत शेष निरंक था जबकि तालिका 5(ग) में संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 21,20,107 अग्रेनित किया था इसलिए ₹ 21,20,107 का अधिक अग्रेनित किया गया जो अयोग्य था।
37	वृत्त–3 बिलासपुर	रितेश फरमानिया	22AABPF6986F1ZU	25,21,960	10,25,000	2,66,381	2016–17 की चौथी तिमाही में अंतिम शेष था ₹ 6,19,555 जबकि व्यवसायी द्वारा 2017–18 की पहली तिमाही में प्रारंभिक शेष ₹ 23,82,896 तथा 2017–18 के प्रथम तिमाही में अन्तशेष को ₹ 25,21,960 का गणना किया गया। हालांकि वास्तविक अंत शेष ₹ 7,78,228 होगा। इसलिए व्यवसायी ने ₹ 26,638 का एक अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट अग्रेनित किया जो अयोग्य था।
38	वृत्त–1 रायगढ़	माँ उमरा इंटरप्राइजेस	22ABCFM2972L1Z6	0	53,528	53,528	व्यवसायी ने {तालिका 7(ख) में ₹ 26,764 और तालिका 7(ग) के अंतर्गत ₹ 26,764} को सपोर्टिंग इनवॉयस के बिना ट्रान–1 फाइल करके संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 53,528 का दावा किया। अतः संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 53,528 का दावा अयोग्यथा।
39	वृत्त–2 रायगढ़	बिसम्भरदयाल अग्रवाल	22ACLPA6294P1Z7	9,95,138	10,74,744	75,606	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष था ₹ 9,95,138 जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 10,74,744 अग्रेनित किया था। इसलिए व्यवसायी ने वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 75,606 अधिक का दावा किया जो कि गलत था।
40	वृत्त–2 रायगढ़	राहुल मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स	22AQTPB3038N1ZP	0	3,43,868	3,43,868	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष निरंक था जबकि अग्रेनित संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 3,43,868 था जो अयोग्य था। **अब तक ₹ 3,43,868 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
41	वृत्त– अम्बिकापुर	अम्बिका स्टील इंडस्ट्रीज	22AFVPA2820E1ZY	0	23,90,400	23,90,400	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंतिम शेष निरंक था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 23,90,400 अग्रेनित किया था जो अयोग्य था।

42	वृत्त– अम्बिकापुर	जयदुर्गा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	22AACCJ2709C1Z9	(–) 30,53,161	12,23,080	12,23,080	2017–18 की पहली तिमाही में ऋणात्मक अंत शेष था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 12,23,080 का अग्रेनित किया था जो अयोग्य था। आगे व्यवसायी ने तालिका 5(ग) और 7(ग) दोनों में समान राशि को अग्रेनित किया जो संदिग्ध और अयोग्य है। **अब तक ₹ 24,50,315 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
43	वृत्त– अम्बिकापुर	कवातिया स्टील्स	22AAQFK1926P1ZW	6,46,419	6,46,419	6,46,419	2016–17 की चौथी तिमाही के वैट विवरणी के अनुसार अंतशेष राशि ₹ 22,77,481 थी जबकि 2017–18 की पहली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष राशि ₹ 30,23,019 अग्रेनित किया। इसलिए 2017–18 की पहली तिमाही में व्यवसायी ने अधिक वैट क्रेडिट राशि ₹ 7,45,538 की अग्रेनित किया और ट्रान–1 दाखिल करके जीएसटी के तहत ईसीएल में अग्रेनित किया गया। इसके परिणामस्वरूप संक्रमणकालीन क्रेडिट दावा ₹ 6,46,419 अधिक हुआ जो कि गलत था।
44	वृत्त– अम्बिकापुर	नाहटा कम्प्युटर्स	22AHSPJ1396D1ZD	50,630	50,630	50,630	2016–17 की चौथी तिमाही का अंतिम शेष ₹ 1,02,075 था जबकि 2017–18 की पहली तिमाही में प्रारंभिक शेष ₹ 1,64,904 लिया गया था। 2017–18 की पहली तिमाही के आईटीआर का गणना के बाद, वास्तविक अंत शेष (–) 4,256 होगा। हालांकि, व्यवसायी ने ट्रान–1 दाखिल करके ₹ 50,630 के वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया जो अयोग्य है।
45	वृत्त– धमतरी	मेघराज ट्रेडर्स	22DUXPS4448J1ZT	0	5,17,695	5,17,695	2017–18 की पहली तिमाही के अनुसार अंत शेष निरंक था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 5,17,695 अग्रेनित किया गया जो अयोग्य था। **अब तक ₹ 7,266 की राशि वसूल की जा चुकी है।**
46	वृत्त– राजनांदगांव	राइट च्वाइस	22AHUPG0899AZE	0	12,98,093	12,98,093	उनके अंतिम विवरणी (2017–18 की पहली तिमाही) में उपलब्ध आईटीआर का अंत शेष निरंक था, जबकि व्यवसायी ने संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 12,98,093 के लिए का दावा किया था जो कि अधिक था।
47	वृत्त– राजनांदगांव	विंध्याश्री कृषि केंद्र	22AGQPJ2547M1Z3	8,83,799	8,83,799	5,11,435	2016–17 के लिए वैट वार्षिक विवरण (फॉर्म 18) के अनुसार, व्यवसायी के पास ₹ 2,42,603 का आईटीआर अंत शेष था, जबकि 2017–18 की पहली तिमाही मे प्रारंभिक शेष ₹ 7,54,038 लाया गया था। इसलिए, व्यवसायी ने अधिक आईटीआर ₹ 5,11,435 अग्रेनित किया जो कि गलत था।
योग						**7,02,89,801**	

परिशिष्ट 4.1.3

(कंडिका 4.1.9.2(iii) में संदर्भित)

लंबित फॉर्म–सी पर अंतर कर के भुगतान किये बिना ट्रान–1 की तालिका 5(ग) के तहत दावा किए गए अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)	जीएसटीआइएन	टर्नओवर जिसके लिए 2016–17 (चौथी तिमाही) और 2017–18 के दौरान फॉर्म–सी लंबित थे (₹)	मद का नाम	आरोपणीय / आरोपित कर	भुगतान योग्य अंतर कर (₹)	अंतिम विवरणी में उपलब्ध वैट क्रेडिट (₹)	अग्रेनित किये जाने वाला संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹)	करदाता द्वारा अग्रेनित किया गया वास्तविक संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹)	अधिक अग्रेनित किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	वृत्त–8 रायपुर	कृष्णा स्टील्स	22AAGHA5819P1Z4	1,11,18,724	आयरन एंड स्टील	5 / 2	3,33,562	0	3,33,562	3,74,421	3,74,421
2	वृत्त–8 रायपुर	राम टिम्बर कंपनी	22AEQPP9052D1ZE	33,38,233	टिम्बर	14.5 / 2	4,17,279	1,61,727	–255552	1,61,727	1,61,727
3	वृत्त–2 दुर्ग	पॉवर पेक इंडस्ट्रीज	22ACGPJ6183P1Z7	53,23,330	आयरन एंड स्टील	5 / 2	1,59,700	12,82,089	11,22,389	12,82,089	1,59,700
4	वृत्त–2 दुर्ग	कंचन इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमि.	22AADCK5679F1ZI	6,58,90,941	आयरन एंड स्टील	5 / 2	19,76,728	6,02,474	(–)1374254	6,02,474	6,02,474
5	वृत्त–2 दुर्ग	श्री साईनाथ स्टील्स[1]	22AVNPB9740Q1Z2	28,13,131	एमएस वायर	5 / 2	84,394	10,41,238	9,56,844	10,41,238	84,394
6	वृत्त–2 दुर्ग	आलोक वायर्स	22AINPM3912C1ZO	1,14,36,832	एमएस वायर	5 / 2	3,43,105	14,31,321	10,88,216	11,29,388	41,172
7	वृत्त–2 दुर्ग	एनआर वायर्स प्राइवेट लिमि.	22AAACN7560R1Z1	17,01,33,079	आयरन एंड स्टील	5 / 2	51,03,992	11,62,996	(–)3940996	11,62,996	11,62,996
8	वृत्त–2 दुर्ग	श्याम इंडस्ट्रीज	22ACHPA2491E1Z7	1,21,20,324	एमएस वायर	5 / 2	3,63,610	6,23,995	2,60,385	6,23,995	3,63,610
9	वृत्त–2 दुर्ग	जय अम्बे इस्पात उद्योग	22ACGPJ6184L1ZE	64,08,376	एचबी / एमएस वायर	5 / 2	1,92,251	2,77,124	84,873	2,77,124	1,92,251
10	वृत्त–2 दुर्ग	कानपूर स्टील एंड इंजिनियरिंग वर्क्स	22AAJFK1331P2ZB	1,20,72,309	एमएस वायर	5 / 2	3,62,169	4,36,504	74,335	4,36,504	3,62,169
11	वृत्त–3 दुर्ग	ए.बी. इस्पात प्राइवेट लिमि.	22AAGCA2580E1Z5	5,48,50,724	आयरन एंड स्टील	5 / 2	16,45,522	1,49,23,747	1,32,78,225	1,49,23,747	16,45,522
12	वृत्त–3 दुर्ग	तवस्या वेंचर पार्टनर्स प्राइवेट लिमि.	22AACCT7984R1ZH	53,84,697	प्लेट	5 / 2	1,61,541	21,24,231	19,62,690	58,87,630	1,61,541
13	वृत्त–3 दुर्ग	श्री ब्रिक्यूट एमएफजी प्राइवेट लिमि.	22AADCS7681R1ZN	7,90,317	एमएस एंड जीआई वायर	5 / 2	23,710	9,01,184	8,77,474	9,01,184	23,710

[1] अब तक राशि ₹ 1,66,875 वसूल की जा चुकी है।

14	वृत्त–3 दुर्ग	प्रोग्रेसिव मेटल्स प्राइवेट लिमि.	22AAFCP0640K1ZP	8,63,73,518	आयरन एंड स्टील्स	5/2	25,91,206	11,83,153	(–)1408053	11,83,153	11,83,153
15	वृत्त–3 दुर्ग	राजगुरु उद्योग	22AAOFR9663E1ZW	25,86,06,614	आयरन एंड स्टील्स	5/2	77,58,198	26,32,594	–5125604	1,35,60,148	1,35,60,148
16	वृत्त–3 दुर्ग	शिवम हाई–टेक स्टील्स प्राइवेट लिमि.	22AAJCS7718R1ZN	41,44,20,418	एल्युमिनियम वायर	5/2	1,24,32,613	2,51,67,013	1,27,34,400	2,51,67,013	1,24,32,613
17	वृत्त–3 दुर्ग	श्री महावीर इस्पात यूनिट II	22ACGPJ6936N1ZA	8,27,37,434	जीआई वायर	5/2	24,82,123	30,70,977	5,88,854	30,70,977	24,82,123
18	वृत्त–3 दुर्ग	सिंप्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड	22AABCS54650E1ZT	71,42,25,158	स्टील कास्टिंगस	5/2	2,14,26,755	45,89,064	(–)16837691	45,89,064	45,89,064
19	वृत्त–3 दुर्ग	एन.एन. इस्पात प्राइवेट लिमि.	22AAACN7678N1ZY	4,01,06,077	आयरन एंड स्टील्स	5/2	12,03,182	50,62,442	38,59,260	50,62,442	12,03,182
20	वृत्त–3 दुर्ग	तेज कोक यूनिट न–II	22ARMPA6998G1ZJ	20,03,15,756	आयरन एंड स्टील्स	5/2	60,09,473	1,08,82,881	48,73,408	1,08,82,881	60,09,473
21	वृत्त–3 दुर्ग	ए.जे. इंडस्ट्रीज	22AARFA7056M1Z2	1,70,50,667	आयरन एंड स्टील्स	5/2	5,11,520	13,93,046	8,81,526	13,93,046	5,11,520
22	वृत्त–3 दुर्ग	श्री शिव इंडस्ट्रीज	22ADBFS3566K1ZZ	1,71,72,929	आयरन एंड स्टील्स	5/2	5,15,188	20,77,629	15,62,441	20,77,629	5,15,188
23	वृत्त–3 दुर्ग	गंगा एंड उमा स्टील्स इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमि.	22AADCG8643H1ZO	36,92,434	एमएस वायर	5/2	1,10,773	2,91,637	1,80,864	2,91,637	1,10,773
24	वृत्त–3 दुर्ग	श्री श्याम इंडस्ट्रीज	22AGOPA5001H1Z2	2,45,61,814	आयरन एंड स्टील्स	5/2	7,36,854	3,46,023	–390831	3,08,079	3,08,079
25	वृत्त–3 दुर्ग	एम–सी–के– कुट्टी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	22AAHCM2835M1ZD	4,37,92,551	सप्लाई आफ एंड प्लांट्स इक्यूपमेंट	5/2	13,13,777	5,71,024	(–)742753	5,71,024	5,71,024
26	वृत्त–3 दुर्ग	दिनेश ट्रेडिंग्स कंपनी	22ACGPA8414J1ZY	3,00,18,914	आयरन एंड स्टील्स	5/2	9,00,567	63,08,539	54,07,972	62,49,852	8,41,880
27	वृत्त–3 दुर्ग	प्रतिभा फ्लोकान इंजिनियरिंग	22AADCP1756E1ZT	1,23,03,181	फेब्रिकेशन पेनल्स फॉर सीएस	5/2	3,69,095	6,78,986	3,09,891	6,78,986	3,69,095
28	वृत्त–3 दुर्ग	भिलाई इंजिनियरिंग वर्क्स	22AACFB3130E1ZE	1,41,09,499	इंडस्ट्रीज गुड्स	5/2	4,23,285	10,00,000	5,76,715	7,57,451	1,80,736
29	वृत्त–3 दुर्ग	गोपाल इंडस्ट्रीज	22AAFFG7863G1ZE	8,98,77,935	स्लीपर्स	5/2	26,96,338	91,49,928	64,53,590	90,01,047	25,47,457
30	वृत्त–4 दुर्ग	कोर फेब प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	22AACCD1192M1ZR	25,83,48,048	फ्रेब्रिकेटेड स्टील स्ट्रकचर	5/2	77,50,441	33,78,197	(–)4372244	33,78,197	33,78,197
31	वृत्त–4 दुर्ग	गोवर्धन बायोकेम	22AQAPB0666P1Z0	2,11,39,772	नीम आयल	5/2	6,34,193	1,23,271	(–)510922	1,23,271	1,23,721
योग				**2,69,05,33,736**			**8,10,33,144**				**5,62,53,113**

परिशिष्ट 4.1.4

(कंडिका 4.1.9.2(iv) में संदर्भित)

ऐसे व्यवसायियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने समर्थित बीजक के बिना ट्रान–1 की तालिका 7(ग) के तहत इनपुट स्टॉक पर अयोग्य संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसायी का नाम	जीएसटीआइएन	7(ग) के तहत दावा किया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट
1.	2.	3.	4.	5.
1	वृत्त–3 रायपुर	श्री रानीसती जी इंटरप्राइजेस	22AJBPA1400A1ZR	60,675
2	वृत्त–4 रायपुर	पुंज लायड लिमिटेड	22AAACP0305Q1ZO	10,53,800
3	वृत्त–7 रायपुर	अभिश्री इंडस्ट्रीज	22AEWPK4548R1ZL	73,319
4	वृत्त–2 दुर्ग	शुक्ला इंडस्ट्रीज	22AYFPS9711H1ZB	1,37,713
5	वृत्त–3 दुर्ग	टीवी पैलेस एप्लायेंसेस	22AGPPR6699P1Z5	7,64,331
6	वृत्त–3 दुर्ग	इंडियन सेल्स	22AADFI8545B1ZR	13,70,609
7	वृत्त–3 दुर्ग	श्री मालवे इंडस्ट्रीज	22CLOPP7947L1ZA	41,654
8	वृत्त–4 दुर्ग	खालसा एग्रो इंडस्ट्रीज	22AMPPS9157F1ZL	3,72,552
9	वृत्त–4 दुर्ग	सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज	22ABMPH0624A1Z1	22,53,539
10	वृत्त–4 दुर्ग	सुयश बिल्डकान	22ACIFS5574M1ZM	7,04,435
11	वृत्त–1 बिलासपुर	अग्रवाल इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमि.	22AAFCA6636C1Z5	42,86,564
12	वृत्त–2 बिलासपुर	बेटरी पाइंट	22ALRPC8932H1Z0	3,43,034
13	वृत्त–2 बिलासपुर	इरा इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमि.	22AAACE1268K1ZV	26,37,913
14	वृत्त–2 बिलासपुर	मेबगोल्ड फ़ार्मस	22AFAPB2750B2ZI	4,62,319
15	वृत्त–3 बिलासपुर	छाबरा सेल्स	22AADFC5438P1ZA	10,32,980
16	वृत्त–3 बिलासपुर	हिमांशु कुमार मिश्रा	22AFVPM6283K1ZS	3,36,366
योग				**1,59,31,803**

परिशिष्ट 4.1.5

(कंडिका 4.1.9.2(v) में संदर्भित)

संक्रमणकालीन क्रेडिट की अधिक दावा की वापसी पर ब्याज का भुगतान न किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसायी का नाम	जीएसटीआइएन	ट्रान–1 में दावा की गई संक्रमणकालीन केडिट	इसीएल में जमा की गई संक्रमणकालीन केडिट	संक्रमणकालीन केडिट की वापसी	वापस की गई आईटीसी में वसूली योग्य ब्याज
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1	वृत्त–2 रायपुर	लखवानी मोबाइल	22AFNPL2522G1ZS	3,58,977	7,17,672	3,58,695	20,063
2	वृत्त–2 बिलासपुर	मोदी इंटरप्राइजेस	22BCKPM5910N1ZE	2,57,405	3,57,358	99,953	19,060
3	वृत्त–3 बिलासपुर	एकता केशरवानी	22BHKPK0791E1ZK	0	3,92,987	3,92,987	28,424
	योग					**8,51,635**	**67,547**

परिशिष्ट 4.1.6

(कंडिका 4.1.9.2(vi) में संदर्भित)

स्टॉक के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)	जीएसटीआइएन	संक्रमणकालीन केडिट किया गया दावा
1	वृत्त–1 दुर्ग	जिनदत्त मेडिकल एजेंसिस	22AAWPL3868R1ZN	4,66,897
2	वृत्त– धमतरी	दिनेश मेडिकल्स स्टोर्स	22AFPPK7470Q1ZP	7,53,406
3	वृत्त– राजनांदगांव	मंजू सेल्स	22AJVPP8237E1ZV	4,25,974
योग				**16,46,277**

परिशिष्ट 4.1.7

(कंडिका 4.1.9.2(vii) में संदर्भित)

तालिका 6(ख), 7(ख), 7(ग), 10(क) और 11 के तहत दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट से संबंधित अप्रस्तुत अभिलेखों को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वृत्त का नाम	व्यवसायी का नाम	जीएसटीआइएन	ट्रान –1 के तालिका जिसके तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया	करदाता द्वारा दावे किये गए संक्रमणकालीन क्रेडिट
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	वृत्त–1 रायपुर	हेराम्बो इंटरप्राइजेस	22AAGHM2050J1ZJ	7 (ग)	2,58,317
2	वृत्त–2 रायपुर	रामा पॉवर एंड स्टील प्राइवेट लिमि.	22AADCR9997H1ZU	7 (ख)	3,13,441
3	वृत्त–2 रायपुर	विर्गो सालुशन्स इंडिया एलएलपी.	22AANFV0958R1ZE	10 (क)	2,15,016
4	वृत्त–3 रायपुर	शिवालिक पॉवर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	22AAICS7879Q1ZC	7 (ख)	17,531
5	वृत्त–3 रायपुर	श्री रानीसती जी इंटरप्रायजेस	22AJBPA1400A1ZR	7 (ग)	60,675
6	वृत्त–3 रायपुर	मेकनली भारत इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड	22AABCM9443R1ZZ	7 (ख)	6,46,234
7	वृत्त–3 रायपुर	नोबल रेमेडीज	22ADWPM2731R1ZW	10 (क)	4,79,120
8	वृत्त–3 रायपुर	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर	22AAACL0140P4ZQ	7 (ख), 7 (ग), 11	71,53,190
9	वृत्त–3 रायपुर	मिराज डिज़ाइनर टाइल्स	22AJXPP7302A1ZD	7 (ग)	90,328
10	वृत्त–3 रायपुर	आदित्य मेडी सेल्स लिमिटेड[2]	22AABCA9317J1ZU	7 (ग)	69,36,604
11	वृत्त–4 रायपुर	पूंज लायड लिमिटेड	22AACP0305Q1ZQ	7 (ग)	10,53,800
12	वृत्त–5 रायपुर	कोन एलेवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	22AAACK2567P1ZB	11	6,47,610
13	वृत्त–5 रायपुर	रश्मि स्पंज आयरन एंड पॉवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22AAACJ2311G1ZD	7 (ख)	24,28,187
14	वृत्त–5 रायपुर	गोदरेज एंड ब्योय्सी मेनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमि.	22AAACG1395D2Z3	11	71,245
15	वृत्त–6 रायपुर	सतगुरु इलेक्ट्रानिक्स	22AEVPK3394L1ZW	7(ख)	10,05,177
16	वृत्त–6 रायपुर	आर डी डिस्ट्रीब्युटर्स [3]	22AEUPK9350F1ZA	7(ख) , 7 (ग)	43,347

[2] अब तक राशि ₹ 14,26,899 वसूल की जा चुकी है।

[3] अब तक राशि ₹ 43,347 वसूल की जा चुकी है।

17	वृत्त–7 रायपुर	अभिश्री इंडस्ट्रीज	22AEWPK4548R1ZL	7 (ग)	73,319
18	वृत्त–7 रायपुर	फार्चुन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	22AABCF2695J1ZM	6(ख) , 7 (ग)	23,99,686
19	वृत्त–7 रायपुर	नवनीत इंटरप्राइजेस	22AKDPG3509M1ZE	7(ख) ,7(ग)	7,13,995
20	वृत्त–7 रायपुर	जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्टस लिमिटेड	22AAACM0501D2ZJ	6(ख) , 7(ख)	78,81,091
21	वृत्त–7 रायपुर	भारत कंस्ट्रक्शन सेल्स एंड सर्विसेस	22AGDPG1591K1ZL	7(ख) ,7(ग)	12,25,183
22	वृत्त–7 रायपुर	कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	22AAACK8387R1ZT	7(ख)	1,04,430
23	वृत्त–7 रायपुर	राजपूत इंजिनियरिंग	22AQFPS8859Q1ZT	6(ख) , 7(ग)	77,380
24	वृत्त–8 रायपुर	बी के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमि.	22AABCB6260B1ZE	7(ख)	1,160
25	वृत्त–9 रायपुर	जोरावर इंजीनियरिंग एंड फौण्डरी फ़ोर्ज प्राइवेट लिमिटेड	22AABCJ4261A1ZB	7(ख)	1,00,225
26	वृत्त–9 रायपुर	सीजी पाइप	22ADVPA1538P1ZA	6(ख)	4,516
27	वृत्त–9 रायपुर	हिंदुस्तान कोइल्स लिमिटेड	22AADCH6308N1ZK	7(ख)	25,093
28	वृत्त–9 रायपुर	ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड	22AACCG3005C3ZJ	6(ख)	25,995
29	वृत्त–9 रायपुर	लक्ष्मीकृपा स्टील्स एंड पॉवर लिमि. (वायर डीवीजन)	22AANCS9409F2Z7	7(ख)	1,939
30	वृत्त–9 रायपुर	अग्रवाल चेनल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	22AAFCA7929N1ZC	7(ख)	86,907
31	वृत्त–2 दुर्ग	शुक्ला इंडस्ट्रीज	22AYFPS9711H1ZB	7(ख)	15,383
32	वृत्त–3 दुर्ग	एसीसी लिमिटेड	22AAACT1507C1Z7	6(ख), 7(ख)	24,09,682
33	वृत्त–3 दुर्ग	टीवी पैलेस एंड एप्लायंसेस	22AGPPR6699P1Z5	7(ग)	3,16,051
34	वृत्त–3 दुर्ग	एकता स्टील्स	22ACGPA8398F1ZO	7(ख)	2,77,351
35	वृत्त–3 दुर्ग	श्री मालवे इंडस्ट्रीज	22CLOPP7947L1ZA	6(ख)	39,999
36	वृत्त–4 दुर्ग	टापवर्थ स्टील्स एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	22AACCT0878L2Z5	7(ख)	5,61,699
37	वृत्त–1 बिलासपुर	आशा सेल्स	22AMTPC4817A1Z1	10(क)	2,81,473
38	वृत्त–1 बिलासपुर	श्रद्धा कंस्ट्रक्शन कंपनी	22AAXFS4943B1Z3	6(ख)	17,86,093
39	वृत्त–3 बिलासपुर	राशि स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	22AAECR6450Q1Z0	7(ख)	33,629
योग					**3,98,62,101**

परिशिष्ट 4.2.1ए

(कंडिका 4.2.9.1(i) में संदर्भित)

आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब–प्री–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाता का नाम	जीएसटीएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि (₹)	विलंब की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	रायपुर वृत्त 1	सीसीआर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	22AAFCC5536K1ZP	AA221118000831V	03/11/2018	07/12/2018	211424	19
2.	रायपुर वृत्त 2	बगड़िया ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड	22AABCB8934G3ZT	AA2207181162793	01/12/2018	12/02/2019	3564319	58
3.	रायपुर वृत्त 3	एसजीएस तकनीकी सेवा प्रा लिमिटेड	22AATCS3341Q1ZS	AA2203181954271	24/11/2018	18/06/2019	37209	191
4.		श्री. महेश कुमार एंड कम्पनी	22ABHPN7881L1Z5	AA220318007923G	15/02/2019	20/05/2019	13000	79
5.		आधारशीला शिक्षण संघ	22AAAAA8511H1ZA	AA2202190069980	23/02/2019	19/03/2019	40344	9
6.		श्री. महेश कुमार एंड कम्पनी	22ABHPN7881L1Z5	AA220518006456E	07/03/2019	20/05/2019	9000	59
7.		श्री. महेश कुमार एंड कम्पनी	22ABHPN7881L1Z5	AA221118088909S	07/03/2019	20/05/2019	11500	59
8.		एस जैन वेचर्स लिमिटेड	22AAACQ2363D1Z0	AA220119120564M	03/04/2019	18/06/2019	159162	61
9.		रामनिवास अग्रवाल – रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड जेवी	22AAEAR7459P1ZV	AA220719006049B	20/07/2019	22/08/2019	1958000	18
10.		सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड	22AAVCS0328R1ZR	AA220719007939T	26/07/2019	30/08/2019	1276144	20
11.		गोदरीवाला प्लास्टिक प्रा. लिमिटेड	22AABCG1400C1ZR	AA2208190045376	18/08/2019	25/09/2019	5580	23
12.		त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी लिमिटेड	22AACCT7182P1ZV	AA220819005581C	21/08/2019	19/09/2019	46457	14
13.		त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी लिमिटेड	22AACCT7182P1ZV	AA2209190054862	19/09/2019	15/10/2019	34950	11
14.	रायपुर वृत्त 5	श्री. बालाजी इंटरप्राइजेज	22DTRPS3849L1ZU	AA220219004598A	16/02/2019	20/06/2019	34026	109
15.		मैसर्स शिया बायोटेक	22BKJPM0430Q1Z3	AA221217010056X	13/05/2019	11/10/2019	439249	136
16.		श्री साईनाथ उद्योग प्रा. लिमिटेड	22AALCS6148P1ZR	AA220418128300S	27/08/2018	04/10/2018	2173347	23
17.			22AALCS6148P1ZR	AA220518108210V	29/08/2018	04/10/2018	2487324	21

18.	रायपुर वृत्त 6		22AALCS6148P1ZR	AA2208181019918	29/10/2018	09/01/2019	2657678	57
19.		श्री साईनाथ उद्योग प्रा. लिमिटेड	22AALCS6148P1ZR	AA2209180024958	19–दिसम्बर–18	09/01/2019	3431078	6
20.			22AALCS6148P1ZR	AA221018115533R	08/01/2019	13/05/2019	2917686	110
21.			22AALCS6148P1ZR	AA221118078009C	23/01/2019	13/05/2019	2299094	95
22.			22AALCS6148P1ZR	AA221218198098Y	14/02/2019	13/05/2019	3082414	73
23.			22AALCS6148P1ZR	AA220119112602U	15/03/2019	13/05/2019	2360766	44
24.			22AALCS6148P1ZR	AA220219118421Q	05/01/2019	23/07/2019	1774906	184
25.			22AALCS6148P1ZR	AA220719004014Q	13/07/2019	19/09/2019	3114813	53
26.			22AALCS6148P1ZR	AA220719004029F	13/07/2019	19/09/2019	1557586	53
27.			22AALCS6148P1ZR	AA220819002137G	08/07/2019	19/09/2019	2821306	58
28.		एम एस स्टील	22AZUPK1728J1Z4	AA220619001646C	06/07/2019	07/09/2019	656224	48
29.	रायपुर वृत्त 7	एस्क्योर खाद्य और पेय प्रा. लिमिटेड	22AANCA8045R1Z3	AA220319168867Q	04/05/2019	24/05/2019	2800589	5
30.			22AANCA8045R1Z3	AA220219118692D	02/05/2019	24/05/2019	853228	7
31.			22AANCA8045R1Z3	AA220119103527L	28/02/2019	28/03/2019	884705	13
32.			22AANCA8045R1Z3	AA221118087175A	27/02/2019	28/03/2019	1005401	14
33.		मेसर्स ग्रीनवर्ल्ड सोलरवेयर्स प्रा. लिमिटेड	22AAECG7707K1ZL	AA220718005761E	24/01/2019	15/03/2019	1687058	35
34.	भाटापारा वृत्त	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	22AAAAJ2713L1Z0	AA2203190046986	16/03/2019	13/05/2019	125532	43
35.	दुर्ग वृत्त 4	मेसर्स अनुराग कंस्ट्रक्शन	22ATTPT1751F2ZH	AA220519007805A	28/05/2019	26/09/2019	139532	106
36.	दुर्ग वृत्त 1	दुर्ग जिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित	22AAAAD8947N1ZE	AA220618014277C	18/02/2019	22/06/2019	10998	109
37.		मेसर्स शशि शर्मा	22DVKPS0025K1ZL	AA220319004259G	15/03/2019	22/06/2019	55000	84
38.		अर्पण कंसल्टेंट सर्विसेज	22ABDFA5455F1ZU	AA220318000599C	20/12/2018	22/06/2019	35281	169
39.	दुर्ग वृत्त 2	सहेली ज्वैलर्स	22AABHB5529E1ZW	AA221118005143Z	25/11/2018	15/01/2019	1200	36
40.	दुर्ग वृत्त 3	मेसर्स केशर ट्रेडर्स	22AFAPJ2882C1Z0	AA2202190024102	09/02/2019	28/02/2019	6400	4

41.		मेसर्स एसकेएस एंटरप्राइजेज	22BDMPS6148D3ZF	AA220119006511W	22 / 01 / 2019	15 / 02 / 2019	68894	9
42.		मेसर्स एसोसिएटेड ऑटोमोबाइल्स	22ACQPD9794A1ZJ	AA220619003014T	12 / 06 / 2019	04 / 07 / 2019	42550	7
43.		मेसर्स भिलाई आयरन एंड स्टील प्रोसेसिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	22AADCB3926E1Z7	AA2204190060961	18 / 04 / 2019	21 / 06 / 2019	1500000	49
44.			22AADCB3926E1Z7	AA2206190055569	21 / 06 / 2019	08 / 08 / 2019	2700000	33
45.	राजनंदगांव वृत्त	दीपक जैन	22AFYPJ9957Q1Z5	AA2202191176198	29 / 04 / 2019	24 / 09 / 2019	15872	133
46.		श्री राम कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स	22APXPA0616C1ZH	AA220119003296N	11 / 01 / 2019	07 / 03 / 2019	31822	40
47.	रायगढ़ वृत्त 1	सरस गोयल	22AEXPG7481E1Z9	AA220219006931K	22 / 02 / 2019	20 / 03 / 2019	388804	10
48.		मनोज कुमार केडिया	22AAYFM1656N1ZN	AA220219007219	22 / 02 / 2019	20 / 03 / 2019	1383692	10
49.	जगदलपुर वृत्त 1	गौतम चोपड़ा	22ATOPC0980G1ZX	AA220719005235H	18 / 07 / 2019	30 / 11 / 2019	37712	120
50.	अम्बिकापुर वृत्त	श्री बांके बिहारी बिल्डकॉन	22ACPFS3733B1ZD	AA220419009428A	29 / 04 / 2019	01 / 01 / 2020	137303	232

परिशिष्ट 4.2.1बी

(कंडिका 4.2.9.1(i) में संदर्भित)

आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब–पोस्ट–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाता का नाम	जीएसटीएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	फॉर्म जीएसटी आरएफडी–02 में पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि	विलंब की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	रायपुर वृत्त 7	जिनकुशल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	22AAACZ3367N1Z0	AA2201200009997I	29/01/2020	23/04/2020	1815695	70
2.			22AAACZ3367N1Z0	AA220620003385V	12/06/2020	06/07/2020	3537648	9
3.		अनंत इन्टरकान्टीनेन्टल	22AARCS5780K1ZR	AA2201200107072	31/01/2020	15/06/2020	221837	121
4.	बिलासपुर वृत्त 3	राशी स्टील पावर लिमिटेड	22AAPCR6450Q1Z0	AA2202200026270	11/02/2020	20/04/2020	1928671	54
5.			22AAPCR6450Q1Z0	AA2202200029855	12/02/2020	20/04/2020	1844994	53
6.	रायगढ़ वृत्त 02	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	22AAACM0501D1ZK	AA2203200061662	23/03/2020	14/05/2020	2949896	37
7.	रायपुर वृत्त 03	रिच फाइटो केयर प्राइवेट लिमिटेड	22AACCR8543G1ZH	AA221219008156L	27/12/2019	13/02/2020	3247479	33
8.	दुर्ग वृत्त 04	एम एस कोठारी इंजीनियरिंग	22AETPKZZ94K1Z3	AA221019000917J	03/10/2019	15/11/2019	1392328	28
9.	जगदलपुर वृत्त 02	चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	22AAECC2737M1ZP	AA220520003689J	22/05/2020	11/06/2020	103400	5
10.	मनेन्द्रगढ़ वृत्त	जय अम्बे स्टोन क्रेशर	22AKZPP6374P1Z0	AA221219004199F	14/12/2019	12/03/2020	1000000	74

परिशिष्ट 4.2.2ए

(कंडिका 4.2.9.1(ii) में संदर्भित)

प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब–प्री–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाता का नाम	जीएसटीएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	मैनुअल दाखिल के प्रकरण में प्रतिदाय आवेदन नस्ती करने के दिनांक	फॉर्म जीएसटी–06 में आदेश का दिनांक	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)	विलंब की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	रायपुर वृत्त 2	बगाडिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	22AABCB8934G3ZT	AA2207181162793	01/12/2018	08/04/2019	3564319	68
2.	रायपुर वृत्त 3	एसजीएस टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	22AATCS3341Q1ZS	AA2203181954271	24/11/2018	20/08/2019	37209	209
3.		श्री महेश कुमार एंड कंपनी	22ABHPN7881L1Z5	AA220318007923G	15/02/2019	19/08/2019	13000	125
4.			22ABHPN7881L1Z5	AA220518006456E	07/03/2019	19/08/2019	9000	105
5.			22ABHPN7881L1Z5	AA221118088909S	07/03/2019	19/08/2019	11500	105
6.		एस जैन वेंचर्स लिमिटेड	22AAACQ2363D1Z0	AA220119120564M	03/04/2019	20/08/2019	159162	79
7.		रिच फाइटो केयर प्राईवेट लिमिटेड	22AACCR8543G1ZH	AA220219126530P	19/07/2019	15/10/2019	100000	28
8.	रायपुर वृत्त 5	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	22DTRPS3849L1ZU	AA220219004598A	16/02/2019	26/06/2019	34026	70
9.		मेसर्स श्रिया बायोटेक	22BKJPM0430Q1Z3	AA221217010056X	13/05/2019	14/10/2019	439249	94
10.	रायपुर वृत्त 6	श्री सांईनाथ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22AALCS6148P1ZR	AA220418128300S	27/08/2018	07/08/2020	2173347	651
11.			22AALCS6148P1ZR	AA220518108210V	29/08/18	07/08/2020	2487324	649
12.			22AALCS6148P1ZR	AA2208181019918	29/10/18	07/08/2020	2657678	588
13.			22AALCS6148P1ZR	AA2209180024958	19/12/18	07/08/2020	3431078	537
14.			22AALCS6148P1ZR	AA221018115533R	08/01/19	14/08/2020	2917686	524
15.			22AALCS6148P1ZR	AA221118078009C	23/01/19	14/08/2020	2299094	509
16.			22AALCS6148P1ZR	AA221218198098Y	14/02/19	14/08/2020	3082414	487

17.			22AALCS6148P1ZR	AA220119112602U	15/03/2019	14/08/2020	2360766	458
18.			22AALCS6148P1ZR	AA220219118421Q	05/01/2019	14/08/2020	1774906	527
19.			22AALCS6148P1ZR	AA220719004014Q	13/07/2019	14/08/2020	3114813	338
20.			22AALCS6148P1ZR	AA220719004029F	13/07/2019	14/08/2020	1557586	338
21.			22AALCS6148P1ZR	AA220819002137G	08/07/2019	14/08/2020	2821306	343
22.	रायपुर वृत्त 9	एसक्यार फुड एंड बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड	22AANCA8045R1Z3	AA220319168867Q	04/05/2019	08/07/2019	0	5
23.			22AANCA8045R1Z3	AA220219118692D	02/05/2019	08/07/2019	0	7
24.	भाटापारा वृत्त	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	22AAAAJ2713L1Z0	AA2203190046986	16/03/2019	22/05/2019	125532	7
25.		मेसर्स जय दुर्गे कंस्ट्रक्शन	22BAYPA0996C1ZR	AA220619004446D	18/06/2019	07/11/2019	48604	82
26.	दुर्ग वृत्त 1	दुर्ग जिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित	22AAAAD8947N1ZE	AA220618014277C	18/02/2019	22/06/2019	10998	64
27.		मेसर्स शशि शर्मा	22DVKPS0025K1ZL	AA220319004259G	15/03/2019	22/06/2019	55000	39
28.		अर्पण कंसल्टेंट सर्विसेज	22ABDFA5455F1ZU	AA220318000599C	20/12/2018	22/06/2019	35281	124
29.	दुर्ग वृत्त 4	मेसर्स अनुराग कंस्ट्रक्शन	22ATTPT1751F2ZH	AA220519007805A	28/05/2019	03/10/2019	139532	68
30.	दुर्ग वृत्त	मेसर्स भिलाई आयरन एंड स्टील प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	22AADCB3926E1Z7	AA220419006096I	18/04/2019	21/06/2019	1500000	4
31.	बिलासपुर वृत्त 3	श्री सांईं टाइल्स एंड सेनेटरी	22AANPU7819E1ZF	AA2212182327767	10/05/2019	16/09/2019	190290	68
32.	कोरबा वृत्त 2	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	22AAACB1290N1ZU	AA220719000932E	03/07/2019	11/09/2019	165257782	10
33.	जगदलपुर वृत्त 1	गौतम चोपड़ा	22ATOPC0980G1ZX	AA220719005235H	18/07/2019	30/11/2019	37712	75

परिशिष्ट 4.2.2बी

(कंडिका 4.2.9.1(ii) में संदर्भित)

प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब–पोस्ट–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाता का नाम	जीएसटीएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	आवेदन का दिनांक	फॉर्म जीएसटी आरएफडी–06 / आरएफडी–05 में आदेश की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹ में)	विलंब की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	रायपुर वृत्त 07	जिनकुशल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22AAACZ3367N1Z0	AA2201200099971	29 / 01 / 2020	23 / 04 / 2020	1815695	25
2.	रायपुर वृत्त 07	अनंत इंटर कान्टिनेन्टल	22AARCS5780K1ZR	AA2201200107072	31 / 01 / 2020	15 / 06 / 2020	221837	76
3.	रायपुर वृत्त 07	स्पंज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCSC974Q2ZJ	AA220120005649T	18 / 01 / 2020	19 / 10 / 2020	925007	215
4.	रायपुर वृत्त 09	एपीएल लॉजस्टिक्स	22AACCA969B1ZU	AA2211190000153	01 / 11 / 2019	21 / 01 / 2020	272969	21
5.	रायपुर वृत्त 09	माया स्टील	22AECPY5096G1Z9	AA220320005706X	21 / 03 / 2020	16 / 06 / 2020	28040	27
6.	रायपुर वृत्त 09	भारत एग्रो	22AAHFB8665M2Z1	AA220120006617Z	21 / 01 / 2020	29 / 04 / 2020	2875978	40
7.	रायपुर वृत्त 09	हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड	22AABCJ0138Q1ZM	AA220220001160L	05 / 02 / 2020	29 / 04 / 2020	4890898	24
8.	बिलासपुर वृत्त 1	मोटवानी स्टोर्स	22AGNPM6319D1ZK	AA221019008224U	22 / 10 / 2019	29 / 05 / 2020	64000	160
9.	बिलासपुर वृत्त 1	अग्रवाल इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	22AAFCA6636C1Z5	AA221119003912O	14 / 11 / 2019	29 / 05 / 2020	424832	137
10.	जंजगीर वृत्त	संजय कुमार केडिया	22ACEFS8115Q1ZR	AA220120009329X	27 / 01 / 2020	08 / 05 / 2020	800000	42
11.	मनेंद्रगढ वृत्त	जय अम्बे स्टोन क्रशर	22AKZPP6374P1Z0	AA221219004199F	14 / 12 / 2019	12 / 03 / 2020	1000000	29
12.	कोरबा वृत्त 2	बंसल रिट्रडर्स	22BDDPB6458C1Z4	AA221219003650S	12 / 12 / 2019	25 / 04 / 2020	247348	75
13.	कोरबा वृत्त 2	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	22AAACB1290N1ZU	AA220120001679U	07 / 01 / 2020	09 / 04 / 2020	96364941	33

परिशिष्ट 4.2.3

(कंडिका 4.2.9.1(iii) में संदर्भित)

प्रतिपक्षी कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में असामान्य विलंब–प्री–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटीएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	फॉर्म जीएसटी आरएफडी–06 में प्रतिदाय की स्वीकृति आदेश जारी करने की दिनांक	स्वीकृत सीजीएसटी प्रतिदाय की राशि (₹ में)	प्रतिपक्षी कर प्राधिकरण के नोडल आधिकारी को प्रतिदाय आदेश अग्रेषित करने की तिथि	अग्रेषित करने में विलंब
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	रायपुर वृत्त 1	सीसीआर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	22AAFCC5536K1ZP	AA221118000831V	07/12/2018	211424	20/12/2018	6
2	रायपुर वृत्त 2	उनुम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	22AACCU0922C1Z3	AA220619007235H	13/08/2019	31844	12/09/2019	23
3		दुर्गा एक्सप्रेस कार्गो और कूरियर सेर्वीसेस	22BNFPR9506P2ZE	AA220519002661L	17/07/2019	6000	02/08/2019	9
4		राजेंद्र गाला भंडार	22ACIPA4232C1ZJ	AA2206190063877	13/08/2019	148043	12/09/2019	23
5	रायपुर वृत्त 6	श्री सांईनाथ इंण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22AALCS6148P1ZR	AA220418128300S	07/08/2020	114781	04/09/2020	21
6			22AALCS6148P1ZR	AA220518108210V	07/08/2020	98213	04/09/2020	21
7			22AALCS6148P1ZR	AA2208181019918	07/08/2020	194159	04/09/2020	21
8			22AALCS6148P1ZR	AA2209180024958	07/08/2020	112134	04/09/2020	21
9			22AALCS6148P1ZR	AA221018115533R	14/08/2020	118074	30/09/2020	40
10			22AALCS6148P1ZR	AA221118078009C	14/08/2020	77349	30/09/2020	40
11			22AALCS6148P1ZR	AA221218198098Y	14/08/2020	100816	30/08/2020	9
12			22AALCS6148P1ZR	AA220119112602U	14/08/2020	68751	30/08/2020	9
13			22AALCS6148P1ZR	AA220219118421Q	14/08/2020	133723	30/09/2020	40
14		एम एस स्टील	22AZUPK1728J1Z4	AA220619001646C	07/09/2019	328112	14/10/2019	30
15		श्री सांईनाथ इंण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22AALCS6148P1ZR	AA220719004014Q	14/08/2020	303586	30/09/2020	40
16			22AALCS6148P1ZR	AA220719004029F	14/08/2020	110667	30/09/2020	40
17			22AALCS6148P1ZR	AA220819002137G	14/08/2020	79212	30/09/2020	40
18	दुर्ग वृत्त 1	दुर्ग जिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित	22AAAAD8947N1ZE	AA220618014277C	22/06/2019	10998	14/08/2019	46
19	दुर्ग वृत्त 1	मेसर्स शशि शर्मा	22DVKPS0025K1ZL	AA220319004259G	22/06/2019	55000	14/08/2019	46
20	बिलासपुर वृत्त 2	मेसर्स मुकेश प्रसाद सिंह	22AKNPS2573B1Z9	AA221218008422S	03/01/2019	119823	14/01/2019	4
21	जगदलपुर वृत्त 2	मेसर्स शेख सि़द्दीकी	22BZOPS4579N1ZE	AA220419004167J	22/05/2019	289374	18/06/2019	14
22	अम्बिकापुर वृत्त	श्री बांके बिहारी बिल्डकॉन	22ACPFS3733B1ZD	AA220419009428A	01/01/2020	137303	17/01/2020	8

परिशिष्ट 4.2.4

(कंडिका 4.2.9.7 में संदर्भित)

कॉमन पोर्टल के माध्यम से पावती/कमी की प्राप्ति नहीं किया जाना–प्री–ऑटोमोशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	एआरएन	जीएसटीएन	नाम	राशि (₹ में)
1.	बिलासपुर वृत्त 2	AA221118001906L	22AQGPS3456G1ZU	एसोसिएटेड माईनिंग कंपनी	1080000
2.		AA2212180084225	22AKNPS2573B1Z9	मेसर्स सुकेश प्रसाद सिंह	119823
3.		AA220119003723Q	22AENPP6798P1ZD	एनसीपी ट्रान्सफॉर्मर	189457
4.		AA221218231333Q	22ABLPK7698A1ZK	उजाला रबर इन्डस्ट्रीज	715758
5.		AA220319176024G	22ABLPK7698A1ZK	उजाला रबर इन्डस्ट्रीज	658876
6.		AA220318019814D	22AIYPD9181F1ZZ	एक्मे प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज	131068
7.		AA2205190065711	22EQMPS3480N1Z5	छत्तीसगढ़ स्टील ट्रेडर्स	99373
8.		AA220619005205M	22BKQPS4655A1Z4	हंसा फ्लाई एश ब्रिक्स	332542
9.	बिलासपुर वृत्त 3	AA220618167548T	22GFUPS0257G1Z4	परमेश्वर साहू	79520
10.		AA2211180915657	22AAECR6450Q1Z0	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	2698054
11.		AA2212182189943	22AAECR6450Q1Z0	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	1430160
12.		AA220419001775D	22FGTPS4023R1ZL	सिंगरौल ट्रैक्टर	29200
13.		AA2212182327767	22AANPU7819E1ZF	श्री सांई टाइल्स एंड सेनेटरी	190290
14.		AA2202180054861	22ADFPS3990M1Z2	कुसुम प्रोडक्ट्स	516935
15.		AA220819004355C	22BEDPS7841P1ZX	एक्समैन सिक्योरिटी सर्विस	1008000
16.		AA2209190006938	22AAECR6450Q1Z0	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	3527365

परिशिष्ट 4.2.5

(कंडिका 4.2.9.10 में संदर्भित)

अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना–प्री–ऑटोमेशन

स. क्र.	वृत्त का नाम	करदाता का नाम	जीएसटीआईएन क्रमांक	एआरएन क्रमांक	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	रायपुर वृत्त 7	एएस फर्नीचर	22AVQPA8200K1ZR	AA221118000473V	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
2.		पप्पू बीज भंडार	22AHMPC4783F1ZH	AA2212182340010	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
3.		स्पॉन्ज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCS3974Q2ZJ	AA220218112672N	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
4.		स्पॉन्ज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCS3974Q2ZJ	AA2209171854390	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
5.		स्पॉन्ज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCS3974Q2ZJ	AA22041000534Q	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
6.		स्पॉन्ज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCS3974Q2ZJ	AA221018134153U	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
7.		स्पॉन्ज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	22AAMCS3974Q2ZJ	AA220918041210N	इनपुट चालान प्रदान नहीं किया गया
8.		ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स	22ADLPT9120C1ZQ	AA220719000806B	इनपुट चालान प्रदान नहीं किया गया
9.		अनंत इंन्टरकॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड	22AARCS5780K1ZR	AA220918041738V	इनपुट चालान प्रदान नहीं किया गया
10.		अनंत इंन्टरकॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड	22AARCS5780K1ZR	AA221018134503R	इनपुट चालान प्रदान नहीं किया गया
11.	रायपुर वृत्त 9	एक्यार फुड एण्ड ब्रेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड	22AANCA8045R1Z3	AA2207181146292	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
12.		एक्यार फुड एण्ड ब्रेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड	22AANCA8045R1Z3	AA221018086978R	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
13.	रायपुर वृत्त 1	अरूणोदय मेरेकॉन प्राइवेट लिमिटेड	22AARCA3975C1ZP	AA220219019326I	डुप्लीकेठ रिफंड का दावा किया गया
14.		अरूणोदय मेरेकॉन प्राइवेट लिमिटेड	22AARCA3975C1ZP	AA2202190193896	डुप्लीकेठ रिफंड का दावा किया गया
15.	रायपुर वृत्त 5	वर्मा कम्युनिकेशन्स	22AEZPV0722R1ZN	AA220118127005V	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
16.		दिपेन ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	22AADCD6518Q1ZE	AA220219006629B	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
17.		एसएस मार्केटिंग	22FWPPS5573A1ZA	AA220619005570J	रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया
18.	बिलासपुर वृत्त 1	एक्सपर्ट आर्यन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	22AABCE5723A1ZF	AA220719003020Y	पोर्टल मे तकनीकी खराबी
19.		मां भगवती ट्रेडर्स	22AAJHV5126M1ZU	AA221018008687C	पोर्टल मे तकनीकी खराबी

परिशिष्ट 4.2.6

(कंडिका 4.2.9.10 में संदर्भित)

प्रतिदाय के प्रकरण जिनमें प्रतिदाय के आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये

स. क्र.	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	प्रतिदाय–आरएसएन	वृत्त	कर अवधि	जीएसटी पोर्टल पर दस्तावेज नहीं पाये गये	राशि (₹ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	22AGNPM6319D1ZK	AA221019008224U	मोटवानी स्टोर्स	ईएक्सबीसीएल	बिलासपुर वृत्त –01	लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	64000
2	22AAFCA6636C1Z5	AA2211190039120	अग्रवाल इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		424832
3	22AAPPL1795G1ZJ	AA2211190132681	रॉयल एनर्जी	ईएक्सपीडब्लूओपी		मई–2019	अनुलग्नक–बी, जीएसटीआर–2 एवं विवरण–3 से संबंधित लदान बिल	1572387
4	22AAFFV6903Q1ZR	AA2203200025824	व्ही.एम.कंस्ट्रक्शन	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	900000
5	22AADCP8340E1ZR	AA220420001421D	पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		8500000
6	22AAYPA1729N1ZG	AA221219005700T	पवन अग्रवाल ठेकेदार	ईएक्सबीसीएल	बिलासपुर वृत्त –02	लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	2938739
7	22AALFJ5200G1ZU	AA221219008999V	जिंदल पीआरएल इंफ्रास्ट्रक्चर (संयुक्त उद्यम)	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		4000000
8	22AIYPD9181F1ZZ	AA2202200031774	एक्मे प्लास्टिक उद्योग	आईएनव्हीआईटीसी		अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019	प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए, चालानों का विवरण (अनुलग्नक–बी), प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में अनुलग्नक–बी में दर्ज चालानों की स्वयं प्रमाणित प्रतियों का विवरण नहीं मिला है।	365938
9	22ABLPK7698A1ZK	AA2202200034520	उजाला रबर उद्योग	आईएनव्हीआईटीसी				558144
10	22AZQPS9507H1ZW	AA2202200078935	ओम राखड, ईटा उद्योग	आईएनव्हीआईटीसी		अप्रैल 2018 से मार्च 2019		143162
11	22ABDPA3893R1ZE	AA2202200084780	मधुसूदन अग्रवाल	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	3000000
12	22ABDPA3893R1ZE	AA2203200055860	मधुसूदन अग्रवाल	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		3000000
13	22ABGPA6629N1ZN	AA220620002485U	मुरारीलाल केदारमल	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		1753517
14	22AACCK1840M2ZO	AA2206200081309	कल्याण टोल इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		1000000
15	22AAECR6450Q1Z0	AA221019007387H	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी	बिलासपुर वृत्त –03	मार्च 2019	प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर–2ए में	4784580

16	22AAECR6450Q1Z0	AA2210190090312	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी		अप्रेल 2019	अनुलग्नक–बी में दर्ज चालानों की स्वयं प्रमाणित प्रतियों का विवरण नहीं मिला है।	2243233
17	22AAECR6450Q1Z0	AA2210190099964	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी		मई 2019		3527492
18	22BLQPS6254N1ZC	AA221119005026V	राज कुमार सिंह	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	224274
19	22AACCB8398M1Z7	AA221119007027R	बिलासपुर सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	एसइजेडडब्लुओपी		फरवरी 2018 से मार्च 2018	अनुलग्नक–बी, जीएसटीआर–2ए और नियम 89(1) के दूसरे प्रावधान के तहत अधिकृत संचालन के लिए माल/सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में एसर्ठजेड के निर्दिष्ट आधिकारी से अनुमोदन।	26342
20	22AAECR6450Q1Z0	AA2202200026270	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी		जुलाई 2019	प्रासंगिक अवधि के चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिनका विवरण संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए में नहीं मिलता है।	1928671
21	22AAECR6450Q1Z0	AA2202200002985S	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी		अगस्त 2019		1844994
22	22AAECR6450Q1Z0	AA2202200033845	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	आईएनव्हीआईटीसी		सितंबर 2019		2401710
23	22ADFPS3990M1Z2	AA2202200086430	कुसुम प्रोडक्ट्स	आईएनव्हीआईटीसी		जुलाई 2018 से सितंबर 2018		398159
24	22AACCB8398M1Z7	AA2205200043932	बिलासपुर सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	एसइजेडडब्लुओपी		अप्रेल 2018 से दिसंबर 2018	अनुबंध बी, जीएसटीआर 2ए और नियम 89 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत अधिकृत संचालन के लिए माल/सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी से अनुमोदन।	34867
25	22AMRPK6006F1Z9	AA220220008625Y	मे. पारस केमिकल्स	आईएनव्हीआईटीसी	दुर्ग वृत्त – 3	अप्रेल 2019 से अक्टुबर 2019	प्रासंगिक अवधि के चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिनका विवरण संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए में नहीं मिलता है।	150000
26	22AETPK2241N1ZA	AA2212190002744K	कोठारी केमिकल्स	आईएनव्हीआईटीसी		मई 2018 से जून 2018		1708372
27	22AETPK2294K1Z3	AA2211190124260	कोठारी इंजीनियरिंग	आईएनव्हीआईटीसी	दुर्ग वृत्त – 4	अगस्त 2019 से सितंबर 2019	आरएफडी 01, प्रासंगिक अवधि के चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिनका विवरण संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए में नहीं मिलता है।	1198782
28	22AETPK2294K1Z3	AA220420001789L	कोठारी इंजीनियरिंग	आईएनव्हीआईटीसी		नवंबर 2019 से जनवरी 2020	प्रासंगिक अवधि के चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज	2444000

29	22AETPK2294K1Z3	AA2210190000917J	कोठारी इंजीनियरिंग	आईएनव्हीआईटीसी		जून 2019 से जुलाई 2019	चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिनका विवरण संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए में नहीं मिलता है।	1392328
30	22AAHFG1505H2ZY	AA221119013325R	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी		जून 2019	चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिसका विवरण और बीआरसी / एफआईआरसी / सेवाओं की बिक्री आय की प्राप्ति का संकेत देने वाले किसी अन्य दस्तावेज संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए में नहीं मिलता है।	13712275
31	22AAHFG1505H2ZY	AA2202200061854	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी		अक्टूबर 2019		4072000
32	22AAHFG1505H2ZY	AA2202200006214B	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी		नवंबर 2019		4186130
33	22AAHFG1505H2ZY	AA2205200003525Z	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी	दुर्ग वृत्त –4	दिसंबर 2019	प्रासंगिक अवधि के चालानों का विवरण (अनुबंध–बी) और अनुबंध–बी में दर्ज चालानों की स्व–प्रमाणित प्रति जिनका विवरण संबंधित अवधि के जीएसटीआर 2ए और बीआरसी / एफआईआरसी किसी अन्य दस्तावेज में नहीं मिलता है सेवाओं की बिक्री आय की प्रप्ति।	1818956
34	22AAHFG1505H2ZY	AA2205200005279Q	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी		जनवरी 2020		1834119
35	22AAHFG1505H2ZY	AA2206200006940U	ग्लोबस सोफ्ट	ईएक्सपीडब्लूओपी		फरवरी 2020		2235900
36	22AAWFS9330B1Z5	AA2201200001543B	सुनील कुमार अग्रवाल एल एल पी	ईएक्सबीसीएल	रायगढ़ वृत्त –2	लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	22000000
37	22AUVPK5798A1ZA	AA2202200006766S	धनंजय कुमार	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		332508
38	22AAACM0501D1ZK	AA2203200061662	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	ईएक्सपीडब्लूओपी		जनवरी 2019 से मार्च 2019	प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर 2ए की प्रति, चालान का विवरण (अनुबंध–बी) और प्रासंगिक अवधि के लदान का बिल।	2949896
39	22AADFA9648P1Z0	AA2204200001064B	अशेक कुमार अग्रवाल	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं	आरएफडी–01 दाखिल करने के दिनांक पर कैश लेजर में डेबिट राशि दिखा रहा है	500000
40	22AAJFM5290M1ZY	AA2206200001302B	एम एस विनोद कुमार जैन	ईएक्सबीसीएल		लागू नहीं		11360062

परिशिष्ट 4.3.1

(कंडिका 4.3.7.1 में संदर्भित)

मूल्य संवर्धित कर के निम्न दर का आरोपण

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाई का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) और टिन	वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण का महीना एवं वर्ष	मद	विक्रय मूल्य	आरोपण योग्य / आरोपित कर की दर	कर की आरोपण योग्य राशि	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	होंडा सिएल पावर प्रॉडक्ट लिमिटेड टिनः 22691100019	2016–17 स्व–कर निर्धारण	वॉटर पम्प और इलेक्ट्रिक जनरेटर	349.17	14 / 5	31.43	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान बिक्री किए गए पम्प को सबमर्सिबल पम्प मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की सही दर लागू नहीं की।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	सदर्न एग्रो इंजिन (पी) लिमिटेड टिनः 22441106413	2015–16 स्व–कर निर्धारण	इंटरनल कंबसन इंजिन पम्प सेट, इलेक्ट्रिक मोटर पम्प सेट आदि	301.31	14 / 5	27.12	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान बिक्री किए गए पम्प को सबमर्सिबल पम्प मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की सही दर लागू नहीं की।
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी टिनः 22401104107	2015–16 (जून 2020)	सिफाक्स (औषधि)	144	5 / 0	7.20	निर्धारण अधिकारी ने मछली की औषधि को मछली का भोजन जो कि कर मुक्त है, मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया।
4	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	जेडीएस इंटरप्राइजेस टिनः 2235110486	2015–16 (जून 2020)	सिफाक्स (औषधि)	102.83	5 / 0	5.14	निर्धारण अधिकारी ने मछली की औषधि को मछली का भोजन जो कि कर मुक्त है, मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया।
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड टिनः 22281104755	2013–14 (अप्रैल 2018)	सोलर बैटरी	608.47	14 / 0	85.19	सोलर बैटरी की बिक्री को करमुक्त मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कोई कर का आरोपण नहीं किया। मेसर्स पैनेसिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ के स्पष्टीकरण (फरवरी 2014) के अनुसार सोलर बैटरी को सोलर ऊर्जा उत्पादक यंत्र नहीं माना जा सकता अतः यह अधिसूचना (मार्च 2012) के अंतर्गत नहीं आता इसलिए इस पर कर 14 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था।
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड टिनः 22241100800	2014–15 स्व–कर निर्धारण	टूथपेस्ट, टूथपावडर, टूथब्रश आदि	25.39	14 / 0	3.55	केन्द्रीय पुलिस कैंटीन को व्यवसायी ने ₹ 23.59 लाख की बिक्री की तथा जरूरी घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किए बिना ही करमुक्त बिक्री के रूप में इसकी कटौती ले ली।
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	यूरोबॉण्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22021406374	2016–17 स्व–कर निर्धारण	एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट	114.29	14 / 5	10.85	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट को एल्युमिनियम उत्पाद मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।

8	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	यूनिस्टोन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22801406624	2015–16 स्व–कर निर्धारण	एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट	45.47	14 / 5	4.09	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट को एल्युमिनियम उत्पाद मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।
9	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	पर्ल इंटरप्राइजेस टिनः 22091406287	2015–16 (सितंबर 2020)	मशरूम और स्वीट कॉर्न	70.98	5 / 0	3.55	कर निर्धारण अधिकारी ने मशरूम और स्वीट कॉर्न जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–II के भाग–II की प्रविष्टि संख्या 41 के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से कर योग्य था, की बिक्री पर कोई कर का आरोपण नहीं किया।
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	सूर्याधन टिनः 22861307942	2016–17 स्व–कर निर्धारण	सोलर बैटरी	70.00	14.5 / 0	10.15	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान अधिसूचना (मार्च 2012) के अनुसार, सोलर बैटरी की बिक्री को करमुक्त मानते हुए कर का भुगतान नहीं किया। मेसर्स पैनेसिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ के स्पष्टीकरण (फरवरी 2014) के अनुसार सोलर बैटरी को सोलर ऊर्जा उत्पादक यंत्र नहीं माना जा सकता अतः यह अधिसूचना (मार्च 2012) के अंतर्गत नहीं आता इसलिए इस पर कर 14 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था।
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	श्री बालाजी इंटरप्राइजेस टिनः 22381601146	2016–17 स्व–कर निर्धारण	एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट	175.47	14.5 / 5	16.67	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट को एल्युमिनियम उत्पाद मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	बजाज ट्रेवलिंग स्टोर्स टिनः 22041600460	2015–16 स्व–कर निर्धारण	सूटकेस, ब्रीफकेस, अटैची, स्कूल बैग्स इत्यादि	431.91	14 / 5	38.87	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान सूटकेस, ब्रीफकेस की बिक्री को स्कूल बैग्स की बिक्री दिखाते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	बजाज ट्रेवलिंग स्टोर्स टिनः 22041600460	2016–17 स्व–कर निर्धारण	सूटकेस, ब्रीफकेस, अटैची, स्कूल बैग्स इत्यादि	276.00	14.5 / 5	26.22	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान सूटकेस, ब्रीफकेस की बिक्री को स्कूल बैग्स की बिक्री दिखाते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	राकेश इंटरप्राइजेस टिनः 22851202654	2015–16 (नवंबर 2020)	वॉटर पम्प सेट ऑटो तथा मोटर पार्ट्स	132.60	14 / 5	11.93	कर निर्धारण अधिकारी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान वॉटर पम्प तथा मोटर पार्ट्स की बिक्री को सबमरसिबल पम्प की बिक्री मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की सही दर लागू नहीं की।
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	रॉयल स्टील इंडस्ट्रीज टिनः 22651200824	2015–16 (मार्च 2020)	स्टील ट्रंक	42.88	14 / 0	6.00	कर निर्धारण अधिकारी ने स्टील ट्रंक की बिक्री को टिन ट्रंक मानते हुए जो कि कर मुक्त है, पर कर का आरोपण नहीं किया।
16	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	प्रिंस सैनिटेसन टिनः 22061200227	2015–16 (जून 2020)	बॉल वाल्व	18.70	14 / 5	1.68	कर निर्धारण अधिकारी ने बॉल वाल्व (सैनीटरी फिटिंग्स) की बिक्री को टूल्स की बिक्री मानते हुए कर की उचित दर लागू नहीं किया।
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	बजाज बैग्स टिनः 22731205824	2016–17 स्व–कर निर्धारण	सूटकेस, ब्रीफकेस, अटैची, स्कूल बैग्स इत्यादि	103.03	14.5 / 5	9.79	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान सूटकेस, ब्रीफकेस की बिक्री को स्कूल बैग्स की बिक्री दिखाते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।

18	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	श्री सालासर एनर्जी एण्ड फेरो एलाएज प्राइवेट लिमिटेड टिनः 2233105947	2016–17 स्व–कर निर्धारण	आयरन ओर पेलेट	1301.50	5/2	39.04	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान आयरन ओर पेलेट की बिक्री पर मूल्य संवर्धित कर की रियायती दर से भुगतान किया लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जरूरी फॉर्म 'ए' प्रस्तुत नहीं किया।
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	जेनिथ एग्रीजोन प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22781701321	2016–17 (फरवरी 2019)	इन्सेक्टीसाइड, पेस्टिसाइड, और माइक्रोन्युट्रीएंट/ प्लान्ट ग्रोथ प्रोमोटर	249.43	5/0	12.47	कर निर्धारण अधिकारी ने सूक्ष्म पोषक तत्व/पौधा ग्रोथ प्रोमोटर की बिक्री को जैविक खाद की बिक्री मानते हुए कर की उचित दर लागू नहीं किया।
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	छत्तीसगढ़ ट्रंक फैक्ट्री टिनः 22291700281	2016–17 स्व–कर निर्धारण	लौह ट्रंक	21.04	14.5/0	2.39	व्यवसायी ने स्टील ट्रंक की बिक्री को टिन ट्रंक की बिक्री मानते हुये जो कि कर मुक्त है, पर कर का आरोपण नहीं किया। साथ ही आलमीरा और कूलर की बिक्री को आयरन और स्टील की बिक्री दिखाते हुए कर की गलत दर लागू किया।
				आलमीरा और कूलर	25.15	14.5/5	3.05	
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	ग्वालियर फर्नीचर टिनः 22511702488	2016–17 स्व–कर निर्धारण	फर्नीचर	33.09	14.5/0	4.80	व्यवसायी द्वारा फर्नीचर को फायरवूड के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया तथा इसकी बिक्री पर कोई कर का भुगतान नहीं किया गया।
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	अल्स्ट्रॉन्ग इंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22781903663	2015–16 स्व–कर निर्धारण	एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट	357.20	14/5	32.15	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान एल्युमिनियम कम्पोजीट पैनल शीट को एल्युमिनियम उत्पाद मानते हुए मूल्य संवर्धित कर की उचित दर लागू नहीं की।
23	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	करनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22911902961	2015–16 स्व–कर निर्धारण	लौह एवं इस्पात	224.25	5/2	6.73	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान आयरन और स्टील सेमिस की बिक्री पर मूल्य संवर्धित कर की रियायती दर से भुगतान किया लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जरूरी फॉर्म 'ए' प्रस्तुत नहीं किया।
24	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	घनकुन स्टील प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22531901424	2015–16 स्व–कर निर्धारण	लौह एवं इस्पात	3500.77	5/2	105.02	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान आयरन और स्टील सेमिस की बिक्री पर मूल्य संवर्धित कर की रियायती दर से भुगतान किया लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जरूरी फॉर्म 'ए' प्रस्तुत नहीं किया।
25	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	हनुमान इस्पात प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22641901703	2015–16 स्व–कर निर्धारण	लौह एवं इस्पात	4814.08	5/2	144.42	व्यवसायी ने स्व–कर निर्धारण के दौरान आयरन और स्टील सेमिस की बिक्री पर मूल्य संवर्धित कर की रियायती दर से भुगतान किया लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जरूरी फॉर्म 'ए' प्रस्तुत नहीं किया।
योग					**13539.01**		**649.50**	

***परिशिष्ट* 4.3.2**

(कंडिका 4.3.7.2 में संदर्भित)

प्रवेश कर के गलत दर का आरोपण

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाई का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) और टिन	वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण का माह एवं वर्ष	माल/वस्तु	क्रय मूल्य	आरोपण योग्य/ आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण /कम आरोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स टिनः 22491100323	2014–15 (मार्च 2019)	मोबाइल हैंडसेट, पार्ट्स एवं एसेसरिज	132.50	1/0	1.32	राज्य के बाहर से क्रय किए गए मोबाइल हैंडसेट और पार्ट्स पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया जिस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय था।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रायपुर	मनीष इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेसन टिनः 22081100597	2015–16 (अक्टूबर 2020)	एल्यूमिनियम स्क्रैप	21.72	1/0	0.22	व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर से कच्चे माल का क्रय किया गया जिस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य था परन्तु भुगतान नहीं किया गया, पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	आशापुरा इन्टरनेशनल टिनः 22961405663	2015–16 (अक्टूबर 2020)	बेन्टोनाइट पावडर (केमिकल्स)	429.15	1/0	4.29	पैकिंग माल के उत्पादन में उपयोग होने वाले बेंटोनाइट पावडर जो कि एक रसायन है, के क्रय पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	कृष्णा एक्सप्लोसिव एण्ड एसेसरिज कंपनी टिनः 22951404844	2015–16 स्व–कर निर्धारण	एक्सप्लोसिव	432.34	10/1	38.91	व्यवसायी द्वारा कैल्सियम नाइट्रेट का राज्य के बाहर से क्रय किया गया और उसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया गया परंतु धारा 4ए के अनुसार लागू प्रवेश कर की उच्च दर से कर का भुगतान नहीं किया गया।
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	एकमी एजेंसिज टिनः 22591405430	2015–16 स्व–कर निर्धारण	पीवीसी रेजिन (केमिकल्स)	2839.68	1/0	28.40	व्यवसायी ने पीवीसी रेजिन को रसायन के रूप में पैकिंग माल के उत्पादन में उपयोग किया परंतु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नही किया।
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	एकमी एजेंसिज टिनः 22591405430	2016–17 स्व–कर निर्धारण	पीवीसी रेजिन (केमिकल्स)	3786.42	1/0	37.86	व्यवसायी ने पीवीसी रेजिन को रसायन के रूप में पैकिंग माल के उत्पादन में उपयोग किया परंतु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

7	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	विग्लान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22741308978	2015–16 (नवंबर 2020)	बैटरी आपरेटेड वेहिकल	164.37	1/0	1.64	राज्य के बाहर से क्रय किए गए बैटरी चालित वाहन पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	जेबीजी नन–वूवेन इंडस्ट्रीज टिनः 22861310270	2016–17 स्व–कर निर्धारण	प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स	572.28	1/0	5.72	व्यवसायी ने प्लास्टिक ग्रैन्युल्स (अनुसूची III वस्तु) को नन–वूवेन फैब्रिक के उत्पादन में उपयोग किया परंतु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22271309479	2016–17 स्व–कर निर्धारण	एलडीओ	207.43	15/0	31.11	राज्य के बाहर से व्यवसायी द्वारा लाइट डीजल आयल का क्रय किया गया तथा विद्युत के उत्पादन में इसका उपयोग किया गया परंतु धारा 4ए के अनुसार लागू प्रवेश कर की दर से कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया।
				अन्य वस्तु	190.06	1/0	1.90	साथ ही स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय किए गए अन्य आकस्मिक माल जिनका उपयोग विद्युत संयंत्र में किया गया, पर व्यवसायी द्वारा कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया।
10	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस टिनः 22661309022	2015–16 (जुलाई 2020)	मेडिकल एक्विपमेंट्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स	3295.98	1/0	32.96	मेसर्स एजिलेंट टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, वाणिज्य कर दिनांक 28 अप्रैल 2003 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह माना कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जिनका उपयोग मेडिकल जाँच एवं माप के उद्देश्य के लिए किया जाये वे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के अंतर्गत आते हैं अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय था परंतु कर निर्धारण अधिकारी ने मेडिकल उपकरण और औजार पर कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	केयर स्ट्रीम हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22301306698	2015–16 (दिसंबर 2020)	एक्स–रे फिल्म्स मेडिकल एक्विपमेंट एंड स्पेयर्स	638.90	1/0	6.39	सिनेमेटोग्राफिक कैमरा, प्रोजेक्टर्स, साउंड रिकोर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग उपकरण, लेंसेस, फिल्म्स, फोटोग्राफिक पेपर्स एंड पार्ट्स और उनके सहायक पुर्जे सिनेमेटोग्राफिक उपकरण के अंतर्गत आते है अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय हैं परंतु कर निर्धारण अधिकारी ने एक्स–रे फिल्म्स पर कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	रायपुर कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22321301643	2015–16 (फरवरी 2020)	डक्टाइल आयरन (डीआई) पाइप	273.45	1.5/1	1.37	कर निर्धारण अधिकारी ने डीआई पाइप पर प्रवेश कर की उचित दर का आरोपण नहीं किया। जबकि ये आयरन एंड स्टील के अंतर्गत वर्गीकृत हैं इसलिए

								एक प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय हैं।
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	राठौड़ ग्लास एजेंसिज टिनः 22651600367	2015–16 स्व–कर निर्धारण	ग्लास शीट	176.43	0.5 / 0	0.88	राज्य के बाहर से व्यवसायी द्वारा ग्लास शीट का क्रय किया गया परन्तु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम आयुक्त, विक्रय कर, यूपी लखनऊ (1973) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय यूपी के निर्णय के अनुसार ग्लास शीट, ग्लासवेयर के अंतर्गत आता है अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	राठौड़ ग्लास एजेंसिज टिनः 22651600367	2016–17 स्व–कर निर्धारण	ग्लास शीट	155.91	0.5 / 0	0.78	राज्य के बाहर से व्यवसायी द्वारा ग्लास शीट का क्रय किया गया परन्तु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम आयुक्त, विक्रय कर, यूपी लखनऊ (1973) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय यूपी के निर्णय के अनुसार ग्लास शीट, ग्लासवेयर के अंतर्गत आता है अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	राठौड़ इंटरप्राइज टिनः 22651602016	2015–16 स्व–कर निर्धारण	ग्लास शीट	48.54	0.5 / 0	0.24	राज्य के बाहर से व्यवसायी द्वारा ग्लास शीट का क्रय किया गया परन्तु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम आयुक्त, विक्रय कर, यूपी लखनऊ (1973) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय यूपी के निर्णय के अनुसार ग्लास शीट, ग्लासवेयर के अंतर्गत आता है अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
16	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–6, रायपुर	राठौड़ इंटरप्राइजेस टिनः 22651602016	2016–17 स्व–कर निर्धारण	ग्लास शीट	4.53	0.5 / 0	0.02	राज्य के बाहर से व्यवसायी द्वारा ग्लास शीट का क्रय किया गया परन्तु उस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम आयुक्त, विक्रय कर, यूपी लखनऊ (1973) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय यूपी के निर्णय के अनुसार ग्लास शीट, ग्लासवेयर के अंतर्गत आता है अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

17	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	शीला स्टील एंड फेब्रिकेटर टिनः 22841206782	2016–17 स्व–कर निर्धारण	प्लास्टिक ग्रेन्युल्स (आरपी दाना)	194.59	1/0	1.95	व्यवसायी ने प्लास्टिक ग्रेन्युल्स/आरपी दाना (अनुसूची–III वस्तु) को एयर कूलर बॉडी, चेयर, बकेट तथा फ्रूट कैरेट बनाने में उपयोग किया परंतु इस पर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स टिनः 22721202677	2015–16 (दिसंबर 2020)	पावर टूल्स	45.55	1/0	0.46	पावर टूल्स जो विद्युत से संचालित होने वाला मशीन है और जो एक प्रतिशत की दर से कर योग्य है, पर कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	शक्ति मेटल्स टिनः 22581206731	2015–16 (नवंबर 2020)	आयरन एंड स्टील	3015.72	1.5/1	15.08	आयरन एंड स्टील के क्रय जिस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था, कर निर्धारण अधिकारी ने उचित प्रवेश कर की दर का आरोपण नहीं किया।
20	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	श्री माधव स्टील टिनः 22621200210	2015–16 (नवंबर 2020)	आयरन एंड स्टील	1105.98	1.5/1	5.53	आयरन एंड स्टील के क्रय जिस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था, कर निर्धारण अधिकारी ने उचित प्रवेश कर की दर का आरोपण नहीं किया।
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	जीएसआर इंटरप्राइजेस टिनः 22521705063	2016–17 स्व–कर निर्धारण	कोल	765.98	2.5/0	19.15	व्यवसायी ने स्थानीय क्षेत्र के बाहर से कोल का क्रय किया परंतु उसे सीधे तौर पर खरीददार के परिसर में प्रदाय किया, मानकर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि वस्तु सीधे प्रदत्त किया गया, के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	अक्षत फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22081704519	2016–17 स्व–कर निर्धारण	कोल	267.11	2.5/0	6.68	व्यवसायी ने स्थानीय क्षेत्र के बाहर से कोल का क्रय किया परंतु उसे सीधे तौर पर खरीददार के परिसर में प्रदाय किया, मानकर कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि माल सीधे प्रदत्त किया गया, के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
23	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	बायोनिक्स टिनः 22521703113	2015–16 (मई 2020)	मेडिकल इक्विपमेंट	126.82	1/0	1.27	मेसर्स एजिलेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, वाणिज्य कर, दिनांक 28 अप्रैल 2003 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माल जिनका उपयोग मेडिकल जाँच एवं माप के उद्देश्य के लिए किया जाय वे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के अंतर्गत आते हैं अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय था, कर

								निर्धारण अधिकारी ने मेडिकल उपकरण और औजार पर कोई प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया।
24	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	पार्श्वनाथ स्टील इंडस्ट्रीज टिनः 22771701278	2016–17 स्व–कर निर्धारण	स्प्रिंग लीफ	78.63	1.5/1	0.39	राज्य के बाहर से क्रय किये गए स्प्रिंग लीफ पर व्यवसायी ने उचित प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	साहू रीयल बिल्डकॉन टिनः 22211704690	2015–16 (जनवरी 2020)	रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी)	17.08	1/0	0.17	आरएमसी जो अनुसूची III का वस्तु है और डीआई पाइप जो अनुसूची II का वस्तु है जब खपत किए जाते हैं तो इन पर प्रवेश कर क्रमशः एक प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय होता हैं परंतु कर निर्धारण अधिकारी ने शून्य अथवा कम प्रवेश कर का आरोपण किया।
				डीआई पाइप	45.96	1.5/1	0.23	
26	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–7, रायपुर	छत्तीसगढ़ एग्रो कमोडिटीज टिनः 228217044985	2015–16 स्व–कर निर्धारण	साल सीड्स	403.16	1/0	4.03	अपंजीकृत व्यवसायी से साल का बीज क्रय किया गया और पंजीकृत व्यवसायी को उसका विक्रय किया गया जिस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय था परंतु व्यवसायी द्वारा इस पर कोई प्रवेश कर भुगतान नहीं किया गया।
27	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज टिनः 22441902201	2015–16 स्व–कर निर्धारण	काजू नट	626.69	1/0	6.27	काजू बीज जो अनुसूची III की वस्तु है, का जब प्रसंस्करण के लिए क्रय किया जाता है तो इस पर प्रवेश कर एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय होता है परंतु इस पर व्यवसायी द्वारा कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया।
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	वी एम एक्सट्रुजन प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22931901495	2015–16 स्व–कर निर्धारण	पीपी ग्रैन्युल्स	527.75	1/0	5.28	पॉलिथीन के उत्पादन में उपयोग किए गए पीपी ग्रैन्युल्स (अनुसूची III) माल पर व्यवसायी द्वारा कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया।
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	स्वास्तिक फ्लेक्सिपैक टिनः 22031905191	2015–16 (नवंबर 2020)	एलएलडीपीई/ प्लास्टिक ग्रैन्युल्स	245.67	1/0	2.46	पीपी ग्रैन्युल्स जो अनुसूची III की वस्तु है, के उपयोग/खपत पर प्रवेश कर एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय है, परंतु कर निर्धारण अधिकारी ने कोई प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया।
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	सुभाष ट्रेडर्स टिनः 22611905260	2015–16 स्व–कर निर्धारण	सीमेंट	225.40	1/0	2.25	बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के कर चुकता क्रय मानते हुये स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय किए गए सीमेंट पर व्यवसायी द्वारा कोई प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया।
योग					**21061.53**		**265.21**	

परिशिष्ट 4.3.3

(कंडिका 4.3.7.3 में संदर्भित)

घोषणा फॉर्म 'सी' प्रस्तुत किये बिना ही कर की रियायती दर

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाई का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) और टिन	मद	वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण का माह एवं वर्ष	अप्रस्तुत 'सी' फार्म का मूल्य	आरोपण योग्य/ आरोपित कर की दर	कर की आरोपण योग्य राशि	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	जे के टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिनः 22931100038	मोटर गाड़ी के टायर एवं ट्यूब	2015–16 स्व–कर निर्धारण	22.44	14/2	2.69	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	छत्तीसगढ़ पेपर बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22141104929	क्राफ्ट एंड वेस्ट पेपर	2015–16 स्व–कर निर्धारण	275.13	5/2	8.25	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	जय माता दी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22771104534	क्राफ्ट एंड वेस्ट पेपर	2015–16 स्व–कर निर्धारण	58.15	5/2	1.74	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	जय माता दी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22771104534	क्राफ्ट एंड वेस्ट पेपर	2014–15 स्व–कर निर्धारण	86.29	5/2	2.59	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	छत्तीसगढ़ पेपर बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22141104929	क्राफ्ट एंड वेस्ट पेपर	2014–15 स्व–कर निर्धारण	114.17	5/2	3.43	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
6	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	विष्णु टिंबर कंपनी टिनः 22681401452	टिंबर	2015–16 (मार्च 2020)	266.17	14/5	23.96	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–4, रायपुर	वंदना इंजीन्यरिंग वर्क्स टिनः 22491405679	मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स	2016–17 स्व–कर निर्धारण	29.04	5/2	0.87	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	सूर्य वायर्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22291400842	आयरन एवं स्टील	2015–16 स्व–कर निर्धारण	211.48	5/2	6.34	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	अभिलाषा इस्पात उद्योग टिनः 22811405406	आयरन एवं स्टील	2016–17 स्व–कर निर्धारण	333.54	5/2	10.01	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	जेबीजी नन–वूवेन इंडस्ट्रीज टिनः 22861310270	नॉन–वूवेन फेब्रिक्स	2016–17 स्व–कर निर्धारण	77.64	14.5/2	9.70	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	एम एम पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड. टिनः 22271306860	प्लास्टिक बोटल्स एवं कैप्स	2016–17 स्व–कर निर्धारण	174.72	5/2	5.24	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।

12	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, रायपुर	विनायक स्टील टिनः 22681206094	आयरन एवं स्टील	2016–17 स्व–कर निर्धारण	115.02	5/2	3.45	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
13	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	संजय इंटरप्राइजेस टिनः 22231205711	मोटर पार्ट्स	2016–17 स्व–कर निर्धारण	86.70	14.5/2	10.84	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
14	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	सुपर पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22881205984	प्लास्टिक फिल्म	2016–17 स्व–कर निर्धारण	125.51	5/2	3.77	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	सुपर पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22881205984	प्लास्टिक फिल्म	2015–16 स्व–कर निर्धारण	118.47	5/2	3.55	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
16	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	छत्तीसगढ़ इस्पात उद्योग टिनः 22581200329	आयरन एवं स्टील	2016–17 स्व–कर निर्धारण	43.00	5/2	1.29	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	अन्नपूर्णा कंटेनर्स टिनः 22171700347	प्लास्टिक कंटेनर	2016–17 स्व–कर निर्धारण	127.30	5/2	3.82	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	बंसल इंडस्ट्रीज टिनः 22501701572	सोलर गूड्स के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर	2016–17 स्व–कर निर्धारण	96.29	5/2	2.89	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
19	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–7, रायपुर	नरेश मार्केटिंग टिनः 22341703115	इलेक्ट्रॉनिक माल	2015–16 स्व–कर निर्धारण	11.34	14/2	1.36	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	ईस्टर्न फेब्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22681901293	आयरन एवं स्टील	2015–16 स्व–कर निर्धारण	194.09	5/2	5.82	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, रायपुर	श्री किशन इंडस्ट्रीज टिनः 22441902201	काजू नट	2015–16 स्व–कर निर्धारण	23.22	5/2	0.70	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
22	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	हनुमान इस्पात प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22641901703	आयरन एवं स्टील	2015–16 स्व–कर निर्धारण	2063.99	5/2	61.92	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
23	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	दीपक इंडस्ट्रीज टिनः 22141902657	बाइंडिंग वायर	2015–16 स्व–कर निर्धारण	115.68	5/2	3.47	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
24	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	घनकुन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22531901424	आयरन एवं स्टील	2015–16 स्व–कर निर्धारण	35.72	5/2	1.07	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
25	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	श्री गिरिजा स्मेलटर्स लिमिटेड टिनः 22381900003	आयरन एवं स्टील	2015–16 स्व–कर निर्धारण	38.01	5/2	1.14	लेन–देन के समर्थन में 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
योंग					**4843.11**		**179.91**	

परिशिष्ट 4.3.4

(कंडिका 4.3.7.4 में संदर्भित)

वैधानिक फॉर्म 'ई–1/सी' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाई का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) और टिन	वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण का माह एवं वर्ष	मद	'ई 1' अथवा 'सी' फॉर्म के बिना अंतर्राज्यीय लेन–देन का मूल्य	आरोपण योग्य/ आरोपित कर की दर	कर की आरोपण योग्य राशि	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	उदय सेल्स टिनः 22511405377	2015–16 स्व–कर निर्धारण	मोटर एवं ट्रैक्टर पार्ट्स	559.74	2/0	11.19	'ई 1' फॉर्म संलग्न नहीं परंतु 'सी' फॉर्म संलग्न हैं।
2	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	इंडियन इन्फ्रा स्टील टिनः 22671404901	2015–16 स्व–कर निर्धारण	आयरन एण्ड स्टील	55.69	4/0	2.23	'ई 1' फॉर्म संलग्न नहीं परंतु 'सी' फॉर्म संलग्न हैं। .
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–4, रायपुर	रजत ईक्विपमेट प्राईवेट लिमिटेड टिनः 22641104460	2015–16 स्व–कर निर्धारण	मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स	124.31	2/0	2.49	'ई 1' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
					150.35	14/0	21.05	'सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	अशर्फी इंजीनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड टिनः 22141309599	2016–17 स्व–कर निर्धारण	आयरन एण्ड स्टील	16.37	2/0	0.33	'ई 1–सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
					1006.99	5/0	50.35	
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	लारसन एंड टूब्रो लिमिटेड टिनः 22453400312	2015–16 स्व–कर निर्धारण	इलेक्ट्रिकल आइटम्स एण्ड मशीनरी पार्ट्स	183.09	5/0	9.15	'ई 1–सी' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–6, रायपुर	श्री स्टील्स टिनः 22141601375	2016–17 स्व–कर निर्धारण	आयरन एण्ड स्टील	118.93	5/0	5.95	'सी ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–7, रायपुर	सरस्वती ग्लोबल्स टिनः 22561701927	2015–16 स्व–कर निर्धारण	आयरन एण्ड स्टील	88.35	5/0	4.42	'सी ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
कुल					**2303.82**		**107.16**	

परिशिष्ट 4.3.5

(कंडिका 4.3.7.5 में संदर्भित)

वैधानिक फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट

(₹ लाख में)

स. क्र.	ईकाई का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) और टिन	वित्तीय वर्ष और निर्धारण का माह एवं वर्ष	मद	अप्रस्तुत 'एफ' फॉर्म का मूल्य	आरोपण योग्य / आरोपित कर की दर	कर की आरोपण योग्य राशि	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड टिनः 22201102180	2014–15 स्व–कर निर्धारण	पेंट	279.60	14 / 0	39.14	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	वोडाफोन मोबाइल सर्विसेस लिमिटेड टिनः 22101310591	2016–17 स्व–कर निर्धारण	मोबाइल फोन एंड बैटरी	456.11	14.5 / 0	66.14	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, रायपुर	टेककेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड टिनः 22711309334	2016–17 स्व–कर निर्धारण	इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स	80.46	14.5 / 0	11.67	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
4	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–3, रायपुर	माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22461310199	2015–16 स्व–कर निर्धारण	मोबाइल हैडसेट उवं इसके एसेसरिज	61.70	14 / 0	8.64	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
5	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड टिनः 22453400312	2015–16 स्व–कर निर्धारण	इलेक्ट्रिकल आइटम एंड मशीनरी पार्ट्स	68.62	5 / 0	3.43	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–1, रायपुर	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड टिनः 22453400312	2016–17 स्व–कर निर्धारण	इलेक्ट्रिकल आइटम एंड मशीनरी पार्ट्स	43.13	5 / 0	2.16	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	जे के व्हाइट सीमेंट वर्क्स टिनः 22471201020	2016.17 स्व–कर निर्धारण	सीमेंट एंड वाल पुट्टी	627.97	14.5 / 0	91.06	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।

8	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	सीआरआई पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 2219120338	2015–16 स्व–कर निर्धारण	पम्प	64.10	5 / 0	3.21	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
9	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–2, रायपुर	सीआरआई पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड टिनः 2219120338	2016–17 स्व–कर निर्धारण	पम्प	38.77	5 / 0	1.94	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, रायपुर	बेस्ट यूनाइटेड इंडिया कम्फर्ट प्राइवेट लिमिटेड टिनः 22941704434	2016–17 स्व–कर निर्धारण	रेडीमेड गारमेंट्स	46.00	5 / 0	2.30	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
11	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–9, रायपुर	एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड टिनः 22571904312	2015–16 स्व–कर निर्धारण	बैटरी	40.29	14 / 0	5.64	लेन–देन के समर्थन में 'एफ' फॉर्म संलग्न नहीं हैं।
कुल					**1806.75**		**235.33**	

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका 5.1 में संदर्भित)

एक्सिस बैंक के चालू खाते में रखे न्यूनतम शेष एवं उस पर ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(अ) खाता संख्या- 917020081943839, खाते का प्रकार-सीए–एलटीडी				
माह	**माह का न्यूनतम शेष (₹)**	**चालू खाते में ₹ 10 लाख रखने के बाद न्यूनतम शेष राशि जो ऑटो स्वीप खाते मे स्थानांतरण के लिए उपलब्ध थी**	**30 दिन की परिपक्वता अवधि के आधार पर ब्याज दर**	**ब्याज की हानि (₹)**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
मार्च 2018	77,35,408	67,35,408	5.50	30,871
अप्रैल 2018	2,25,630	0	5.50	0
मई 2018	2,25,630	0	5.50	0
जून 2018	2,25,630	0	5.50	0
जुलाई 2018	15,17,298	5,17,298	5.50	2,371
अगस्त 2018	6,76,217	0	5.50	0
सितम्बर 2018	90,02,250	80,02,250	5.50	36,677
अक्टूबर 2018	10,02,250	2,250	5.50	10
नवम्बर 2018	10,02,250	2,250	5.50	10
दिसम्बर 2018	25,41,058	15,41,058	5.50	7,063
जनवरी 2019	25,41,058	15,41,058	5.50	7,063
फरवरी 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
मार्च 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
अप्रैल 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
मई 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
जून 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
जुलाई 2019	17,59,032	7,59,032	5.50	3,479
अगस्त 2019	17,12,832	7,12,832	5.50	3,267
सितम्बर 2019	6,89,35,707	6,79,35,707	5.95	3,36,848
अक्टूबर 2019	8,03,09,189	7,93,09,189	5.95	3,93,241
नवम्बर 2019	8,03,09,189	7,93,09,189	5.95	3,93,241
दिसम्बर 2019	6,72,23,877	6,62,23,877	5.95	3,28,360
जनवरी 2020	6,48,41,299	6,38,41,299	4.50	2,39,405
फरवरी 2020	6,47,53,744	6,37,53,744	4.50	2,39,077
मार्च 2020	66,28,790	56,28,790	4.90	22,984
कुल (अ)				**20,61,362**
(ब) खाता संख्या - 917020061420149, खाते का प्रकार-सीए–सें/स्टेट पब.सेक्टर-पीएसयू				
अक्टूबर 2017	3,67,96,895	3,57,96,895	5.50	1,64,069
नवम्बर 2017	3,67,96,895	3,57,96,895	5.50	1,64,069
दिसम्बर 2017	3,67,96,895	3,57,96,895	5.50	1,64,069
जनवरी 2018	3,67,96,895	3,57,96,895	5.50	1,64,069
फरवरी 2018	3,67,96,895	3,57,96,895	5.50	1,64,069

मार्च 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
अप्रैल 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
मई 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
जून 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
जुलाई 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
अगस्त 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
सितम्बर 2018	6,87,89,246	6,77,89,246	5.50	3,10,701
अक्टूबर 2018	4,94,84,378	4,84,84,378	5.50	2,22,220
नवम्बर 2018	4,94,84,378	4,84,84,378	5.50	2,22,220
दिसम्बर 2018	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
जनवरी 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
फरवरी 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
मार्च 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
अप्रैल 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
मई 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
जून 2019	25,90,872	15,90,872	5.50	7,291
जुलाई 2019	10,26,984	26,984	5.50	124
अगस्त 2019	10,26,984	26,984	5.50	124
सितम्बर 2019	10,26,984	26,984	5.50	124
अक्टूबर 2019	10,26,984	26,984	5.50	124
नवम्बर 2019	2,08,46,766	1,98,46,766	5.50	90,964
दिसम्बर 2019	2,05,31,572	1,95,31,572	5.50	89,520
जनवरी 2020	2,05,31,572	1,95,31,572	5.50	89,520
फरवरी 2020	2,05,31,572	1,95,31,572	5.50	89,520
मार्च 2020	2,74,736	0	5.50	0
कुल (ब)				**38,50,749**
(स) खाता संख्या - 917020081943897, खाते का प्रकार-सीए–एलटीडी				
अप्रैल 2018	8,00,00,000	7,90,00,000	5.50	3,62,083
मई 2018	8,00,00,000	7,90,00,000	5.50	3,62,083
जून 2018	9,11,27,075	9,01,27,075	5.50	4,13,082
जुलाई 2018	9,17,38,370	9,07,38,370	5.50	4,15,884
अगस्त 2018	10,62,23,963	10,52,23,963	5.50	4,82,276
सितम्बर 2018	7,60,30,517	7,50,30,517	5.50	3,43,890
अक्टूबर 2018	7,60,30,517	7,50,30,517	5.50	3,43,890
नवम्बर 2018	7,60,30,517	7,50,30,517	5.50	3,43,890
दिसम्बर 2018	6,79,75,812	6,69,75,812	6.50	3,62,786
जनवरी 2019	6,79,75,812	6,69,75,812	6.50	3,62,786
फरवरी 2019	6,79,75,812	6,69,75,812	6.50	3,62,786
मार्च 2019	6,79,75,812	6,69,75,812	6.50	3,62,786
अप्रैल 2019	6,95,95,537	6,85,95,537	6.50	3,71,559

मई 2019	6,41,19,375	6,31,19,375	6.50	3,41,897
जून 2019	11,40,82,927	11,30,82,927	5.95	5,60,703
जुलाई 2019	8,71,72,945	8,61,72,945	5.95	4,27,274
अगस्त 2019	8,54,71,293	8,44,71,293	5.95	4,18,837
सितम्बर 2019	2,00,73,745	1,90,73,745	5.95	94,574
अक्टूबर 2019	1,08,94,292	98,94,292	5.50	45,349
नवम्बर 2019	2,51,95,432	2,41,95,432	6.10	1,22,993
दिसम्बर 2019	2,71,83,487	2,61,83,487	6.10	1,33,099
जनवरी 2020	3,41,38,868	3,31,38,868	4.90	1,35,317
फरवरी 2020	5,15,47,286	5,05,47,286	4.50	1,89,552
मार्च 2020	32,19,971	22,19,971	4.90	9,065
कुल (स)				**73,68,442**
(द) खाता संख्या-917020081943907 खाते का प्रकार-सीए–सें/स्टेट पब.सेक्टर-पीएसयू				
मार्च 2018	2,59,27,969	2,49,27,969	5.50	1,14,253
अप्रैल 2018	48,67,058	38,67,058	5.50	17,724
मई 2018	9,36,328	0	5.50	0
जून 2018	36,328	0	5.50	0
जुलाई 2018	36,328	0	5.50	0
अगस्त 2018	36,328	0	5.50	0
सितम्बर 2018	36,328	0	5.50	0
अक्टूबर 2018	36,328	0	5.50	0
नवम्बर 2018	36,328	0	5.50	0
दिसम्बर 2018	36,328	0	5.50	0
जनवरी 2019	36,328	0	5.50	0
फरवरी 2019	95,10,449	85,10,449	5.50	39,006
मार्च 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
अप्रैल 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
मई 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
जून 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
जुलाई 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
अगस्त 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
सितम्बर 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
अक्टूबर 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
नवम्बर 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
दिसम्बर 2019	80,41,993	70,41,993	5.50	32,276
जनवरी 2020	1,99,730	0	5.50	0
फरवरी 2020	59,944	0	5.50	0
मार्च 2020	59,944	0	5.50	0
कुल (द)				**4,93,741**

(इ) खाता संख्या - 917020021482682, खाते का प्रकार-सीए–सें/स्टेट पब.सेक्टर-पीएसयू				
अप्रैल 2017	30,00,65,281	29,90,65,281	5.50	13,70,716
मई 2017	29,61,87,767	29,51,87,767	5.50	13,52,944
जून 2017	28,63,64,904	28,53,64,904	5.50	13,07,922
जुलाई 2017	24,46,35,225	24,36,35,225	5.50	11,16,661
अगस्त 2017	23,89,75,382	23,79,75,382	5.50	10,90,721
सितम्बर 2017	23,69,65,839	23,59,65,839	5.50	10,81,510
अक्टूबर 2017	20,27,29,348	20,17,29,348	5.50	9,24,593
नवम्बर 2017	16,69,40,526	16,59,40,526	5.50	7,60,561
दिसम्बर 2017	16,14,11,695	16,04,11,695	5.50	7,35,220
जनवरी 2018	13,67,15,785	13,57,15,785	5.50	6,22,031
फरवरी 2018	8,92,75,010	8,82,75,010	5.50	4,04,594
मार्च 2018	8,53,67,862	8,43,67,862	5.50	3,86,686
अप्रैल 2018	8,30,20,201	8,20,20,201	5.50	3,75,926
मई 2018	29,70,30,975	29,60,30,975	5.50	13,56,809
जून 2018	29,61,43,505	29,51,43,505	5.50	13,52,741
जुलाई 2018	25,15,61,198	25,05,61,198	5.50	11,48,405
अगस्त 2018	24,29,36,403	24,19,36,403	5.50	11,08,875
सितम्बर 2018	14,80,22,761	14,70,22,761	5.50	6,73,854
अक्टूबर 2018	13,66,50,739	13,56,50,739	5.50	6,21,733
नवम्बर 2018	14,17,56,163	14,07,56,163	6.50	7,62,429
दिसम्बर 2018	12,77,56,539	12,67,56,539	6.50	6,86,598
जनवरी 2019	10,06,10,605	9,96,10,605	6.50	5,39,557
फरवरी 2019	9,80,16,425	9,70,16,425	6.50	5,25,506
मार्च 2019	8,73,69,341	8,63,69,341	6.50	4,67,834
अप्रैल 2019	10,63,64,774	10,53,64,774	6.50	5,70,726
मई 2019	10,25,64,477	10,15,64,477	6.50	5,50,141
जून 2019	11,28,33,769	11,18,33,769	5.95	5,54,509
जुलाई 2019	14,15,17,826	14,05,17,826	5.95	6,96,734
अगस्त 2019	10,74,25,592	10,64,25,592	5.95	5,27,694
सितम्बर 2019	77,35,545	67,35,545	5.50	30,871
अक्टूबर 2019	4,62,87,371	4,52,87,371	5.95	2,24,550
नवम्बर 2019	3,48,89,923	3,38,89,923	5.95	1,68,038
दिसम्बर 2019	12,37,74,873	12,27,74,873	5.95	6,08,759
जनवरी 2020	9,37,71,601	9,27,71,601	4.50	3,47,894
फरवरी 2020	6,61,26,843	6,51,26,843	4.50	2,44,226
कुल (इ)				**2,52,98,566**
(-)बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज				8,84,366
खाता संख्या 917020021482682 में ब्याज की हानि				**2,44,14,200**
एक्सिस बैंक के सभी पाँच बैंक खातों में कुल ब्याज की हानि				**3,81,88,495**

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका 5.2 में संदर्भित)

मेसर्स एफईईएल के संबंध में 04.07.2017 से 13.08.2019 तक के देयकों का जीएसटी सहित विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला	देयक की अवधि	देयक की राशि	एसजीएसटी (सीआर)	सीजीएसटी (सीआर)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1	बिलासपुर (आपूर्ति)	16–11–2017 से 10–08–2018	183988968	12716099	12716099
2	बिलासपुर (निर्माण)	15–09–2017 से 16–07–2018	62461434	4723974	4723974
3	जांजगीर चांपा (निर्माण)	15–12–2017 से 17–07–2018	4053975	364858	364858
4	रायगढ़ (आपूर्ति + निर्माण)	03–10–2017 से 06–08–2019	118062587	10625633	10625633
5	कोरबा (आपूर्ति)	07–11–2017 से 05–07–2018	27223755	2450138	2450138
6	जांजगीर चांपा (आपूर्ति)	07–11–2017 से 03–08–2018	51820456	4663841	4663841
7	कोरबा (निर्माण)	19–04–2018 से 31–05–2018	4384718	394625	394625
8	मुंगेली (आपूर्ति)	11–12–2017 से 10–08–2018	244169643	13792634	13792634
9	मुंगेली (निर्माण)	15–09–2017 से 13–08–2018	27175554	2055294	2055294
योग			**723341090**	**51787096**	**51787096**
देयक की राशि					**723341090**
कुल जीएसटी की राशि					**103574192**

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

Website-https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en